राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या: 12

मंगलवार,

28 फरवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री अविनाश।

सरकारी नियुक्तियों में अन्य प्रदेशों के युवाओं की नियुक्ति पर रोक

203. श्री अविनाश (जैतारण): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न सरकारी नियुक्तियों में अन्य प्रदेशों के निवासियों को भी नियुक्ति दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रदेश में अन्य प्रदेशों के निवासियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): (1) जी हां। सभी सेवा नियमों के नियम 'राष्ट्रीयता' के अन्तर्गत भारत का नागरिक होने का प्रावधान है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) के अनुसार निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में विधिक प्रावधान करने का अधिकार अनुच्छेद 16(3) के अनुसार केवल संसद को है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे भारत में राजस्थान की बेरोजगारी की दर करीब 28 प्रतिशत है, जो कि पूरे भारत में दूसरे नम्बर पर है। आपने मुझे खण्ड दो में जो उत्तर दिया है, उसमें यह बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) के अनुसार निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक

(श्री अविनाश)

नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, भारत के ही अलग-अलग स्टेटों में, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय शिवराज मामा ने 18 अगस्त, 2022 को स्थानीय लोगों को ही 100 परसेंट आरक्षण।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, और 09 जुलाई, 2019 को तत्कालीन पूर्व मुख्य मंत्री कमलनाथ जी ने 70 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री अविनाश (जैतारण): आपने जो उत्तर दिया है, बिहार झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में पहले से स्थानीय लोगों को..

श्री अध्यक्ष: आप फिर प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं?

श्री अविनाश (जैतारण): स्थानीय व्यक्तियों के लिए ही यह व्यवस्था लागू है। क्या सरकार राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था दूसरे राज्यों की तरह करना चाहेगी?

श्री अध्यक्ष: आप फिर इस पर आ गये। आपका हो गया न। व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे, आप इसको बार-बार एक्सप्लेन करते जा रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मध्य प्रदेश में केवल घोषणा ही हुई है। कोई नियम नहीं बनाया गया है। यह वैसी ही घोषणा है कि 15 लाख रुपये खाते में आ जायेंगे, दो करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी ही घोषणा है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि Rajasthan Public Service Commission में 2012 से लेकर 2022 तक मात्र 1.05 प्रतिशत बाहर के लोग सलेक्ट हुए हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड में 2014 से लेकर 2022 तक मात्र 0.90 परसेंट बाहरी व्यक्ति सलेक्ट हुए हैं। कुल मिलाकर इन्होंने जो उदाहरण दिये हैं, उनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, इन राज्यों में वहां की सरकारी भाषा, जैसे कि गुजरात की गुजराती, इनमें एक प्रश्न-पत्र अनिवार्य किया हुआ है। चूंकि उन भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। हमारी भाषा को भी यदि मान्यता मिल जायेगी तो हम भी राजस्थानी भाषा का प्रश्न-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
पत्र अनिवार्य कर देंगे। उसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए पूरी विधान सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर रखा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि केन्द्र की सरकार अभी तक उसको मान्यता नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह बात सही है कि भाषा के आधार पर जो राज्य हैं, जिनकी भाषा को संविधान में स्वीकृत कर रखा है, वहां तो उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है। हमारी भाषा स्वीकृत नहीं है, इसलिए हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह जानते हुए क्या हम ऐसे मैजर्स लेंगे जिससे कि स्थानीय लोगों का प्रोटेक्शन हो सके।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे अधिकांश आरएएस के पेपर्स, वीडीओ के पेपर्स और अभी जो ए.ईएन. एवं जे.ईएन. की भर्ती हुई है, उनके पेपर्स में करीब 30 से 40 परसेंट राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति और पर्यटन के बारे में प्रश्न पूछने शुरू कर दिये गये हैं। जब भाषा को मान्यता मिल जायेगी तो सदन की भावनाओं के अनुसार हम वैसी कार्यवाही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री धर्मनारायण जोशी।

राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को नि:शुल्क गणवेश

204. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को सिली हुई गणवेश निःशुल्क देने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक कितनी राशि व्यय की गयी? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों से हादसों की आशंका को टालने के लिए सरकार की क्या योजना है? विगत चार वर्षों में उक्त मद में कितनी राशि व्यय की गई है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2020 व 2021 में जिला स्तर पर आयोजित हुए शिक्षक सम्मान समारोह ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किये गये थे? यदि हां, तो उक्त पर कितना व्यय हुआ? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल यूनिफार्म दिये जाने की घोषणा की गयी थी। बजट भाषण की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

नि:शुल्क स्कूल यूनिफार्म वितरण योजनान्तर्गत विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल यूनिफार्म वितरण पर कुल व्यय 500.10 करोड़ किया जाना है।

(2) विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों से हादसों की आशंका को टालने के लिए विद्यालय परिसर में स्थित जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त कक्षा-कक्ष एवं अन्य भवन (ढांचा) जीर्ण-शीर्ण घोषित करने के संबंध में कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा परिपत्र क्रमश: दिनांक 16.04.2015, दिनांक 02.07.2015 जारी किये गये हैं, जिनके अनुसार संबंधित विद्यालय की एस.एम.सी/एस.डी.एम.सी. द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जिला स्तरीय निष्पादक समिति भवन को क्षतिग्रस्त घोषित करने के संबंध में कार्यवाही करती है। जीर्ण-शीर्ण घोषित करने के उपरान्त भवनों/ढांचों को गिराने की कार्यवाही संबंधित एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी. द्वारा की जाती है। उक्त परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट ख व ख-1 पर संलग्न हैं।

प्रदेश में गत 4 वर्षो में समग्र शिक्षान्तर्गत जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु राशि 1,628.44 लाख रुपये तथा विद्यालयों भवनों की वृहद् मरम्मत हेतु राशि 757.41 लाख रुपये व्यय किये गये हैं, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ग व ग-1 पर संलग्न है।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले शिक्षक सम्मान समारोह को वर्ष 2020 में कोविड-19 जनित विषम परिस्थितियों के मद्देनजर ऑनलाइन (वर्चुअल) आयोजित किया गया था, जिसमें 849 शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा इस पर कुल 89,98,448/- राशि का व्यय हुआ।

इसी प्रकार वर्ष 2021 में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन ऑफलाइन किया गया था, जिसमें 900 शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा इस पर कुल 91,17,724/- राशि का व्यय हुआ।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अध्यक्ष: सीधे प्रश्न पूछें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड-1 में अब तक व्यय राशि की जानकारी चाही है। यह घोषणा वर्ष 2021-22 के बजट की है। उत्तर दिया है, 500.10 करोड़ रुपये व्यय किये जाने हैं। उत्तर चाहिए था कि कितना व्यय किया? यह तो ऐसा हो गया कि एक आदमी कह रहा है कि मैं अमरीका जाने का विचार कर रहा हूं, कितना खर्चा होगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। मैंने पढ़ लिया।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक कितना व्यय किया है, यह पूछा है। यह मेरा प्रश्न है। दूसरा मैं इसके बाद पूछता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, इसमें कपड़े का मूल्य 363.38 करोड़ का है और अब तक 66 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सिलाई के पेटे 134.58 करोड़ का प्रावधान है, उसमें 78 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जैसे-जैसे बिल आयेगा, वैसे-वैसे भुगतान कर देंगे। प्राय: मेरी जानकारी के अनुसार अधिकांश स्कूलों में यूनिफार्म्स का वितरण हो चुका है और जो सिलाई का पैसा है, वह सीधा उनके खातों में जमा कराया गया है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, मैंने पूछा था कि नवीन भवनों पर चार सालों में कितना व्यय हुआ है। उदयपुर जिले में 73 लाख रुपये व्यय हुए हैं, केवल सराड़ा की बामनिया पंचायत में। फिर जर्जर भवन के लिए इन्होंने जवाब दिया है, उदयपुर जिले में चार साल में पांच जर्जर भवनों का लिखा है, जिसमें कोटड़ा में शून्य व्यय हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को क्या कहना है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। यह तो आया हुआ है। प्रश्न पूछें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मेरा दूसरा प्रश्न है। इन्होंने कहा है कि शिक्षक सम्मान में वर्ष 2020 में जो व्यय हुआ है, ऑनलाइन में तो 89.98 लाख रुपये और ऑफलाइन में 91.17 लाख रुपये। ऑफलाइन में टेंट लगने से ज्यादा खर्चा हुआ। ऑनलाइन में भी 89.98 लाख रुपये व्यय हुआ है। क्या इसमें घोटाला नहीं हुआ है? क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसमें लगभग दो लाख रुपये का फर्क है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

ऑनलाइन होता है तो भोजन वगैरह और टेंट की व्यवस्था नहीं होती है। जब ऑफलाइन होता है तो वहां टेंट की व्यवस्था, जो भामाशाह आये हैं या जो टीचर्स आये हैं, उनके खाने की व्यवस्था वगैरह की जाती है। इसके कारण से दो लाख रुपये का फर्क है। कुछ हर साल शिक्षकों की संख्या भी बढ़ जाती है तो सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी हो जाती है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी खड़े हैं, वे बोल रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने कोटड़ा का बताया है, कोटड़ा में 4.50 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गयी थी। गिर्वा में 7.04, सलूम्बर में 7.04, खेरवाड़ा 4.50, सायरा में 7.04 लाख रुपये। खेरवाड़ा और सायरा के कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन गिर्वा, सलूम्बर और कोटड़ा में प्रगतिरत हैं। जहां तक मावली का सवाल है। मावली में अभी 2022-23 में हमने नरदासिया में 5 लाख, लोढ़ावास में 5 लाख और गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल, थामला में 5 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन खर्चा 89 लाख के समथिंग हुआ है और ऑफलाइन का 91 लाख है। केवल दो लाख का अन्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी?

श्री अध्यक्ष: दो लाख में भारी भ्रष्टाचार हुआ है?

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों में अन्तर दो लाख का ही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

अलवर यू.आई.टी. के पेरिफेरी क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम

205. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील अलवर व रामगढ़ के अनेक ग्रामों को यू.आई.टी., अलवर द्वारा अपने मास्टर प्लान में पेरिफेरी में ले लिया गया है? यदि हां, तो तहसीलवार ग्रामों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों में स्थित सरकारी भूमि पर स्थानीय ग्राम पंचायतों व विभागों द्वारा राजकीय कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य उप केन्द्र, आंगनबाड़ी भवन, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, शौचालय आदि का निर्माण किया हुआ है?

(3) क्या सरकार उक्त उपयोग में ली जा रही भूमि को सुविधाओं के नाम पर आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। अलवर तहसील के 46 ग्राम एवं तहसील रामगढ़ के 9 ग्रामों को नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा मास्टर प्लान की पेरिफेरी क्षेत्र में शामिल किया गया है। (सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है)

(2) जी हां। यह सही है कि पेरिफेरी क्षेत्र के ग्राम में आंशिक सरकारी भूमियों पर ग्राम पंचायतों/विभागों द्वारा राजकीय कार्यालय सार्वजनिक जन सुविधाएं; जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य उप केन्द्र, आंगनबाड़ी भवन, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, शौचालय आदि का निर्माण किया हुआ है।

(3) प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में किये गये निर्माणों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की भूमि पर किये गये निर्माण को मास्टर प्लान और जोनल प्लान में आरक्षित रखा जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आमजन की परेशानी एवं पंचायती राज द्वारा किये गये विकास कार्यों में रुकावट को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन यूआई.टी. क्षेत्र में बने हुए सरकारी संस्थानों के पट्टे जारी रखने की मंशा रखती है? जब से पेरिफेरी में विलेजेज आये हैं, इन पर यू.आई.टी. ने न तो कोई काम किया है, न कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): प्रश्न यह है कि कब तक इनके पट्टे दे दिए जाएंगे, ताकि सरपंच इनका काम कर सकें?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो सरकारी भवन हैं, उनके पट्टे देने में तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): दे नहीं रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दे नहीं रहे, वह एक अलग बात है। आपको अलवर यू.आई.टी. से बात करनी चाहिए थी, हो जाता। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं कोई परेशानी नहीं है।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इन पेरिफेरी विलेजेज के लिए एक अनइनवाइटेड ट्रबल बन गया है। इनमें एक रुपया यू.आई.टी. का नहीं लगा है बल्कि जो मास्टर प्लान है, उसकी धज्जियां उड़ गयी हैं। जो रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें तो कुछ नहीं, बारानी जमीन में उसमें प्लाटिंग हो रही है। ढाढोली गांव में सरपंच ने तीन साल मेहनत करके एक ग्राम पंचायत भवन का पट्टा लिया, वह बनाया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, डिबेट नहीं।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): वहां पर माइटी टाउनशिप प्लाटिंग कर रही है। उसको कोई रोकटोक नहीं रहा है। मैं चाहूंगी यूआई.टी.ज. पर ध्यान दें। मास्टर प्लान के अकोर्डिंग इलाके में काम हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजकुमार रोत।

अनुसूचित क्षेत्रों में बैकलाग

206. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में (अनुसूचित क्षेत्र में) पे-स्केल 1 से 9 तक के कितने पद सृजित हैं? उक्त पर वर्तमान में कितने कार्मिक लगे हुए हैं? उक्त में से कितने कार्मिक गैर अनुसूचित क्षेत्र के लगे हुए हैं? सृजित पदवार, रिक्त पदवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लगे कार्मिकों सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित क्षेत्र में वनपाल से रेंजर-2 एवं रेंजर-2 से रेंजर-1 में पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों के अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों व नहीं तो वर्ष 2018 से अब तक उक्त क्षेत्र के प्रावधानों के तहत कितनी पदोन्नति की गई? पदोन्नत हुए कार्मिकों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में अब तक कितना बैकलाग

(श्री राजकुमार रोत)

है? क्या सरकार उक्त को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पदवार, वर्गवार एवं भर्तीवार बैकलाग का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) वन विभाग के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में पे-स्केल 1 से 9 तक पदवार सूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में पदवार, रिक्त पदवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लगे कार्मिकों सहित संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित क्षेत्र मे पदोन्नति हेतु अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों के अनुरूप लाभ देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) वन विभाग के अन्तर्गत पे-स्केल एल-8 एवं एल-4 पर क्रमश: 148 व 2,646 पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें लिखित परीक्षा के पश्चात् चयनित उम्मीदवारों के पदचाल व शारीरिक परीक्षण की कार्यवाही चल रही है। शेष पे-स्केल में पदों पर भर्ती की कार्यवाही आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरी करने के पश्चात् की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): साहब, मैं प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी, बैठिए। प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया आपका।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, अनुसूचित क्षेत्र के जो प्रावधान हैं, उसके अकोर्डिंग पे-स्केल 1 से 9 तक जो अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय लोगों को ही लेने का प्रावधान है। मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि 94 लोग गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए गये हैं, वह किस आधार पर लिए गये हैं? इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में पे-स्केल 1 से 9 तक, जिनमें पदोन्नति अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधानों के तहत ही करने की है, इसमें यह उत्तर प्राप्त हुआ है कि प्रक्रियाधीन है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान लागू होने के बाद अब तक कितनी पदोन्नतियां हुईं क्योंकि गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगातार हो रही हैं तो अनुसूचित क्षेत्र में क्यों नहीं हो रही हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये जो 94 गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्यरत बताये गये हैं कि कार्यरत हैं, ये भर्तियां नहीं हैं। ये वहां कार्यरत हैं और दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर आये हैं। आपने जो गैर

(श्री हेमाराम चौधरी)

अनुसूचित क्षेत्र में कहा है, राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही जिले में अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित किये जाने हेतु जारी अधिसूचना 12-02-1981, जिसकी गजट की कापी मेरे पास है, सदस्य चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। उसके बाद में अधिसूचना 12-02-1981 को रिसिन्ड करके पुन: राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सिरोही जिले में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में री-डिफाइन किये जाने हेतु जारी अधिसूचना 19/05/2018...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अधिसूचना से मतलब नहीं है। उनका सीधा प्रश्न है कि जो अनुसूचित क्षेत्र में 1 से 9 स्केल पर काम कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है। यह उनका प्रश्न है। जो कर्मचारी 1 से 9 तक के हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब एरिया में काम कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है और गैर में हो रही है। यह उनका प्रश्न है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना 16/06/2013 के अनुसार, भारत सरकार की अधिसूचना 12/02/1981 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती निम्न प्रकार भरी जानी थी, जिसमें 45 परसेंट एसटी, 5 परसेंट एससी तथा शेष 50 परसेंट अनारक्षित पद, वहीं के निवासी, उसी क्षेत्र के निवासियों से भर्ती की जानी थी। इसकी सूचना मेरे पास है, लेकिन इसके बाद में जो काडर का गठन करना था, उसका गठन अभी तक नहीं हुआ है। वह गठन होगा तो जो इनकी बात है, उसका समाधान हो जाएगा। जो गठन अब तक नहीं हुआ, बहुत देरी हुई। इस पर मैंने अधिकारियों से चर्चा की और दो महीने के अंदर इसका गठन कर दिया जाएगा। आपकी जो समस्या है, पदोन्नति की, भर्ती की, उसका समाधान हो जाएगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल है कि जो 94 गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में आये हैं, मंत्री जी ने बताया कि वह ट्रांसफर होकर आये हैं। ट्रांसफर का भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में आएं। सैकण्ड, पदोन्नति कब तक की जाएगी? तीसरा, मेरा बैकलॉग का था। बैकलाग की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र में कितना बैकलाग है व पदोन्नति कब तक की जाएगी? 94 जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र

(श्री राजकुमार रोत)

में हस्तांतरण होकर आये हैं, वे किस नियम के तहत हस्तांतरण होकर आये हैं? वह जानकारी उपलब्ध कराएं।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): साहब, मैं कह रहा हूं जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए गठन होना था, वह गठन ही नहीं हुआ। इतने विलम्ब से चल रहा है। इतना समय हो गया है, चार-पांच साल हो गये, उसका गठन नहीं हुआ। अभी इनका प्रश्न लगा, तब यह बात मेरे संज्ञान में आयी और मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिये कि इतने लंबे समय तक गठन क्यों नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि दो महीने के अंदर इसका गठन हो जाएगा और ये जो आपके 94 हैं, ये वापस होकर सारा सही हो जाएगा। पदोन्नति भी सही ढंग से हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर के नाम दर्ज भूमि

207. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित प्राचीन श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब एवं अतिक्रमण करने वाले किन-किन भू-माफियाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त मंदिर की कुल कितनी भूमि राजस्व रिकार्ड में कब से दर्ज है तथा वर्तमान में कितनी भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है तथा कितनी भूमि शेष है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मंदिर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित प्राचीन श्री लक्ष्मीनाथ मन्दिर की भूमि पर 11 व्यक्तियों द्वारा आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायत मार्च, 2022 में प्राप्त हुई है जिनके विरुद्ध पटवारी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत 0.22 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिनकी कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त मकान 20-25

(राजस्व मंत्री)

वर्ष पूर्व बना होना जाहिर आया है तथा 4.19 हैक्टेयर भूमि पर समुदाय विशेष के व्यक्तियों ने फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्व रिकार्ड अनुसार काश्तकारी अधिनियम के समय से ही मंदिर के नाम पर 11.58 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में 0.22 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण है तथा 4.19 हैक्टेयर भूमि पर समुदाय विशेष के व्यक्तियों ने फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। शेष 7.17 हैक्टेयर भूमि शेष बची है।

(3) उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय के निर्णय पश्चात् नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ शहर में उक्त प्राचीनकाल लक्ष्मीनाथ मंदिर अथवा लक्ष्मीनाथ मंदिर की अन्य कृषि भूमि बालाजी बाजार, राणा सांगा बाजार, दक्षिण की तरफ द्वारिका धाम के मध्य स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ के निजी कालोनाइजर द्वारा अतिक्रमण कर सड़क निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त भूमि पर क्यों नहीं हटाया गया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? प्रश्न क्या है और क्या पूछ रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा-सा प्रश्न ये है कि धार्मिक जगहों पर दिनों-दिन अतिक्रमण हो रहे हैं। काफी अतिक्रमण हो रहे हैं। प्रोपर्टी वाले और अन्य वहां पर काफी अतिक्रमण कर रहे हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर की जितनी भी जमीन है, उसकी तारबंदी करवा दी जाए। पहले ही उसके पट्टे कट गये। पट्टे दे देकर बेच दी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि उसका जितना भी अतिक्रमण है, उसको आप कब तक हटा देंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी वर्षों से

(श्री रामलाल जाट)

अतिक्रमण है। मकान पास की कालोनी वालों ने बना रखे हैं। पुजारी, पटवारी इन लोगों की कभी कोई कम्प्लेंट नहीं आयी, न ही कभी कोई पार्षद की आयी। अभी मार्च, 2022 में जैसे ही कम्प्लेंट आयी, हमने कार्यवाही भी कर दी और 21.02.2022 को देवस्थान विभाग को भी लिख दिया। एक ज्वाइंट टीम भी बना दी और कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बना रखी है, पीएलपीसी (पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल) उसमें दर्ज कर लिया है। नियमानुसार तहसीलदार को 20 दिन का टाइम पीरियड है। वह जवाब के अंदर है। यह होते ही करवा देंगे। बाकी कभी किसी ने कोई कम्प्लेंट नहीं की थी, इस वजह से यह चीज हुई। जैसे ही तहसीलदार का फैसला हुआ 20 दिन में इसका प्रोसेस है, वह करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आपको कह दिया 20 दिन बाद, फिर क्या चाहते हैं? बैठिए। अगला प्रश्न।

बूढ़ा पुष्कर (अजमेर) के घाटों का जीर्णोद्धार

208. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बूढ़ा पुष्कर सरोवर में पानी की आवक के लिए फीडर, कुण्ड, ट्यूबवैल लगवाये गये व घाटों का जीर्णोद्धार जन सेवा व सहयोग से करवाया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के संरक्षण के अभाव में उक्त सरोवर के घाटों की सीढ़ियां जर्जर हो गई हैं? क्या सरकार उक्त का मरम्मत व जीर्णोद्धार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। विगत सरकार के कार्यकाल में बूढ़ा पुष्कर सरोवर में पानी की आवक के लिए फीडर, जल कुण्डों का निर्माण, सरोवर को गहरा करने तथा घाटों का जीर्णोद्धार सरकारी बजट, जन सेवा व सहयोग से करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(2) बूढ़ा पुष्कर सरोवर के घाटों की कुछ सीढ़ियां पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हू कि सरकार ने वर्ष 2019 से लेकर अब तक बूढ़ा पुष्कर के विकास पर कितनी राशि खर्च की? क्या भविष्य में बूढ़ा पुष्कर के विकास पर खर्च करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में जैसा बताया कि जीर्णोद्धार हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बूढ़ा पुष्कर की सीढ़ियों का एक वीडियो आज सुबह मंगवा कर देखा था, उसमें कुछ सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हैं। इसके बारे में मेरे ख्याल से, जिला कलेक्टर, अजमेर को ही कार्यवाही करनी है। कोई बहुत ज्यादा टूट-फूट नहीं है। फिर भी मैं जिला कलेक्टर से पर्सनली बात करके कहूंगा कि उसकी मरम्मत को हाथ में लेकर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। कोई बहुत मोटी क्षतिग्रस्त नहीं है।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न किया कि 2019 से अब तक आपने कितनी राशि खर्च की? बस इतना-सा बता दीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 2019 से लेकर अब तक, मैंने कहा न, कार्य प्रारम्भ 2006 में हुआ था। उसमें जन सहयोग से वहां कुछ काम हुए थे। उसमें दानदाताओं से प्राप्त सहयोग एक करोड़ 55 लाख, राज्य सरकार से प्राप्त राशि 40 लाख, 9 घाटों का निर्माण, रामघाट का जीर्णोद्धार, प्रवेश द्वार, शिव मंदिर, जल कुण्डों का निर्माण वगैरह, यह 16.06.2006 से प्रारम्भ हो गये जनसहयोग से...

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, 2006 से...

श्री अध्यक्ष: आपने कह दिया, नहीं किया। आप पूछे जा रहे हो बराबर। नहीं किया, बोल दिया उन्होंने। आप दुबारा क्यों पूछ रहे हैं? अगला प्रश्न।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

नसीराबाद में फसल खराबे का मुआवजा

209. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा फसल खराबे के मुआवजे के लिए क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? उक्त मानदण्डों के तहत वर्ष 2020-21 व 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में कितने किसानों को मुआवजा दिया गया तथा कितने वंचित रहे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में फसल खराबे के मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्रामों में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक किसी भी ग्राम में फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा नहीं होने के कारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता देय नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किसानों की फसलों में नुकसान नहीं होने के कारण कृषि आदान-अनुदान देय नहीं है।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): प्रश्न एक, फ़सलों में आपने 33 परसेंट या इससे अधिक खराबा नहीं होने का बताया, तो यह गिरदावरी कब करवाई? गिरदावरी की रिपोर्ट कब जारी की गई? दूसरा, क्या एसडीआरएफ के अलावा भी किसी अन्य मद में भी सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है? चाहे वह फसल बीमा हो, चाहे और भी कोई हो, जिस मद में किसान कल्याण कोष हो, इस तरह के किसी प्रावधान का सरकार विचार रखती है कि किसानों का नुकसान हुआ, उसका मुआवजा दिया जाए?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): इसकी स्पेशली गिरदावरी करवाकर, अजमेर में तीन तहसीलें थीं, वहां खराबा हुआ था, अरांई, सावर और केकड़ी में। वहां मुआवजा दिया गया है। इसमें नहीं होने के कारण देय नहीं हुआ। अन्य जो बात आई, सरकार संवेदनशील है। वे अन्य में दें, तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें, तो मैं जिला कलेक्टर से और रिपोर्ट ले लूंगा, कोई सम्भव होगा तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सुभाष पूनिया। माननीय मंत्री जी, हाउस में आश्वासन होता है। माननीय सदस्य, एक मिनट। मंत्री जो बात कहता है वह

(श्री अध्यक्ष)

आश्वासन होता है। जब 33 परसेंट का खराबा है ही नहीं, तो आप कोई भी आश्वासन दोगे, लागू कैसे होगा? अगला प्रश्न। सुभाष पूनिया।

किसान कल्याण कोष की स्थापना

210 श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषकों के कल्याण हेतु किसान कल्याण कोष की स्थापना की गई है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त कोष से कृषक परिवार को उनके उत्पादन का यथोचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने काश्तकारों का चयन कर लाभान्वित किया गया है? वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) कृषक कल्याण कोष से लाभान्वित किये जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 19 ए के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 को राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है।

कृषक कल्याण कोष से वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है:-

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कृषक या उनके संगठन के अलावा अन्य उद्यमी श्रेणी में मैसर्स मोरनी फूड्स इण्डिया प्रा. लि., पिलोद, त. सूरजगढ़ को 50 लाख रु. की पूंजीगत अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कृषक कल्याण कोष से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना हेतु 41 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। लाभान्वित कृषकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषक कल्याण कोष अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में मिशनवार/गतिविधिवार लाभान्वित कृषकों की संख्या निम्नानुसार है:-

मिशन का नाम	**गतिविधि**	**लाभान्वित कृषक संख्या**
राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन	फार्म पौण्ड	3
	पाइपलाइन	49
राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन	मुख्य मंत्री बीज स्वावलम्बन योजना	चना 650, गेहूं 350
	हरा चारा बीज मिनीकिट	533 (ज्वार)
राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन	मिनीकिट	बाजरा-3006
	सूक्ष्म पोषक तत्व किट	440 (जिंक)
	बायो एजेन्ट एवं बायोपेस्टीसाइड	987 (ट्राइकोडर्माअजाडिरेक्टिन व वर्टिसिलियम)
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन	तारबंदी	5
राजस्थान कृषि संबल मिशन	प्रशिक्षण	540
राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन	कृषि यंत्र	96

(2) कृषक परिवारों को उनके उत्पादन का यथोचित मूल्य प्राप्त हो एवं उन्हें मूल्य संवर्धन का लाभ मिले, इस हेतु कृषक कल्याण कोष से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 लागू की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कृषक या उनके संगठन के अलावा अन्य उद्यमी श्रेणी में मैसर्स मोरनी फूड्स इण्डिया प्रा. लि., पिलोद, त. सूरजगढ़ को 50 लाख रु. की पूंजीगत अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 19-क के अन्तर्गत गठित कृषक कल्याण कोष को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने के प्रावधान हैं-

1. उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों जैसे कृषि उपज के फसलोत्तर प्रबन्ध, भण्डारण, परिवहन, श्रेणीकरण, वेक्सिंग, पैक करने, प्रसंस्करण, विक्रय और निर्यात के संबंध में अध्ययन, सेमिनारें, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और प्रशिक्षण आयोजित करना।

2. ऊपर उल्लिखित क्रियाकलापों के आयोजकों को प्राइवेट एजेन्सियों, स्वशासी निकायों और सहकारी सोसाइटियों के साथ संयुक्त रूप से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

3. फलों, सब्जियों को सम्मिलित करते हुए कार्बनिक रूप से उत्पादित कृषि वस्तुओं के और औषधियों वनस्पितियों के विपणन को बढ़ावा देना।

4. विपणन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की दृष्टि से मण्डी यार्ड के भीतर और बाहर अवसंरचना का विकास करना।

5. उपर्युक्त क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्कारों के उपयोग को बढ़ावा देना।

6. नई विपणन युक्तियों, जैसे भावी मण्डियों ई-कामर्स इत्यादि को बढ़ावा देना।

7. कृषि उपजों के सीधे विपणन को बढ़ावा देना।

8. कार्बनिक उपजों के पैक करने प्रमाणन, लेबल लगाने और विपणन के विकास।

9. कृषि उपजों के विपणन को बढ़ावा देने की दृष्टि से फूड पार्क, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केन्द्रों के विकास को बढ़ावा देना और

10. वस्तु विनिर्दिष्ट मण्डियों का विकास करना।

11. सरकार के पूर्व अनुमोदन से कृषक कल्याण से संसक्त (connected) किन्हीं अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): उत्तर मिल गया।

अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहूंगा, क्या 41 किसानों ने ही आवेदन किया था? बाकी के किसानों ने किया था तो उनको कब तक अनुदान देने का विचार रखते हैं? पूरे विधान सभा क्षेत्र में तारबंदी का, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में तारबंदी का आपका कार्यक्रम है, उसमें सिर्फ पांच किसानों को ही आपने लाभान्वित किया है। क्या पांच किसानों ने ही आवेदन किया था? बाकी ने आवेदन किया, उनको कब तक लाभान्वित करने का विचार रखते हैं?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मेरा डिपार्टमेंट केवल पैसे ट्रान्सफर करता है। कितने आवेदन आये, कितने नहीं आये, यह कृषि विभाग करता है। इसकी जानकारी मैं कृषि मंत्री महोदय से लेकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): बिन्दु संख्या तीन में यह है कि सरकार द्वारा 11 प्रकार के कार्य किये जाने का प्रावधान है। इनमें से सरकार की ओर से कब-कब, क्या-क्या कार्य किया गया? इन प्रावधानों में कितनी राशि व्यय की गई? दूसरा, इसके लिए कितनी कार्यशाला आपने की हैं? कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, उस पर कितनी राशि व्यय की गई?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न पूछा ही नहीं, आप दूसरा पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जवाब देना है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जैसा बताया कि कृषि विपणन डिपार्टमेंट कृषि विभाग को केवल पैसा ट्रान्सफर करता है, बाकी किसको देना है, किसको नहीं देना है, कृषि पालिसी में कौन-कौन आते हैं, यह सारा काम उनका है। यह सारी जानकारी मैं कृषि मंत्री महोदय से लेकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यह प्रश्न ही कृषि मंत्री महोदय का है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी में खेल स्टेडियम की स्थापना

211. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी गई है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया।

मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इसी बजट घोषणा में थानागाजी में खेल स्टेडियम की घोषणा कर दी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, घोषणा के बाद जल्दी ही आप इसकी जमीन अलाटमेंट करवाकर इसका कार्य चालू करवाएं, मेरा आपसे यह निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछा ही नहीं, निवेदन किया है उन्होंने, केवल आप तो हां ही भरो। (व्यवधान)

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत तेजी से कार्यक्रम चल रहा है कि इस साल के सारे प्रपोजल जल्दी से जल्दी जमीन पर उतर जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रताप लाल।

राजकीय महाविद्यालयों का सोसाइटीज के माध्यम से संचालन

212 श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विगत तीन वर्षों में प्रारम्भ किये गये राजकीय महाविद्यालयों को सोसायटी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को सरकार के माध्यम से संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सोसाइटी के माध्यम से संचालित राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर स्थायी नियुक्ति का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सोसाइटी के अंतर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालय को विश्वविद्यालयों का संगठक महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां। वर्तमान में नवीन राजकीय महाविद्यालयों को सोसाइटी के स्थान पर सरकार के माध्यम से संचालित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) सोसाइटी के माध्यम से संचालित होने वाले राजकीय महाविद्यालयों के स्वीकृत पदों पर भर्ती हेतु नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियम बनकर के भर्ती कार्यवाही नहीं होने तक प्राचार्य का पद कार्य व्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकेगा।

(3) जी हां। राज्य के Autonomous Engineering Colleges की शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखने तथा वित्तीय संसाधनों का प्रबंध सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों का संघटक महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नवीन राजकीय महाविद्यालय को सरकार द्वारा क्यों संचालित नहीं किया जाना प्रस्तावित है? दूसरा, सरकार द्वारा नियम बनाना प्रक्रियाधीन है। कब तक नियम बना दिये जाएंगे, कोई समय सीमा है? तीसरा, संघटक महाविद्यालय बनाने के नियम कब तक बना दिये जाएंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सोसाइटी के नियम जल्दी ही बन जाएंगे। उनके ऊपर कार्य चल रहा है। सोसाइटी गठन सातवें महीने में, 2022 में हुआ। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में हो चुका है। जल्दी ही पद भरे जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

अलवर में श्रम निरीक्षकों के रिक्त पद

213. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर में स्वीकृत श्रम निरीक्षकों के बारह पदों में से तीन पदों पर ही श्रम निरीक्षक कार्यरत हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री संजय शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर में श्रम निरीक्षकों व अन्य कार्मिकों की कमी के कारण श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की मानिटरिंग करने, छात्रवृत्ति व श्रमिक कार्ड बनाने में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) अलवर के श्रम विभाग कार्यालय में श्रम निरीक्षकों के 12 पद स्वीकृत हैं, जिन पर वर्तमान में 4 श्रम निरीक्षक पदस्थापित हैं।

श्रम निरीक्षकों के 80 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक 30.08.2022 को जारी हो चुका है व साक्षात्कार शेष है। चयनित अभ्यर्थी आबंटित होने पर श्रम निरीक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(2) जी नहीं। श्रम निरीक्षकों के पद रिक्त हैं, किन्तु श्रम विभाग के उपलब्ध कार्मिकों द्वारा अतिरिक्त कार्य करते हुए तथा विभाग के अन्य कार्यों पर वरीयता देते हुए श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की मानिटरिंग, छात्रवृत्ति व श्रमिक कार्ड बनाने के कार्य को संपादित किया जा रहा है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा संख्या 62.0.0/2022-23 के तहत निर्माण श्रमिकों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में समिति बनाकर योजनाओं के आवेदकों के भौतिक सत्यापन का कार्य निष्पादित किया गया है तथा पात्र आवेदकों को भुगतान की कार्यवाही जारी है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि चार श्रम निरीक्षक पदस्थापित हैं तो क्या यह सही है कि उनमें तीन श्रम निरीक्षक हैं और एक शिक्षा विभाग से डेपुटेशन पर आया हुआ है?

साथ ही साथ आपने यह बताया कि मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक 30.08.2022 को हो चुका है। छह महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक साक्षात्कार नहीं हुए हैं तो यह साक्षात्कार कब तक हो जाएंगे?

साहब, यह खण्ड 2 का अभी पूछ लूं या बाद मैं पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: अभी तो इनका जवाब आने दो।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): जी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): साक्षात्कार के लिए दुबारा से लिखा गया है और जल्दी ही इसके लिए प्रयास करेंगे। जहां तक चौथे का आपने पूछा है, सुनील कुमार ए.सी.बी.ई.ओ. पहले लगा हुआ था। 2017 से 2019 तक लगा हुआ था क्योंकि कार्मिकों की कमी थी इसलिए उनको लगाया गया था और जैसे ही अभी नियुक्ति होगी, उनको हटा देंगे।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा संख्या 62/2022-23 के तहत निर्माण श्रमिकों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में यह समिति बनायी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि अलवर में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बनी हुई समिति की कितनी बार बैठक हुई, कितने प्रकरण उस समिति के समक्ष आये और कितने प्रकरणों का निस्तारण जिला कलेक्टर महोदय की समिति ने किया?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): पिछले बजट की यह घोषणा थी कि पूरे राजस्थान में जो अपात्र श्रमिक हैं उनकी जांच की जाये। उस जांच में अलवर जिले में कुल 9,953 श्रमिकों को अपात्र माना गया। कलेक्टर अध्यक्षता की मीटिंग न होकर ए.डी.एम. को कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और एस.डी.एम. के मार्फत पूरे जिले के अन्दर सर्वे करवाया गया।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होनी थी। कितने प्रकरण आये और कितने प्रकरणों का निस्तारण हुआ है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उन्होंने यह बोला है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग नहीं की है। ए.डी.एम. और एस.डी.एम. से निस्तारण करवाया है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): जी।

श्री अध्यक्ष: वह जवाब आ गया।

प्रश्न संख्या 214

अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

राजस्थान साहित्य अकादमी की पुस्तकों का प्रकाशन

215. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली) (श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) के स्थान पर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजस्थान साहित्य अकादमी ने विगत चार वर्षों में कौन-कौनसी पुस्तकें प्रकाशित की हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त अकादमी द्वारा हिन्दी भाषा की स्वयं द्वारा प्रकाशित एवं अन्य पुस्तकों को ई-बुक के रूप में प्रकाशित करने व प्रचारित करने के लिए अब तक क्या कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विगत चार वर्षों में उक्त अकादमी में अन्य भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं के साहित्य के अनुवाद हेतु क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कल्ला साहब।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा विगत चार वर्षों में एक पुस्तक "गांधी सबद निरन्तर" का प्रकाशन किया गया है।

(2) राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती के 48 अंकों का प्रकाशन कर ई-बुक को अकादमी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(3) राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं के साहित्य के अनुवाद हेतु विगत चार वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय का जवाब है कि चार वर्षों में मात्र एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया है। आपके पास कितने साहित्यकारों ने अपने साहित्य के प्रकाशन हेतु आवेदन या सम्पर्क किया? एक तो आप इसका जवाब दे दें।

दूसरा, जो बिंदु संख्या 3 में है तो अन्य भाषा जो चाहे भारतीय हो या विदेशी भाषा हो, आपकी क्या ऐसी कोई समिति बनी हुई है जो यह एग्जामिन करती है कि यह-यह साहित्य वाकई में हिंदी में अनुवाद होकर प्रकाशित होना चाहिए ताकि हमारे यहां के जो भी बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके? आप इन दोनों बातों का मुझे जवाब दे दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, उसके बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि 28 जनवरी, 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी बनी थी। वर्ष 2013 से 2017 तक कोई प्रकाशन नहीं हुआ। वर्ष 2018 में महा मनीषी दीनदयाल का प्रकाशन हुआ। उसके बाद वर्ष 2019 में 'गांधी सबद निरन्तर' का प्रकाशन हुआ, फिर दो वर्ष कोविड आ गया और उसके बाद हमने जो मधुमती के अंक प्रकाशित किये, उनमें बराबर पूरे देश के और राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकारों के लेख और उसमें विदेशी भाषाओं से सम्बन्धित भी कोई लेख का अनुवाद आया है तो वह छापा गया है।

जहां तक आपने दूसरा प्रश्न किया है कि विदेशी भाषा के साहित्य का अनुवाद, जब से यह अकादमी बनी है, इसके बारे में कोई नयी पुस्तक आज तक नहीं छपी है, लेकिन हम मधुमती का अंक नियमित रूप से प्रकाशित कर रहे हैं और उसको मतलब, डिजिटल बुक के रूप में भी कर दिया गया है। हमारे मधुमती के 48 अंकों को ई-बुक डिजिटल के माध्यम से आप देख सकते हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा यह प्रश्न पूछा है कि इन चार वर्षों में किसी साहित्यकार ने अपने साहित्य के प्रकाशन के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी में सम्पर्क किया क्या? अगर किया है तो आप उसका जवाब दे दें।

दूसरा मैंने पूछा है कि अन्य भाषा का जो अच्छा साहित्य है, वह हिंदी में अनुवाद होकर हमारे यहां पर भी पब्लिश हो जाये, उसके लिए आपने कोई समिति बना रखी है क्या ताकि वह एग्जामिन करे। यह दो बातें मैंने आपसे पूछी हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपनी कई समितियां बना रखी हैं और वक्त-वक्त में वह बैठकर उन पर विचार करती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान साहित्य अकादमी के बजट के अनुसार बराबर नियमित रूप से मधुमती निकलती है और उसमें इन सबका समावेश किया जाता है।

जहां तक आपने मेरे को बताया कि कई लेखकों ने आग्रह किया है, तो यह जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन 'गांधी सबद निरन्तर' का प्रकाशन किया गया है। आपने दीनदयालजी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया, महा मनीषी दीनदयाल और वर्ष 2019 में 'गांधी सबद निरन्तर' यह दो पुस्तकें अभी तक छपी हैं और समय-समय पर, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हमने महापुरुषों के, अच्छे साहित्यकारों के विशेषांक प्रकाशित किये हैं, वे किताब के रूप में ही हैं। जैसे हमारी अकादमी ने प्रदीपजी के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध गीतकार थे जिन्होंने 'ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी' गीत लिखा है, तो ऐसे गीतकारों के विशेषांक निकाले हैं। वे अपने आप में एक पुस्तक के समान हैं।

अभी गांधीजी के बारे में विशेषांक निकला था और समय-समय पर अलग-अलग महापुरुषों के ऊपर मधुमती निकली है, वह किताब के रूप में ही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर नगरपालिका को चुंगी अनुदान

216. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा नगरपालिका, सुमेरपुर को विगत पांच वर्षों में कितना चुंगी अनुदान दिया गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त नगरपालिका को पूर्व में दिये जा रहे चुंगी अनुदान को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त नगरपालिका को पूर्व में मिल रहे चुंगी अनुदान को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त नगरपालिका को मिलने वाले अनुदान को बंद करने के पश्चात् अन्य नगरपालिकाओं को उक्त अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस नगरपालिका को किस आधार पर? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) नगरपालिका सुमेरपुर को पिछले 5 वर्षों में निम्नानुसार चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि दी गई है:-

(राशि लाखों में)

वर्ष	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
चुंगी पुनर्भरण अनुदान की राशि	1187.28	1306.00	1436.60	1576.41	1734.05

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी नहीं। नगरपालिका, सुमेरपुर को चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि का आबंटन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

(3) राज्य सरकार ने किसी भी नगरीय निकाय को चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि का आबंटन बंद नहीं किया है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहला प्रश्न मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने कितनी चुंगी पुनर्भरण राशि सुमेरपुर नगरपालिका को जारी की?

दूसरा प्रश्न है, मैंने यह प्रश्न यह पूछा था कि सरकार द्वारा सुमेरपुर नगरपालिका को पूर्व में दिये जा रहे चुंगी अनुदान को क्या बंद कर दिया है? आपने उत्तर दिया- 'जी नहीं। नगरपालिका, सुमेरपुर की चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि का आबंटन प्रतिवर्ष किया जा रहा है।' मेरा यह पूछना है कि यदि बंद नहीं किया है तो वर्ष 2021-22 में 17.34 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई थी और उसे 10 परसेंट बढ़ाकर देने का प्रावधान है तो यह 1.73 करोड़ रुपये जोड़ लें तो 19.07 करोड़ रुपये होती है। इस हिसाब से प्रति माह 1.58 करोड़ रुपये राशि सुमेरपुर नगरपालिका को मिलनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में 70 लाख रुपये ही पिछले दस महीने से मिल रही है और 88 लाख रुपये प्रति माह कटौती की जा रही है। क्या पिछले दस माह से चुंगी पुनर्भरण की जो कटौती की जा रही है, उसे वापस दस माह को जोड़ते हुए जारी करने की सरकार मंशा रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया कि वर्ष 2022-23 में कितना पैसा चुंगी पुनर्भरण के लिए दिया गया तो दिनांक 06.05.2022 को 476 लाख 87 हजार रुपये दिये गये, 27.07.2022 को 476.87 लाख रुपये दिये गये, 22.12.2022 को 70 लाख रुपये दिये गये और 27.01.2023 को 50 लाख रुपये दिये गये। कुल मिलाकर 1073.74 लाख रुपये आपके पास चुंगी के पेटे आ चुके हैं। अभी तो 2023 खतम नहीं हुआ है।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): मंत्री महोदय, मैंने दूसरा प्रश्न किया, प्रतिमाह जैसे पिछले साल 2021-22 में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न यह है कि एवरी ईयर 10 परसेंट बढ़ता है, तो वे यह बता रहे हैं कि हर मंथ

(श्री अध्यक्ष)

के हिसाब से उनका जितना ड्यू है, उतना नहीं मिल रहा तो क्या ऐसा नियम है? 10 परसेंट बढने का उसमें प्रोविजन है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 10 परसेंट बढ़ने का तो नियम है। सवाल यह है कि पूरे राज्य की स्थिति देखें तो कई म्युनिसिपैलिटीज में वेतन देने का पैसा पूरा नहीं होता। यह आदेश निकाला गया, सबसे पहले वेतन दिया जाए। वेतन देने के बाद जब पैसा बचता है तो फिर विकास के कामों में लगाया जाए। दूसरी बात, म्युनिसिपल एक्ट की धारा 101 से 106 तक कई काम ऐसे दिये गये हैं जो म्युनिसिपैलिटी को करने चाहिए जिससे कि अपनी आमदनी हो। म्युनिसिपैलिटी की भी ड्यूटी यह बनती है कि उनके जरिए अपनी खुद की आय बनाएं। आय बनाने पर सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। उन दोनों को जोड़कर 10 परसेंट है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। पुखराज।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

नदियों में प्रदूषण का आकलन

217. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित नदियों में व्याप्त प्रदूषण का कोई आकलन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में उक्त नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NWMP) के तहत राज्य की नदियों से 20 स्थानों पर मासिक रूप से जल नमूनों का एकत्रीकरण व विश्लेषण कार्य नियमित रूप से किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में एकत्रित जल नमूनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट व इसका सार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में परम्परागत रूप से आबादी एवं उद्योगों से जनित प्रदूषित/उपचारित औद्योगिक उच्छिष्ठ एवं सीवेज का प्रवाह प्राकृतिक रूप से नदियों में पहुंचता रहा है। इसकी रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

(पर्यावरण मंत्री)

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आवासीय क्षेत्रों से जनित सीवेज के उपचार हेतु प्रदेश में पिछले वर्षों में स्थापित एवं निर्माणाधीन म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित सूचना परिशिष्ट 'ब1' एवं 'ब2' पर संलग्न है।

औद्योगिक इकाइयों से जनित उच्छिष्ठ के अंतिम निस्स्राव से पूर्व समुचित उच्छिष्ठ उपचार की व्यवस्था स्थापित किया जाना सुनिश्चत किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में औद्योगिक उच्छिष्ठ के उपचार हेतु 13 संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयत्र भी कार्यरत हैं।

पिछले तीन वर्षो में निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित उच्छिष्ठ का निस्स्राव करने के कारण पाली, भीलवाड़ा और सांगानेर (जयपुर) स्थित 244 वस्त्र उद्योगों व सी.ई.टी.पी. के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई, जिसमें उद्योग को बंद करने के निर्देश जारी करना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना एवं उद्योगों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करना शामिल है। इसके अतिरिक्त 8 निकायों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई एवं 3 नगर निकायों के विरुद्ध न्यायालयों में वाद दायर किया गया।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या यह सही है कि जोधपुर शहर से, आबादी एवं उद्योगों से जनहित पर, औद्योगिक उच्छिष्ठ एवं सीवरेज का प्रवाह जोजरी नदी में पहुंच रहा है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में दो मौसमी नदियां, लूणी व जोजरी हैं। जोजरी नदी का पारम्परिक उद्गम नागौर ज़िले के उत्तरी भाग से होता है। इसका बहाव दक्षिण-पश्चिम में जोधपुर ज़िले से होता हुआ अन्ततः लूणी में मिल जाता है। जोजरी नदी में अनौपचारिक उच्छिष्ठ नहीं जाए, इस हेतु संयुक्त उपचार संयंत्र एसटीपी का संचालन नगरीय निकाय द्वारा किया जा रहा है। जोधपुर के नादड़ी क्षेत्र में संचालित उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की क्षमता 20 एमएलडी है। सालाबास में संचालित दो मल जल उपचार संयंत्र, प्रत्येक की क्षमता 50-50 एमएलडी है। अत: कुल 120 एमएलडी की मल जल उपचार सुविधा संचालित है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पास जल आपूर्ति के आंकड़ों के

(श्री हेमाराम चौधरी)

आधार पर जोधपुर से लगभग 230 एमएलडी मल जल घरेलू उच्छिष्ठ उत्पन्न होता है। मल जल घरेलू उच्छिष्ठ उपचार हेतु शहर से लगभग 1,300 किलोमीटर लंबा सीवेज तंत्र तैयार किया गया। शहर के प्राकृतिक ढलान के अनुसार इस तंत्र के पांच अन्य अन्तिम निस्स्राव बिन्दुओं पर मल जल घरेलू उच्छिष्ठ उपचार हेतु नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मल जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

जोधपुर में जल प्रदूषणकारी उद्योगों के प्राय: एमएसएमई होने के कारण से इन क्षेत्रों में संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र सीईटीपी की अवधारणा लागू की गई है एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जोधपुर में संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना, संचालन एवं संधारण हेतु औद्योगिक इकाइयों द्वारा जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट को गठित किया गया। उक्त सीईटीपी की क्षमता 20 एमएलडी है। उक्त संयंत्र द्वारा वर्तमान में 310 टैक्सटाइल इकाइयां एवं 87 स्टील इकाइयों के औद्योगिक उच्छिष्ठ का उपचार किया जाता है। इन इकाइयों से जनहित अम्लीय एवं क्षारीय उच्छिष्ठ का संयुक्त उपचार संयंत्र तक, परिवहन हेतु बंद पाइप लाइन स्थापित की जा चुकी है।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोजरी नदी के अन्दर पानी जा रहा है। मंत्री महोदय ने प्लांट का जिक्र किया है, पर्याप्त कैपेसिटी नहीं है। नदी के अंदर पानी जा रहा है। वह पानी जोधपुर ज़िले के अंतिम छोर पर जो गांव हैं, धवाई, पचपदरा, विधान सभा क्षेत्र का डोली, उन गांवों के अंदर, किसानों के खेतों में गंदा पानी फैल रहा है। लोग ढाणी में नहीं जा सकते। खेतों में अपनी फसल नहीं बो सकते। क्या सरकार की मंशा है कि उस पानी का स्थायी डायवर्जन देकर लूणी नदी में डाला जाए?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): उद्योगों से जो भी पानी जा रहा है, वह ट्रीटमेंट होकर, उसके बाद जाता है, प्रदूषण से उपचार के बाद में। जोधपुर से बाड़मेर हम जाते हैं तो धवाई बीच में ही आता है। वहां काश्तकार इस पानी को, रबी की फसल लेने के लिए उत्सुक हैं कि यह पानी हमें मिले। यह बात सही है कि बरसात के दिनों में जब ज्यादा बरसात होती है तो जल मल उसमें बह जाता है, उससे जरूर थोड़ा-बहुत नुकसान होता है। बाकी, इस समय जो पानी वहां जा रहा है, वह लोग खेती के काम में ले रहे हैं और लोगों की मांग भी है।

प्रश्न संख्या 218

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। पानाचन्द मेघवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

नोखा में वर्षा से क्षतिग्रस्त घरों में मुआवजा

219. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोखा में माह जुलाई, 2022 में अतिवृष्टि के कारण जांगलू, हिंयादेसर, देसलसर सहित अन्य गांवों में घर क्षतिग्रस्त हो गये एवं मूंगफली की फसल खराब हो गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त हुए घरों व फसल खराबे का मुआवजा जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांव में जारी किया गया व नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): विधान सभा क्षेत्र नोखा में मानसून सत्र 2022 में बाढ़ के कारण जांगलू में बोई गई फसल (ग्वार, बाजरा, मोठ आदि) जल बहाव क्षेत्र में होने के कारण बह गई थी, जिसकी गिरदावरी रिपोर्ट अनुसार उक्त क्षेत्र में पुन: बिजाई होने के कारण लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1957 के अनुसार कृषि आदान-अनुदान देय नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नोखा में मानसून सत्र 2022 में बाढ़ के कारण ग्राम देसलसर, जांगलू, सुरपुरा, रासीसर आदि ग्रामों मे 28 परिवारों के आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित पात्र 09 परिवारों को एसडीआरएफ मानदण्डानुसार सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। प्रभावित परिवार एवं उनको उपलब्ध कराई गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, जुलाई, 2022 में हुई अतिवृष्टि के कारण मेरे 5 गांवों में, फसल खराबे में मूंगफली की फसल है, उसके खराबे का पूछा है और क्षतिग्रस्त घरों का पूछा है। इसमें जिक्र सिर्फ एक गांव का किया गया है। मूंगफली की फसल का कोई जिक्र नहीं है। ग्वार, बाजरा, मोठ का जिक्र किया गया है, जबकि मूंगफली की फसल पांचों गांवों में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, उसका कोई सर्वे नहीं किया, कोई गिरदावरी नहीं की। इस सवाल में जवाब नहीं है। क्षतिग्रस्त घरों की बात है, मात्र 9 घरों को मुआवजा मिला है, बाकी के 21 घर वंचित रहे हैं। एक विद्यालय की प्राथमिक

(श्री बिहारीलाल)

विंग पूरी ढह गई, पांच कमरे व बरामदा ढह गया, उसका भी इसमें जिक्र नहीं है। स्कूल भी आपदा राहत कोष से नई बनवाई जाए। भवन नया बनवाया जाए। मूंगफली का खराबा पांचों गांवों में हुआ है उसकी गिरदावरी दुबारा से करवाई जाए। आधा-अधूरा उत्तर दिया गया है, उसके लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाए।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ग्वार, बाजरा, मोठ, मूंगफली एक ही समय की फसल होती है। इसके अलावा और भी कोई फसल हो सकती है। वह पानी में बह गई, जब गिरदावरी हुई तो जो नुकसान हुआ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, इसमें मूंगफली का सर्वे था या नहीं था, यह बता दो। आपने लिखा है ग्वार, बाजरा, मोठ आदि। आदि के साथ मूंगफली का था या नहीं था, इनका मेन प्रश्न यह है।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): मूंगफली का सर्वे इसमें साथ ही है।

दूसरा, यह स्कूल की चर्चा कर रहे हैं। अपना 08.04.2015 का नियम है केन्द्र सरकार का, डेढ़ लाख रुपये तक प्राइमरी स्कूल कवर होती थी, हायर सैकण्डरी स्कूल कवर नहीं होती थी, इसलिए वह स्कूल इसमें सम्मिलित नहीं है। अब जो नियम 10.10.2022 को आया है, उसके अन्दर सारी स्कूलें कवर कर दी गई है। अब अगर सैकण्डरी स्कूल में भी नुकसान होगा, तो भी आपदा की तरफ से उसकी व्यवस्था की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिर्राज सिंह।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी।

प्रश्न संख्या 220

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गिर्राज सिंह

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

रोजगार सहायता शिविर

221. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सतीश पूनियां)

(1) प्रदेश में कितने पुरुष एवं महिला बेरोजगार पंजीकृत हैं? उक्त में से कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? जिलेवार पृथक-पृथक संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) प्रदेश में बेरोजगारी की दर अन्य प्रदेशों के मुकाबले कितने प्रतिशत है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो माह जनवरी, 2019 से माह जनवरी, 2023 तक ऐसे कितने शिविरों का आयोजन किया गया तथा उसके क्या परिणाम रहे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। विभागीय पोर्टल के अनुसार 21.02.2023 को कुल 18,40,044 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 11,22,090, महिलाओं की संख्या 7,17,555 एवं अन्य 399 हैं। दिनांक 21.02.2023 तक कुल 6,22,043 आशार्थियों को लाभांवित किया जा चुका है जिनमें से वर्तमान में 1,90,873 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जिनमें 1,07,431 पुरुष एवं 83,442 महिलाएं शामिल हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) विभाग द्वारा बेरोजगारी की दर के आंकड़ों का संधारण नहीं किया जाता है। बेरोजगार आशार्थियों को पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य भी नहीं है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। जनवरी, 2019 से जनवरी, 2023 तक 1,062 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया तथा इन शिविरों में 1,08,890 युवाओं को लाभांवित किया गया, जिनमें से 87,173 बेरोजगार आशार्थियों का निजी क्षेत्र की कम्पनियों में प्राथमिक चयन किया गया, 6,363 आशार्थियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये तथा 15,354 आशार्थियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया। इसकी सूचना परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल बेरोजगारी के आंकड़े 18,04,044 बताये और लाभान्वित हैं 1,90,873 तो मैं जानना चाह रहा हूं कि जो बाकी रह गये, उनका क्या किया?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद जवाब आपने देखा नहीं। 1,90,000 लाभान्वित नहीं हैं, 1,90,000 का तो अभी लाभ चल रहा है। कुल लाभान्वित 6,32,043 हैं और शिक्षित बेरोजगार ही इसमें एप्लाई कर सकते हैं तो लम्प-सम 10,08,000 शिक्षित बेरोजगारों ने एप्लाई किया है। एप्लाई भी करना जरूरी है। 10,08,000 में से 2,65,000 आवेदन अपूर्ण थे, जिन्होंने एप्लाई किया वे रिटर्न हो गये। 1,90,873 का अभी बेरोजगारी भत्ता चालू है। 37,235 ही वे आवेदन हैं जो कि क्लियर हो गये हैं और उनको बेरोजगारी भत्ता 01 तारीख से मिलना शुरू हो जायेगा दो की सीमा के अन्दर तक। मात्र 28,985 आवेदन जांच के लिए विभाग के पास लम्बित हैं। 4,32,300 आशार्थी दो साल का बेरोजगारी भत्ता पाकर फ्री हो चुके हैं। दो साल से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान नहीं है और मात्र 54,395 आवेदन ही निरस्त हुए हैं। यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, सरकार की घोषणा थी। मुझे जो जवाब दिया गया है, वह पूरे तरीके से पूर्ण नहीं है। दूसरा, मेरा प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में इन दिनों सरकारी और गैर सरकारी जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं उसमें दूसरे नम्बर की सर्वाधिक बेरोजगारी बतायी है 28.5 प्रतिशत। क्या राजस्थान के माननीय मंत्री महोदय को इस बात का इल्म है कि राजस्थान की बेरोजगारी सर्वाधिक दूसरे नम्बर की है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, जिनके चार-चार साल पुराने डेटा अपलोडेड हैं। पिछले चार साल के डेटा अपलोड ही नहीं हैं इसलिए वे पीछे चल रहे हैं। जबसे बेरोजगारी भत्ता तीन हजार, साढ़े तीन हजार और अब बढ़ाकर चार हजार, साढ़े चार हजार रुपये दिया गया, तब से, चाहे बेरोजगार हैं या नहीं हैं, बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने एप्लाई कर दिया है। उसका स्क्रूटनी होने के बाद पता लगता है। एप्लीकेशन लग गयी है। यह बढ़ने का सबसे बड़ा कारण राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता चार हजार, साढ़े चार हजार देना ही है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिपोर्ट इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह महाविद्यालय का सरकारीकरण

222. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर के सरकारीकरण की घोषणा वर्ष 2019-20 में की गई थी? यदि हां, तो माह दिसम्बर, 2022 तक उक्त का सरकारीकरण क्यों नहीं हुआ? कारण सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान वर्ष में उक्त महाविद्यालय का सरकारीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां। वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा की अनुपालना में शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर को आदेश दिनांक 01.08.2020 द्वारा राज्याधीन कर दिया गया। (परिशिष्ट-01)

राज्याधीन किये जाने के संबंध में आदेश दिनांक 22.12.2020 (परिशिष्ट-02) एवं 08.01.2021 (परिशिष्ट-03) में विहित शर्तों के अनुसार उक्त महाविद्यालय के पूर्व दायित्वों व देनदारियों पर सहमति नहीं होने के कारण एमओयू नहीं हुआ।

(2) जी हां। वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर को राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किये जाने की घोषणा की गयी है। प्रति परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर के पूर्व के दायित्व एवं देनदारियां कितनी थीं? क्या उन दायित्व और देनदारियों पर सहमति बन चुकी है? एमओयू हो चुका है या नहीं?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): 2019-20 में

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

देनदारियों के ऊपर सहमति नही बनी थी। बजट घोषणा 2023-24 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी है। देनदारियां जो हैं, उनका आडिट करवाकर उन पर सहमति बनवाकर उसको हैण्ड ओवर करवा लिया जायेगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): यह महाविद्यालय कब तक सरकारी कालेज के रूप में कार्य करने लग जायेगा और एमओयू कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): इसी सत्र से सरकारी महाविद्यालय के रूप में शुरू हो जायेगा और एमओयू सत्र शुरू होने से पहले ही हो जायेगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने दायित्व और देनदारियों के बारे में भी पूछा था। दायित्व क्या थे और देनदारियां कितनी थीं?

श्री अध्यक्ष: जब कह दिया कि अगले सत्र में हो जायेगा। अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मैं सीधे प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ लें आप। समय है।

मनोहर थाना से मजदूरों का पलायन

223. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना से मजदूरी हेतु लोग पलायन करते हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में पलायन को रोकने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2022 में लघु उद्योग लगाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना से मजदूरी हेतु लोगों के पलायन संबंधी सूचना श्रम विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

फिर भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलायी जा रही है, जिसमें गत चार वर्षों में सृजित रोजगार की स्थिति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

माननीय मुख्य मंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत शहरी

(राज्य मंत्री, श्रम)
क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी प्रारम्भ हो चुकी है।

(2) बजट 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के ग्राम लाडपुरा बलराम में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में नरेगा में रोजगार प्रदान करने पर 2022-23 में कुल व्यक्ति दिवस की संख्या में कमी आने का क्या कारण रहा है?

दूसरा प्रश्न है, रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): अध्यक्ष महोदय, जहां तक कमी की बात है, उसके लिए परिशिष्ट लगा हुआ है। 2019-20 में 85,920 परिवार जुड़े। उसके बाद 98,694 परिवार जुड़े। फिर 93,380 परिवार जुड़े। फिर 91,080 परिवार जुड़े। परिवारों की संख्या 2020 से लगाकर 2023 तक बढ़ी है। घटी नहीं है। हो सकता है बरसात ज्यादा हो गयी हो, इसलिए लोग काम पर नहीं गये हों।

जहां तक रीको का प्रश्न है, 2022 में घोषणा की थी लाडपुरा बलराम में, गोचर जमीन का वहां से प्रस्ताव आया। गोचर पर रोक है, इसलिए दूसरी सिवायचक जमीन चिन्हित करने के लिए दुबारा रिपोर्ट के लिए भेजा है। वह रिपोर्ट आयेगी तब आबंटन कर देंगे।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): एक वर्ष हो चुका है, साहब। एक वर्ष होने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं हुआ?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): कोर्ट की रोक है। पहले तो परीक्षण किया गया था। राय ली गयी एजी से, दोनों से। दोनों राय खिलाफ आयीं कि कोर्ट का स्टे है, इसलिए नहीं दे सकते। सरकारी जमीन चिन्हित करने के लिए पुन: भेजा है।

श्री अध्यक्ष: और प्रश्न पूछना है आपको? पूछो।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): दूसरी जमीन एक्वायर की जाए। कोर्ट का तो कोई मैटर ही नहीं हो सकता।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): आप वहां के विधायक हो। आप बता दो। करवा देंगे आबंटन।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मंत्री महोदय, आप कह रहे हो बिलकुल, कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, लेकिन आप देरी क्यों कर रहे हो? मुझे तो आपसे यही प्रश्न पूछना है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): स्टे है, वरना देरी किस बात की है?

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): देरी कर रहे हो आप। एक साल होने के बावजूद अभी तक भी नहीं हुआ।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): रोक है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): दूसरी जमीन देखिए आप। दूसरी आबंटन कर दो।

श्री अध्यक्ष: बैठो आप। बैठ कर सुन लो। आराम से सुन लो, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): नरेगा में 2019-20 में 52,96,952 कुल व्यक्ति दिवस हुए हैं। 2022-23 में यह घट कर 51,74,952 ही रह गये। इसका क्या कारण रहा है? मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): मैंने आपको पहले बता दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आराम से बैठ कर सुनें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): कालम 2 में बताया है। परिवारों की संख्या बढ़ी है। आप देख लो। 2019-20 में 85,920 है। 2020-21 में 98,694 है। 2021-22 में 93,380 है। फिर 91,080 है। मतलब परिवारों की संख्या बढ़ी है। हो सकता है कि फसल बढ़िया हो गयी हो। लोग काम पर नहीं गये हों। यही कारण है। बाकी तो कोई कारण नहीं है। आप बता दो, क्या कारण है? यही कारण है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बतायें, और पूछें आप।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सर, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि चार वर्ष तक लगातार सदन में मुद्दा उठाया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पलायन की विशेष समस्या है। पलायन के बारे में मैं हमेशा सदन में उठाता रहा हूं, लेकिन चार साल के बाद भी यह कह रहे हैं कि उसमें कोर्ट स्टे है। आप दूसरी जमीन आबंटन कर दो। वहां औद्योगिक क्षेत्र लगे और पलायन रुके। मेरा तो यही निवेदन है सरकार से।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं पूछ लेता हूं उनका सप्लीमेंट्री। रीको का जो क्षेत्र है, उसके बारे में आपने जबाव दिया कि चरनोट के कारण नहीं हो पा रहा है। दूसरा प्रस्ताव नहीं आ रहा है। जब आपको मालूम है कि वहां पर पलायन की समस्या है और माननीय सदस्य भी कह रहे हैं तो वहां रीको के क्षेत्र को डवलप करने के लिए चरनोट के अलावा अलग जमीन के लिए क्यों नहीं कोशिश की जाये?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): पहले ही मैंने कहा था कि हमने प्रस्ताव वापस एग्जामिन के लिए भेजा है। जैसे ही आयेगा आबंटन कर देंगे, साहब। जहां तक पलायन की बात है, लाखों परिवार काम से जुड़े हैं। आप चार साल के आंकड़े देख लो। मतलब 52 लाख हैं। फिर 63 लाख हैं।

श्री अध्यक्ष: उनका आर्ग्युमेंट यह है कि पलायन हो रहा है इसलिए आपकी संख्या ज्यादा है। उसका स्थायी समाधान है कि वहां इण्डस्ट्रीज लगें और जमीन हम चरनोट के नाम पर नहीं कर रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): जो प्रस्ताव आये थे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव नहीं, विभाग को इनिशिएट लेकर अल्टरनेटिव जमीन देखने का निर्णय करना चाहिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सर, रोजगार गारंटी में मजदूरी लगने के बाद भी वहां पलायन करते हैं लोग। यह सबको विदित है। लास्ट दो सौ नम्बर का विधान सभा क्षेत्र है। बिलकुल गरीब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 125 दिन मजदूरी करने के बाद भी वहां पर पलायन करते हैं, क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है। करीब 65 पंचायतों में से 38 पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई हैं और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पलायन निश्चित है। वर्षा पर निर्भर हैं। वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये जाएं। मेरा तो यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनकी भावनाओं को समझें और उस इलाके में जो समस्या है, उसका स्थायी समाधान करने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न हों, वे प्रयत्न किये जाने चाहिये।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): करेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(श्री अध्यक्ष)

(समय: 12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

हरीश चन्द कुमावत, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरीश चन्द कुमावत के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री हरीश चन्द कुमावत का जन्म 3 अप्रैल, 1944 को नागौर जिले के कुचामन सिटी में हुआ। आपने राजकीय पोलीटेक्निक कालेज, अजमेर से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त की।

श्री हरीश चन्द कुमावत आठवीं, नौवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं राजस्थान विधान सभा में नावां निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क', प्राक्कलन समिति 'ख', गृह समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, जन लेखा समिति एवं संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के सभापति तथा राज्य शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप नगरपालिका कुचामन सिटी के अध्यक्ष रहे। आप श्री सागरमल बानूड़ा आदर्श विद्या मंदिर के संरक्षक रहे। शिक्षा के प्रसार को समर्पित श्री कुमावत कई शैक्षिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे। आप कुचामन सिटी के सार्वजनिक पुस्तकालय के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री कुमावत कुचामन विकास समिति के संस्थापक रहे। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध श्री कुमावत पांच बार पार्टी की नागौर जिला इकाई के अध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रहे।

श्री हरीश चन्द कुमावत का दिनांक 24 फरवरी, 2023 को निधन हो गया।

मैं अपनी तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की।)

(श्री अध्यक्ष)

संदेश

माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कृतज्ञता ज्ञापन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:-

"अ.शा. पत्र क्रमांक: प.17(5)राभ/2016/206

दिनांक 15 फरवरी, 2023

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ.10 (1) सदन/विस/2019-23/4396 दिनांक 02 फरवरी, 2023 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे आभार को माननीय सदस्यों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

सादर,

सद्भावी,

ह.

कलराज मिश्र"

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से पदमपुर से पक्का साहरणा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्ण-शीर्ण होने पर भी उसका सुदृढ़ीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति जयसमंद एवं गिंगला में आई. टी. आई. प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के संबंध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत राजगढ़ और टहला क्षेत्र में राजकीय एवं निजी भूमि के अनियमित आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से जिला उदयपुर में डी.एम.एफ.टी. की राशि का उपयोग खनन से अप्रभावित क्षेत्रों हेतु खर्च करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें रोडवेज बस स्टैण्ड के स्थान पर सीधे बाई-पास से होकर गुजरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री जोगेश्वर गर्ग एवं श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के सम्बन्ध में अधिवक्ताओं की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति जावाजा में फर्जी पट्टा गिरोह द्वारा ग्रामीणों को भूखण्डों के फर्जी पट्टे दिये जाने की जांच करवाकर कार्यवाही करने के संबंध में।

(8) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बिलेण्डी के चारों तरफ पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्व के मुकदमों की सुनवाई सिविल न्यायालयों में करने के संबंध में।

(10) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से घाटमिका गांव, भरतपुर में हुए दोहरे हत्याकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य मूल प्रस्तावक श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री शंकर सिंह रावत एवं श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बेमौसम वर्षा से ईंट-भट्टों के कामगारों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री जे. पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के लिए स्वीकृत चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के आस-पास के गांवों में थर्मल प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई में सेवर से झील (नदबई) तक फोर लेन सड़क कार्य की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

(5) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मन्दिरों एवं मस्जिदों के नाम दर्ज डोली, भोम खातेदारी भूमि का स्वामित्व अधिकार कब्जा काश्तकार एवं सेवा-पूजा कर्ता के नाम दर्ज करने के संबंध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से आनासागर झील, अजमेर के नो-कंस्ट्रक्शन जोन में वर्ष 2014 से पूर्व हुए निर्माण पर लगाए क्रोस के निशान हटाने एवं बाद में हुए अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में।

(7) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बून्दी शहर में सफाई की समुचित व्यवस्था करवाने के संबंध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन स्थित कारखानों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(9) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया में जमाबन्दी ऑनलाइन प्रारम्भ करने के पश्चात् अपवादित खातों को पुनः सक्रिय करने के संबंध में।

(10) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित उद्योगों के अपशिष्ट से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा रावण चौक की भूमि को खुर्द-बुर्द करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के शालीमार नगर एवं विज्ञान नगर आदि के निवासियों को नगर परिषद् द्वारा पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के बोरखेड़ा में 33 केवी सब स्टेशन से 132 केवी ग्रिड-सब स्टेशन में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(14) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से विधायक मद से जारी अनुशंसा के पश्चात् भी विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री राजेन्द्र राठौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। विगत 9 दिनों से राजस्थान के 70 हजार अधिवक्ता लगातार हड़ताल पर हैं। 800 न्यायालयों में न्यायिक कार्य ठप पड़ा है। हजारों पक्षकार आज परेशान हैं। ये अधिवक्ता हड़ताल पर इसलिये गये हैं कि आज से 10 दिन पहले मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में जुगराज चौहान एडवोकेट की सरेआम चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गयी। उससे आक्रोशित होकर ये हड़ताल पर हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चार सालों में दर्जनों बार ऐसे मामले आये हैं जब राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर अधिवक्ताओं पर हमला इसलिये हुआ कि उन्होंने एक पक्षकार की पैरवी की, उससे नाराज होकर दूसरे पक्षकारों ने उन पर हमला किया। रींगस के अंदर हंसराज बावलिया द्वारा आत्महत्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना और घड़साना में बार कौंसिल के अध्यक्ष विजय सिंह द्वारा पुलिस से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करना और सरकार ने अपने जन घोषणा-पत्र में पृष्ठ संख्या 36 पैरा 19 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात कही। जब पहला बजट प्रस्तुत हुआ तो बजट 2019-20 के पैरा 183 में सरकार ने इसी सदन में घोषणा की थी कि अधिवक्ताओं के समय-समय पर उठाये गये मुद्दों को हल करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रीजी, विराजे हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट की सब-कमेटी बनी। 25 नवम्बर, 2019 को कैबिनेट सब-कमेटी बनी और कैबिनेट सब-कमेटी को बार कौंसिल आफ राजस्थान ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का कई बार प्रारूप दिया और 23 जुलाई को लॉ डिपार्टमेंट ने भी, Rajasthan Advocate (Prevention of Offences and Damages of Loss of Property) Bill, 2021 को ड्राफ्ट किया। बार कौंसिल आफ इंडिया ने भी आपको लिखा।

अध्यक्ष महोदय, हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधर शर्मा और रोमन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर में सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स को आफिसर आफ कोर्ट मानकर यह कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करना राज्य सरकार का पहला कर्तव्य है। मेरा निवेदन है कि 70 हजार से ज्यादा वकीलों की हड़ताल है। लिटिगेंट्स परेशान हैं। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आपने जन घोषणा-पत्र में वादा किया, आपने बजट घोषणा-पत्र में बात कही। आपके पास एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है। इस पर संज्ञान लेकर सरकार जल्दी से जल्दी इन वकीलों की हड़ताल समाप्त करे।

बहुत से निर्दोष लोग लगातार जेलों में बैठे हैं। कइयों की बेल नहीं हो रही है। कई लोगों को अपने पक्ष में जो न्यायिक निर्णय होने चाहिए थे, लगातार पोस्टपोन होते जा रहे हैं। 800 न्यायालयों में काम ठप पड़ा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर सरकार संज्ञान ले।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

जवाजा (ब्यावर) पंचायत समिति में ग्रामीणों को भूखण्डों के फर्जी पट्टे

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अंतर्गत जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।

(श्री शंकर सिंह रावत)

पंचायत समिति जवाजा, ब्यावर क्षेत्र में है। फर्जी पट्टों का एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। सरपंचों की फर्जी सील, ग्राम सेवकों की फर्जी सील, कार्यालयों की गोल सील और सारा फर्जीवाड़ा एक गिरोह के द्वारा चलाया जा रहा है। भोली-भाली जनता को लोन दिलाने के नाम पर फर्जी पट्टे बनाये जा रहे हैं।

सरपंच और ग्राम पंचायतों को मालूम भी नहीं है। बड़ा खेड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 22.02.2023 को टाटगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभी तक किसी प्रकार की उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। भोली-भाली जनता को जो पट्टे दिये जा रहे हैं, उनको भी लूटा जा रहा है और ग्राम पंचायतों को पता भी नहीं है। यह गिरोह इतना ज्यादा फैला है कि अन्य ग्राम पंचायतों में भी इस प्रकार से हो रहा है। इसकी जांच करने पर सब पता लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस गिरोह को पकड़कर इसकी जांच होनी चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन भी तहसीलों में हो रहा है। तहसीलों से भी इसका रिकार्ड लेना चाहिए कि कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के फर्जी पट्टों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसकी जांच हो। जनता को बैंक वाले भी लूट रहे हैं और दूसरे भी लूट रहे हैं।

जिस जमीन का पट्टा दिया जा रहा है, वह मौके पर है ही नहीं। उसकी भी जांच हो। जो इस प्रकार के षड्यंत्र में लगे हुए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि पंचायतों में विश्वास बना रहे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मंजीत धर्मपाल।

राजस्व मुकदमों की सिविल न्यायालयों में सुनवाई

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू का जब भी कोई विवाद पैदा होता है तो गांव का आदमी, किसान सबसे पहले एसडीएम के पास केस करता है। जहां पर उसको एक वकील करना पड़ता है। एसडीएम के ऊपर एक राजनीतिक दबाव भी रहता है। वहां के स्थानीय विधायक या जो वहां के मंत्री होते हैं, वे दबाव में उससे काम भी करवाते हैं। अगर वहां पर किसान के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वह आगे आरएए में और रेवेन्यू बोर्ड में जाता है। वहां पर भी कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव एवं लंबी प्रक्रिया होने के कारण किसान को उस केस में काफी लंबा समय लगता है। वहां पर कई पीढ़ियां उसकी निकल जाती हैं।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जो यह रेवेन्यू केसेज हैं, इनकी सुनवाई सिविल कोर्ट में की जाये। जैसे कि जो लगता हुआ राज्य हरियाणा है, उसमें किया जाता है। जिससे राजनीतिक दबाव न होकर, पक्षकार की सही सुनवाई होकर जो सही फैसला है, वह किसान को जल्दी मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295। श्री अविनाश।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जैतारण में बेमौसम वर्षा से ईंट-भट्टों के कामगारों को हुए नुकसान का मुआवजा

श्री अविनाश (जैतारण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में निवेदन है कि राजस्थान राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य समाजों की तरह प्रजापत/कुम्हार समाज निवास करता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण व पाली जिले के रायपुर, पाली, सोजत, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बाली व रोहट पंचायत समिति सहित राजस्थान के गांवों में कुम्हार समाज के लोग निवास करते हैं। ये लोग प्रत्येक गांव में ईंट कजावा के छोटे-छोटे कामगार हैं तथा प्रत्येक तहसील में 150-200 के करीब कजावा का कार्य होता है। प्रत्येक कजावा में लगभग 3 से 5 लाख ईंटें बनाई जाती हैं।

कुम्हार समाज का परंपरागत पुश्तैनी काम मिट्टी के बर्तन बनाना है। इस कार्य में मिट्टी से ईंटें, खिलौने, बर्तन आदि बनाये जाते हैं। इनका पूरा परिवार इसी व्यवसाय पर निर्भर रहता है। ईंट कजावा में छोटे-छोटे कामगार लगे हुए हैं जो दिन-रात मेहनत करके ईंट व्यवसाय करते हैं व अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हाल ही में बेमौसम बरसात होने के कारण प्रजापत/कुम्हार समाज के ईंट कजावा पर मिट्टी की ईंटें बरसात के कारण गलकर बह गईं, जिससे ईंट कजावा व्यवसायियों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है।

अतः राज्य सरकार से मेरा आग्रह है कि बेमौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का जिस तरह से मुआवजा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रजापत/कुम्हार समाज के ईंट कजावों में काम करने वाले मालिकों को जो

(श्री अविनाश)

नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करवाकर इनको आर्थिक मुआवजा राशि दिलाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी में चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से जारी पेयजल संकट

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 में 03 मार्च, 2022 को बिन्दु संख्या 33 पर यह घोषणा की गई थी कि चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना की नयी बी.एस.आर. के अनुसार लगभग 8,780 करोड़ रुपये की संशोधित डी.पी.आर. अंतिम चरण में है। इस योजना का कार्य प्रारम्भ करने हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट 2022-23 में कर दिया था।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की इस घोषणा के अनुसार पिलानी विधान सभा क्षेत्र, जो कि पेयजल की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है को पीने के लिए पानी देने हेतु परियोजना की शुरुआत कर दी जानी चाहिए थी, परन्तु अभी तक इस परियोजना को चालू नहीं किया गया है। बल्कि जो डी.पी.आर. पहले बनायी गयी थी, उन्हें संशोधित करके नई डी.पी.आर. 8082.76 करोड़ की बनायी गयी है। अब इसे तकनीकी परीक्षण हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। वहां से आने पर इसे स्टेट लेवल स्कीम सेंक्शनिंग कमेटी (एसएलएसएससी) के सामने रखा जायेगा। इस कमेटी द्वारा इसे अनुमोदित करना न्याय संगत होगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो 500 करोड़ रुपये गत बजट में प्रावधित किये गये थे। वे यदि खर्च नहीं हुए हों तो उन्हें पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई तात्कालिक परियोजना बनाकर काम में लिया जावे। पिलानी विधान सभा क्षेत्र को सूरजगढ़-सिंघाना आदि क्षेत्रों के लिए जो पाइप लाइन चिड़ावा होकर प्रस्तावित है, उससे पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए आरक्षित 2.5 क्यूसेक्स पेयजल उपलब्ध कराया जावे, ताकि भयंकर पेयजल संकट का सामना कर रहा पिलानी विधान सभा

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

क्षेत्र प्यासा न मर जाये। कृपया इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर सरकार बजट वर्ष 2023-24 में पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए कोई न कोई वित्तीय प्रावधान कर घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के निकटवर्ती गांवों में थर्मल प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में निवेदन है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006 से छबड़ा थर्मल पावर प्लांट संचालित है।

थर्मल प्लांट के लिए आस-पास के दर्जनों गांवों की जमीन अवाप्त की गयी थी। थर्मल के लिए तीतरखेड़ी, चौकी मोतीपुरा, भटखेड़ी, हनुमतखेड़ापार, बिशनखेड़ा, कराड़ियापार, मवासाव्यास, अरन्यापार, अकोदिया इत्यादि गांवों की जमीन थर्मल के लिए अवाप्त की गयी थी। जमीन अवाप्त करते समय इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया था, किंतु आज भी इन दर्जनों गांवों को सड़कों, नाली, पेयजल, युवाओं को रोजगार इत्यादि समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। थर्मल प्रशासन द्वारा न तो यहां के युवाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाती है और न ही सीएसआर फंड से इन गांवों में विकास कार्य करवाये जाते हैं। थर्मल प्रशासन द्वारा सीएसआर के कार्य आस-पास के गांवों में नहीं करवाये जाकर अन्यत्र जगह करवाया जाता है।

थर्मल के लिए जमीन अवाप्ति के समय थर्मल प्रशासन द्वारा कहा गया था कि जिन लोगों की जमीन थर्मल में चली गयी है, उन परिवारों को नौकरी दी जायेगी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, किंतु अभी तक किसी भी परिवार को कोई स्थायी नौकरी नहीं दी गई है और न ही आस-पास के गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी गयी हैं। यहां तक कि गांवों में आने-जाने के रास्तों एवं नालों पर पुलियाएं तक भी नहीं बनी हैं। ग्रामीण अपने गांव तक भी नहीं पंहुच पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के आस-पास

(श्री प्रताप सिंह)

के गांवों में सड़क, प्रदूषण, नाली, पेयजल, पुलियाएं, युवाओं को नौकरी इत्यादि समस्याओं का समाधान किये जाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

सेवर से झील का बाड़ा (नदबई) फोर लेन सड़क निर्माण

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई में सेवर से झील का बाड़ा (नदबई) फोर लेन सड़क कार्य को स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि उक्त सड़क मार्ग काफी क्षतिग्रस्त होने से इस पर आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं और इससे हर महीने दर्जनों लोगों की मृत्यु होती है। क्षेत्र में रह रहे आमजन द्वारा मुझसे इस सम्बन्ध में शिकायत की जाती है कि इस सड़क का कार्य करवाया जाये, जिससे लोगों का भविष्य सलामत रह सके। इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने की वजह से क्षेत्र वालों में काफी रोष व्याप्त है। यदि यह सड़क मार्ग स्वीकृत हो जाता है तो लोगों में खुशी का माहौल बना रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इसी बजट सत्र में ही सेवर से झील का बाड़ा (नदबई) फोर लेन का कार्य स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

डोली, भोम जमीनों का सर्वे करवाकर काश्तकार एवं सेवा-पूजाकर्ता के नाम खातेदारी अधिकार की प्रदायगी

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि आजादी से पूर्व रियासत काल में मंदिरों/मस्जिदों में सेवा करने वाले वर्ग विशेष के परिवारों के भरण पोषण हेतु कृषि जोतने हेतु दी जाती थी। उक्त भूमियों पर किसी प्रकार का लगान अथवा कर नहीं लगे, इसलिए ऐसी भूमियों को डोली, भोम इत्यादि नाम से वर्गीकृत किया गया एवं उसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में भूमियों की किस्म दर्ज कर

(श्रीमती मंजु देवी)

दी गई। देश आजाद होने के बाद बने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अन्य समस्त भूमियों की भांति इन भूमियों पर भी कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। अन्य भूमियों की तरह इनका उपयोग और उपभोग निर्बाध रूप से चल रहा था लेकिन राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के द्वारा डोली किस्म की समस्त भूमियों के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए भूमियों को मंदिर मूर्ति के नाम कर दिया गया। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से उक्त भूमियों के समस्त प्रकार के अंतरण, रहन इत्यादि अधिकार स्वत: ही प्रतिबंधित हो गये। फलस्वरूप उक्त प्रकार की भूमियों के काश्तकार सरकार की विविध प्रकार की योजनाओं/सहायता से वंचित हो गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की भूमियों के काश्तकार सेवा चाकरी करने वाला पुजारी वर्ग है जो आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक कमजोर है एवं इनके पास आजीविका के अन्य कोई विशेष विकल्प नहीं हैं। इन भूमियों को मंदिर मूर्ति के नाम पर कर देने से इनका जीवनयापन कठिन हो गया है।

अतः मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की भूमियों का सर्वे करवाया जाकर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार/स्वामित्व अधिकार प्रदान किये जाने हेतु नियमों/अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाकर वंचितों को राहत प्रदान करवाई जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में आनासागर झील के नो-कंस्ट्रक्शन जोन में अवैध निर्माण

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि अजमेर की पहचान आनासागर झील के नो-कंस्ट्रक्शन जोन में वर्ष 2014 से पूर्व हुए निर्माणों पर भी लगाये गये रेड क्रोस के निशान हटाने एवं बाद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय की फटकार के बाद

(श्री वासुदेव देवनानी)

आनासागर झील के नो-कंस्ट्रक्शन जोन में वर्ष 2014 के बाद हुए निर्माणों का हाल ही में अजमेर नगर निगम अधिकारियों द्वारा सर्वे करवाया गया। अधिकारियों द्वारा नो-कंस्ट्रक्शन जोन स्थित निर्माणों पर भी लाल रंग से क्रोस के निशान लगा दिये गये। नियमानुसार वर्ष 2014 के बाद हुए अवैध निर्माणों पर ही निशान लगाने थे, लेकिन अधिकारियों के काले कारनामों को छिपाने एवं आमजन को परेशान करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से वर्ष 2014 से पहले के निर्माणों पर भी निशान लगाये गये जिसके चलते आमजन में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए लोगों द्वारा माननीय न्यायालय की भी शरण ली गई, जिन्हें स्टे देकर राहत भी प्रदान की गई है। झील के साथ छेड़छाड़ एवं इसके दायरे में अतिक्रमण व अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निगम अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माणों को बचाने और निर्दोष आमजन को परेशान करना कतई बर्दाश्त नहीं है। वास्तव में अधिकारी पिछले आठ सालों में हुए अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर आंखें मूंदे बैठे हैं। नो-कंस्ट्रक्शन जोन में वर्ष 2014 से पहले हुए निर्माणों से निशान हटाने और उसके बाद हुए अवैध निर्माणों पर निशान लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार आनासागर झील के नो-कंस्ट्रक्शन जोन में वर्ष 2014 से पूर्व हुए निर्माणों पर भी लगाये गये रेड क्रोस के निशान हटाये एवं बाद में हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किये जाने की दिशा में सम्बन्धित विभाग को पाबंद करते हुए संबंधित आवश्यक कार्यवाही कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करावे।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा (अनुपस्थित)। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन के कारखानों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन, जिला बून्दी में एसीसी सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी नगर व

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

नवनिर्माणाधीन वरुण बेवरेज लिमिटेड, पेप्सी कोला फैक्ट्री, कापरेन नगर में स्थापित है, जिनमें क्षेत्रीय जनता द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की बार-बार मांग की जा रही है, किन्तु फैक्ट्री मालिकों द्वारा मनमानी कर बाहर से कर्मचारियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। इनकी सूची प्राप्त कर जांच की जा सकती है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित अपशिष्ट एवं अन्य प्रदूषण की मार तो यहां के निवासियों को झेलनी पड़ती है और रोजगार अन्य प्रदेश के निवासियों को दिये जा रहे हैं। क्षेत्र के हजारों शिक्षित एवं प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार अभ्यर्थियों से अनेकों संस्थाओं द्वारा आवेदन प्राप्त किये गये हैं, किन्तु रोजगार के अवसर आज दिनांक तक भी प्रदान नहीं किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय जनता व शिक्षित बेरोजगारों के साथ मुझे स्वयं को इस समस्या का निदान नहीं होने पर शीघ्र ही फैक्ट्रियों के सामने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेग़ा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु आदेश राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग व सम्बन्धित फैक्ट्री प्रबन्धकों को प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरदीप सिंह।

संगरिया तहसील के अपवादित खातों की पुन: क्रियाशीलता

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया, जिला-हनुमानगढ़ में जमाबंदी ऑनलाइन हो गई है, जिसके फलस्वरूप संगरिया तहसील में लगभग 2,300 खाते अपवादित हो गये हैं। ऐसे प्रकरण केवल तहसील संगरिया में ही अधिक हैं, अन्य तहसीलों में न के बराबर हैं। खातों के अपवादित हो जाने के कारण संगरिया तहसील के काश्तकार ही सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ये खाते लॉक हो गये हैं। इससे इन खातों की भूमि का किसी भी प्रकार से नामांतरण नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप किसान भूमि को विरासतन करवाने, कृषि ऋण लेने, रहन करवाने, खाता विभाजन करवाने, बिजली कनेक्शन लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने व अन्य सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने से वंचित हो गये हैं।

(श्री गुरदीप सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि संगरिया तहसील के किसानों के अपवादित खातों को पुनः क्रियाशील करने हेतु विशेष कैम्प लगवाकर इस ज्वलन्त समस्या का निस्तारण करवाने की कृपा करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में संचालित उद्योगों के अपशिष्ट से उत्पन्न प्रदूषण

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन तथा आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होकर संचालित हैं। इनसे हवा, पानी, भूमि तथा भूगर्भ जल दूषित हो रहा है, जो चिंता का विषय है। कपासन विधान सभा क्षेत्र में तथा आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने लगे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से गणपति फर्टिलाइजर, निम्बाहेड़ा; जूबिलेंट सुपर फास्फेट उद्योग, सिंहपुर, सनवाड़ (उदयपुर) हैं। उक्त सभी उद्योगों से हवा, पानी, पेड़-पौधे, फसलें व भूमिगत जल खराब हो रहे हैं। वर्षा के मौसम में उक्त उद्योगों के चलने से एसिडयुक्त हवा मौसम में घुलने के कारण कारखानों के पास की फसलें खराब होती हैं तथा लोगों को श्वांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिंहपुर, बनाकियाखुर्द, जूपड़िया, समरथपुरा, निम्बाहेड़ा, बेनीपूरिया, केसरखड़ी, खेड़ी, मूलवास की खेड़ी, सनवास, जाजड़ों का खेड़ा आदि गांवों में फसलों के खराब होने की शिकायतें किसानों द्वारा जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारियों, कृषि विभाग के अधिकारियों को दी गई। ज्ञापन व धरने देने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

किसानों की फसलें खराब होने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। कपासन रीको क्षेत्र में कैमिकल की फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी को बोरिंग में छोड़ने से भूमिगत जल खराब हो रहा है। इसकी जांच करवाकर दूषित जल छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को बंद करवाने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें। उपरोक्त सभी उद्योगों की जांच पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनाकर की जाए, ताकि जनजीवन, वनस्पति और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश रावत।

रूपनगढ़ ग्राम पंचायत (पुष्कर) द्वारा रावण चौक की भूमि की खुर्दबुर्दगी

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ उप-खण्ड पर रूपनगढ़ ग्राम पंचायत के खसरा नम्बर 3427/1202 रकबा 2.3137 हैक्टेयर पर सैकड़ों वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति की विरासत को संजोये रावण चौक है। यहां पर सैकड़ों वर्षों से रामायण व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ प्रतिवर्ष दशहरे के पर्व पर रावण दहन का कार्यक्रम होता रहा है, इसलिए यह स्थान रावण चौक के नाम से विख्यात है। वर्तमान में ग्राम पंचायत रूपनगढ़ कुछ भू-माफियाओं के साथ मिलकर नियम विरुद्ध आबादी के पट्टे व दुकानों के पट्टे काटकर इस पावन व पवित्र भूमि को खुर्द-बुर्द करने में लगी है।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र कर रावण चौक की भूमि को आबादी से निरस्त कर रावण चौक के नाम इन्द्राज कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री संजय शर्मा।

अलवर के शालीमार नगर एवं विज्ञान नगर के निवासियों को नगर परिषद् द्वारा पट्टे वितरण का अभाव

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के जसवंत नगर, साईं धाम कॉलोनी, गणपति विहार का कुछ क्षेत्र एवं भगवानपुरा, जवाहर नगर के आस-पास की कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का ले-आउट प्लान यू.आई.टी. द्वारा तैयार किये हुए करीब एक वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग नहीं होने के कारण यह ले-आउट प्लान अनुमोदित नहीं हो सका है, जिससे इस क्षेत्र में पट्टे देने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

पट्टों के अभाव में यहां निवास कर रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। इसके अतिरिक्त बिराई माता कच्ची बस्ती, जाटव बस्ती, कुम्हार बस्ती, श्मशान घाट के धोबी गट्टा कच्ची बस्ती, लाका बस्ती, मेहता क्रेशर कच्ची बस्ती, बडवाला कुआं, हजुरीगेट, दिल्ली दरवाजा में भी पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं, इन्हें भी पट्टे जारी किये जाएं। साथ ही, नगर विकास न्यास विज्ञान नगर एवं शालीमार योजना में बोली लगाकर महंगे भावों में प्लाट तो

(श्री संजय शर्मा)

बेच रहा है, लेकिन यहां बसे सैकड़ों परिवारों को पीने का पानी एवं सीवरेज की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, जिससे यहां रह रहे लोग महंगे प्लाट खरीदकर भी अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहे हैं।

अतः नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी से मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के शालीमार नगर एवं विज्ञान नगर में खातेदारों सहित अन्य कृषि भूमि पर बसी विकसित कालोनियां, जहां पर नगर विकास न्यास द्वारा ले-आउट प्लान भी स्वीकृत कर दिया गया है, उन्हें तुरन्त प्रभाव से पट्टे देने सहित उक्त वर्णित समस्याओं का निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

बोरखेड़ा (लाडपुरा) में 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन का 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन में क्रमोन्नयन

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में बोरखेड़ा क्षेत्र के लिए 2019 में माननीय मुख्य मंत्री की बजट घोषणा में 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन को 132 केवी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी। लगभग 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त सब-स्टेशन कागजी खानापूर्ति के चक्रव्यूह में ही फंसा हुआ है।

राजनीतिक लालफीताशाही के कारण 2019 में स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन का अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन इस 132 केवी सब-स्टेशन को राजकीय पंचवर्षीय योजना में लेकर काम कर रहा है। चार वर्ष पूर्व की गयी जनहित घोषणा का अभी तक पूर्ण नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही दर्शाता है। स्थानीय अधिकारी उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ हैं। अतः आपसे निवेदन है, मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के बोरखेड़ा क्षेत्र के जीएसएस को क्रमोन्नत करने का कार्य एवं जनता को बिजली परेशानी से राहत प्रदान कर निश्चित समय सीमा में तैयार करवाने के आदेश प्रदान कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

विधायक मद के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत सूचना। विधायक मद से विधायक द्वारा जारी अनुशंसा के महीनों बाद भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही हैं। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग 8) के पत्र क्रमांक एफ4 (21) ग्रा.वि./अनु8/वी.सी./2016, दिनांक 12.07.2019 के निर्देशानुसार विधायकों से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् तथा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व प्रपत्र 5 मय तकनीकी रिपोर्ट मय तकनीकी स्वीकृति एवं एस्टीमेट/साइडप्लान एवं राजस्व रिकार्ड प्राप्त करना आवश्यक है।

इसमें कई पंचायतों में द्वेषवश सरपंच व सचिव द्वारा प्रपत्र 5 कई महीनों तक नहीं भेजा जाता है। विधायक मद की स्वीकृति कहीं-कहीं पर सरपंच एवं सचिव की मोहताज हो गयी है, जबकि ऐसा कानून भी है कि विधायक से अनुशंसा प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर वित्तीय स्वीकृति जारी हो जानी चाहिए। अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधायक की अनुशंसा प्राप्त होते ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह।

आहोर में नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के तहत निवेदन है कि आहोर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय है। यह कालेज भी स्नातक स्तर का है। इस ग्रेजुएशन स्तर के कालेज में जो उप-खण्ड कार्यालय आहोर में स्थित है, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर क्रमोन्नत कराएं एवं इस कालेज में विज्ञान, वाणिज्य संकाय खोलें, जिससे मेरे क्षेत्र के युवाओं का भी सर्वांगीण विकास हो और वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आहोर विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय है, इसलिए भाद्राजून, भवरानी, बागरा, चादराई, हरजी, गुडा, सियाणा में राजकीय महाविद्यालय की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष करीब 2,500 युवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते ही यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो कहां जाएं, क्योंकि आहोर

(श्री छगनसिंह)

कालेज में मात्र 180 सीटें ही हैं, जिससे 180 छात्रों का ही प्रवेश आहोर कालेज में हो सकता है। इस कारण से मेरे क्षेत्र के युवा उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं। कई बालिकाएं आकर मुझसे पूछती हैं कि हमारे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय कब बनेगा। अत: आपसे निवेदन है कि आहोर विधान सभा क्षेत्र के युवाओं के लिए, जो उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं, कृपया भाद्राजून, भवरानी, बागरा, चादराई, हरजी, गुडा, सियाणा में नये कालेज खोलने की घोषणा कराएं।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री मुरारी लाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

कृषि विपणन विभाग

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विपणन विभाग की निम्न तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.9 (11) कृषि/ग्रुप-2/1994 पार्ट दिनांक 04.10.2022 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समितियों द्वारा योगदान) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: प.1 (7)कृषि/ग्रुप-2/2021 दिनांक 07.12.2022, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है; एवं

3. अधिसूचना संख्या: प.4(9) कृषि/ग्रुप-2/2004 दिनांक 09.09.2022, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पांच प्रतिवेदन एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पंचायती राज संस्थाओं पर प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पंचायती राज संस्थाओं पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 6);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 7);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में अवैध खनन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में अवैध खनन पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 8);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

4. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 9);

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का शहरी स्थानीय निकाय तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग पर प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

5. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का शहरी स्थानीय निकाय तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 10); एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

6. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22।

श्री अध्यक्ष: श्री भजनलाल।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54 (14) के अन्तर्गत निम्नांकित अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड के अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22)

1. राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22;

राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

2. राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21; एवं

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22)

3. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22; एवं

(श्री भंवर सिंह भाटी)

विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण (वर्ष 2022-23)

2. राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण वर्ष 2022-23.

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23)

1. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 से 2022-23; एवं

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019, वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021)

2. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 से 2021.

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023, श्रीमती शकुन्तला रावत।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्‌योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करती हूं।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिए जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्‌वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिए गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्‌वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध

(श्री अध्यक्ष)
में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, डिबेट को सारगर्भित करने के लिए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पालिसी पर ज्यादा डिस्कस करें। हमने यह देखा कि जो क्वालिटी आफ डिबेट है वह हमारी कांस्टीट्यूएंसी पर ही कन्फाइन हो जाती है। अच्छा रहेगा कि कुछ माननीय सदस्य पालिसी के बारे में डिस्कस करें, तो मैं समझता हूं कि हम ज्यादा अच्छे ढंग से कर पायेंगे, क्योंकि आज सारी प्रोसीडिंग यू-ट्यूब पर जाती है तो लोगों के मन में उत्साह रहता है कि पालिसी के बारे में क्या डिस्कशन होता है इसलिए मैं चाहूंगा कि क्वालिटी आफ डिबेट को ठीक करने के लिए कुछ माननीय सदस्य पालिसी पर ज्यादा बोलेंगे तो अच्छी, सार्थक डिबेट हो पायेगी।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24, द्वितीय अवस्था-अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 18-गृह के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 94,00,38,32,000/- (चौरानवे अरब अड़तीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 18 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

मांग संख्या 19-कारागार की प्रस्तुति

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,06,94,53,000/- (तीन अरब छह करोड़ चौरानवे लाख तिरेपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 19 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सात बजे मंत्री जी उत्तर देंगे और आठ बजे हम सदन की कार्यवाही को स्थगित करेंगे, जिससे अगले दिन की चर्चा हम और सार्थक कर सकें। श्री मदन दिलावर।

मांग संख्या 18-गृह व 19-कारागार पर विचार

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और इसके उदाहरण देशभर में दिये जाते रहे हैं। कई बार यहां बड़ी घटना हो जाती है तो राजस्थान की जनता यह कहती है कि यह यूपी और बिहार नहीं है तो फिर आखिर यह कैसे हो रहा है। लेकिन आप और हम यह देख रहे हैं कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020, 2021 और 2022 की हम चर्चा करें और 2020 से 2021 की तुलना हम करते हैं तो 27.67 प्रतिशत अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और 2021 से 2022 की तुलना करते हैं तो अपराधों में 13.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 में 1,459, 2021 में 1,516 और 2022 में 1,581 हत्याएं हुईं। इसी प्रकार 2020 में 67, 2021 में 66 और 2022 में 89 डकैती हुईं। इस प्रकार सब अपराधों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

(समय: 12.48 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 3 साल में अपहरण के मामलों में 47.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और पुलिस ने अपहरण जैसे 70.44 फीसदी मामलों में एफ.आर. लगा दी है। 2022 में जो अक्टूबर तक के आंकड़े हैं, उनमें लगभग 2 लाख 7 हजार 944 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनमें से 54 हजार 727 मामले पैंडिंग हैं, यानी उनकी अभी जांच नहीं की जा रही है या जांच चल रही है। माननीय सभापति महोदय, राजधानी जयपुर में ही 22 नवम्बर को कांग्रेस के नेता पूर्व राज्य मंत्री गोपाल जी केसावत की बेटी का दिन-दहाड़े अपहरण हो गया है, पर आज तक उसका पता नहीं चला है। माननीय सभापति महोदय, 3 नवम्बर को मांग्यावास निवासी मुकेश सैनी घर से नौकरी के लिए निकला था पर वह वापस नहीं लौट पाया और पुलिस आज तक उसको ढूंढ नहीं पायी है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो मैंने मुकदमों की संख्या बतायी है और जैसा मैंने कहा है कि इनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का तर्क क्या होता है कि हमने लगभग सभी मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिये हुए हैं और राजस्थान में

(श्री मदन दिलावर)

ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसको लेकर प्रार्थी जाता हो और दर्ज नहीं होता हो। माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ा असत्य मैं समझता हूं कि कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि राजस्थान में अधिकांश मामलों में रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है। मैं महिलाओं की चर्चा करूं तो 2022 में 1,337 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुए हैं और 2,162 बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंगरेप और अश्लील हरकतें हुई हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, उदाहरण देकर सरकार को आईना दिखाना चाहता हूं, ये जो कहते हैं न कि हम सब रिपोर्ट दर्ज करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, रामनगरिया थाने का एक मामला है। रामनगरिया थाने में एफआईआर इस बात की दर्ज नहीं हुई कि एक आदमी का प्लाट था, हड़पने वाले ने उसको बुलडोजर से तोड़ दिया। वह एफआईआर दर्ज करवाने गया तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन जो आरोपी था, उसके कहने पर पीड़ित आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसको प्रताड़ित किया गया। जब वह एसओजी के पास पहुंचा तो एसओजी ने उसको कहा कि आप डीजीपी के पास जाइये, यह गम्भीर मामला है। तब डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद वह रिपोर्ट दर्ज हुई है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, कोटा शहर के गुमानपुरा थाने में रामकरण नाम का एक एएसआई, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और कोरोनाकाल चल रहा था तो उसने सोचा कि मेरे पास जो उसके जेवर हैं, ये सुरक्षित नहीं रहेंगे, चोर वगैरह ले जा सकते हैं तो उसके थाने में जो अलमारी थी, उसमें डबल लॉक लगाकर लगभग 11 लाख रुपये से भी ऊपर के जेवर थे, उसमें रख दिये। वह रोज तो देखता नहीं था, लेकिन एक दिन जब उसने देखा तो सारे के सारे जेवर गायब मिले। उसने जब रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो थानेदार से लेकर आईजी तक घूमता रहा, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा 45 दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

यही नहीं, अजमेर शहर थाना किशनगंज के सीआई के साथ, जैसलमेर के एसपी थे, उनके बेटे ने मारपीट की, हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन कई दिनों तक उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्योंकि वह एसपी का बेटा था।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं, अभियोग संख्या 237/17, पुलिस थाना रींगस, जो सीकर जिले में आता है। पीड़िता +++ उसका पति +++ जिसकी उम्र 31 साल है। इसके साथ गैंगरेप

(श्री मदन दिलावर)

हुआ और हाथ-पैर बांधकर के हुआ, खेतों में ले जाकर के हुआ। वह जैसे-तैसे रिपोर्ट दर्ज करवाने आई। थानेदार ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन जब वह सही दिशा में जांच कर रहा था तो उसकी जांच को बदल दिया और एडिशनल एसपी, सीआईडी (सीबी) को जांच दी। उसने पाया कि 21 लोगों ने इसके साथ गैंगरेप किया है, बलात्कार किया है। ये दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, चालान पेश होना चाहिए, चालान पेश करने की तैयारी थी, चालान पेश न हो, उसके पहले ही सीआईडी (सीबी) के दूसरे एडिशनल एसपी को जांच दे दी गई।

माननीय सभापति महोदय, वे भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 21 लोगों ने इनके साथ बलात्कार किया है। इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए तो फिर सीआईडी (सीबी) के दूसरे एडिशनल एसपी को जांच दे दी। उसने भी यही पाया कि 21 लोग इसमें अपराधी हैं। फिर सीआईडी (सीबी) के तीसरे एडिशनल एसपी को जांच दे दी। उसने भी यही पाया और फिर उसको चालान पेश करने के लिए प्रस्तुत किया तो कहां तक गया मामला, मामला डीजीपी तक गया। उसमें जो जांचकर्ता था, उसने हाईकोर्ट के आदेश से, हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी कि इसमें 21 लोग दोषी हैं, गैंगरेप के दोषी हैं, सामूहिक बलात्कार हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, डीजीपी ने चालान पेश करने की अनुमति दे दी, लेकिन मुख्य मंत्री कार्यालय से दबाव बना कि इसमें किसी भी कीमत पर चालान पेश नहीं होना चाहिए तो डीजीपी ने कहा भाई मेरे ऊपर खतरा आ गया है। एक जांचकर्ता को बुलाया, दो गवाहों के बयान लिए और यह कहा गया कि यह असत्य मामला है गवाहों के आधार पर और उसमें एफआर लगाने की बात कह दी गई। माननीय सभापति महोदय, वह महिला इस बात की एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में गई कि गलत अनुसंधान हुआ है, जिन्होंने गलत अनुसंधान किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। माननीय सभापति महोदय, वह एसएचओ से लेकर आईजी, डीजीपी तक घूमती रही। उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर उसने माननीय न्यायालय की शरण ली। माननीय न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसमें मुख्य मंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप भी हुआ है, क्योंकि वे सारे के सारे डाक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। आप जब कहोगे तब सदन में उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें हाईकोर्ट ने साफ-साफ

(श्री मदन दिलावर)

निर्देश दिये हैं कि इसमें डीजीपी और मुख्य मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई मुख्य मंत्री जी के खिलाफ और तत्कालीन डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज? आप तो कह रहे थे, आप तो यहां भाषण देते हैं न कि हम तो सारी की सारी एफआईआर दर्ज करते हैं। इसका नमूना मैंने बताया है। सरकार को आईना दिखा रहा हूं कि सामान्य व्यक्ति की एफआईआर किस प्रकार से दर्ज नहीं होती है, किस प्रकार से अत्याचार, अनाचार हो रहा है, किस प्रकार से लोग लुट रहे हैं, लेकिन सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। 'अंधा पीसे और कुत्ता खाये,' वाला काम यहां हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, जिस पर मैंने आपका ध्यान दिलाया है।

माननीय सभापति महोदय, यहां बड़े नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यहां कांग्रेस के नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यहां माननीय विधायकों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। चाहे वे कुछ भी कर दें, पर कार्यवाही नहीं होती है। उसका नमूना आपको दिखाना चाहता हूं। दिनांक 22 मार्च, 2022 को मण्डावर थाने में एक पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, होटल में ले जाकर हुआ है। इसमें एक माननीय विधायक का बेटा भी है, जिसका नाम दिलीप उर्फ दीपू और माननीय विधायक का नाम श्री जौहरीलाल मीणा है। ऐसी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। माननीय सभापति महोदय, जांचकर्ता ने जो उनके साथ थे, उनको तो अपराधी माना, लेकिन माननीय विधायक के बेटे दिलीप उर्फ दीपू को अपराधी नहीं माना। उसके फोटोज थे, सारे कुछ सबूत थे, जांच में प्रूव हो रहा था, लेकिन नहीं माना और माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि इसमें जौहरीलाल मीणा, जो माननीय विधायक हैं, उसके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। आखिर में परेशान होकर के पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह दोषी है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, फिर भी गिरफ्तार नहीं किया। वे कई न्यायालयों में अग्रिम जमानत लेने के लिए चक्कर काटते रहे, पुलिस को सारा ध्यान था, वह कहां-कहां है, फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर में हाईकोर्ट का आर्डर आया, उसके बाद में मजबूरी में उसको गिरफ्तार करना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसी प्रकार से विकास आंजना नाम के युवक ने दिनांक 2 फरवरी, 2023

(श्री मदन दिलावर)

को निम्बाहेड़ा में आठ गोलियों से व्यक्ति को छलनी कर दिया। विकास आंजना नाम के युवक ने निम्बाहेड़ा में आठ गोलियों से उसको छलनी कर दिया और हत्या कर दी। परिजनों ने, श्री उदयलाल आंजना ने, उसके भांजे उप प्रधान श्री विक्रम आंजना पर लगे आरोप पर कोई कार्यवाही नहीं होना, राजनीतिक संरक्षण।

माननीय सभापति महोदय, विकास प्रजापत की चित्तौड़ में 6 अप्रैल, 2022 को भाजपा का झण्डा लगाने को लेकर हत्या कर दी। आरोपी हैं, उदय आंजना, अरविन्द आंजना और जसपाल आंजना, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इस सरकार में बैठे हुए लोग हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं।

(समय: 13.00 बजे)

यह जनता कहां जायेगी, किससे कहेगी, कौन बचायेगा इस जनता को? अपराधी लोगों की हत्या करते रहेंगे, गोलियों से मारते रहेंगे, हमारे जीवन को छीनते रहेंगे पर कौन बचायेगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि रक्षक भक्षक हो गये हैं, इसलिये बचाना बहुत मुश्किल है।

माननीय सभापति महोदय, धौलपुर विधायक श्री गिर्राज मलिंगा ने बिजली विभाग के आफिस में जाकर के और वहां के एक सहायक अभियन्ता, जो वाल्मीकि समाज के थे, उनको इतना मारा कि 32 फ्रैक्चर उनके शरीर में हुए। (व्यवधान) धौलपुर जिले का है। धौलपुर जिले में आता है बाड़ी। मैंने यही कहा है। (व्यवधान) मैंने नाम लिया है गिर्राज मलिंगा माननीय एमएलए हैं, इस विधान सभा के सदस्य हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी मिलने गये। देख करके क्या कहा, 6 ही तो फ्रैक्चर हैं, यानी 6 फ्रैक्चर तक तो माननीय मुख्य मंत्री जी की माफी है। 6 फ्रैक्चर यदि कोई अपराधी कर दे किसी के तो वह माफ है। वे पकड़े नहीं गये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कार्यालय में कई महीनों के बाद, जब जनता का दबाव बना, श्री गिर्राज मलिंगा को बुलाया, पुलिस के बड़े अधिकारियों को बुलाया। अधिकारियों ने जाते ही श्री मलिंगा को प्रणाम किया, आइये एमएलए साहब और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे दिखा लीजिये। माननीय सभापति महोदय, क्या कहा, +++ माननीय सभापति महोदय, तुरन्त जमानत हो गई। 32 फ्रैक्चर जिसके शरीर में, जो अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समाज के एईएन को मारा, उसकी हत्या करने का प्रयास

(श्री मदन दिलावर)

किया, उसकी जमानत हो गई यानी मुख्य मंत्री स्वयं हत्या का प्रयास करने वालों को बचा रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या होगा, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, अलवर की मूक-बधिर एक बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और गैंग रेप करने वाले उसको सड़क के किनारे फेंक जाते हैं। जैसे-तैसे करके कुछ लोग उठा करके अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डाक्टर कहता है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है। एसपी कहता है, कलेक्टर कहता है, सारी जनता कहती है, डाक्टर की रिपोर्ट कहती है, लेकिन चार-पांच दिन बाद मुख्य मंत्री जी अवतरित होते हैं टीवी पर और अपना वक्तव्य देते हैं कि यह कोई जोमेटो, जो भोजन इधर-उधर ले जाने वाली कम्पनी है, उसका ब्वॉय था, उससे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट उससे हुआ था तो उसको तुरन्त क्यों छोड़ दिया गया और जब डाक्टर्स ने यह बताया कि धातु के नुकीले औजार से इसके गुप्तांग में हानि हुई है, तो क्या एक्सीडेंट से ऐसा होता है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा, रातों-रात क्यों छोड़ दिया? इससे साफ जाहिर है कि उस बच्ची के साथ गैंग रेप करने वाले कोई न कोई कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, इसके कारण से उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी ने मुझे समय दिया है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में, आपका जो टाइम है उसको देख कर ही मैं बात कर रहा हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस, जेडीए के वरिष्ठ सहायक, लेखराज को बर्खास्त करने के बजाय जेडीए करीब सवा चार साल तक नौकरी करवाता रहा, जबकि वह जेल में रह कर आया था। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप आरोप लगा रहे हो, कांग्रेस के लीडर कौन थे? आप बताओ। आप ऐसे कैसे अनर्गल आरोप लगा रहे हो? आप पहले बताओ कांग्रेस के लीडर कौन थे? आप आरोप लगा रहे हो, कांग्रेस के लीडर कौन थे? बताओ।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप सीट पर जाकर बात करो, माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलोगे। बैठो नीचे आप।

श्री सभापति: आप अपना एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, सरकार को चिन्ता इस बात की है कि जो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए उनका नाम उजागर मत करना, क्योंकि उनकी बदनामी हो जायेगी, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आयेगी। इसलिये आदेश जारी होता है कि ऐसे लोगों के नाम उजागर नहीं किये जायें जो भ्रष्टाचारी हैं। क्या करना चाहती है सरकार? क्या दिखाना चाहती है सरकार? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दे रही है? माननीय सभापति महोदय, आज भी मैंने सुना है कि शराब की तस्करी में पकड़े हुए एक आईपीएस कानून-व्यवस्था सम्भालने के लिए जयपुर में एसपी लगे हुए हैं। कौन थे वह एसपी? मुख्य मंत्री जवाब दें, तब बतायें। मेरी जानकारी के अनुसार शायद हिम्मत अभिलाष टांक थे, जिन्होंने गुजरात में शराब की तस्करी की, जो तस्करों से मिले हुए थे, क्या वो कानून-व्यवस्था सम्भालेंगे?

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख रहे हो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आपका समय हो गया, प्लीज। श्री संयम लोढ़ा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरा समय अभी बाकी है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: घड़ी सदन की ही चलेगी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मुझे आधा घण्टा दिया था।

श्री सभापति: नो। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि घड़ी सदन की ही चलेगी। यह घड़ी ही काम आयेगी और समय वही काम आयेगा जो आपको अलॉटेड है। थैंक यू। श्री संयम लोढ़ा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरे को आधा घण्टा दिया था।

श्री सभापति: अब रिकार्ड नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: कंटीन्यू। बोलिये आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज। बैठिये आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज हो गया। बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने होम और जेल की मांग पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। कबीर दास जी ने कहा था, 'पोथी पढ़ि-पढ़ि कर जग मुआ, भया न पण्डित कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पण्डित होय।' आज जब कानून-व्यवस्था पर हम चर्चा कर रहे हैं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को स्मरण करना बहुत समीचीन होगा कि उन्होंने किन लक्ष्यों को आगे रख करके भारत के संविधान की रचना की और यह अपेक्षा की कि देश में कानून का शासन हो, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आज अपराध की घटना का प्रयोग एक खास विचाराधारा के प्रसार के लिए किया जा रहा है, जो सबसे गम्भीर बात है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से मुझसे पूर्व वक्ता ने विचार रखे, उससे तो यह प्रकट होता है कि राजस्थान में पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि मुकदमे दर्ज होने का ग्राफ कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, उन्होंने इस बात की परवाह की कि इस देश का नागरिक जो अगर समझता है कि पुलिस में उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिये, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर हाल में मुकदमा दर्ज होना सुनिश्चित हो। थाने से धक्के पड़ जायें तो पुलिस अधीक्षक के यहां पर यह व्यवस्था की कि वह मुकदमा दर्ज करेंगे। इतना ही नहीं, जब आला अधिकारियों की जांच में यह सामने आ गया कि फलां नागरिक के मुकदमे को दर्ज करने के अन्दर थानाधिकारी ने आना-कानी की है तो, माननीय सभापति महोदय, उसके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी है, तो एक सोच है। मुकदमों के बोझ से हम डरते नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रमाणित करूंगा सदन के अन्दर कि नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो ने जो लेटेस्ट फिगर 2021 के जारी किये हैं, राजस्थान हिन्दुस्तान में कहां खड़ा है, वह मैं निवेदन करूंगा। माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, हम देखें, राजू ठेहट, किस मुस्तैदी के साथ उसको गिरफ्तार किया गया और ओड़ा गांव में जावर माइन्स में विस्फोटक के जरिए जो लाइन उखाड़ने वाले थे, उसमें क्या पुलिस की प्रोएक्टिव परफोर्मेंस नहीं थी? इसके साथ ही एक पति ने बीमा का पैसा वसूल करने के लिए अपनी पत्नी और अपने भाई की हत्या कर दी, क्या पुलिस ने अपनी तत्परता से उसका पर्दाफाश नहीं किया? माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उदयपुर में कन्हैया लाल की गंडासों के साथ हत्या की, जिसके अनेक फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पूरे राजस्थान में प्रसारित हुए, क्या उसके नाम पर भी धर्म का रंग देकर इन्होंने राजनीति करने की कोशिश नहीं की? (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): पेपर लीक करने वालों का भी कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो है। (व्यवधान) वह भी बोलो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए, बैठिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): पेपर लीक करने वालों का फोटो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है, वह क्यों नहीं बोल रहे आप? आज भी पेपर में फोटो आई है पेपर लीक करने वालों की कांग्रेस के नेताओं के साथ ... (व्यवधान)

श्री सभापति: जब आप बोलते हैं तो हम इनको नहीं बोलने देते। जब ये बोल रहे हैं तो प्लीज सुनिए। (व्यवधान) सुनिए, सुनिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री की यह संवेदनशीलता का सुप्रीम उदाहरण नहीं था, वे स्वयं उसके निवास पर गये। इतना ही नहीं, उसके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी। क्या राजस्थान के 75 साल के इतिहास में हम कोई ऐसा दूसरा उदाहरण बता सकते हैं?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ये दुष्कर्म की बात करते हैं, 2018 में दुष्कर्म के 30.5 परसेंट मुकदमे कोर्ट के जरिए दर्ज

(श्री संयम लोढ़ा)

होते थे, आज वह आंकड़ा घटकर 14 परसेंट पर आ गया है। क्या यह पुलिस की जवाबदेही का सीधा प्रमाण नहीं है? माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, एसपी के आफिस में भी 336 मुकदमे अलग-अलग जगह पर दर्ज किये गये हैं और 18 मामलों में जब उच्च अधिकारियों के ध्यान में आया कि फरियादी का मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही की तो 18 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। यह एक जवाबदेह शासन का प्रमाण है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, हर वीडियो कांफ्रेंस में मुख्य मंत्री जी ने हमेशा साफ निर्देश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिये। जांच हो जायेगी, गलत पाया जायेगा तो एफआर हो जायेगी और अपराध होगा तो उस पर कार्यवाही होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से महिला अपराधों के लिए भी 2019 में नई यूनिट की स्थापना की गई। जघन्य अपराधों के लिए भी 2019 में नई यूनिट की स्थापना की गई। सभापति महोदय, जैसा मैंने आपको निवेदन किया 156 (3) के इस्तगासों में लगातार संख्या कम आई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, दो दिन पहले ही राजस्थान के गृह मंत्री रहे और राजस्थान की इस सर्वोच्च सदन के विधान सभा अध्यक्ष रहे कैलाश मेघवाल साहब का शाहपुरा से एक स्टेटमेंट आया था कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, बोलता है, पार्टी के भीतर भी बोलता है तो अगली बार उसका टिकट कट जाता है। यह आपकी असलियत है, जो 40 साल से आपकी पार्टी में व्यक्ति राजनीति कर रहा है, उसने पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की जनता को दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर अनुसूचित जाति का एक इतना बड़ा नेता कितनी घुटन महसूस कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, 2018 में एससी, एसटी के केसेज में जांच में 231 दिन लगते थे और 2022 में वह घटकर 76 दिनों पर आ गया, मतलब 76 दिनों में पुलिस उसका अनुसंधान पूरा कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से रेप के मामले में 2018 में 208 दिन लगते थे, वह अब 2022 में घटकर 67 दिन पर आ गया है। पुलिस में 2015 से ही केस आफिसर स्कीम चल रही है। केस आफिसर स्कीम में 2015-18 में सज़ा का 56 परसेंट था, वह बढ़कर 2019-22 में 61 परसेंट पर आकर खड़ा हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि

(श्री संयम लोढ़ा)

दुष्कर्म के मामलों में दो माह में निस्तारण का 2018 में 32 प्रतिशत था, वह 2022 में बढ़कर 42 परसेंट पर आ गया है। आईपीसी में बीजेपी की सरकार में उनके पूरे पांच साल के शासन में सज़ा का 52.83 प्रतिशत था, इस सरकार के कार्यकाल का 2019-21 का फिगर मेरे पास उपलब्ध है, सज़ा का प्रतिशत बढ़कर 57.33 हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि महिला अत्याचार में भी सज़ा का प्रतिशत 2016-18 में 38.56 था, वह बढ़कर 2019-21 में 46.07 परसेंट पर आ गया। क्या ये सारे आंकड़े यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि राजस्थान में पुलिस विभाग मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी वे दिन दूर नहीं हुए, वह कोरोना का समय था, क्या हालात थे? बाप, बेटे के हाथ लगाने से डर रहा था, बेटा, बाप के हाथ लगाने से डर रहा था। बाप मर गया तो बेटा उसकी अर्थी को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उस दौर में राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान के लोगों को अपनी जान पर खेल कर संभालने का काम किसने किया, कौन था वह? वह कांस्टेबल था जो कोरोना की उस प्रचंड आंधी के बीच में भी उस चौक पर बैठा हुआ था। हमें शुक्रगुजार होना चाहिये कि उनकी कर्मठता के कारण हम राजस्थान के हजारों लोगों का जीवन बचा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पुलिस ने राजकॉप सिटीजन एप के माध्यम से भी सीधे प्रकरण दर्ज करने की एक पहल की है। जनवरी, 2023 तक उस एप पर 15,79,695 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 12,88,865 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। इस तरीके से 81 परसेंट डिस्पोजल है। मैं कह सकता हूं कि यह एक सराहनीय काम है, जिसका इस सदन को समवेत स्वर से अनुमोदन करना चाहिये।

हम ही ने इस सदन में कहा था कि चूंकि नौकरियों का अभाव है, बहुत पढ़े लिखे लड़के भी कांस्टेबल होते हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। काबिलियत तो उनमें डीवाईएसपी बनने की भी है, सब इंस्पेक्टर बनने की भी है, लेकिन चूंकि अवसर सीमित हैं, वे अपनी प्रतिभा का वहां प्रयोग कर रहे हैं। उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, हम ही ने इस सदन में कहा था कि उनको जांच का अवसर देना चाहिये, उनसे मुकदमों की जांच करवानी चाहिये। मुझे खुशी है इस बात की कि राजस्थान पुलिस में दो वर्ष कारावास दंड के जो अपराध थे,

(श्री संयम लोढ़ा)

उसमें इन कांस्टेबलों को अनुसंधान के लिए अधिकृत किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया और एक नई पहल हमारे निचले स्तर की मशीनरी में उत्साह पैदा करने के लिए की गयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला अत्याचार में जांच के औसत दिन के फिगर आपको पढ़कर सुना देता हूं। 2019 में 138 दिन, 2020 में 135 दिन, 2021 में 102 दिन, 2022 में 72 दिन। दुष्कर्म में 2019 में 141 दिन, 2020 में 126 दिन, 2021 में 86 दिन, 2022 में 69 दिन। 4X6 पोक्सो में 2019 में 137 दिन, 2020 में 116 दिन, 2021 में 79 दिन, 2022 में 68 दिन। एससी, एसटी के मुकदमों में 2019 में 125 दिन, 2020 में 283 दिन, 2021 में 162 दिन और 2022 में 80 दिन। मैं समझना चाहता हूं, जब प्रतिपक्ष के मेरे साथी विचार रखें तो बताएं कि राजस्थान पुलिस का काम किस रूप में राजस्थान को पीछे की तरफ धकेल रहा है? हर बिन्दु पर लगातार उत्तरोत्तर बेहतर काम करने की राजस्थान पुलिस ने कोशिश की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, दिल्ली में निर्भया की घटना हुई, पूरा देश हिल गया था। पूरा देश इस बात से चिंतित था कि हमारी बालिकाओं की सुरक्षा का क्या हो और पूरे देश की भावनाओं के आधार पर नये कानून की संरचना की गई। माननीय सभापति महोदय, पोक्सो एक्ट में 2019 में राजस्थान में दो फांसी हुई। 117 लोगों को 20 साल से ज्यादा का आजीवन कारावास हुआ और इससे कम की सज़ा 284 लोगों को हुई। 2021 में 5 लोगों को फांसी हुई, 84 लोगों को 20 साल से ज्यादा का आजीवन कारावास हुआ और इससे कम की 129 लोगों को सज़ा हुई। 2022 में भी 5 लोगों को फांसी हुई, 20 वर्ष से ज्यादा का कारावास 209 लोगों को हुआ और इससे कम की सज़ा 209 लोगों को हुई। माननीय सभापति महोदय, किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र लगातार कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो), मर्डर में राजस्थान की आल इंडिया की रैंक क्या है? 2021 के फिगर आये हैं, 2022 के फिगर अभी नहीं आये हैं। राजस्थान की आल इंडिया रैंक 6 है। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, पहले नम्बर पर। बिहार दूसरे नम्बर पर, महाराष्ट्र तीसरे नम्बर पर। इसी तरह से जो

(श्री संयम लोढ़ा)

पैंडेंसी है, उसमें भी मर्डर में पैंडेंसी का नेशनल फिगर 38.9 परसेंट और राजस्थान का 19.6 परसेंट। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, राजस्थान की आल इंडिया में रैंक 9 है और पहले नम्बर पर कौन है, वेस्ट बंगाल है। दूसरे पर कौन है, बिहार। तीसरे पर कौन है, उड़ीसा। नेशनल लेवल पर पैंडेंसी का एवरेज 37.7 परसेंट और राजस्थान 21 परसेंट। Assault on woman with intent to outrage her modesty. इसमें राजस्थान कहां खड़ा है, चौथे नम्बर पर। पहले नम्बर पर कौन है, उड़ीसा। दूसरे पर कौन है, महाराष्ट्र। तीसरे पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। नेशनल एवरेज क्या है, 25.8 परसेंट। राजस्थान का पैंडेंसी का एवरेज 7.1 परसेंट है।

माननीय सभापति महोदय, रेप में पहले नम्बर पर कौन है? भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश, देश के अन्दर पहले नम्बर पर खड़ा हुआ है। यह जरूर है कि इसमें हम भी बहुत अच्छे नहीं हैं। हम उसके ठीक पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन पैंडेंसी का जो एवरेज है, उसमें नेशनल एवरेज 24.9 और राजस्थान का 10.4 परसेंट है। इसी तरीके से अटेम्प्ट टू कमिट रेप है, इसमें हम फर्स्ट हैं। हम हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर खड़े हैं। बंगाल दूसरे पर है, असम तीसरे पर और उत्तर प्रदेश चौथे पर है। हमारी एवरेज पैंडेंसी 8.1 परसेंट और नेशनल एवरेज 30.4 परसेंट है। मेरा आपको यही निवेदन है कि आईपीसी क्राइम है, उसमें हिन्दुस्तान में 7वें नम्बर पर राजस्थान खड़ा है। पहले नम्बर भाजपा-शिवसेना शासित महाराष्ट्र है। दूसरे नम्बर पर बुलडोजर सरकार उत्तर प्रदेश है और तीसरे पर तमिलनाडु खड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आप अन्वीक्षण पर देखेंगे तो भी राजस्थान बेटर है। एफआर में देखेंगे तो भी राजस्थान की स्थिति, एफआर राजस्थान में ज्यादा होती है। अप्रमाणित मुकदमे ज्यादा पाये जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने निर्बाध एफआईआर की छूट दी है और उसके कारण से कई मामले अप्रमाणित पाये जाते हैं। फिगर से डरना नहीं चाहिए। सभापति महोदय, जो सत्य होगा, वह सामने आयेगा। मैं सारे फिगर आपके सामने निवेदन कर सकता हूं, लेकिन सदन का समय सीमित है। इसी कारण से दूसरे सैक्शन के मुकदमे, जो कि अलग-अलग हैं, उनकी सारी जानकारी मेरे पास है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की मौजूदा सरकार पूरी तत्परता से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी जवाबदेही से राजस्थान के लोगों की सेवा कर रही है और पूरे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय परिदृश्य में राजस्थान की परफोर्मेंस कहीं बेटर है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान पुलिस को कई चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो चीजें हमने राजस्थान में विगत इतने समय में नहीं देखी हैं, वे सिर उठाने लगी हैं, वे दिखने लगी हैं। गैंगवार, कभी-कभार सुनाई देता था, लेकिन आज गैंगवार की जो प्रताड़ना है, वह व्यापक रूप से फैल रही है। बहुत लोगों को टेलीफोन जाते हैं, लोग मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करा पाते हैं। इस कारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान का डर रहता है। आपने स्पेशल आपरेशन ग्रुप बनाया था, उसका मूल कारण था आर्गेनाइज क्राइम को रोकना, लेकिन यह दूसरे बहुत सारे काम भी करने लग गया। कहीं जुआ चल रहा है तो वहां भी पहुंच गया। भइया, वहां पुलिस मौजूद है, जिले की पुलिस मौजूद है, डीवाईएसपी मौजूद है, जिस काम के लिए आपको खड़ा किया गया है, वह काम करो।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान पुलिस की एक और उपलब्धि है। मूसेवाला काण्ड, जिसका वाहन दिल्ली पुलिस से भी बरामद नहीं हुआ, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की पुलिस ने उसका वाहन बरामद किया है। यह बहुत बड़ी राजस्थान पुलिस को उपलब्धि है।

मैं आपको निवेदन करूंगा कि यद्यपि पिछले साल में साइबर थाने हर जिले में खोले गये लेकिन, माननीय सभापति महोदय, वे फंक्शनल नहीं हुए हैं। आज सबसे ज्यादा पीड़ित आदमी साइबर क्राइम से है। एक कोई मैसेज आता है, वह बाई-द-वे उस पर रिप्लाई कर देता है, अगले दस मिनट के अन्दर उसका पैसा निकल जाता है और राजस्थान पुलिस का सबसे कमजोर काम साइबर क्राइम के अन्दर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1,37,151 शिकायतें साइबर क्राइम की आयीं। 130 करोड़ रुपये की ठगी हुई है, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ रुपये की ही रिकवरी हुई है। अब अपराध का तरीका बदल रहा है। अब जो लोग गैंगवार कर रहे हैं, उनके क्या उपकरण हैं? उनका इंटरनेशनल नेटवर्क है। आप कहां खड़े हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह बाउंड्रीलेस क्राइम है। जिसको बिना संसाधनों के, बिना आधारभूत ढांचे के हम पार नहीं पा सकेंगे।

मैं यह भी विनती करूंगा कि कुछ चीजें पुलिस कर्मियों के लिए भी सोचनी चाहिए। इनका मैस भत्ता बढ़ाना चाहिए। मैं पंजाब का पढ़ रहा था। पंजाब में 13 डीजी हैं। 13 डीजी में 1993 बैच के सात हैं। क्या राजस्थान में आपने 1993 के बैच वालों को डीजी बना दिया है? मैं विनती करूंगा कि आप

(श्री संयम लोढ़ा)

इसका भी पुनर्गठन करें, ताकि जो लोग राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको भी इसमें अवसर मिलें। कोई जरूरी नहीं है, भारत सरकार का तो अपना तरीका है, पंजाब तो राजस्थान से भी छोटा स्टेट है, लेकिन वहां पर डीजीपी के पद अपने यहां से कहीं ज्यादा हैं। मेरी यह विनती रहेगी, दूसरा भी एक्स-कैडर, आईपीएस का इन-कैडर, आज एक एडिशनल एसपी को डीआईजी से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है तो उन्हें भी आईपीएस बनायें, थोड़ा सिस्टम को और ठीक करें। पैसा तो आप दे ही रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो नहीं आ रहा है, लेकिन वह वहां पर बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। पड़ोस के राज्य में क्या स्थिति है? वे कितने साल में बन जाते हैं? कितने साल में उनका प्रमोशन हो जाता है तो यह देखना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा। मुझसे पूर्व वक्ता ने भी एक अधिकारी का जिक्र किया, दिव्या मित्तल का। कम से कम यह तो बता दें कि वह किस दम पर यह कह रही थी कि तुम जाकर वहां पर जांच बदलने का परिवाद देंगे, वह जांच मेरे पास ही आयेगी। उसके इतने कांफिडेंस का कारण क्या है? वह तो राजस्थान के लोगों को और सरकार को बताना चाहिए। जब वे आरएसी में टोंक में थी, उसकी गैर हाजिरी का प्रकरण था। गैर हाजिरी का प्रकरण टोंक के डीआईजी द्वारा निस्तारित होना था। क्या कारण है कि वहां निस्तारित नहीं होकर एसओजी में निस्तारित हुआ? आप यह भी तो सदन को बतायें कि चंद सालों की नौकरी में उदयपुर में 50 कमरों का रिसोर्ट कैसे बना दिया? एक आईपीएस थे, लक्ष्मण गौड़ थे। उसके दलाल को गिरफ्तार किया। एसएचओ की शिकायत पर गिरफ्तार किया। वे लक्ष्मण गौड़ साहब रिटायर भी हो गये, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरीके की चीजें इसलिए करते हैं, इसमें आत्मलोचन करने की जरूरत पुलिस मुख्यालय को भी है और सरकार को भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा पेपर लीक का। कम से कम यह तो बतायें कि आरपीएससी का पर्चा लीक हुआ है। आरपीएससी का पर्चा कहां से लीक हुआ? यह तो बतायें। इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, यह हमें सब समझ में आता है लेकिन मूल पर्चा कहां से लीक हुआ, यह आज तक बताने की स्थिति में आप क्यों नहीं हैं? माननीय सभापति महोदय, अभी सब-इंस्पेक्टर के इंटरव्यू चल रहे हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

जोधपुर के एक कोचिंग सेक्टर ने सब-इंसपेक्टर परीक्षा में सलेक्टेड लड़कियों का मॉक इंटरव्यू लिया। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। वह यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हुआ। ऐसीऐसी लड़कियां सब-इंस्पेक्टर में सलेक्ट हुई हैं, जिनको यह नहीं पता है कि राजस्थान में कितने जिले हैं। आपने तय कर लिया है कि नकल करने वालों को ही भर्ती करेंगे, ब्लूटूथ कोटा से जो पेपर पास कर लेते हैं, उनको ही भर्ती करेंगे। कुछ तो व्यवस्था सुधारिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, भर्ती परीक्षाओं के संबंध में पिछली बीजेपी सरकार से इस सरकार का काम बेहतर रहा है। इस सरकार ने जो मुकदमे दर्ज हुए उन पर कार्यवाही की है। यह जरूर है कि हम सबकी भावना है, राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की भावना है कि पर्चे लीक नहीं होने चाहिए। किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन जितने मुकदमे इन तीन सालों में दर्ज हुए, आरपीएफ परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, 2019 से 2022 में हुई, चार्जशीट पेश हो गयी। कृषि सुपरवाइजर प्रतियोगी परीक्षा, चार्जशीट पेश हो गयी। आर्मी भर्ती परीक्षा, चार्जशीट पेश हो गयी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग (नान), चार्जशीट पेश हो गयी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 2019, चार्जशीट पेश हो गयी। बीएसटीसी भर्ती परीक्षा, 2019, वह अभी तक लम्बित है। क्यों है, मंत्री जी को बताना चाहिए। कर सहायक, रेडियोग्राफर व लैब टेक्निशियन भर्ती, 2020, एफआर, तथ्य की भूल से इसमें एफआर हुई है। जेईएन भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गयी। जेईटी परीक्षा, यह भी अभी पैंडिंग है। रीट भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गयी। इसमें 103 मुलजिम हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गयी। सीएचओ भर्ती परीक्षा, चार्जशीट हो गयी। हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम है, उसमें 22 लोग गिरफ्तार हुए परंतु चार्जशीट पेश नहीं हुई। आरएसईबी तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा, इसमें भी चार्जशीट हो गयी। मैं कह सकता हूं कि ...(व्यवधान) जो काम पुलिस को दिया गया है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप बता रहे हैं। आरोपी अभी भी पदों पर काम कर रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज, बैठिए। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं जेल पर संक्षेप में अपनी बात रखूं, उससे पहले दो बातें पुलिस पर और निवेदन करना चाहूंगा।

आदर्श सोसाइटी और संजीवनी सोसाइटी, लाखों लोगों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इसके अंदर डूब गया है। आज मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि जो पैसा उसमें दिखाया गया कि पेमेंट हुआ, पैसा X के पास गया, Y के पास गया, पैसा Z के पास गया, परंतु XY और Z से आगे कहां गया, यह आज तक स्पेशल आपरेशन ग्रुप पता नहीं लगा सका है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से 6 महीने पहले मिला। मैंने कहा कि यह पता लगाइए कि पैसा कहां गया है? जिस दिन स्पेशल आपरेशन ग्रुप यह पता लगाने में सफल हो गया कि वह अरबों रुपये, दलाली के नाम पर, सैलरी के नाम पर, 1,500 करोड़, 800 करोड़ और उन्होंने जो कपड़े के सैम्पल बांटे हैं मुफ्त में, उसके लिए जो पैसे दिये हैं, अगर वह मालूम पड़ गया तो पूरे देश को पता चल जाएगा कि इस घोटाले को संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको कि प्रधान मंत्री जी उदयपुर आये थे बीजेपी की सरकार के वक्त। मोहन भागवत, आरएसएस के चीफ भी आये थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं कि लिस्ट मंगवाना, 20-20 लोग अलग से उनसे मिले थे। प्रधान मंत्री से मिले थे, आदर्श सोसाइटी के प्रमुख का भतीजा भी इसमें एक था और मोहन भागवत से इस आदर्श सोसाइटी के घोटाले का मुख्य अभियुक्त मुकेश मोदी भी उन 20 लोगों में मिलने वालों में था। अगर सरकार पूरी सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती है तो उदयपुर के प्रशासन से उनकी आप डिटेल मंगवाइए, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि ये अरबों रुपया क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों एक नाकारा किस्म के आईएएस को, रिटायर्ड आईएएस को आपने वहां अहमदाबाद के अंदर लिक्विडेटर बनाकर बैठा रखा है। लोग उसको टेलीफोन करते हैं तो वह कहता है कि मेरे पास तो स्टाफ ही नहीं है। जान-बूझकर इसलिए बैठा रखा है कि इसमें किसी तरह की कार्यवाही न हो। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, इसमें कोई दलगत राजनीति की भावना नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों का पैसा भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को मिलकर के वापस दिलाने का प्रयास करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अब मैं जेल पर दो बातें निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में आप समाप्त करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिलकुल, साहब।

जेल का काम लगातार बेहतर हो रहा है। पहले जेल के अंदर जिस तरह के साधनों का उपयोग कैदियों द्वारा किया जाता था, अब जेल के स्टाफ के पास में वे तरीके हैं, वे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके जरिये वे पता लगा सकते हैं कि कौन आदमी कौन-से उपकरण का इस्तेमाल कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं जो स्थायी पेरोल है, वह भी आप देखेंगे तो लगातार हमारे जेल प्रशासन की बेहतर स्थिति है। समय पूर्व रिहाई, इसमें भी लगातार बेहतर स्थिति है। 2021 के अंदर रिकार्ड 654 कैदियों को समय से पूर्व रिहा किया गया। अब मंत्री जी जवाब दें तो बताना कि आप 654 से 2022 में 125 पर क्यों आ गये? किससे नाराजगी आपकी हो गयी। अब खुले बंदी शिविर जो 369 थे 2018 के अंदर, इसमें भी 2022 में बढ़कर के हम 662 पर आ गये हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरे भारत के अंदर 88 खुले बंदी शिविर हैं, जिनमें से 41 राजस्थान में हैं। राष्ट्र के आधे खुले बंदी शिविर राजस्थान के अंदर हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक बहुत मानवीय पीड़ा है। कांस्टेबल और जेल का प्रहरी, आज से 25 साल पहले दोनों की तनख्वाह बराबर थी लेकिन 1998 के बाद में उस जेल प्रहरी की तनख्वाह बहुत कम हो गयी। उस फ्रस्ट्रेशन में हर साल जेल प्रहरी नौकरी छोड़कर जाते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 18,200 से 57,900 का जो वेतनमान है, दिल्ली के अंदर 21,700 से 69,100 है, उत्तर प्रदेश में 21,700 से 69,100 है, महाराष्ट्र में 21,700 से 69,100 है। मैं आपको 21,000 करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज सदन में आप घोषणा करें कि इन जेल प्रहरियों को 20,800 से 65,900 का वेतनमान आप देंगे, जिससे वह भी कांस्टेबल के समान वेतन प्राप्त कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से उप कारापाल, राजस्थान में 28,700 से 91,300 का वेतनमान है, दिल्ली में 44,900 से 1,42,400 है, उत्तर प्रदेश में 44,900 से 1,42,400 है, महाराष्ट्र में 38,600 से 1,22,800 है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में भी आप उप कारापाल को 33,800 से 1,06,700 का वेतनमान दें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आखिर में निवेदन करूंगा कि 2019 में जो वरिष्ठ प्रहरी का पद आपने सृजित किया है, अभी तक उसका कोई लाभ नहीं मिला है। आप उस पद को खतम कीजिए और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा को पुलिस अधीनस्थ सेवा के समकक्ष कीजिए। इनके हार्ड ड्यूटी और जोखिम भत्ते में बढ़ोतरी कीजिए। बढ़े हुए वेतनमान का भी काल्पनिक लाभ 1998 से दीजिए।

एक अंतिम बात कहता हूं, आपने पिछले साल घोषणा की थी कि सारे थानों को इंस्पेक्टर थाने कर देंगे। क्या हुआ? आप पदोन्नति ही नहीं कर रहे हैं। जब आप पदोन्नति नहीं करेंगे तो ये सारे थाने, इंस्पेक्टर थाने कैसे बनेंगे? मैं आपसे विनती करूंगा कि पदोन्नति की प्रक्रिया को ठीक कीजिए।

एक बार पुन: राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री को राजस्थान की 7 करोड़ जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे प्राण प्रण से, पूरे स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को एक लीडरशिप दी और राजस्थान की जनता की सेवा करने में हम सफल हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-18, गृह विभाग और मांग संख्या-19, कारागार की डिमांड पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, चाहे कोई सरकार की कितनी भी तारीफ करे, परंतु यह बात सही है कि राजस्थान में धीरे-धीरे पुलिस का इकबाल कम होता जा रहा है। इसके बारे में जब तक हम गंभीरता से, चाहे अधिकारी पक्ष हो, चाहे इस सभा में बैठे हुए जितने भी माननीय सदस्य हों, जब तक सब मिलकर नहीं सोचेंगे, तब तक राजस्थान में पुलिस का जो इकबाल हुआ करता था, उसको कायम करना बड़ा मुश्किल रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री ही गृह मंत्री भी हैं पर ऐसा लगता है कि उनको खुद की सुरक्षा की ही चिंता है, राजस्थान की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि पुलिस अगर थोड़ी-सी मुस्तैद होती तो मैं यह कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर इन घटनाओं पर रोक लगायी जा सकती थी या इनमें कमी आ सकती थी।

(श्री प्रताप सिंह)

पहली घटना उदयपुर में कन्हैया लाल तेली की घटना हुई, उससे न केवल उदयपुर वरन् पूरा देश ही हिल गया, यह आप और हम सबके सामने है। दूसरी घटना, सरे आम जोधपुर में एक वकील की हत्या हुई। उस मामले में भी पूरे राजस्थान में किस प्रकार से वकीलों का गुस्सा था, वह हम सबने देखा। जोधपुर के जालौरी गेट पर साम्प्रदायिक दंगा हुआ। प्रदेश में जैसा कि अभी संयमजी बता रहे थे कि गैंगवार की घटनाएं आये दिन हो रही हैं। समाचार पत्रों में सुबह उठते ही सबसे पहले यही पढ़ने को मिलता है कि राजस्थान में फलां जगह पर दो गैंगों के बीच में गोली चली।

माननीय सभापति महोदय, सीकर में तो आपको खुद को मालूम है कि दो गैंगों के बीच में फायरिंग चली और एक बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए, जो कि वहां पर पढ़ती थी और हॉस्टल में रहती थी, उससे मिलने के लिए आया तो उस बेकसूर के गोली लगी। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस परिवार को पूर्ण संरक्षण दे और आर्थिक सहायता भी उस परिवार को पहुंचाने का कष्ट करे।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, करौली में नव-संवत्सर के दिन दंगा हुआ। छबड़ा में 11 अप्रैल, 2021 को दंगा हुआ, मुलजिम सरेआम घूमते रहे, किसी ने उनको पकड़ने की चेष्टा तक नहीं की, तो इस प्रकार की स्थिति हमारे यहां पर पुलिस की बनी हुई है। इसीलिए मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि धीरे-धीरे राजस्थान में जो पुलिस का इकबाल हुआ करता था, पुलिस का जो डर और भय हुआ करता था वह समाप्त होता जा रहा है।

इसी तरह आप भरतपुर के डीग में देखें कि अवैध खनन के मामले में संत श्री विजयदास को आत्मदाह करना पड़ा। हमारे प्रदेश के लिए यह शर्मनाक बात है कि एक साधु को अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़े।

इसी प्रकार से टोंक में पुलिस ने किसी के साथ मारपीट की और उसकी हत्या हो गयी। उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्यवाही करवाने के लिए पूर्व डी.जी.पी. और वर्तमान विधायक श्री हरीश चन्द्र मीना को वहां पर धरने पर बैठना पडा। यह भी हमारे लिए एक कलंक की बात है, जो कि पूरे राजस्थान को ही शर्मसार करने वाली बात है।

यही नहीं, अभी थोड़े दिन पूर्व ही, अभी पांच-सात दिन पूर्व ही मेरे कस्बे में, मेरे गांव में ही एक व्यापारी किशन सर्राफ के यहां 125 किलो चांदी

(श्री प्रताप सिंह)

की डकैती हुई। बीच बाजार में उसका घर है, ताले तोड़कर गोली चलायी, बंदूक चलायी या जो भी करा, वह करके उसकी 125 किलो चांदी वहां से लेकर गये। पुलिस ने पीछा करके उसमें से कुछ तो बरामदगी की है, उसके लिए तो मैं पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, पर किसी एक सर्राफ की 125 किलो चांदी चला जाना, मैं समझता हूं कि उससे उसका पूरा घर और परिवार ही बैठ गया है। इस पर पुलिस की एक पूरी टीम बनाकर, चाहे आप वह जयपुर से भेजें या रेंज स्तर पर बने, और इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पारदियों को पकड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिफाई हुए हैं वे सब पारदी हैं, पारदियों को पकड़ने के लिए कुछ ऐसे उपाय करें कि उस व्यापारी को उसकी पूरी चांदी मिल सके, मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं।

बजरी माफियाओं के बारे में आपको मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजरी माफिया और जो भी कोई गलत काम होते हैं, ये बिना पुलिस के संरक्षण के और बिना पुलिस की जानकारी के नहीं हो सकते। जब आपने बीट प्रभारी, हर बीट पर पुलिस के कांस्टेबल लगा रखे हैं, हर गांव की जिम्मेदारी दे रखी है, तो मैं यह समझता हूं कि उनसे बिना छिपे, उनकी बिना जानकारी में आये इस प्रकार का काम नहीं हो सकता है। साथ ही साथ यह जो गोरखधंधा चल रहा है इस इल्लीगल माइनिंग का, यह पुलिस के बिना नहीं चल सकता और साथ ही सरकार को भी राजस्व का करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ताकि इस पर भी रोक लग सके।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, यहां पर नशे का व्यापार बहुत ही तेजी से फैल रहा है और जयपुर भी उससे अछूता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि सिविल लाइन्स में जहां पर मुख्य मंत्री निवास करते हैं उसके एक किलोमीटर रेडियस में ही देखें तो आपको वहां पर गांजा पीने वाले भी मिल जाएंगे, हुक्का-बार भी मिल जाएंगे, शराबी भी मिल जाएंगे, स्मैक पीने वाले भी मिल जाएंगे और धड़ल्ले से डांस-बार चलता है, नाच-गाना भी चलता है, सब प्रकार के काम वहां पर होते हैं। जहां पर मुख्य मंत्री रहते हों और मुख्य मंत्री के एक किलोमीटर के रेडियस में, जहां मुख्य मंत्री का निवास हो, राज्यपाल वहां पर रहते हों, सारे मंत्री वहां पर रहते हों, वहां पर इस प्रकार की कार्यवाही हो तो मैं यह समझता हूं कि इससे शर्मनाक बात हमारी पुलिस के लिए नहीं हो सकती और वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके लिए नहीं हो सकती। इसलिए इस पर ध्यान दें। यह खाली सिविल लाइन्स का ही मामला नहीं है,

(श्री प्रताप सिंह)

माननीय सभापति महोदय, आप जयपुर के बाहरी एरिया को भी देखें तो जयपुर के बाहरी इलाके में भी इस प्रकार के रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, इस प्रकार के हुक्का-बार चल रहे हैं और वहां पर सब तरह के अवैध धंधे हो रहे हैं, तो इनको रोकने की कोशिश करें। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, कोटा में कोचिंग के छात्र बड़ी संख्या में हैं। करीबन ढाई-तीन लाख छात्र पूरे हिंदुस्तान से वहां पर पढ़ाई के लिए आते हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कोटा में छात्र-छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वहां पर ड्रग्स भी बहुत बिक रहा है। आपको वहां पर इस प्रकार की कोई पालिसी बनानी चाहिए कि जिससे छात्रों का शोषण नहीं हो। बच्चियां शर्म के मारे बता नहीं सकतीं। यहां तक कि हॉस्टल संचालक उनका शोषण करते हैं, उनके टीचर उनका शोषण करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले उनका शोषण करते हैं, पर आज तक किसी पर कार्यवाही होते हुए नहीं देखा। इसलिए मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि कोटा, जो कि राजस्थान में दूसरे नम्बर का शहर है, आज आबादी के हिसाब से जोधपुर के बराबर का शहर कोटा बन गया है, जोधपुर की आबादी भी 15 लाख 70 हजार है और कोटा की आबादी भी 15 लाख 70 हजार है। ये बच्चे जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, वे अलग हैं। अगर इनका शोषण नहीं रोका तो कोटा के जो मूल निवासी हैं उनको खाने की भी प्रोब्लम हो जायेगी, क्योंकि वहां पर जो इंडस्ट्रीज थीं तो इंडस्ट्रीज तो सब खतम हो गयीं और वहां के लोगों का रोजगार, कोटा के लोगों का रोजगार इस कोचिंग पर ही टिका हुआ है, तो इसलिए इस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की कोशिश करें।

दूसरा, आपने स्वागत कक्ष बनाये हैं और हम सब एम.एल.एज. से भी पैसे लिए हैं। साढ़े सात-सात, आठ-आठ लाख रुपये लिए हैं। कलेक्टर, एस.पी. या डिप्टी एस.पी. कह दें या आई.जी. कह दें तो इतनी-सी बात तो उनकी हम भी रखते हैं कि उन्होंने कहा है तो चलो दे दो, पर स्वागत कक्षों की आज किस प्रकार की हालत है? वहां पर कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं है, न वहां पर कोई पैन है, न कोई कागज है। स्वागत कक्ष इसलिए बनाये गये थे कि फरियादी के साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा; कोई मारपीट नहीं की जायेगी, कोई गाली-गलौज नहीं किया जायेगा पर वहां पर किस प्रकार की स्थिति इन स्वागत कक्षों की बनी है, इसको आप चैक करवाएंगे तो आपको खुद को ताज्जुब होगा कि वहां पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं।

(श्री प्रताप सिंह)

यही नहीं, आपने हर गांव में पुलिस मित्र बनाये हैं। उसमें ज्यादा बात तो मैं मेरे क्षेत्र और जिले की कह सकता हूं। ज्यादातर या तो वे क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल नहीं हैं तो उनके पुलिस मित्र बनने के बाद, पुलिस को एक हथियार मिल गया दलाली करवाने का। मान लीजिए अगर कोई आदमी गलती करता है तो उसके माध्यम से पैसे का लेन-देन होता है, तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, ट्रैफिक के मामले में किस प्रकार की स्थिति है? ट्रैफिक का आप जिक्र करें तो जयपुर में आप बड़ी चौपड़ से अगर सिविल लाइन्स आना चाहें तो एक घंटे का समय लगता है। इस प्रकार की स्थिति हो गयी है। इसलिए जयपुर सहित जितने भी बड़े शहर हैं अगर वहां पर हमने ट्रैफिक की अभी से चिंता नहीं की तो हमको आगे जाकर और भी कई प्रकार की परेशानियां देखनी पड़ेंगी।

100 नम्बर डायल है, उसकी तो स्थिति ही इस प्रकार की है कि कोई उठा ले तो भगवान ही मालिक है। नहीं उठाये तो भी चलता है और उठा भी ले तो इस प्रकार के जवाब मिलते हैं कि दुबारा डायल करने की कोई हिम्मत ही नहीं करता है। आप वहां पर कम से कम कोई तमीज वाला आदमी तो बैठाओ कि वह फोन तुरंत उठा ले। इस प्रकार की स्थिति तो आप कर सकते हैं। अभी संयमजी बता रहे थे कि पीएच.डी. और पी.जी. किये हुए लड़के आजकल कांस्टेबल बन रहे हैं, तो आप उनमें से किसी को बैठा दें, आठवीं पास को नहीं बैठायें, जो कम से कम जवाब तो सही ढंग से दे दे। आप यह भी सुनिश्चित करें कि पुलिस लाइन पर या हैल्प लाइन पर अगर 100 नम्बर पर किसी ने फोन किया तो पुलिस भी एक सीमित समय में, चाहे वह 15 मिनट में पहुंचे, 20 मिनट में पहुंचे, इस प्रकार का आप आदेश प्रसारित करें कि वह समय पर पहुंचे।

यही नहीं, मुकदमों में फ्री रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सीसीटीएनएस की पूरे राजस्थान में जो रिपोर्ट दर्ज होती हैं, उन सबका रिकार्ड वहां पर आता है। आप पता कर लें कि कितने मुकदमे अदालत के मार्फत थानों में दर्ज होते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 30 परसेंट मुकदमे अदालतों से 156(3) के जरिये आज भी दर्ज हो रहे हैं तो फिर फ्री रजिस्ट्रेशन की सरकार कैसे बात कर सकती है?

(श्री प्रताप सिंह)

दूसरी बात यह है कि अगर थानेदार किसी तफ्तीश में गया है तो एएसआई या सैकण्ड आफिसर फरियादी को बैठा देता है। अगर थानेदारजी शाम तक नहीं आयेंगे तो तब तक फरियादी को भूखा प्यासा बैठा दिया जाता है। न तो उसकी कोई रिपोर्ट लिखी जायेगी और न उसका किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया जायेगा। यह किस प्रकार की स्थिति है?

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): ये सब बातें आपके ध्यान में लाना चाहता था।

सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीसीटीवी कैमरों की बात हुई। सीसीटीवी कैमरे या तो ज्यादातर खराब मिलते हैं या उनकी स्टोरेज क्षमता कम है क्योंकि सरकार तो लगा नहीं रही है, डोनेशन के माध्यम से पुलिस आफिसर अपनी कोशिश करके लगाते हैं। उनकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी कम है कि पता नहीं लग पाता कि कौन क्या कर रहा है, थानों के अन्दर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस में 9-18-27 का मामला है। 9-18-27 के हिसाब से कार्मिकों को तनख्वाह तो मिलने लग जाती है लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होता है, जिससे उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अफसर तो जुगाड़ बैठाकर अपना प्रमोशन करवा लेते हैं और जो कांस्टेबल से थानेदार बनना चाहता है उसकी स्थिति किस प्रकार की होगी, यह आप सोचें और उस पर विचार करें। डीपीसी भी टाइम पर हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें। आरक्षी का ग्रेड-पे 2,400 रुपये है, उनकी लगातार सक्षम स्तर पर मांग रही है कि इस ग्रेड-पे को बढ़ाया जाये। जिस प्रकृति और परिस्थिति में वे काम करते हैं, सबको पता है। इसलिए उनकी ग्रेड-पे 2,400 रुपये से बढ़ा कर 3,600 रुपये करवा दी जाये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

एक मजेदार बात करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे क्षेत्र में और मनोहर थाना में एक थानेदार हरनावदाशाहजी में लगा हुआ था रामस्वरूप मीणा। वह अभी सस्पैण्ड होकर जोधपुर में लाइन में लगा हुआ है। उसने देवरीभान के एक आदमी से पांच लाख रुपये लिए। खड़िया के एक आदमी से लिए तीन लाख पचास हजार रुपये और महुवा खेड़ा, मनोहर थाना के भूरीलाल लोढ़ा से 25 लाख रुपये लिये। इसकी जांच डीवाईएसपी ने की। डीवाईएसपी ने इसको प्रूव नहीं किया और बता दिया कि यह पूरा का पूरा मामला असत्य है,

(श्री प्रताप सिंह)

बेकार है, मिथ्या है। फिर मैं पूर्व डीजीपी साहब से मिला। यहां से जांच करवायी गयी तो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको सस्पेण्ड करके वहां क्यों लगाया जा रहा है? उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री सभापति: थैंक यू। कृपया समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय।

यह अंकित करने वाली बात है। सारोला थाना, झालावाड़ में एक प्रभु लाल रैवारी है। उसने एक असत्य 265/22 मुकदमा दर्ज कराया। एक गरीब आदमी ने अपनी औरत के जेवर रख कर दस हजार रुपये सारोला के थानेदार को दिये। शिकायत हुई। उसके बाद आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि आपके और हमारे तो कोई लाख रुपये ले ले, दस लाख रुपये ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वह गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा है, उससे दस हजार रुपये ले लिए जाएं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात पुलिस के लिए कुछ नहीं हो सकती। होम सेक्रेटरी साहब यहां विराजमान हैं, डीजी साहब तो यहां हैं नहीं, मैं निवेदन करूंगा कि सारोला थाने के इस मामले को निश्चित रूप से दिखवायें और उस गरीब के दस हजार रुपये वापस दिलवायें।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गणेश घोघरा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

'इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और,
या इसमें रोशनी का करो इन्तजाम और।'

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सूचना

पुलवामा घटना की वीरांगनाओं का विधान सभा के बाहर धरना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इनफोर्मेशन। विधान सभा के गेट नम्बर 6 पर पुलवामा घटना में जो शहीद हुए थे, उनकी छह वीरांगनाएं राज्य सभा के सांसद डा. किरोड़ी लालजी मीणा के साथ धरने पर बैठी हुई हैं। राज्य सरकार ने इन वीरांगनाओं के लिए पैकेज की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घोषणा की थी। उस पैकेज के अनुसार पैसा मिला नहीं। यह बहुत संवेदनशील मामला है। मैं सनसनी फैलाना नहीं चाहता। आप आसन की तरफ से सरकार को निर्देशित करें। वीरांगनाओं का धरने पर बैठना हमारा अपमान है, उनकी शहादत का अपमान है। इसलिए उनको बुला कर बात करें, ताकि धरना समाप्त हो।

श्री सभापति: सरकार की नोटिस में आ गया।

श्री गणेश घोघरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इनको कहो। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अपनी सीट पर जायें। ये एक्टिंग गृह मंत्री के रूप में बात कर रहे हैं। वहां से कमेन्ट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही लिख रहा हूं। यह क्या हालत है? आज कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर यहां बहस चल रही है। राजस्थान का अवाम देख रहा है। इतनी गम्भीरता नहीं है। पहली बार के जीते हुए माननीय सदस्य बैठे हुए हैं गृह मंत्री की सीट पर। इनको भेजिए अपनी सीट पर। हम काहे के लिए बात करें फिर?

श्री सभापति: मंत्रीजी तो बैठे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये नोट करेंगे? इनको अधिकार दिया है? सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान प्रक्रिया नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर इस प्रकार की बात हो गयी कि बिना संवैधानिक शपथ लिए हुए कोई भी माननीय सदस्य ट्रेजरी बैंच की ओर मंत्रियों की कुर्सी पर बैठ कर यह कहेगा कि मैं लिख रहा हूं, यह हमारा अपमान है।

श्री सभापति: एक मिनट, मैं निवेदन करता हूं।

देखिए, बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। अब जो भी 'इस पक्ष' के या 'इस पक्ष' के बोलने वाले हैं उनमें से दो माननीय सदस्य सचेतक से संबंधित हैं, उनको ज्यादा दिया है, बाकी के लिए दस-दस मिनट हैं। आठ मिनट पर मैं घंटी बजाऊंगा या बोलूंगा और दो मिनट में उनको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आज की लिस्ट बहुत लम्बी है। थैंक यू। आप शुरू करिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह व 19-कारागार पर विचार

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18 एवं 19 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री गणेश घोघरा)

हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान के हर थाने में एक स्वागत कक्ष बनवाया। हमारे विपक्ष के साथी अभी कह रहे थे कि वहां स्वागत कक्ष बनाया गया है, उसकी कोई देखरेख नहीं होती है, वहां कोई झाड़ू नहीं निकालता है, कोई पानी नहीं रखता है। जहां तक मेरा मानना है, उस स्वागत कक्ष में गांव से जो गरीब आदमी आता है जो धूप में बैठता था, अब वहां जाकर अपनी परिवेदना दे सकता है और वह वहां सम्मानपूर्वक बैठता है। उनकी एफआईआर भी लिखी जा रही है, इसलिए विपक्ष का काम है बुराई करना, भले ही सरकार अच्छा काम कर रही हो। पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। अब मुकदमों में वृद्धि हुई है। अब एसपी आफिस से भी एफआईआर लिखी जाती है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है।

मैंने गड़ा मोरैया और काकरा दर्रा के लिए चौकियों की मांग की थी। मैंने पांच चौकियों की मांग की थी, जिसमें से गड़ा मोरैया और काकरा दर्रा पुलिस चौकी सीएम साहब ने खोल दी है, उसके लिए मैं सरकार और सीएम साहब का मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही शेरावाड़ा, बलवाड़ा, सतीरामपुर में चौकी खोलने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक आम व्यक्ति पुलिस में विश्वास देखता है, न्याय देखता है। एक उम्मीद होती है गरीब की कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा और मुझे न्याय मिलेगा, मुझे सुरक्षा मिलेगी, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अमीर और पैसे वाले की सुनी जाती है और गरीब की नहीं सुनी जाती है। मैं एससी और एसटी की बात करना चाहूंगा। देश को आजाद हुए इतने साल हो गये, फिर भी एससी और एसटी के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। चाहे जैसलमेर देख लो, चाहे बाड़मेर देख लो, जालौर देख लो, झालावाड़ देख लो, भले ही राजसमन्द देख लो, हमारे साथ आज भी अन्याय हो रहा है। आज भी हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम कौनसे भारत में रह रहे हैं। यहां सब बातें करते हैं। हिन्दू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं। हम सब एकता की बातें करते हैं लेकिन आज भी थानों में एससी और एसटी के सिपाही, हैड कांस्टेबल और थानेदार हैं, उनको हीन भावना से देखा जाता है। उनको काम नहीं करने दिया जाता है। अगर एस.सी., एस.टी. का अफसर या कर्मचारी कोई अच्छा काम करता है, उसको बदनाम किया जाता है। अच्छा

(श्री गणेश घोघरा)

काम किया तो मैडल बड़े अफसर को मिलता है और अगर बुरा काम हुआ या कुछ आफत आ पड़ी तो वह छोटे कर्मचारी और छोटे अधिकारियों पर डाला जाता है। यह सिस्टम चल रहा है।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, आज ऐसे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, मैं सभी विभागों की बात कर रहा हूं, प्राचीन काल में जिस तरह से एकलव्य को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी तरह से आज भी उस एकलव्य को, एस.सी., एस.टी. के एकलव्य को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आज भी उनमें प्रतिभा है, आज भी उनमें जुनून है, लेकिन उनको बड़े अफसरों के सामने बदनाम किया जाता है। यह चोर हैं, ऐसे किया जाता है। क्यों भाई? एस.सी., एस.टी. के अधिकारी और कर्मचारी चोर हैं, दूसरे सब क्या दूध के धुले हुए हैं? इस तरह से आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा अन्याय नहीं हो, सरकार इस पर ध्यान देवे, अमल करे और ऐसी जातिगत भेदभाव की भावना जो थानों में हो रही है, उसको रोका जाये।

माननीय सभापति महोदय, मुझे समय कम दिया गया है। मैं कहना तो काफी कुछ चाहता हूं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, पर मेवाड़ भील कोर, जो भीलों की एक बटालियन थी मेवाड़ भील कोर, 1841 में उसकी स्थापना की गयी थी। वहां के लोग, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की संस्कृति, वहां के रीति-रिवाजों के हिसाब से उस बटालियन की स्थापना की गयी थी। वहां के जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनको उस बटालियन में लिया जाता था, परंतु आज धीरे-धीरे उस मेवाड़ भील कोर बटालियन को खतम किया जा रहा है। आज जनसंख्या के आधार पर उसमें भर्ती होनी चाहिये, लेकिन अब खाली मेवाड़ भील कोर नाम रह गया। उसमें हमारे एस.टी. के बहुत ही कम बच्चे लिए जा रहे हैं। इस बटालियन के ज्यादातर परिवार डूंगरपुर में रहते हैं, बांसवाड़ा में हैं, उदयपुर में हैं, चित्तौड़गढ़ में हैं, लेकिन मेवाड़ भील कोर की बटालियन का मुख्यालय अभी कुछ समय पहले जालौर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जो किया गया है उस आदेश को निरस्त करें और उदयपुर, डूंगरपुर, खेरवाड़ा यथावत उनको वहां

(श्री गणेश घोघरा)

पर रखा जावे। यह मैं सरकार से मांग करता हूं, मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं। आज इनके परिवार दुखी हैं। इनके बच्चे, परिवार सबसे अलग हो गये हैं, सबसे दूर हो गये हैं। वे भी एक इंसान हैं, वे भी हमारी सुरक्षा करते हैं, इनका जो बाहर आदेश किया है, वह वापस खेरवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर यथावत यह बटालियन स्थापित की जाये, यह मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेवाड़ भील कोर जो बटालियन है, जैसे राजपूत बटालियन होती है, सिक्ख बटालियन होती है, सबकी अलग-अलग बटालियन होती है, लेकिन हमारी भीलों की जो एम.बी.सी. बटालियन है, उसमें भी अगर हमारे लोग नहीं लिए जा रहे हैं, तो माननीय सभापति महोदय, हमारे साथ यह अन्याय नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? मैं मांग करना चाहूंगा कि इसमें जनसंख्या के आधार पर, पहले 80 या 87 प्रतिशत हमारे जो एस.टी. भील थे, उनको लिया जाता था। वापस उसी तर्ज पर एम.बी.सी. में भर्ती निकालें और हमारे जो बच्चे हैं, उनको उसमें लगाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में बाहर के जो अधिकारी लगाये हुए हैं टी.एस.पी. क्षेत्र का एक अलग कानून बना हुआ है कि नोन टी.एस.पी. का अधिकारी या कर्मचारी टी.एस.पी. क्षेत्र में नहीं आ सकता है, तो फिर यह वहां पर कैसे आ रहे हैं? हमारे वहां पर थाने में टी.एस.पी. का ही आदमी लगना चाहिये, टी.एस.पी. का ही हैड कांस्टेबल, सिपाही लगना चाहिये। आज मेरे जिले में 10 थाने हैं। उन 10 थानों में एस.टी. का कोई भी थानेदार नहीं है, एस.सी. का कोई भी थानेदार नहीं है। क्यों? हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है? हमारे लोग नहीं लगने चाहिये? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि हमारे थानों में जनसंख्या के आधार पर थानेदार लगाये जाएं, चौकियों पर हैड कांस्टेबल लगाये जाएं और सिपाही भी लगाये जाएं। यहां से आने वाले नोन टी.एस.पी. क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, जो सिपाही या हैड कांस्टेबल हैं, वे हमारी स्थानीय भाषा को नहीं समझते हैं, उनके रीति-रिवाज नहीं समझ पाते हैं। वहां के लोग लिख भी नहीं सकते, हमारे वहां अनपढ़ लोग हैं। वहां पर शिक्षा की कमी है, वह अपनी वागड़ी भाषा में उस अधिकारी को समस्या बतायेंगे, लेकिन वहां पर जो बाहर का नोन टी.एस.पी. का अधिकारी है, वह उसे समझ नहीं पायेगा तो उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी? माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि टी.एस.पी. के अधिकारी और कर्मचारी उन संबंधित थानों पर लगाये जायें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. एरिये का, आदिवासी एरिये का, मैं पहली बार आया हूं तो मुझे बोलने दिया जाये। आप ही नहीं बोलने देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी भावना तो समझो कम से कम।

श्री सभापति: कन्टीन्यू प्लीज, कन्टीन्यू।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): दूसरों को बोलने दे रहे हैं तो हमको तो समय दो। आज तक हम आदिवासियों को आगे आने ही नहीं दिया। पीछे ही रखा, हमको बोलने ही नहीं दिया तो आदिवासी कहां से आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग, जो निर्दोष लोग थे, उन पर आज मुकदमा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनमें कुछ थर्ड ग्रेड टीचर हैं कुछ सैकण्ड ग्रेड टीचर हैं, वे रेगुलर जा रहे थे। उनकी लोकेशन देखकर उन पर मुकदमा कर दिया और जो वास्तव में गुनहगार व्यक्ति थे, उनको छोड़ दिया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी सी.बी.आई. जांच होनी चाहिये। जो भी काकरी डूंगरी प्रकरण कराने वाले इनके नेता थे, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और जो निर्दोष लोग हैं, उन पर लगे हुए मुकदमे वापस लिए जाएं, यह मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा टी.एस.पी. क्षेत्र आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र है। अभी होली का त्योहार आ रहा है। इस समय हमारे यहां ढूंढोत्सव भी होता है। उसके बाद हमारे यहां कई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। जो हमारे वहां का व्यक्ति होता है, वह सांस्कृतिक प्रोग्राम में, हमारी परम्परा है, रीति-रिवाज है, कल्चर है, सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए उसमें एक-दो बोतल या तीन लीटर शराब रखता है, लेकिन पुलिस वाले उस दो बोतल के लिए 10 बोतलों का मुकदमा लगाते हैं। जो अंग्रेजी शराब की दुकान टी.एस.पी. क्षेत्र में है, मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो अंग्रेजी शराब की दुकानें बद कराएं, उसके बाद हम आटोमैटिक बंद कर देंगे। अंग्रेजी शराब हमारे यहां से गुजरात जा रही है, वहां पर कोई अफसर नहीं रोक रहा है, वहां पर कोई पुलिस नहीं रोक रही है, लेकिन जो गरीब है, वह अपने सांस्कृतिक कल्चर के लिए दो-तीन लीटर शराब घर में रख रहा है, उसके खिलाफ असत्य मुकदमा बनाया जा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मैं दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति: समय हो गया आपका, समाप्त कर दीजिये आप।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मेरे अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं। दो मिनट और लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक सिरोही का मैटर है कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील का, इसके साथ अन्याय हुआ है। कई दूसरे समुदायों ने इसके साथ मारपीट की। इस कारण उनको धरने पर बैठना पड़ा। यहां के दो एम.एल.एज. को भी धरने पर बैठना पड़ा। यह स्थिति है कि आज भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। लोग उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इस कारण से उससे मारपीट की गयी और इस कारण अहमदाबाद में कहीं जाकर उसकी मृत्यु भी हो गयी। चार-पांच दिन बाद उस लाश को जलाया। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कार्तिक भील के साथ न्याय होना चाहिये। उसके परिवार को मुआवजा दिलाया जाना चाहिये और उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को, आज उसके दो-तीन छोटे बच्चे हैं, सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाये, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज भी एस.सी., एस.टी. के साथ अन्याय हो रहा है। वह तो मैं समझ पाता हूं, क्योंकि हमारा कुछ भी काम नहीं होता है। हम कितना भी बोलें, कितना भी चिल्लायें, लेकिन आज भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज इस देश में जब हम कहते हैं कि छुआछूत नहीं है, आज भी छुआछूत है, आज भी जातिगत भावना है, ऐसी हीन भावना रखते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में शेरावाड़ा है, बोखला है, सतिरामपुर है, बलवाड़ा है, घूघरा है, साबली है, यहां पर पथराव होता है, यहां पर गश्त बढ़ायी जाये और जो-जो मैंने मांगें की है, वह पूरी की जाएं, यही कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, सदन में इतनी गंभीर चर्चा हो रही है और एक मंत्री उपस्थित है। आप सरकार को हिदायत दीजिये कि यहां सदन में इतना गंभीर विषय, कानून और व्यवस्था का है और केवल एक मंत्री उपस्थित है सदन में।

श्री सभापति: ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है and the ministry is here in the House. आप बोलिये प्लीज।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे गृह और कारागार पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। वर्तमान में प्रदेश में कानून-व्यवस्था के जो हालात हैं और जिनकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार, जिसके मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब, उनके पास गृह मंत्रालय है। मुझे कहते हुए दुःख है कि प्रदेश में वर्तमान में लॉ एण्ड आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त नजर आता है और आम-अवाम अपने आपको सुरक्षित और महफूज नहीं समझ रहा। जिस तरीके से प्रतिवर्ष अपराधों के आंकड़ों के ग्राफ में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, अभी हमारे माननीय विधायक संयम जी कह रहे थे, यदि वे एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों को देखें तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, हमारा यह प्रदेश भारत के उन राज्यों में आने लगा है जो आपराधिक गतिविधियों के लिए बदनाम हैं, कुख्यात हैं। वर्ष 2018 से दिसम्बर, 2022 तक प्रदेश के अपराधों में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह आंकड़े एनसीआरबी के हैं। जहां 2018 में 1,70,117 मुकदमे दर्ज हुए वहीं दिसम्बर, 2022 में बढ़कर 2,39,459 मुकदमे हो गये।

आज महिला अपराधों, शोषण, बलात्कार के मामले में पूरा राजस्थान और राजस्थानवासी शर्मसार हैं। राजस्थान में गत सरकार की तुलना में 2018 के बाद से महिलाओं से बलात्कार एवं हत्या के प्रकरणों में दिसम्बर, 2022 तक जो अपराधों में वृद्धि हुई है, उसका प्रतिशत 92.73 है। आज बलात्कार के मामलों में पूरे देश में राजस्थान अव्वल है। राजस्थान में 2018 के बाद से दिसम्बर, 2022 तक महिलाओं से बलात्कार, छेड़छाड़ एवं हत्या के 7,945 प्रकरण दर्ज हुए। यह भी सम्पूर्ण देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में दर्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश की राजधानी जयपुर बलात्कार में नम्बर 2 पर है, जिसमें 502 प्रकरण दर्ज हुए। दिल्ली के बाद दूसरे नम्बर पर यह हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर है।

प्रदेश में आज कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं, उससे लगभग प्रत्येक जिले में महिलाओं के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। पुलिस द्वारा महिलाओं के लगभग 50 प्रतिशत मामलों में एफआर लगा दी गयी। यह मैं नहीं कहता, यह दैनिक

(श्री संदीप शर्मा)

भास्कर ने जो पड़ताल की, उससे सामने आया है कि ऐसी महिलाएं जो बयान नहीं दे पायीं अथवा गवाही नहीं मिली, पीड़िता की लोकेशन नहीं मिली, ऐसे सारे अपराधों के प्रकरणों पर एफआर लगा दी गयी। अगर पुलिस चाहती तो अन्य साक्ष्यों को लेकर चालान पेश कर सकती थी, गुनहगारों को जेल पहुंचा सकती थी।

इसी प्रकार से राजस्थान पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर एक खबर छपी, जिसमें है कि 01 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2022 के बीच राज में मासूम बालक एवं बालिकाएं, जिसको हम पाक्सो एक्ट कहते हैं, लगभग 6467 मामले दर्ज हुए जिनमें से 1,350 में पुलिस ने एफआर लगा दी। इससे अधिक असंवेदनशीलता क्या हो सकती है? इतनी असंवेदनशील हमारी राजस्थान की सरकार है। खुले आम डकैती, चाकूबाजी, साइबर अपराध, बीकानेर में नकली नोटों की सप्लाई; सीकर, जयपुर में भी ऐसे गिरोह सक्रिय हैं। माफियाओं ने पूरे राजस्थान में आतंक मचा रखा है। चाहे भूमि माफिया हों, रेत के माफिया हों, खान माफिया हों, सरकार के संरक्षण में पनप रहे हैं। सरकार पूरा वरदहस्त देकर उनका सहयोग कर रही है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर में जिस तरीके से एक अधिवक्ता श्री जुगराज चौहान की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गयी, आज प्रदेश की विषम परिस्थितियों में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की आवश्यकता है। सरकार का स्वयं का यह जन घोषणा-पत्र है, उसमें यह वादा है और सरकार ने उसे आज 4 साल बाद भी पूरा नहीं किया है। यह एक बड़ी जायज मांग है, जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। विधान सभा में इस एक्ट को पारित कराना चाहिए।

सभापति महोदय, कोटा शहर में अपराध चरम पर हैं। कोटा शहर का स्थान राजस्थान के टॉप आपराधिक शहरों में आ रहा है। राजस्थान में दर्ज 259 चाकूबाजी की घटनाओं में से अकेले कोटा शहर में 110 घटनाएं हुई हैं। कोटा शहर की पुलिस का ध्यान कभी सरेआम लहराती तलवारों की तरफ नहीं जाता, चाकूबाजी की घटनाओं की तरफ नहीं जाता, नशे की बढ़ती हुई बिक्री की तरफ नहीं जाता। शिक्षण संस्थान होने के कारण जगह-जगह गुमटी लगाकर के नशे की बिक्री हो रही है। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर किसी धार्मिक पर्व या त्यौहार

(श्री संदीप शर्मा)

पर कोई आयोजन कराना चाहे तो पूरा का पूरा ज़ाब्ता आकर के खड़ा हो जाता है। उसके चलते भजनों को बंद करना चाहता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है।

आज जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की आग में राजस्थान को झुलसाया है, हम एक ज्वालामुखी के किनारे बैठे हुए हैं। एक तरह से सांप्रदायिक संरक्षण हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और सिर्फ एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बनाते हैं। छबड़ा की हिंसा का आरोपी आसिफ असाड़ी मुख्य मंत्री जी की इफ्तार पार्टी का विशेष मेहमान था। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ एवं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है।

उदयपुर के पास अभी भगवान परशुराम जी की मूर्ति असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी। कोई अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे अनावश्यक रूप से पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं। पुलिस स्वतंत्र रूप से आज काम नहीं कर पा रही है। यदि कोई पुलिस अधिकारी स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष काम करना चाहे तो अगले दिन उसका तबादला अन्यत्र कर दिया जाता है।

अभी संयम लोढ़ा जी जैसे कह रहे थे, पुलिस की हिमायत कर रहे थे, तो वास्तव में मुख्य मंत्री जी से जाकर के कहना चाहिए कि आज जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, आधुनिक तंत्र लेकर अपराधी सक्रिय हुआ है उसी प्रकार से पुलिस के पास भी आधुनिक हथियार, गाड़ियां आदि होनी चाहिए। पुलिस का जो बजट है, उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए।

श्री सभापति: कृपया 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): पुलिस को जो भत्ता मिल रहा है, वह साइकिल का भत्ता मिल रहा है, जबकि पुलिस को आवश्यकता है कि उन्हें कम से कम मोटर साइकिल का भत्ता मिले। उन्हें वर्दी का भत्ता दिया जाये। उन्हें अन्य साधन देने की आवश्यकता है। प्रदेश में जो महिला पुलिस कर्मियों के रिक्त पड़े पद हैं, उनको भरा जाना चाहिए।

कोटा शहर आज इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ-साथ शैक्षणिक शहर भी है, जहां 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। उस स्थान पर आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़

(श्री संदीप शर्मा)

रही हैं। उन आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोकथाम लगाने के लिए वहां पर एक ऐसा थाना होना चाहिए, जो इन विद्यार्थियों की समस्याओं को निपटा सके। रोजाना वहां आत्महत्याएं हो रही हैं। वहां काउंसलर्स होने चाहिए।

जिस तरह से आपने साइबर थाने खोले हैं, इनका औचित्य क्या है? संयम जी सही कह रहे थे, अगर आप साइबर थाना खोलना चाहते हैं तो वहां टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट व्यक्ति को बैठाने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार के साइबर फ्राड को उजागर कर सके।

आपने वर्ष 2021-22 में एएसआई के लगभग 6 हजार पद और 2022-23 में 4 हजार पद बढ़ाये थे, लेकिन अभी तक उनकी भर्ती नहीं की। इतने कांस्टेबल के पद आपने समाप्त कर दिये। घोषणा के बावजूद वर्ष 2020-21 से एएसआई की पदोन्नति पैंडिंग हैं। सीआई के 578 पद इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाये हैं। सभी थाने क्रमोन्नत कर सीआई के कर दिये, लेकिन इसमें एएसआई खतम कर दिये।

माननीय सभापति महोदय, थानों की यह स्थिति है कि सीयूजी और लैंडलाइन नम्बर दोनों ही बंद मिलते हैं। हमने हमारे विधायक कोष से वहां स्वागत कक्ष बनाये, लेकिन उन स्वागत कक्षों का भी बुरा हाल है। पुलिस का जो व्यवहार है, सरकार के संरक्षण में लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। लोग अपनी अर्जी लेकर जाते हैं तो उनको थाने में घुसने नहीं दिया जाता है। अपराधियों को बैठाकर चाय पिलायी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह है कि इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस के बजट को बढ़ायें। पुलिस की पदोन्नति करें। उनको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जिस प्रकार से कानून की बिगड़ी हुई अवस्था है, उसको सुधारने के लिए मेरा मानना है कि सरकार जब तक कठोर कदम नहीं उठायेगी, संवेदनशीलता के साथ काम नहीं करेगी और राजनीतिक दबाव बंद नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा...

श्री सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण मुख्य रूप से सरकार कर रही है, यह बंद करने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18-गृह विभाग, मांग संख्या 19-कारागार विभाग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज देश के साथ-साथ प्रदेश में शांति, साम्प्रदायिक सौहार्द, भाईचारे का माहौल बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हमारे भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि शांति के बिना हमारे तमाम सपने मिटकर खाक हो जाते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनोखी पहल शुरू की है। एक तरफ शांति व्यवस्था, एक तरफ एतबार पैदा करने का काम, कानून को कठोर बनाने, पुलिस में आधुनिक तकनीक को अपनाने के साथ-साथ हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, युवा हैं, उनको संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित मूल्यों से अवगत करवाकर, उनके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित करने की अनोखी पहल शुरू की है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया है कि उनमें इस तरह का माहौल बनाया जाए कि जो सैद्धांतिक मूल्य हैं, हमारे नौजवानों को उनसे अवगत करवाया जाए, हमारे नौजवान शांति-व्यवस्था को बनाये रखने का प्रयास करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्र राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की है। निश्चित रूप से शांति, भाईचारे के संदेश का प्रसार करने की दृष्टि से शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की है। राजस्थान के प्रत्येक गांव और शहर में 50 हजार स्थानीय युवक-युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाना प्रस्तावित किया है।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि गांधीजी शांति के उपासक रहे हैं। कानूनी भय के अलावा व्यक्ति के हृदय को कैसे परिवर्तित किया जाए कि वह शांति व्यवस्था के माहौल में रहे, इसके लिए एक बेहतरीन प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए न धरने-प्रदर्शन करने पड़ते हैं, 156(3) में नहीं के बराबर थानों में इस्तगासे आते हैं। यह जरूरी कर दिया गया है कि अगर कोई एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो एसपी के यहां सीधा भेज दिया जाए, एफआईआर दर्ज मानी जाएगी। इस तरह से राजस्थान में यह एक अनूठी पहल की है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत से कार्यालय खोले हैं, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां दूदू में डीवाईएसपी कार्यालय है, उसके

(श्री बाबूलाल नागर)

अधीन 6 थाने हैं, इनकी वहां से 50 से 70 किलोमीटर दूरी है। अब एक डीवाईएसपी के लिए 6 थाने सम्भालना बहुत मुश्किल होता है। हमारे फागी, रेनवाल, माधोराजपुरा, ये तीन थाने मिलाकर फागी में एक डीवाईएसपी कार्यालय खोल दिया जाए तो निश्चित रूप से कानून-व्यवस्था भी सुदृढ़ रहेगी और प्रशासन की पकड़ भी रहेगी। लॉ एंड आर्डर के अनुसार भी उचित रहेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि हमारे फागी में एक डीवाईएसपी कार्यालय खोल दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पिछले साल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मौजमाबाद में नया थाना खोला। मौजमाबाद ऐसा थाना है जिसके अधीन 32 किलोमीटर नेशनल हाईवे आता है। नेशनल हाईवे और 30-40 किलोमीटर उसका कार्यक्षेत्र है, इससे काफी परेशानी आती है। पुलिस विभाग ने भी इसको माना है। उन्होंने विभागीय तौर पर चाहा है कि मोखमपुरा में एक नया थाना खोल दिया जाए, इससे कानून-व्यवस्था और सुधरेगी। माननीय सभापति महोदय, आप तो जानते हो कि नेशनल हाईवे जयपुर-अजमेर पर तीन संभाग के लोगों का आना जाना रहता है। मोखमपुरा नेशनल हाईवे पर है। पुलिस विभाग को जमीन भी आबंटित है। वहां होने वाली दुर्घटनाओं और क्राइम को देखते हुए एक नया थाना खोल दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे दूदू और फागी में 8 जुडिशियल कोर्ट और सात-आठ थाने, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी भी हैं। दूदू में कारागार नहीं है। कोई भी मुलजिम हो, उसको सांभर ले जाना पड़ता है, इसमें बहुत बार परेशानी आती है। लम्बी दूरी है। एक छोटे से 151 के मुलजिम को भी कहीं ले जाना है, जेल भेजना है तो पुलिस को सारा दिन लग जाता है। इसलिए दूदू में एक कारागार खोला जाना चाहिए, जिससे पुलिस को सुविधा होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, आज भी दलित परिवार के लोगों को मंदिर प्रवेश, दूल्हे को घोड़ी से उतारना होता रहता है, पुलिस वाले सख्ती करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पुलिस को एक कार्ययोजना बनानी चाहिए कि जिस थाने के कार्य क्षेत्र में, जिस सीओ के कार्य क्षेत्र में कम से कम मंदिर में प्रवेश और दूल्हे को घोड़ी से उतारना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो उनको भी जवाबदेह ठहराना चाहिए, जिससे वे संवेदनशील होकर, सावधान होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

(श्री बाबूलाल नागर)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि थानों में नफरी बहुत कम है। यह बहुत भारी परेशानी है। मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में 5 पुलिस थाने हैं और इनमें कुल मिलाकर 60 कार्मिकों का अभाव है। फागी में 60 कर्मचारियों, कांस्टेबल्स, हैड कांस्टेबल्स, एएसआई, सब इंस्पेक्टर्स की कमी है। मेरे यहां फागी में 2022 में 420 एफआईआर दर्ज हुईं। फागी में उप निरीक्षक 3 सैंक्शन हैं, 2 खाली हैं। एएसआई के 10 पद सैंक्शन हैं, 8 खाली हैं। हैड कांस्टेबल के 4 पद खाली हैं। इसी तरह से दूदू में 614 एफआईआर दर्ज हुईं पिछले वर्ष 2022 में, वहां उप निरीक्षक के 3 पद खाली हैं। एएसआई के 10 पद सैंक्शन हैं, 7 पद खाली हैं। हैड कांस्टेबल के 5 पद खाली हैं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस में नफरी ही नहीं है, कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल ही नहीं हैं, आईओ ही नहीं है, एएसआई और सब इंस्पेक्टर ही नहीं हैं। इसी तरह से नरैना में यही हाल है। नरैना थाने में एएसआई के 8 पद सैंक्शन हैं, 5 पद खाली हैं, हैड कांस्टेबल के 10 पद सैंक्शन हैं, 5 पद खाली हैं। कांस्टेबल का भी यही हाल है। माननीय सभापति महोदय, मौजमाबाद में ही यही हाल है। वहां 10 एएसआई के पद सैंक्शन हैं और 9 पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, 10 पद जहां सैंक्शन हों और 9 खाली हों तो कैसे काम चलेगा? इसी तरह से वहां पर कांस्टेबल के भी 5 पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब आपके पास थानों में नफरी ही नहीं है तो कैसे तो आपके अनुसंधान होंगे? कैसे आपके लॉ एंड आर्डर का काम होगा? नेशनल हाईवे के थाने हैं। हमारे सीमावर्ती जिलों नागौर, टोंक से भी लोग आ जाते हैं। राजस्थान के तीन संभागों से लोग आते-जाते हैं, जिनमें तरह-तरह के लोग होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक महोदय को भी यह देखना चाहिए कि उनके पास जितनी नफरी है, मैंने हमारे जयपुर ग्रामीण एसपी से कहा है, आपके पास जितने कांस्टेबल हैं, हैड कांस्टेबल हैं, उनको अनुपात के अनुसार करो। हमारे तो नेशनल हाईवे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमारे यहां कई जगह 40 परसेंट, कई जगह 80 परसेंट नफरी है, कई जगह 90 परसेंट नफरी है। नेशनल हाईवे के थानों में ये हाल हैं तो पुलिस के अफसरों को भी इसको देखना चाहिए कि अगर कार्मिकों की भर्ती हो रही है तो उसको देखें और इसके अलावा खुद का विवेक भी इस्तेमाल करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार कार्मिक लगाने चाहिए।

(श्री बाबूलाल नागर)

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैंने प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी कहा है, मेरे यहां 12 ऐसे गांव हैं, जिनकी तहसील फागी है, जिनका एसडीएम कार्यालय फागी है, जिनका पंचायत समिति कार्यालय फागी है, जिनके सारे कार्यालय फागी हैं। उनका रोज का काम, लॉ एंड आर्डर का काम, चाहे प्रशासन गांवों के संग अभियान हो, चाहे रेवेन्यू का काम, सब काम फागी में होते हैं। इसी तरह से 9 गांव हैं पुलिस थाना बगरू में, 3 गांव हैं पुलिस थाना सेज में। छोटी-सी भी प्रोब्लम होती है तो फिर आपका कमिश्नरेट आ जाता है, 151 में कहां पेश करना पड़ेगा, उसको एसीपी, यहां जयपुर पेश करना पड़ेगा तो यह मैंने मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह किया था। उन्होंने एक बार डायरेक्शंस दिये थे। मुझे पता नहीं, किन पुलिस अफसरों का इतना लगाव हो रहा है कि क्यों उन्हें बगरू थाने में डाल रखा है। हम गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही है लॉ एंड आर्डर में। हर चीज की परेशानी हो रही है। हमारे वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का कंट्रोल ही नहीं है। मैंने कई बार लिखा है। एक बार मीटिंग भी हो गयी। हमारे राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। वह भी टांयटांय फिस्स हो गयी। डीजी भी आये थे, होम सैक्रेटरी भी आये थे, सारे अफसर बैठे थे उसमें, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, कम से कम हमारे जो ग्रामीण इलाकों के थाने हैं, जो जहां के थाने हैं, उन्हें उन थानों में लगाना चाहिए। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। चाहे कहीं अपराध हो, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, कहीं न कहीं पुलिस की ढिलाई रहती है, मिली-भगत रहती है। मैं एक प्रकरण का हवाला देना चाहूंगा। पुलिस थाना दूदू में एक एफआईआर दर्ज हुई 233/21. एक छोटे-से अख़बार दैनिक जनता की खोज ने पृष्ठ संख्या 5 पर 23 पुलिस कार्मिकों के नाम लिखे हैं। बजरी माफियाओं से वे 23 पुलिस कार्मिक नकद, फोन-पे, पेटीएम, जिनके अकाउंट नम्बर्स हैं, जिनके मोबाइल नम्बर्स हैं, ऑनलाइन फोन से फोन पर ट्रांसफर हो रहा है पैसा। कौन कर रहा है? बजरी माफिया कर रहा है। उस अख़बार ने यह उजागर किया। यह पत्र मैंने भेजा। इस प्रकरण की जांच एसओजी कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक पुलिस कार्मिक के साथ, मैं तो समझता हूं, नाइंसाफी है। वह गरीब वर्ग का आदमी था एसटी वर्ग का। एक सबूत नहीं है। इन 23 लोगों को क्यों बचाया गया? क्या इनके फोन नम्बर्स नहीं हैं? क्या

(श्री बाबूलाल नागर)

इनके बैंक में खाते नहीं हैं? इनके बैंक खातों में पैसा मिला है। उसके पेटीएम से पैसा डला है। एसओजी जांच कर रही है। एसओजी पर लोग विश्वास करते हैं। सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अधिकारी जब मिले-जुले रहते हैं, तब चोर-चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। यह तो एक छोटा अख़बार है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यह आपको सबूत दे रहा है। आपको उन बैंक अकाउंट्स के नम्बर दे रहा है। जिस मोबाइल के पेटीएम अकाउंट से पैसा डाला जा रहा है, उसकी डिटेल्स मैंशन कर रहा है। मैं समझता हूं, इसमें निश्चित रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुलिस में अच्छे-अच्छे अफसर भी हैं, ईमानदार अधिकारी भी हैं, जो दिन-रात मेहनत करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा देते हैं। चन्द लोगों के कारण अपराध बढ़ता है। चन्द लोगों के कारण पुलिस की बदनामी होती है।

सभापति महोदय, मैंने कइयों की इन्वेस्टिगेशन देखी है। मैंने स्वयं ने भी भोगा है। सीबीआई की तफ़तीश जीरो है हमारे यहां की पुलिस की तफ्तीश के सामने। हमारे यहां की पुलिस की तफ्तीश इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत होती है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां अच्छे अफसर भी हैं जो अच्छा अनुसन्धान करते हैं और जान को जाखिम में डालकर काम करते हैं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मुझे पन्द्रह मिनट दिये गये हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आपसे एक छोटा-सा निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे यहां जो छोटे-छोटे काम हैं, उन्हें करवाएं। मैंने मांग भी की है। मुख्य मंत्री जी ने पुलिस में ऐतिहासिक काम किया है। भर्ती भी बहुत की है। फिर भी आवश्यकता है गुंजाइश है। आप तो जानते हैं, जब आप बैठ जाने के लिए बोल देते हैं, मैं तो अनुशासित आदमी हूं, सेवा दल का कार्यकर्ता रहा हूं। आपने मुझे टोका है तो मैं बैठ जाता हूं। धन्यवाद।

सूचना

सिरोही जिला अस्पताल में कुत्तों द्वारा नवजात को उठाकर ले जाना व उसके कारण मृत्यु की घटना

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट

(श्री संयम लोढ़ा)

करना चाहता हूं कि पाली जिले का जवाई बांध निवासी महेन्द्र कुमार टीमाराम जी मीना मेडिकल कालेज सिरोही के जिला अस्पताल में सिलिकोसिस वार्ड में भर्ती हुआ। उसकी पत्नी और तीन बच्चे उसके साथ थे। छोटा बच्चा 28 दिन का था। रात को मां 12 बजे दूध पिलाकर सो गयी। कोई पेशेंट बाद में वार्ड का गेट खुला छोड़कर निकल गया। उस 28 दिन के बच्चे को कुत्ते उठाकर ले गये।

माननीय सभापति महोदय, जब वह मां उठी तो उसने देखा कि बच्चा नहीं है। तब उसने शोर किया और सबको इकट्ठा किया। बाहर देखा तो कुत्ता उसकी गर्दन को अलग कर चुका था। यह एक हृदय विदारक घटना है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित मां को सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रुपये मुआवजा दें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जो बात सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, मैं भी उसका पुरजोर समर्थन कर रहा हूं। राइट टू हैल्थ की बात करने वाली इस सरकार का यह मंजर देखकर मन कांप उठता है। आप हिदायत दें इन्हें कि आज ही उन पीड़ितों से बात करें, घटना की उच्च स्तरीय जांच कराएं और उन्हें कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा दें।

श्री सभापति: सरकार के नोटिस में आ गया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात तो आपने अच्छी कही। बहुत अच्छी बात है, पर अभी होम पर डिमांड चल रही है। चिकित्सा पर कल है। चिकित्सा की डिमांड के समय आप यह बात उठाते तो ज्यादा बैटर होता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इतनी हृदय विदारक घटना पर आपका ध्यान नहीं दिलाएं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात मेरे ध्यान में आ गयी, पर चिकित्सा के वक्त आप यह बात करते।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यहां पर मुख्य मंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं कह रहा हूं, आप यह बात चिकित्सा की डिमांड के समय उठाते। क्या गलत है इसमें? बात करते हैं बेकार की।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चिकित्सा से लेना-देना नहीं है। आपकी पुलिस की चौकी भी वहां लगी हुई है। हास्पिटल के अन्दर पुलिस की चौकी भी है। आपको खुद आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हम अभी मुख्य मंत्री से बात करके घोषणा करते हैं। आप कल के लिए कह रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सरकार के नोटिस में आ गयी है आपकी बात।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खुद का बच्चा जाये तो पता चलता है। दूसरों का बच्चा जाये तो पता नहीं चलता है ऐसे।

श्री सभापति: प्लीज बैठिये। श्री बलवान पूनियां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री जी, आपके मन के अन्दर भी एक बाप धड़कता होगा। मानवता कोई बची है? मानवता सिहर रही है इससे। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए प्लीज।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह व 19-कारागार पर विचार

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 18 और 19 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बात पुलिस, गृह और जेल की चल रही है। अभी भरतपुर में एक घटना हुई। घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर को हरियाणा के कुछ बदमाश अपहरण करके ले गये और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर उन्हें पीटा और गाड़ी में जलाकर मार दिया। इस घटना की जितनी निन्दा की जाये, उतनी कम है।

मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं, तुरन्त प्रभाव से मुलजिमों को अरेस्ट करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और 51-51 लाख रुपये का मुआवजा दोनों परिवारों को दे और एक-एक सरकारी नौकरी दे। आज जिस तरीके का वैमनस्य का माहौल पैदा हो रहा है, उससे राजस्थान की प्रगति पर रोक लगेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रगति किसी भी समाज में शान्ति के लिए बहुत जरूरी है। शान्ति-व्यवस्था कायम होगी तो प्रगति होगी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, बजरंग दल का

(श्री मदन दिलावर)

नाम सदन में लिया गया है। कैसे आइडेंटिफाई किया इन्होंने? ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने बजरंग दल का नाम उल्लेखित किया है। इन्हें बताना पड़ेगा।

श्री सभापति: अभी सुनिये तो सही, क्या कह रहे हैं ये आगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):, मुख्य मुलजिम, जिसका नाम मोनू मानेसर है, वह बजरंग दल का कार्यकर्ता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उसका न तो एफआईआर में नाम है, न पुलिस की सूचना में नाम है। ये इस प्रकार से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये सब जिस प्रकार से भड़क रहे हैं, इसका मतलब वह बजरंग दल का ही आदमी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जो बजरंग दल देश की सेवा में लगा है, उस पर ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये सारे भड़क रहे हैं, इसका मतलब वह बजरंग दल का ही आदमी है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, सीपीआई(एम) के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के एक अनुसूचित जाति के विधायक पर अभद्र टिप्पणियां की हैं तो क्या सारी सीपीआई(एम) उसके लिए जिम्मेदार है? क्या आपने उसके लिए माफी मांगी? क्या सरकार ने आपके खिलाफ कार्रवाई की?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या ये यह बोलना चाहते हैं कि बजरंग दल ने मारा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: इन्हें बोलने तो दीजिये, क्या बोल रहे हैं आगे। बोलिए प्लीज।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, जिस तरीके की घटना हुई, उसने दोनों नौजवानों के पूरे परिवार को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस घटना ने पूरे मेवात इलाके को झकझोर दिया है। वहां अशान्ति का माहौल है। सरकार से मेरी मांग रहेगी कि तुरन्त प्रभाव से शान्ति-व्यवस्था कायम करे। प्रदेश में जिस तरीके से प्रगति जरूरी है, उसे आगे बढ़ाएं।

सभापति महोदय, आज सबसे ज्यादा जो क्राइम बढ़ रहे हैं, वे साइबर क्राइम हैं। साइबर क्राइम में इतनी ठगी की घटनाएं हो रही हैं, साथियों ने

(श्री बलवान पूनियां)

आंकड़े भी पेश किये। उसमें भी पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। नौकरी के नाम पर ठगी, काम के नाम पर ठगी, बिजनस के नाम पर ठगी। तरीके-तरीके से लोगों से पैसे मांगने का काम व्हाट्सएप के जरिये, सोशल मीडिया के जरिये हो रहा है। साइबर क्राइम में जिस तरीके से बेरोजगार युवा घुस रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह मंजर तो लॉरेंस बिश्नोई के सिद्धू मूसेवाला काण्ड से भी बड़ा होता जा रहा है।

जिस तरीके से साइबर क्राइम में नौजवान घुस रहे हैं, मैं समझता हूं, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बेरोजगारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस पर मजबूती से काम करने की जरूरत है। एक-एक थाने में कोई एक-आध कम्प्यूटर का एक्सपर्ट नौजवान सिपाही या अफसर होगा, वरना दूर-दूर तक साइबर का जानकार अफसर नहीं है। इसलिए मेरी मांग रहेगी कि गृह विभाग तुरन्त साइबर की अलग से भर्ती निकाले और भर्ती निकालकर साइबर थानों की स्थापना करे, ताकि साइबर क्राइम पर रोक लगे।

सभापति महोदय, सहारा इण्डिया के नाम पर लोगों को लूटा गया और हजारों करोड़ रुपये इस राजस्थान प्रदेश के लोगों से भी लूटे गये, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पायी है। सहारा इण्डिया के लोग उसी तरीके से रोते फिर रहे हैं, जैसे अभी सीकर में नेक्सा वाले लोग रोते फिर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग रहेगी कि सरकार इस पर कार्यवाही करे और गृह विभाग इस पर गम्भीरता से काम करे।

सभापति महोदय, पेपर लीक प्रकरण में मैंने कई बार यह बात रखी है कि पेपर लीक प्रकरण में मुलजिमों को आपने पकड़ लिया, लेकिन उस पेपर को आगे वायरल कौन करता है? आगे वह व्हाट्सएप ग्रुपों में कहां-कहां जाता है, उसमें किसी को आइडेंटिफाई करके जब तक लोगों को नहीं रोकेंगे तब तक आप इन माफियाओं पर लगाम नहीं लगा पायेंगे। लोगों में अगर इस तरीके का भय नहीं होगा कि अगर आप इस दुष्कर्म को साथ मिलकर आगे बढ़ाने का काम करोगे तो वे भी बराबर के मुलजिम माने जाएं, जैसे पेपर लीक करता है वह माना जाता है क्योंकि नौजवानों के जिस तरीके से अरमान टूट रहे हैं और एक भय पैदा हो गया, एक गलत थ्रिलिंग हो जाती है। (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, इनको बोलना भी नहीं आता है और इनको पता भी नहीं है कि माननीय सदस्य क्या होते हैं।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

जो आदमी आज सदन में बोल रहा है ये दलित विरोधी आदमी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने जो कुछ भी कहा है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): कहां थे आप पाली में? पाली में घटना हुई, उस समय कहां थे आप? जालौर में घटना हुई, कहां थे आप? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): कौनसी पाली की बात कर रहे हो? (व्यवधान) आप दलित विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): पाली में घटना हुई, जालौर में घटना हुई तो कहां थे आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एससी, एसटी पर जितने जुल्म आरएसएस करती है, जितने जुल्म बीजेपी करती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो रहा है यह? (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एससी, एसटी पर जितने जुल्म भाजपा और आरएसएस करती है ...(व्यवधान) एससी, एसटी के सबसे बड़े दुश्मन ये ही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अपनी बात तो कहेंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): रावतसर और पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र को लूटकर खा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): भाजपा सबसे बड़ी दलित विरोधी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए। (व्यवधान) बैठिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए। आप बैठिए, प्लीज। आप अपने स्थान पर जाइए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सबसे बड़ी दलित विरोधी भाजपा है, संविधान विरोधी भाजपा है। (व्यवधान) सबसे बड़ी संविधान विरोधी भाजपा है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): आप दलितों के विरोधी हो। (व्यवधान) आप राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए-बैठिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, इनको बिठाइए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, लैट हिम स्पीक। जब आपका टर्न आए तो आप भी बोल देना।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये तब नहीं बोलेंगे। जब इनकी बारी आयी, पाली की, सुमेरपुर की घटना हुई तब ये नहीं बोले, जालौर की घटना हुई तब नहीं बोले। पूरे गोडवाड़ इलाके की एक भी स्कूल में दलित महिला नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिए प्लीज। लैट हिम स्पीक। उनका भी अधिकार है बोलने का। बोलिये। कन्टीन्यू करिए आप।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये मेरे तीन मिनट इनके खाते में डाल देना, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप कन्टीन्यू करिए अपनी बात।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 1998 में चुनाव लड़ा था, उस समय की आमदनी और आज की आमदनी निकाल दूंगा। इनको रोको। एक बार तो जाब्ता कर दिया, एक बार जाब्ता और हो जायेगा। 2009 में इनका जाब्ता हुआ था। 2009 में रावतसर की जनता ने हराया था इनको। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मुझे एड्रेस करिए माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपस में बात नहीं, आप मुझे एड्रेस करिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, थानों में नफरी बढ़ायी जाए। सभापति महोदय, मैं आपको ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: हां, बोलिए। प्लीज, सुनिए। पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य, बैठ जाएं। (व्यवधान) बैठिए आप।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, थानों में नफरी बढ़ायी जाए, ताकि कानूनी कार्यवाही का ढंग से निष्पादन हो सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोनी मार्केट में, गांधी बड़ी में पुलिस चौकी और गोगामेड़ी मेले में पुलिस चौकी की स्थापना करने की मैं मांग करता हूं।

श्री सभापति: आप मुझे ही एड्रेस करें। बैठिए, प्लीज। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में डुगराना उप तहसील बन गयी, जहां चौकी खोलने की जरूरत है। सभापति महोदय, मेरे

(श्री बलवान पूनियां)

विधान सभा क्षेत्र में पुलिस थाना भिराणी सबसे पुराना थाना है, जिसका पूरा भवन जर्जर है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि उसके भवन को दुबारा बनाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा के तहसील हैड क्वार्टर पर जो पुलिस थाना है उसमें पुलिस जवानों के निवास के लिए जो क्वार्टर हैं उन क्वार्टर को दुबारा बनाया जाए। सभापति महोदय, मैं पुलिस के उस जवान की मांग करता हूं जो जवान रात-दिन काम करता है। सभापति महोदय, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की ग्रेड-पे को कम से कम 2,800 से 3,600 रुपये किया जाए। राजस्थान पुलिस में वर्तमान में कांस्टेबल को साइकिल अलाउंस 50 रुपये ही मिलता है। आज के दौर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों में घटनास्थल पर साइकिल देरी से पहुंचती है इसलिए मोटर साइकिल भत्ता दिया जाए। पूर्व में गहलोत सरकार ने स्टेशनरी भत्ता 250 रुपये दिया था, वह भत्ता वापस दिलाया जाए। राजस्थान पुलिस के जवानों से 100 रुपये ज्यादा मुलजिमों को मैस भत्ता मिलता है, इसलिए मुलजिमों से ज्यादा मैस भत्ता पुलिस के जवान को दिलाया जाए। हार्ड ड्यूटी अलाउंस 12 प्रतिशत है, जिससे प्रति घंटा 4 रुपये मिलते हैं, जबकि प्राइवेट कम्पनियों में हार्ड ड्यूटी अलाउंस 65 से 70 रुपये मिलते हैं। एसटीएफ अलाउंस थाना, चौकियों में पदस्थापित जवानों को मिलता है, जिसे समस्त पुलिस जवानों में लागू किया जाए।

सभापति महोदय, जिस तरीके से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें होमगार्ड को लगातार 365 दिन काम दिया जाये। सभापति महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जरिये हरियाणा तक लगातार शराब पहुंच रही है, जिससे न सिर्फ हरियाणा के बदमाश पनप रहे हैं, बल्कि राजस्थान में भी आपराधिक गतिविधियों में लोग ज्यादा शामिल हो रहे हैं। इसलिए अवैध शराब पर रोक लगायी जाये। मेरी आपके जरिये मांग है कि बहुत बड़ी मात्रा में शराब के ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, जो राजस्थान के रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए राजस्थान की पुलिस और गृह विभाग गम्भीरता से इस पर काम करे।

सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन उसमें कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करके उनकी आमदनी भी चैक करनी होगी।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): दो मिनट में कर दूंगा सभापति महोदय। ये तीन मिनट तो देने थे।

उदयपुर में राजेन्द्र प्रसाद गोयल साहब एसपी रहे थे और उनके खिलाफ एक परिवाद आया, मुकदमा दर्ज हुआ कि उदयपुर की विवादित जमीन थी, उस जमीन को महाशय ने पता नहीं, कैसे खुर्द-बुर्द किया। उनके खिलाफ परिवाद आया, पर आज वे एसीडी में बड़े पद पर हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस में ऐसे अफसरों की छंटनी करनी चाहिए। सभापति महोदय, आम जनता को न्याय दिलवाने के लिए सबसे पहले यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि लोभी और लालची लोग बड़ी जगह पर नहीं पहुंचे, जिससे न्याय प्रभावित कर पाएं।

सभापति महोदय, जिस तरीके से आज लॉरेंस गैंग बन रही है, हर नौजवान पिस्तौल और बन्दूक के साथ फोटो लगाकर अपने आपको सेलिब्रिटी समझता है, इस बात पर पुलिस को गम्भीरता से रोक लगानी पड़ेगी। सोशल मीडिया में जो लोग हथियार के साथ फोटो अपलोड कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके हाथों-हाथ वह हथियार बरामद होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को आर्म्स दिया भी है तो वह दूसरे को फोटो खिंचवाने के लिए नहीं दे सकता। जिस तरीके से आर्म्स का दुरुपयोग बढ़ रहा है और यह पिस्तौल तथा बन्दूक की राजनीति बढ़ रही है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात थी, जिसकी वजह से ऐसे लीजेंड गायक का मर्डर हो गया, जबकि बिना काम की बात पर यह घटना हुई है। जिस तरीके से आज पूरे राजस्थान में और पूरे देश में थ्रिलिंग हो रही है और लॉरेंस गैंग का नाम चल रहा है उसमें ऐसे नौजवान बन्दूकों तक कैसे पहुंच गये, कैसे अपराध की दुनिया में पहुंच गये, कैसे नशे की दुनिया में पहुंच गये, कैसे चिट्टे और सिंथेटिक ड्रग तक पहुंच गये, इस बात पर हमें गम्भीरता से काम करने की जरूरत है। सभापति महोदय, जो बन्दरगाहों पर कई मैट्रिक टन स्मैक आया, वह राजस्थान में कितना पहुंचा है इस बात को भी पुलिस को पता करना पड़ेगा, ताकि हमारे नौजवानों की जवानी को लील नहीं दे।

श्री सभापति: थैंक यू। धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज के दिन जितना नशा लोगों में नौकरी करने का है उतना ही नशा बेचने का नशा बढ़ रहा है। इसलिए पुलिस को आदर्श के

(श्री बलवान पूनियां)

रूप में काम करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से लास्ट मेरी बात कहना चाहता हूं कि आप आदर्श थाने स्थापित करिए, आदर्श एसएचओ लगाइए, आदर्श चौकियां स्थापित करिए, उनके मानदण्ड तय करिए कि कैसे साधारण से साधारण रहकर भी जनता की सेवा की जा सकती है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

श्री सभापति: श्री जगसी राम जी।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या 18 व 19, गृह विभाग और कारागार विभाग। सभापति महोदय, जिस प्रकार से आज प्रदेश के हालात देखने जाएं, मेरे हिसाब से मेरे सिरोही जिले और राजस्थान प्रदेश की बात करें तो बड़ी दयनीय स्थिति है। अपराध के, लूट के, दुष्कर्म के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और मुख्य मंत्री जी के सलाहकार बता रहे थे, पहले तो सरकार की बड़ी-बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसके बाद में महेन्द्र मीना के एक माह के मासूम बेटे की रात की घटना बताई है। इसी तरह पूरे सिरोही जिले की आज की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि एक आदिवासी मां के बेटे को देर रात को कुत्ते उठाकर ले गये और वहां के सीएमएचओ राजेश कुमार को उसकी जानकारी नहीं है। सिरोही मुख्यालय के कार्यकर्ताओं ने जाकर जानकारी दी है। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके उपरान्त, मैं भी सरकार से मांग करूंगा कि उस परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी दी जाए। वे अभी सिरोही जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हैं।

आज के इस मौके पर, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था के अन्दर, मैं समझता हूं कि सिरोही जिला और मेरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो उसके अन्दर चोरियों का सिलसिला बढ़ गया है। मैं प्रदेश के सारे आंकड़े नहीं बताना चाहूंगा। अभी जो चोरियां बढ़ रही हैं उसमें मकान भी टूट रहे हैं, मकानों के ताले भी टूट रहे हैं। उसके साथ ही साथ मवेशी, अभी 15 दिन पहले हमारे रेवदर थाने का कोई मामला था, 50 बकरियों को लुटेरे लूटकर ले गये, मन्दिरों के ताले टूटे और पूरे मण्डार बैल्ट के अन्दर एक दर्जन से भी ज्यादा चोरियां हो रही हैं। इसी प्रकार की चोरियां

(श्री जगसी राम)

अनादरा में भी हो रही हैं। मैं समझता हूं कि कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसे सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, शराब का मामला हमेशा सामने आता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेवदर और आबू रोड है, गुजरात बोर्डर से लगता हुआ क्षेत्र है। जैसे आबू रोड रीको थाना है और मण्डार थाना है, वहां से हरियाणा, चंडीगढ़ वाली शराब मण्डार, रीको होते हुए गुजरात जाती है। मेरे द्वारा इसको कई बार पिछली विधान सभा में बताने के बाद भी, वहां पर गुजरात में शराब पकड़ी जाती है और उसके बाद यहां पर अखबारों में छपता है कि राजस्थान की मिलीभगत मिलने के उपरान्त शराब को पकड़ा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्दर आबू रोड में एक गेवर चौकी है, वहां पर ट्राइबल क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत फैला हुआ है तो आबू रोड गेवर चौकी को, मैं समझता हूं कि उसको थाने में क्रमोन्नत किया जाए क्योंकि आदिवसी क्षेत्र है। वहां आबू रोड शहर है, ग्रामीण है, बहुत लम्बा पड़ता है। रेवदर मुख्यालय से वहां जाने में बहुत लम्बी दूरी पड़ती है इसलिए उसको थाने में क्रमोन्नत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

इसी तरह से जो रीको चौकी थी, उसको थाने में क्रमोन्नत हुए 5-7 साल हो गये है, लेकिन आज भी रीको थाना उस चौकी के अन्दर ही संचालित हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उस थाने के लिए जमीन आबंटन करवाने के बाद में, वहां भवन भी बनाया जाए, क्योंकि नाम तो रीको थाना दिया है, लेकिन अभी वह चौकी के अन्दर संचालित है। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उसको भी समय रहते करना चाहिए।

मैं आगे यह कहना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कांस्टेबल और हैड कांस्टेबलों की संख्या काफी तादाद में कम है। मैं समझता हूं कि सिरोही जिले की जब भर्ती प्रक्रिया होती है तो राजस्थान के पूरे होते हैं और सिरोही जिले को एक पिछड़ा हुआ जिला मानते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सिरोही जिले की भर्ती और उसी जिले के अन्दर यदि रहते हैं तो, नहीं तो क्या है कि कांस्टेबल हो, हैड कांस्टेबल हो, ऊपर के जो भी अधिकारी लोग हैं, वे उसके बाद स्थानान्तरण करवाकर अपने-अपने जिलों के अन्दर चले जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पर भी संज्ञान लें।

(श्री जगसी राम)

राजस्थान में पुलिसकर्मियों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, अभी टेक्नोलोजी के हिसाब से जो संसाधन हैं, पुरानी जो गाड़ियां है, जर्जर गाडियां हैं, यदि कोई अपराधी आगे दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है तो गाड़ी में वहीं पर डीजल-पेट्रोल कम हो जाता है, या साधन खराब हो जाता है तो उस अपराधी को पकड़ने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए वहां पर लेटेस्ट नये साधनों की भी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आज के इस मौके पर आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आबू रोड, जो उप कारागृह है, वहां पर कैदियों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। मैंने स्वयं उसको जाकर देखा है। वहां पर स्टाफ है, लेकिन वहां पर जो व्यवस्था है, पुराना एक छोटा-सा कमरा या दो कमरे हैं, उनमें क्षमता से ज्यादा कैदी रखे जाते हैं।

(समय: 13.55 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं समझता हूं कि उसकी भी सही व्यवस्था हो और उनके खानेपीने की अच्छी व्यवस्था हो और सही तरीके से उनके लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, उनकी फर्श टूटी पड़ी है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसको भी संज्ञान में लेने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे कि वहां पर मुकदमों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जब मुकदमे करेंगे ही नहीं, उनको आगे घुमाते रहेंगे तो स्वाभाविक है, मुकदमे कम होते होंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अनादरा थाने का एक मामला है। एक एससी की महिला है, वह एक साल से गायब है। मेरे द्वारा थानेदारजी को बताने के उपरान्त भी उसकी आज तक उन्होंने किसी प्रकार की सुध नहीं ली है। सरकार को सजग रहते हुए, हम चाहते हैं कि सरकार आम जनता को भय से दूर करे। उसको न्याय मिले, न्याय नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज गृह विभाग पर चर्चा हो रही है, सिरोही जिले के अन्दर व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, बोर्डर पर चोरियां नहीं खुलती हैं। सामान्य आदमी, जो मजदूर वर्ग का आदमी है, वहां मोटर साइकिल खड़ी

(श्री जगसी राम)

करके काम कर रहा है। उसकी मोटर साइकिल अपराधी लेकर भाग जाता है। उसके बाद चार-चार महीने तक कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं होता है। यह एक प्रकार की बहुत बड़ी कठिनाई है।

सभापति महोदय, आज के इस मौके पर सभी ने अपनी-अपनी बात कही है तो सिरोही जिले के अन्दर मण्डार बोर्डर में भटाणा चौकी है। उसके अन्दर भी पुलिस की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे शराब तस्करी पर रोक लगेगी। बजरी माफिया, यह भी एक प्रकार से पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। बजरी माफिया के बारे में हमने कई बार बताया है, मुख्यालय पर धरने हुए हैं, लेकिन सरकार उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है, सरकार सुन रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप सजग रहें, नहीं तो जनता अच्छी तरह से समझ रही है, देख रही है कि हमारे प्रदेश का जन प्रतिनिधि, जो विधान सभा के अन्दर बैठता है, वह अपनी बात को कहता है, लेकिन निचले स्तर पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले समय के अन्दर आपकी सरकार को, आपको भुगतना पड़ेगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने का काम प्रदेश की पुलिस पर होता है और जितनी हमारी पुलिस व्यवस्था कुशल होगी, उतनी अच्छी कानून व्यवस्था होगी।

सर, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के पुलिसकर्मियों के बारे में बात करना चाहूंगा। प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक, उनको वे सुविधाएं, वे साधन, वे पे-अलाउंसेज मिलने चाहिए, जो दिल्ली पुलिस को मिलते हैं। एक पुलिस एक कानून लागू करती है तो मैं आशा करता हूं कि जहां भी हमारे प्रदेश में इन चीजों की कमी है, राजस्थान सरकार इस पर ध्यान दे कि हमारे सिपाहियों को वही तनख्वाह और सुविधाएं मिलें, जो दिल्ली पुलिस को मिलती हैं। दिल्ली पुलिस को आदर्श माना जाता है, वह पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में व्यवस्था करती है, तो वे सुविधाएं हमारे लोगों को दें। वे उससे वंचित नहीं रहें, ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़े।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

इसी तरह से इनके प्रमोशन के जो तरीके हैं, प्रमोशन हर सर्विस में, हर स्टेज पर होता है। जो आरएएस अधिकारी होता है, वह आईएएस बनता है, उसकी एक व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है। आरपीएस से आईपीएस बनता है, उसकी एक व्यवस्था होती है, पर जब कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल बनता है, हैड कांस्टेबल से एएसआई बनता है, उसकी व्यवस्था अलग है। अगर जो चीज आईएएस के लिए अच्छी है, आईपीएस के लिए अच्छी है तो वह हमारे सिपाही के लिए क्यों नहीं, हमारे हैड कांस्टेबल के लिए क्यों नहीं?

(समय: 15.00 बजे)

कांस्टेबल से आप हैड कांस्टेबल बनाओगे तो उसकी लिखित परीक्षा लोगे, उसकी शारीरिक परीक्षा लोगे। हैड कांस्टेबल से एएसआई बनाओगे तब उसकी आप परीक्षा लोगे तो जब आरपीएस से आईपीएस बनाते हो तो उनकी भी परीक्षा ले लो। अगर अच्छी चीज है तो सब पर लागू करिए। अगर आरएएस से आईएएस बनाते हैं तो उनको भी दौड़ाइए। थोड़े-बहुत दौड़ें, लिखें तो पता लगे कि कितना क्या दम है तो एक समान व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि कार्य समान है। मैं यह मानता हूं कि जो आईएएस और आईपीएस के लिए व्यवस्था है, वह आदर्श व्यवस्था है। वह ही आदर्श व्यवस्था प्रमोशन के लिए जूनियर रैंक्स में होनी चाहिये।

सर, प्रदेश में जो वर्तमान कानून-व्यवस्था है, अपराध की स्थिति है, उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबको पता है। फिर भी मेरे कुछ सुझाव हैं, जहां सुधार की आवश्यकता है। कुछ चीजें राजस्थान में नयी हो रही हैं जो पहले नहीं होती थीं। अपराध मानवीय व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में आदिकाल से चला आ रहा है। यह कोई नयी बात नहीं है। जो भी व्यवस्था होती है उसका काम है उसको रोकना, उसको नियंत्रित करना, पर दो-तीन चीजें राजस्थान में नयी हुई हैं।

यह पेपर लीक, सर, मैं भी राजस्थान का मूल निवासी हूं। मैंने भी परीक्षाएं दी हैं थोड़ी-बहुत। पेपर लीक राजस्थान में ही क्यों होता है और राजस्थान में ही इन्टरनेट बन्द क्यों होता है? यह आईएएस का एग्जाम पूरे हिन्दुस्तान में होता है, हर साल होता है। मैंने तो नहीं सुना कभी कि भारत सरकार इसमें इन्टरनेट बन्द करती होगी। राजस्थान में ही क्यों होता है? पेपर लीक रोकने के तरीके, वह लीक क्यों हो रहा है, उन कारणों में जाइए। इन्टरनेट बन्द करने से तो कुछ नहीं होगा।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग उन अपराधियों तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि यह राजस्थान का आन्तरिक मामला है। राजस्थान में ही पेपर छपता है, राजस्थान के ही लोग पेपर छपवाते हैं और राजस्थान के लोग ही उसको लीक करते हैं। कौन हैं वे लोग, आज तक हम पता नहीं लगा पाये। वह आरपीएससी से होता है या और किसी संगठन से होता है, उसका पता लगाइये। उस नाकामी को छुपाने के लिए हम लोग इन्टरनेट बन्द करते हैं। सर, इन्टरनेट के बारे में आज के इण्डियन एक्सप्रेस में छपा है, "India tops list of global internet shut-offs" ...(व्यवधान) मेरे भाई, सुन तो सही। मैं जानता हूं, आप मंत्री है। हिन्दुस्तान में, Rajasthan is at number one! समझ गये? कहां-कहां से..., चलिए जो भी है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। आज के इण्डियन एक्सप्रेस में है यह And this is a global survey. दुनिया में जितने इन्टरनेट होते हैं 50 परसेंट इंडिया में होते हैं और इंडिया में जितने होते हैं राजस्थान उसमें नम्बर वन है तो यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। यह शर्म की बात है, चिन्ता की बात है। हमको इसका मन्थन करना चाहिये, चिन्तन करना चाहिये। उसका समाधान निकालना चाहिये। मंत्री महोदय, हर चीज को डिफेन्ड करने से पार नहीं पड़ेगी। चुनाव दिसम्बर में हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरा जो दूसरा अनुरोध है, गैंगवार। राजस्थान में हिंसा थी, मर्डर होते थे, रेप होते थे, डकैती होती थी पर ये गैंगवार्स जो हैं, इन्टरस्टेट गैंग्स, ये पिछले कुछ ही सालों से चल रही हैं। कांग्रेस राज में भी थी, बीजेपी राज में भी थी, पर यह नयी बात है। आज अन्तरराज्यीय जो गैंग्स हैं, चाहे पहले हमारे आनन्दपाल का गिरोह था या राजू ठेहट का गिरोह है या अभी लोरेंस बिश्नोई का चल रहा है। लोरेंस विश्नोई रहने वाला पंजाब का, उसके गुर्गे राजस्थान में हैं और कार्यक्षेत्र पूरा भारत और विदेश में भी है तो यह चिन्ता का विषय होना चाहिये कि ये राजस्थान को ही क्यों फर्टाइल ग्राउंड देखते हैं कि राजस्थान में हमको क्या ऐसी सुविधा मिलती है, जो और स्टेट्स में नहीं मिलती।

सभापति महोदय, लोरेंस बिश्नोई पंजाब का रहने वाला है, चंडीगढ़ का पढ़ा हुआ है, पर आपरेशंस राजस्थान में करता है और राजस्थान में भी जेल में बैठ कर करता है। वह कितना सुरक्षित है राजस्थान की जेलों में कि यहां से बैठे-बैठे अपना अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है। यह ही आनन्दपाल की स्थिति थी, यह ही राजू ठेहट की स्थिति है। यह राजस्थान के जो भी इस व्यवस्था को देखते हैं, उनको देखना चाहिये।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

धारीवाल साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा, सर, पिछले कांग्रेस कार्यकाल में आप गृह मंत्री थे, आप हर रैंज मुख्यालय पर जाते थे और पुलिस कार्य की समीक्षा करते थे रैंज वाइज। इन चार सालों में किसने समीक्षा की है? कौन गया था, कहां-कहां गया था? इस पर भी चिन्ता करें। जब तक हम इस स्थिति की समीक्षा नहीं करेंगे तो हमें समाधान कहां से मिलेगा। चर्चा तो करें, आप विभाग के अन्दर करें। किसी आदमी को भेजें जो भी आपको उचित लगे, ताकि इसका समाधान निकले। यह कहने से कुछ नहीं होगा कि बीजेपी कार्यकाल में होता था, हमारे कार्यकाल में हो रहा है, फिर तो सरकार बदलने की जरूरत ही क्या है? चलने दो जो चल रही है, वह ही।

किसी चीज को स्वीकार करना मैं मानता हूं कि कोई गुनाह नहीं है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में एक नियम है कि जो सिपाही हमारा होता है वह अपने गृह थाने में नहीं लग सकता। सही है, जो सब इंस्पेक्टर है, थानेदार होता है वह गृह पुलिस स्टेशन में नहीं लग सकता। मैं ऐसा उदाहरण देता हूं आपको, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अख़बार में पढ़ा था। एक डीवाईएसपी पकड़ा था जितेन्द्र आंचलिया, उदयपुर का, उसकी कुल सेवा 26 साल की सब इंस्पेक्टर से यहां तक, 24 साल सिर्फ उदयपुर में रहा। हमारा सिपाही नहीं रह सकता, थानेदार नहीं सकता, पर ये डिप्टी साहब रह सकते हैं तो किसी न किसी की तो मेहरबानी होगी इसमें, और वे पूरे प्रदेश को बदनाम करते हैं, पुलिस फोर्स को बदनाम करते हैं।

ऐसे ही एक महिला का मैंने अख़बार में पढ़ा था, उसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, संयम जी भी जिक्र कर चुके हैं। एसओजी में एक महिला अधिकारी पकड़ी गयीं किसी गलत काम के लिए। एसओजी होती है to stop organized crime. और उसी में यह एक महिला ऐसी थी, जिसको 25-25 मुकदमे, राजस्थान के सब मुकदमे, कहीं के भी हों, यही जांच करेगी और जांच आ गयी सामने। अधिकारी को मैं दोष नहीं दूंगा। वे कौन लोग थे जो उसको एसओजी में लाये और राजस्थान के सब मुकदमे उसी को दिये कि वह निष्पक्ष कार्यवाही कर सके, बिना भेदभाव के कर सके तो यह चिन्ता का विषय है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हमको बैठ कर, सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिये और जो भी इसमें समाधान है वह करना चाहिये।

सर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना पैसे के हो सकती है। मैं डीजी साहब के ध्यान में लाना चाहूंगा धारीवाल जी आपकी मार्फत कि, सर, ऐसे थाने हैं,

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

थाना किसी और एसडीएम के नीचे है और डीवाईएसपी कहीं और का बैठता है। मेरे उनियारा में उनियारा डीवाईएसपी के नीचे सर्किल में एक थाना है नगर फोर्ट, डीवाईएसपी लगता है नगर फोर्ट का और वहां का एसडीएम लगता है देवली का, जो सौ किलोमीटर दूर है। अगर 151 में यहां की पुलिस पेश करेगी तो खुद के एसडीएम के यहां पेश नहीं करेगी, उसको वहां करेगी तो इनका कोटर्मिनस जो भी है एडीएम्स का, एडिशनल एसपीज का, डीवाईएसपीज का, क्योंकि मेरे दो सर्किल हैं, एक देवली डीवाईएसपी है, एक उनियारा डीवाईएसपी है। उनियारा डीवाईएसपी के ऊपर एडिशनल एसपी टोंक और देवली के एडिशनल एसपी हैं वे हैं मालपुरा के। दोनों एक विधान सभा क्षेत्र में, एक कार्य है, एक जनता, तो एक जगह कर दीजिए जिसके भी अधीन आपको करना है, तो इनको थोड़ा री-लुक करने की आवश्यकता है।

सर, एक जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था का भी मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। चूंकि मैं जयपुर में रहता हूं और आनाजाना पड़ता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, पर एक-एक ट्रैफिक लाइट को क्रोस करने के लिए बहुत बार, मंत्री महोदय, आपके तो एस्कोर्ट होती है, आपको तो देखते ही करा लेते हैं, पर हम जैसे साधारण आदमियों को एक-एक रेड लाइट पर तीन-तीन, चार-चार बार रुकना पड़ता है, तब पार करते हैं, तो जो भी उसका सुधार हो...

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): आपको सारे पुलिस वाले जानते हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): तो मेरा यह है, सर, ट्रैफिक में काफी सुधार की आवश्यकता है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में भी, क्योंकि राजस्थान का देश के अग्रणी प्रदेशों में जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्ल डैथ्स होती हैं, उसका नाम आता है। यह अच्छी स्थिति नहीं है और यह शुरू से है आज की बात नहीं है। 10-15-20 साल से तो मैं मानता हूं कि राजस्थान में काफी ज्यादा डैथ्स होती हैं। उसमें जो भी सरकार कर सके, करे।

सर, साम्प्रदायिकता, साम्प्रदायिक घटनाएं, मैं मानता हूं कि इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। काफी तरह-तरह की छोटी-छोटी घटनाएं समय पर उनको डील नहीं करते हैं तो हाथ से बाहर निकल जाती हैं। जैसे अभी राजस्थान के दो लड़के हरियाणा में जला कर मारे गये थे। उनके गांव में

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

आज नेटबंदी कर दी घाटमिका में, उनके समाज की कोई मीटिंग थी। वो मर चुके जो मरने वाले थे, पर ऐसे क्यों लोगों को, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, व्यापारियों का व्यापार चल रहा है।

मंत्री महोदय, कल जयपुर शहर के व्यापार मण्डल ने मीटिंग की थी और उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि दो दिन की परीक्षा में नेटबंदी के कारण उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या यह तरीका है? अपराध रोकना है या व्यापार रोकना है? यह थोड़ा-सा ध्यान रखें। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होता है। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, उनका भी इन्टरनेट चालू है, पर हमारे परीक्षा होते ही इन्टरनेट बन्द। इससे क्या साबित करना चाहते हो आप? ये लोग, जो भी ये कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि यह बहुत अच्छी बात नहीं है इसका कोई और समाधान ढूंढ कर करें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, अन्त में, मैं कहना चाहूंगा महिला अत्याचारों में, atyachaar in general; mahila atyachaar in particular, राजस्थान में हर रोज अख़बार में पढ़ने को आता है गलत चीजों के लिए खबर बनती है तो जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाए। यह नहीं कि हमने एक सेल खोल दिया, यह खोल दिया। उससे अपराध पर क्या फर्क पड़ा, अपराध की स्थिति पर क्या फर्क पड़ा? क्या अपराध नियंत्रण में आ चुका? यह मेरा सरकार को सुझाव है। अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को अधिकारी, सिपाही से लेकर डीजी तक उनको वे सुविधाएं मिलें, जिनमें वे अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकें और हमारी जनता सुरक्षित रहे। सर, आपने बोलने का मौका दिया, जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द जी मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 18-गृह 19-कारागार विभाग पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। लूट, हत्या, डकैती, चोरियां, साइबर अपराध, लॉरेंस गैंग, भू-माफिया, बजरी माफिया, अवैध खनन के दिनों-दिन अपराध बढ़ रहे हैं, इसका कारण सरकार की कानून-व्यवस्था फैल है। सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम

(श्री गोपी चन्द मीणा)

पंचायत बिलेटा के दो गांव खोंहराखुर्द और खोंहराकलां के लोगों को हनुमान नगर पुलिस थाने में आना जाना पड़ता है। उस थाने की दूरी करीब 40 किलोमीटर है, जबकि उस पंचायत के सारे गांव और पंचायत मुख्यालय जहाजपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मेरी मांग है कि पुलिस थाना हनुमान नगर से हटाकर जहाजपुर में कर दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं इस संवेदनशील एवं पारदर्शी सरकार के बारे में बताना चाहता हूं कि 2010 में मुकदमा नम्बर 104/2010 कोटड़ी थाने में दर्ज हुआ था और 2015 में मुकदमा नम्बर 145/2015 दर्ज हुआ था। 10-12 साल होने के बाद भी इन मुकदमों में आज तक चालान पेश नहीं हुआ। सरकार ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि गिरफ्तारियां अपेक्षित हैं। मैं श्रीमान् से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से 12-13 साल तक भी इस प्रकरण में चालान पेश नहीं होता है तो इस सरकार से न्याय की क्या उम्मीद करें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है और जो सरकार कह रही है कि हम अपराधियों को ढूंढ रहे हैं, वही अपराधी थानेदार की कुर्सी के पास बैठे हैं और उसी थाने का थानेदार उन अपराधियों को एस्कोर्ट कर रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुकदमा नम्बर 104/2010 और 145/2015 में चालान पेश किया जाये। मैं डीजी साहब से भी मिला था। डीजी साहब ने यह कहा कि ऊपर से आदेश है, इसलिए हम इनको बचा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह ऊपर के आदेश कहां से हुए हैं? 12-13 साल तक उस प्रार्थी को न्याय नहीं मिल रहा, उसका चालान पेश नहीं हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मुकदमे में त्वरित कार्यवाही करके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही मैं सरकार से मांग करता हूं कि होम गार्ड के कार्मिकों को स्थाई रोजगार दिया जाए, ताकि उनको अपना परिवार चलाने में सुविधा हो।

सभापति महोदय, विधायक कोष एवं सांसद कोष से हमारे द्वारा स्वागत कक्ष का निर्माण करवाया गया था, उनके लोकार्पण करने की सरकार स्वीकृति प्रदान करे। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस थाना कोटड़ी और हनुमान नगर में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेकिन जानबूझ कर भ्रष्ट नेताओं के इशारे पर अपराध बढ़ाने के लिए लगातार तीन-चार साल से अयोग्य अधिकारियों को सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग दी जा रही है। इससे अपराध बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में जहां इंस्पेक्टर की

(श्री गोपी चन्द मीणा)

पोस्ट है, वहां इंस्पेक्टर को लगाया जाए और पुलिस थानों में जो नफरी कम है, उन तमाम की पोस्टिंग की जाए ताकि कानून व्यवस्था में सहयोग मिल सके। सम्पूर्ण प्रदेश में एससी, एसटी के दर्ज प्रकरणों में पीड़ितों को एससी, एसटी कोर्ट से समय पर आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि गरीब पीड़ितों को समय पर त्वरित आर्थिक सहायता राशि दी जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में और विशेषकर भीलवाड़ा जिले में पुलिस कार्मिकों एवं थानाधिकारियों के खिलाफ गम्भीर प्रवृत्ति के आरोप हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार करने के लिए या अपराध करने के लिए बजरी माफियाओं के साथ लिप्त होने के कारण उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों की वहां पोस्टिंग की जाए, और ऐसे भ्रष्ट एसएचओ को थानों से हटाया जाए, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लंबे समय से जो कार्मिक पद स्थापित हैं, उनको चिह्नित करके हटाया जाए।

सभापति महोदय, जहाजपुर में विगत चार साल से पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध कारोबार बढ़ रहा है। बजरी माफिया, भू-माफिया, शराब माफिया का इतना आतंक बढ़ गया जो कि शर्मसार करने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजरी माफिया के साथ वहां की पुलिस और वहां का स्थानीय प्रशासन, पटवारी और एसडीएम लिप्त है। भ्रष्टाचार में एसीबी के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी सरकार के द्वारा उस एसडीएम को बचाया गया और अभी भी उसकी वहीं फील्ड पोस्टिंग है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध इतना बढ़ गया है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है। डीजीपी साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपके दो सिपाही भ्रष्ट अपराधियों द्वारा शहीद हो गये। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस नाकाम रही, वहां के अधिकारी तस्करों के साथ लिप्त थे, उनको भी बचाया गया। श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के दो जवान शहीद हो गये, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं सरकार से निवेदन

(श्री गोपी चन्द मीणा)

करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। सभापति महोदय, मुकदमा नम्बर 104/2010 के मामले में मैं डीजीपी साहब से तीन-चार बार मिल चुका, लेकिन डीजीपी साहब का कोई जवाब नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर प्रवृत्ति के मामलों में भी आप 12-13 साल से चालान पेश नहीं कर रहे हो तो न्याय की क्या उम्मीद की जाये। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं पुलिस को सारा दोष देता हूं। बीट प्रभारी को सारी जानकारी होती है कि कहां-कहां अपराध हो रहे हैं, कहां-कहां खनन हो रहा है। एसएचओ और पुलिस बीट प्रभारी के माध्यम से ये अपराध हो रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से धारीवाल साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि माफिया, तस्कर बीट प्रभारी को, डीओ एवं एसएचओ को लोकेशन देकर रोड से निकलते हैं। जिस चौराहे पर डीओ रहता है, वहां से 100-200 मीटर बायीं ओर वह अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता है और फिर उन साधनों को धड़ल्ले से निकालता है। जब साधन निकल जाते हैं, उसके बाद वापस वे वहां आ जाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां नाकाबंदी की गई है, डीओ उस जगह की रिपोर्ट डालें एवं उसकी लोकेशन तय करें कि यहां रुके हैं, इससे अपराध रोकने का प्रयास होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हर जगह पुलिस के माध्यम से अवैध कारोबार हो रहे हैं। जगह-जगह शराब की दुकानों की ब्रांचें लगी हुई हैं। इसमें पुलिस सरेआम भ्रष्टाचार कर रही है, इसमें उनकी संलिप्तता है। जिन थानाधिकारियों पर गम्भीर आरोप हैं, उनको भी फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। गम्भीर प्रवृत्ति के आरोपों के बाद भी सरकार उनको बचाने का प्रयास करती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत चिह्नित करके हटाया जाए। सरकार के जन घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने की घोषणा की गई थी। इसके लिए सम्पूर्ण प्रदेश के अधिवक्ता भाइयों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करता हूं। साइबर क्राइम रोकने के लिए प्रत्येक थाने में पद सृजित करने चाहिये, ताकि इनकी रोकथाम हो सके। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लम्बे समय से जो पुलिस अधिकारी रुके हुए हैं उनकी कहीं न कहीं सांठगांठ है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने पिछले साल बजट में यह एनाउंस किया कि जेल की डीपीआर बनेगी और सेन्ट्रल जेल, जयपुर को यहां से शिफ्ट किया जायेगा। आज साल भर बाद में अभी इस बजट में इसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल जेल को यहां से शिफ्ट किया जाये। असली नाम जेल सुधार गृह है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जेल में क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं। सेन्ट्रल जेल जयपुर सिटी में होने की वजह से शहर के अन्दर इन-सिक्योरिटी है। लोग मोबाइल का यूज करते हैं। आसपास टॉवर हैं, आसपास बड़ी-बड़ी इमारतें हैं। चारों तरफ घर हैं। ऐसी इन-सिक्योरिटी की जगह पर सेन्ट्रल जेल मौजूद है और सुधार के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक अभियान चलाकर जेल को सुधार गृह में तब्दील किया जाए। जो नया कैदी आ जाता है, उसको सुधरने का मौका मिले। होता यह है कि जब वह जेल में चला जाता है तो बजाय सुधरने के, वह जब बाहर निकलता है तो एक क्रिमिनल के रूप में पैदा होकर निकलता है।

लॉ एंड आर्डर की स्थिति अगर आप देखेंगे, बहुत सारे डाटा सबने दिये हैं, पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान की लॉ एंड आर्डर की स्थिति सबसे अच्छी है। राजस्थान के अन्दर लॉ एंड आर्डर कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सब मुस्तैद हैं और सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वारदातें होती हैं क्राइम भी होते हैं और उनसे निपटा भी जाता है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब हमारी सरकार आयी तो ऐसा सुनने में आता था कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं किये जाते हैं। थानों में मिसबिहेव किया जाता है। मैं मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 841 स्वागत कक्ष बनाकर पूरे राजस्थान में एक मैसेज दिया है कि हम थानों में भी आदमी का स्वागत करेंगे। आम आदमी इन्सिक्योर फील नहीं करे, आम आदमी अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे और थाने वाले उनकी सुनवाई करें ऐसी व्यवस्था थानों के अन्दर की गयी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं।

(श्री रफीक खान)

एक बहुत ज्वलंत मुद्दा अभी चल रहा है और सभी ने इसका जिक्र किया है। कामां की एक घटना है जिसमें दो आदमियों को, हरियाणा के आदमी, मैं यह विपक्ष के साथियों को भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के आदमी, कानून के मामले में, मुलजिम के मामले में और जुर्म के मामले में अगर हम सबने मिलकर एक होकर काम नहीं किया तो आने वाले समय में हम पूरे हिन्दुस्तान में कानून-व्यवस्था को सही नहीं रख पायेंगे। नासिर और जुनैद सुबह अर्ली मार्निंग हरियाणा से पास होते हैं। सभापति महोदय, मोनू-मानेसर नाम का एक गैंग है और उनके फोटोज बड़े-बड़े नेताओं के साथ में हैं। यहां तक कि अमित शाह के साथ में उनके फोटोज हैं। बन्दूक लेकर, पुलिस के साथ में, एक भय का, खौफ का और डर का माहौल बनाते हैं, लोगों को डराते हैं। वह गैंग उनको किडनैप करती है। एक आदमी के साथ में मारपीट करती है। जिस आदमी के साथ में मारपीट की जाती है। वह अधमरा हो जाता है, मरने की स्थिति में आ जाता है। उसको वे हरियाणा के थाने में लेकर जाते हैं। थाने वाले उसको लेने से मना कर देते हैं कि यह तो राजस्थान का मामला है। गम्भीर है, इसके गम्भीर चोटें आयी हैं। जब वे वापस ले जाते हैं तो वह आदमी मर जाता है। दोनों जनों को कहीं ले जाकर, जलाकर मार देते हैं। इससे शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। इसके अन्दर सबसे खराब बात यह है कि जो उनके साथ जुड़े हुए आदमी हैं जैसा कि अभी मेरे साथी ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं जो लोगों को ओपनली चैलेंज करते हैं, उनके वीडियोज हैं, उनकी फेसबुक की डीपी में सारे फोटोग्राफ मौजूद हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर हम उनको क्लीन चिट किसी भी तरह से नहीं दे सकते हैं।

जहां तक हमारी बात है और हमारी राजस्थान सरकार की बात है, हम डिस्क्रिमिनेशन की ओर जा रहे हैं। जब एक घटना होती है तो हम उसको 51 लाख रुपये का मुआवजा देते हैं, नौकरी की बात करते हैं और दूसरी घटना होती है तो उसमें अभी तक 13 दिन तक कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सदन से गुजारिश करता हूं कि उनका मुआवजा, उदयपुर में जो घटना हुई थी, उसी की तर्ज पर 51-51 लाख रुपये का मुआवजा तय किया जाए और उसी तरीके उसमें नौकरी और अन्य बेनेफिट दिये जाएं। जिस तरह का यह अपराध है, यह संगठित अपराध के रूप में बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार का नोन-कोपरेशन है। वहां एक महा पंचायत की जाती है। महा पंचायत करके यह बोला जाता है कि अगर राजस्थान पुलिस यहां आती है तो

(श्री रफीक खान)

हम उसके हाथ-पांव तोड़ देंगे। मेरी विपक्ष के साथियों से भी गुजारिश है कि ऐसे क्राइम से निपटने के लिए हम पार्टी-पोलिटिक्स से ऊपर उठकर, स्टेट के बोर्डर से ऊपर उठकर हमको एक होकर काम करना चाहिए। क्रिमिनल का कोई जाति-धर्म नहीं है, क्रिमिनल, क्रिमिनल है। उसे हम सबको मिलकर सज़ा देने की बात करनी चाहिए और सज़ा दिलानी चाहिए। जिस गाड़ी में उसको किडनैप किया जाता है, वह गाड़ी वहां की किसी गोशाला के नाम निकलती है। सोमनाथ गोशाला के नाम से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। जो आदमी उनको ले जाते हैं, उनका भी जुड़ाव गोशाला के लोगों से होता है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं, धारीवाल साहब बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि सख्त से सख्त कार्यवाही हो। स्पेशल टॉस्क फोर्स गठित की जाए। एक भी क्रिमिनल आदमी नहीं बचे। सभी आदमियों को इसमें सज़ा मिले। यह तय किया जाना चाहिए।

पूरे देश में आज जहां-जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं, इसी तरह की गुंडागर्दी हो रही है। चाहे वह यूपी हो, यूपी के अन्दर बुलडोजिंग की घटना, आम आदमी के अन्दर भय और खौफ का माहौल है। कर्नाटक की घटना होती है। एक बच्ची स्कूल जाती है, कालेज जाती है। उसके चारों तरफ आकर लोग-बाग़ नारे लगाते हैं और भय एवं खौफ का माहौल क्रिएट करते हैं। जय श्रीराम के नाम से डराते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून में डर की संज्ञा नहीं है। श्रीराम ने हमको मर्यादा सिखायी है। श्रीराम ने हमको मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं सिखाया है। जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, उनका अन्त रावण की तरह हुआ। इस तरह का जो माहौल बनायेंगे, उनका अन्त भी रावण की तरह निश्चित है।

मैं सदन के माध्यम से आपको एक और बात बता देना चाहता हूं। सभापति महोदय, डेढ़ साल पहले कोविड के समय में एक मुकदमा मेरे पर दर्ज किया जाता है। उस मुकदमे के अन्दर, वहां एक बहुत नामी-गिरामी आदमी है, जयपुर शहर के एक मौजिज आदमी की डैथ होती है, मौत हो जाती है। 15 हजार आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए पहुंचते हैं। चूंकि वह आदमी मेरे विधान सभा क्षेत्र का था और मैं वहां से विधायक हूं तो मेरी मोरल रेस्पोंसिबिलिटी बन जाती है कि मैं वहां पहुंचकर स्थिति को संभालूं। मैं पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश करता हूं। पब्लिक कंट्रोल नहीं होती, किसी तरह वहां से समझा-बुझाकर जनाजा प्रोसेस कराते हैं। नतीजा यह होता है कि

(श्री रफीक खान)

पुलिस उस काम को सही अंजाम देने की बजाय मुझ पर ही मुकदमा दर्ज कर देती है। मैं तो इस बात का शुक्रगुजार हूं कि मेरा नाम उसके अन्दर होता है। अगर वह मुकदमा आम आदमी के ऊपर हो जाता तो वह आम आदमी कहीं बख्शा ही नहीं जाता। हद तो तब हो जाती है कि जब उसकी जांच होती है, जांच के अन्दर एक अधिकारी को एमएलए नहीं मिलता है। वह तीन नोट काटकर चला जाता है कि मुझे एमएलए नहीं मिला और इस बात को प्रमाणित कर देता है कि मैं एमएलए से सम्पर्क नहीं कर सका। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं उसमें दोषी हूं और मेरे खिलाफ जुर्म प्रमाणित है तो मैं यहां सदन के अन्दर मौजूद हूं। मैं यहां से निकलूं तो मुझे अरेस्ट कर लें। उस मुकदमे के अन्दर न्याय की बात करें और कानून अपना काम करके सच्चाई की तरफ लेकर जाए। ऐसा नहीं कि उसमें आम आदमी के साथ इन्जस्टिस हो जाए। मैं माइनोरिटी कमीशन का चेयरमैन भी हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब एक चेयरमैन को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो आम आदमी को जस्टिस कैसे मिलेगा। आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन का उपयोग स्वयं के मामलों की पैरवी के लिए नहीं किया जा सकता

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि सदन में कोई भी अपनी स्वयं की पैरवी नहीं कर सकता। ये अपने खुद के मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। आप इन्हें रोकिए। आपसे ज्यादा इस सदन की परम्पराओं को जानने वाला कोई नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? मैं पहली बार देख रहा हूं। इतने कमजोर हो गये हैं कि इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुकदमे की पैरवी के लिए।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह व 19-कारागार पर विचार

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं हाउस में बता देना चाहता हूं, जो घटना हुई है, उसकी सच्चाई बताना चाहता हूं। यह कहना चाहता हूं कि जब मेरे जैसे आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, एक विधायक को और एक माइनोरिटी

(श्री रफीक खान)

कमीशन के चेयरमैन को न्याय नहीं मिलेगा और पुलिस उसको एब्सकान्ड बता देगी, तीन बार यह बता देगी कि हम उनसे सम्पर्क नहीं कर सके, जबकि मैं पूरे समय यहां जयपुर में मौजूद हूं, तो हम आम आदमी के न्याय के लिए कैसे लड़ेंगे? माइनोरिटी कमीशन, आयोग, आयोग का चेयरमैन, आज पूरे राजस्थान की जनता उसके पास न्याय के लिए आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सदन के अन्दर एक नयी परम्परा पड़ रही है। बोलें, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति बैठा हो।

श्री सभापति: ये नियमों में स्पष्ट प्रावधान है, प्लीज आप थोड़ा...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। मैं किसी चीज की टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक जनरल बात रखना चाह रहा हूं कि ऐसे मुकदमे जिसमें एक विधायक को न्याय नहीं मिले और गलत तरीके से मुकदमा दर्ज हो जाए। एक तरफ तो एक विधायक एक किलोमीटर साथ चलता है और मैं वहां पर समझाइश के साथ वहां पर जाता हूं और समझाइश के साथ जाकर पूरे काम को अमलीजामा पहनाता हूं। मैं यह कोशिश करता हूं कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना, किसी तरह की कोई घटना न हो जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें बजाय इस बात को समझने कि ये लोकल विधायक हैं, इनकी खुद की जिम्मेदारी है, उस बात को समझने के बजाय मुझ पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और यह लाइन एड कर दी जाती है कि विधायक ने भीड़ को उत्तेजित किया।

मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर एक शब्द मेरी उत्तेजना का वहां बता दें कि मैंने उत्तेजित करने का काम किया तो मैं यहां निकलने से पहले अपना इस्तीफा आपको सौंप कर जाऊंगा। एक भी व्यक्ति यह साबित कर दे कि यह मेरी गलती है और मैंने उत्तेजना का काम किया हो।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मुझे इस बात की पीड़ा है कि जब इस बात की जानकारी हेतु मैं मेरे कमीशन से डीजी आफिस को लैटर लिखता हूं तो डीजी आफिस से ये जवाब आता है कि अभी इस पर जांच जारी है और पता ये लगता है कि एक आदमी मेरे खिलाफ जुर्म प्रमाणित करके चला गया।

(श्री रफीक खान)

मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मेरे खिलाफ जुर्म प्रमाणित है तो मैं यहां से बाहर जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार करें और कानून अपना काम करे, लेकिन ऐसे केसेज दोबारा रिपीट न हों। अगर इसके अंदर कोई अधिकारी दोषी हो तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 18-गृह विभाग और 19-कारागार विभाग पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी माननीय साथी सदस्य जो आदर्श नगर से आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ में कोई कार्यवाही बनती है, सही होगी तो मैं इस्तीफा दूंगा। पहले भी आपके साथी विधायकों ने इस्तीफा दिया था, क्या हुआ? देख लीजिए, इस प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं करें जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के चार साल के शासन में और इस अंतिम बजट की अनुदान मांगों पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जो राजस्थान में ज्वलंत मुद्दे हैं, इस समय राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता देख रही है। पेपर लीक के माध्यम से राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों पर जो चोट लगी है, सपने जो ध्वस्त हुए हैं, उनके बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बढ़ते हुए अपराध के कारण, यह मुख्य मुद्दा सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरे भारत में राजस्थान में बेरोजगारी की दर 28.5 प्रतिशत है। पूरे भारत में नम्बर दो पर है राजस्थान। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण अपराध का ग्राफ वाकई में निश्चित रूप से लगातार बढ़ा हुआ है। इस बढ़ते अपराध के कारण आज पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण, चाहे वह रीट का एग्जाम हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का हो, इन पेपर लीक प्रकरणों में कुछ आदमी ऐसे हैं जो पकड़े भी जाते हैं और पकड़ने के बाद उनको जेल हो जाती है। यह जो अभियुक्त टाइप के लोग हैं, इनकी फोटो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये फोटो है, कांग्रेस की मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी के साथ में एक अभियुक्त की फोटो है, जिसको अभी

(श्री अविनाश)

गिरफ्तार किया गया है और यह जेल के अंदर है। यह कौन व्यक्ति है राजीव उपाध्याय? यह राजीव उपाध्याय वह व्यक्ति है, जो इस रीट भर्ती के पेपर लीक का मास्टर माइंड है भूपेन्द्र सारण, उसको भगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजीव उपाध्याय की थी। वह बंद है जेल के अंदर। उसकी फोटो है ममता भूपेश जी के साथ में। एक फोटो और दिखाना चाहूंगा बड़े साहब की है। बड़े साहब के साथ में भी है। एक और मंत्री जी हैं, उनके साथ में। यह वह व्यक्ति है, जब राजस्थान सरकार के मंत्रियों की शपथ होती है, उसके बाद में अपना एक शुभकामना संदेश देता है राजस्थान सरकार को कि मैं शुभकामना देता हूं कि राजस्थान सरकार ने शपथ ली है, मंत्रियों ने शपथ ली है। ऐसे आपराधिक किस्म के लोग जिनके ऊपर सरकार का हाथ रहेगा तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेंगे। अपराध बढ़ेंगे तो पेपर चोरी जैसे प्रकरण भी होंगे। युवाओं के भविष्य पर खतरा मंडरायेगा। यह साधारण-सी बात है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में लगभग 70-80 हजार के करीब अधिवक्ता पूरे राजस्थान में लगभग सभी न्यायालयों के अंदर हड़ताल पर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में भी अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। कारण क्या है? अधिवक्ता श्री जुगराज चौहान जी की जोधपुर में सरेआम हत्या कर दी गयी। यह एक ही मामला नहीं है। इससे पहले भी एडवोकेट हंसराज जी मावलिया की खंडेला, सीकर के अंदर; एडवोकेट विजय सिंह की घड़साना, गंगानगर के अंदर और एडवोकेट जुगराज जी चौहान की जोधपुर के अंदर। इस प्रकार के वातावरण से वकील समुदाय के अंदर जो भय, आतंक और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, उसके कारण सम्पूर्ण राजस्थान के अंदर वकील समुदाय हड़ताल पर हैं।

माननीय सभापति महोदय, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग अधिवक्ताओं के द्वारा की जा रही है। इस मांग में उन्होंने सरकार की मदद के लिए अपनी तरफ से ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया है कि आप चाहें तो इसमें संशोधन करें या ऐसा कोई कानून बनाएं जिससे अधिवक्ताओं की पैरवी हो, अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो। उन्होंने कहा कि कम से कम सरकार कानून बनाए और उसके अंदर ऐसा प्रोविजन करे कि कोई भी वकील जब तक अपना वकालात का पेशा करे, वकालत का कार्य करे, व्यवसाय करे, उस समय उसको सुरक्षा कैसे दी जा सके? किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो, उसको रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से कानून बनाकर राजस्थान के समस्त अधिवक्ताओं को राहत देने के लिए मैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति जी, जिस अपराध की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पाली जिला एक शांतिपूर्ण जिला माना जाता है। उसके 6 विधान सभा क्षेत्र, जहां पहले अपराध के मामले में लगभग शून्य थे, लेकिन बीते चार वर्षों के अंदर जैसे राजस्थान प्रदेश भारत के अंदर नम्बर वन पर पहुंचा अपराध के अंदर, पाली जिले के अंदर भी आपकी सरकार की मेहरबानी के कारण अपराध कम नहीं हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मजबूत सरकार होती, सरकार का नियंत्रण अगर होता तो आज ये घटनाएं नहीं होतीं। आज उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का मामला किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या कसूर था उस निर्दोष का? एक तरफ आप कहते हैं कि पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का हमने लिखित रूप से दिया है, घोषणा की है। क्या हुआ था? उस व्यक्ति ने वहां थाने के अंदर रिपोर्ट दी थी। उसने कहा था मेरे ऊपर यह हमला हो सकता है, मेरे ऊपर यह घटना हो सकती है। पुलिस अगर समय पर उस पर ध्यान दे देती तो कन्हैयालाल तेली आज इस दुनिया में जिंदा होता। पुलिस की नाकामी के कारण आज अपराधी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने उसको सरेआम मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद में भी राजनीति हुई। उसे साधारण-सी घटना बता दिया गया और जिस प्रकार से खौफ पैदा करने की कोशिश की गयी, एक मजहब को, अपनी संस्कृति के ऊपर हावी होने का प्रयास जिस प्रकार से किया गया था, यह किसी भी प्रकार से सहन करने योग्य नहीं है, बहुत निंदनीय घटना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे जैतारण क्षेत्र की बात करूं तो बड़ून्दा के अंदर वृद्धा की हत्या कर दी गयी। नोक के अंदर एक 60-65 साल के वृद्ध की हत्या कर दी गयी, लेकिन कुमावत समाज के उस व्यक्ति की हत्या के महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक केस खुला नहीं है। अपराधी पकड़े नहीं गये। यह आपकी पुलिस की सफलता है? इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर बर से एक व्यवसायी जो सोलर सयंत्र का काम करता है, उसकी वेन चोरी हो जाती है। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है। लगभग 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद आज दिन तक भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, नेशनल हाईवे 458 पर बांजाकुडी रोड पर जैतारण में गवर्नमेंट आईटीआई के सामने रात को एक डम्पर चोरी होता है।

(श्री अविनाश)

भैराराम पालड़िया करके निमाज का एक व्यक्ति है, जो उस डम्पर के माध्यम से अपने जीवन का गुजारा करता है। रात को चोरी होने के बाद में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस मदद तो करती है, लेकिन आज दिन तक, इतने दिन बीत जाने के बाद भी वह डम्पर कहां गया, क्योंकि जब मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने कांस्टेबल को साथ भेजकर, हैड कांस्टेबल को भेजकर जितने भी टोल नाके हैं, वहां पर कैमरे को चैक किया और कैमरा चैक करने के बाद में जयपुर में जो मनोहरपुरा थाना लगता है, यहां तक वह टैंकर क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, पता नहीं चला। इसके बारे में जानकारी करने की आवश्यकता है। इसी तरह जैतारण के अंदर एक सोनी जी की दुकान पर 80 से 100 ग्राम के करीब सोना चोरी हो गया। उस बात को भी लगभग 10 दिन हो गये। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कार्यवाही नहीं हो रही है। कार्यवाही हो रही है, लेकिन थोड़ी धीरे कार्यवाही हो रही है। माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। पुलिस को इस प्रकार का निर्देश देने की आवश्यकता है कि अगर हम इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे तो आम जन मानस के मन में जो डर है, खौफ है, वह कम होगा। पुलिस अधिकारी सारे बेईमान नहीं होते, सारे भ्रष्टाचारी भी नहीं होते। बहुत लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं। इसलिए उनको अवार्ड देने की भी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, जब कोई घटना होती है तो आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम करने की जवाबदारी सरकार की होती है। रोकथाम करने की बजाय बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् जैसे सामाजिक संगठन हैं, उनको साम्प्रदायिक करार देना, यह किस प्रकार की राजनीति का हिस्सा है, यह भी सोच-विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी दो दिन पहले खिवाड़ा के अंदर प्रार्थी खरताराम, लालूराम जी, प्रकाश जी, पकाराम जी, नैनाराम जी, लालूराम जी, जाति माली, उनके खसरा नम्बर 276, 277, 278, 280, उनको जब से खातेदारी के अधिकार मिले हैं, उस समय से उनका कब्जा काश्त आ रहा है।

(श्री अविनाश)

25 तारीख को कुछ भू-माफिया 25-30 लोगों को लेकर वहां जाते हैं, जबरदस्ती उन पर हमला करते हैं, जबरदस्ती उनको बेदखल कर दिया जाता है। 25 तारीख को खिवाड़ा के अन्दर रिपोर्ट दर्ज दी जाती है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। 27 तारीख को जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, पाली के पास वह रिपोर्ट पेश की जाती है। अफसोस इस बात का है कि एक भी अपराधी, अभी तक पकड़ में नहीं आया। पीड़ित परिवार के लोग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। संज्ञान धारा के अन्दर मुकदमा भी दर्ज है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, इसका राजस्व कोर्ट रानी के अन्दर मुकदमा भी चल रहा है। उसका स्टे भी दिया हुआ है।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री अविनाश (जैतारण): उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। माननीय सभापति महोदय, यह किस प्रकार की व्यवस्था है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): साथ में एसीबी में जितने भी कार्मिक हो... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: किसनाराम विश्नोई। प्लीज, आप विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: हो गई, दस मिनट।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: इतनी देर थाने की डायरी पढ़ रहे थे आप।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए। सहयोग करिये।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: पुलिस के मैटर पर बोलते। थाने की डायरियां पढ़ रहे हो।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 व 19 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, गृह और कारागार पर चर्चा हो रही है। पिछले चार साल से प्रदेश में गांधी पार्टी की सरकार काम कर रही है। श्री अशोक गहलोत जी, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। इस सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हुए चाहे कोरोना का समय आया हो, आम आदमी अपने आपको बहुत सुरक्षित समझता है, वह केवल राजस्थान में समझता है। मैं लगातार तीन घंटे से सुन रहा था, छुट-पुट घटनाओं का जिक्र हमारे विरोधी साथी कर रहे थे। वह अवसर इन लोगों को कभी नहीं दिया, जब-जब हमारी सरकार आई। रावला-घड़साना की किसानों के साथ घटना हो, गुर्जर आंदोलन की घटना हो, ऐसा कोई अवसर इनके पास नहीं रहा, कभी इनको मौका नहीं दिया, बड़ी-बड़ी कम्पनियां भी एमओयू करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए राजस्थान आती है। यह विश्वास किसी ने दिया है तो राजस्थान की सरकार ने दिया है।

सभापति महोदय, पिछले बजट से लगातार, पुलिसिंग में नवाचार करने का माननीय मुख्य मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज के जमाने में साइबर अपराध बहुत ज्यादा हो गये। प्रत्येक जिला स्तर पर साइबर थाने खोलने की घोषणा हुई। साइबर थाने काम भी करने लग गये। आरपीएस अधिकारी लगाये गये। उसके साथ-साथ जो अनेक अपराध हो रहे हैं, अपराध का मूल कारण होता है नशा प्रवृति। नई पीढ़ी, नौजवानों में नशा प्रवृति की बात आ रही है, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने नशा प्रवृति को कम करने के लिए भी प्रत्येक जिला स्तर पर नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की घोषणा इस बजट में की है। अपराध का मूल कारण नशा होता है। ग्रामीण क्षेत्र, ढाणियों में, नशा अपराध करा देता है। सरकार ने कई कदम उठाये हैं।

सभापति महोदय, अनिवार्य एफआईआर दर्ज करने का हिन्दुस्तान के अन्दर पहला प्रदेश है। चाहे उसका परिणाम कुछ भी आए, एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। चाहे मुक़दमों की संख्या बढ़े, इसकी परवाह नहीं करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने फैसला किया इसी बजट में। प्रदेश में शांति, सद्भावना का संदेश घर-घर कैसे पहुंचे, 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाये जाने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। हर शहर, गांव, ढाणी, वार्ड में जाकर वे प्रेरक बनेंगे, पुलिस की मदद करेंगे, जिससे अपराध

(श्री किसनाराम विश्नोई)

कम होंगे। अपराध की जानकारी त्वरित रूप से मिले, अपराध की तफ्तीश त्वरित रूप से हो, इस तरह के कई नवाचार माननीय मुख्य मंत्री जी लाये। प्रदेश में आज शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ है। अप्रिय घटना घटित होने पर कैसे त्वरित पहुंचे, इसको लेकर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि 500 पुलिस मोबाइल का गठन होगा, जो सर्विस मॉडल, 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर काम करेगी ताकि आदमी को त्वरित न्याय मिल सके। त्वरित कोई घटना घटती है तो हाथों हाथ न्याय मिल सके, इलाज हो सके, अपराध के साथ-साथ किसी को ज्यादा चोट आ जाए तो भी त्वरित इलाज हो जाए, ऐसा नवाचार माननीय मुख्य मंत्री जी ला रहे हैं।

सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में अभय कमाण्ड फोर्स पहले से काम कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी 5 लाख बढ़ाई है। ड्रोन कैमरा भी काम करता रहेगा, ताकि कोई अपराध हो, चोरी की घटना हो, कोई वारदात हो, तो मुलजिम त्वरित पकड़ में आ जाए। कानून व्यवस्था मजबूत हो, इसलिए चाहे एडिशनल एसपी आफिस, डीवाईएसपी आफिस हों, थाने हों, चौकियां हों, सरकार ने पिछले चार साल में अनेक खोले हैं। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान की कानून व्यवस्था मजबूत है, इसलिए आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा से हर आदमी यहां बसना पसंद करता है। पसंद इसलिए करता है, क्योंकि यहां की कानून व्यवस्था माकूल है।

सभापति महोदय, इन्वेस्ट का मामला हो, रोजगार का मामला हो, प्रत्येक जिला स्तर पर 24 घंटे काम करने वाली विशेष योग्यता वाली, क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम की भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। कई तरह के नवाचार हैं। नशे की समस्या हो, सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु स्पेशल टॉस्क फोर्स, एंटी ड्रग्स चौकियों की स्थापना की घोषणा की है।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा का मामला, बार-बार विरोधी साथी इस बात को ला रहे हैं, उसके लिए कानून में पहले अमेंडमेंट हुआ है। एसओजी के साथ-साथ एसटीएफ की भी घोषणा की है। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में भी हो रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से कानून में संशोधन लाने की बात हो, चाहे एसओजी के साथ-साथ स्पेशल फोर्स गठन की बात हो, मजबूती से अपराधी सलाख़ों के पीछे जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं। यह केवल राजस्थान में है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। पुलिस के प्रति लोगों का एक भाव हो, सुरक्षा महसूस करें, ऐसा महसूस होना दर्शाता है कि सरकार का बहुत जिम्मेदारी से काम हो रहा है।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

सभापति महोदय, कई बार मेगा पुलिस स्टेशन की बात होती है। मेरा एक सुझाव है कि लॉ एंड आर्डर की विंग अलग हो और अपराध की विंग अलग हो, ताकि त्वरित कार्यवाही हो सके। लॉ एंड आर्डर व अपराध की विंग अलग-अलग हो, ताकि व्यवस्थित रूप से, त्वरित रूप से काम हो सके। पुराने थाने में, पुराने हिसाब से कम स्टाफ है। नये थानों के हिसाब से स्टाफ व्यापक रूप से हो। अभय कमाण्ड सेन्टर, जिला मुख्यालय पर है, कम से कम एसडीओ स्तर पर भी हो। बड़े कस्बे हैं, उसमें भी सीसीटीवी कैमरे, अभय कमाण्ड फोर्स की सब चौकियां हों, इससे अपराध में कमी आएगी। साइबर अपराध रोकने के लिए हर जिले में साइबर थाना स्थापित किया गया है। इस बजट में डीजी की पोस्ट भी अलग से, पोस्टिंग भी हो गई है। इस तरह के कई नवाचार माननीय मुख्य मंत्री जी लाये हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस, प्रशासन की इकाइयां सब डिविजन, डीवाईएसपी, पंचायत समिति, तहसील, उसका परिक्षेत्र एक ही हो। मैंने पिछले बजट में भी मांग रखी थी कि थानों का पुनर्सीमांकन करके, कई गांव ऐसे होते हैं जो थानों के समीप होते हैं, जबकि उसका थाना दूसरा लगता है। तीन किलोमीटर पर कई गांव आते हैं एक थाने के समीप, जबकि थाना लगता है 30 किलोमीटर दूर, इसलिए इसका पुनर्सीमांकन भी हो, ताकि समय पर पुलिस पहुंच सके।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भी थाना लोहावट, बतोडा, देचू व भोजरसा का पुनर्सीमांकन किया जाए, ताकि 3 किलोमीटर जाने वाले आदमी को 30 किलोमीटर नहीं जाना पड़े, इस तरीके से पुनर्सीमांकन हो। मेरे क्षेत्र में आऊ पुलिस चौकी है, चारों तरफ से स्टेट हाईवे है, अभी एसडीओ हैड क्वार्टर भी बना है, मैं थाने में क्रमोन्नत करने की मांग रखूंगा।

पुलिस थाना, लोहावट जो कि कस्बे के अन्दर है तो स्टेट हाईवे पर उसके थाने का भवन बनाया जाए, ताकि त्वरित रूप से आवागमन में सुविधा रहे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): इसी के साथ-साथ, आप सब लोगों ने जो अपने-अपने विचार रखे, इसमें मेरा विचार यह है कि जो यह अनुदान की मांग संख्या 18 एवं 19 है, इसको पारित किया जाए। पुलिसिंग व्यवस्था में एक नवाचार माननीय मुख्य मंत्रीजी लाये हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं और इस मांग के समर्थन में मैं मेरी बात रखता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 18 एवं 19 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद एवं आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज गृह विभाग पर चर्चा हो रही है जो कि प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। गृह विभाग की बात करें तो प्रदेश के अन्दर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। आये दिन हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां पर भी रोजाना गोलीबारी होना, हत्याएं होना, सरेआम बड़े जो व्हीकल्स हैं, ट्रक के द्वारा टक्कर मारकर हत्या का प्रयास करना, गोलीबारी होना और अभी जो ताजा उदाहरण है, जुगराजजी चौहान, वकील की दिनदहाड़े चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गयी, तो यह जो माहौल बना है, इस माहौल की वजह से हमारे शहर और पूरे प्रदेश के अन्दर लोगों में एक भय का माहौल पैदा हो गया है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि इस टाइप के अपराध के ऊपर रोक लगाए और जो इसमें प्रदेश के अन्दर जितने संगठित गिरोह पैदा हो गये हैं, चाहे भू-माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे नशा माफिया हो, इन लोगों पर जब तक रोक नहीं लगायी जायेगी, तब तक प्रदेश के अन्दर अपराध बढ़ते जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर जो भय का माहौल बना है, वह इन भू-माफियाओं की वजह से, बजरी माफियाओं की वजह से और नशा माफियाओं की वजह से ही बढ़ रहा है, लेकिन जितने भी ये माफिया ग्रुप्स हैं, जैसे अभी प्रदेश के अन्दर बजरी माफिया की ही बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले बाड़मेर के अन्दर जिस तरीके से उन्होंने विरोध करने वाले लोगों की हत्या कर दी, उनके साथ मारपीट की और सरकार की स्थिति तो यह है कि बजरी माफियाओं के जो ठेकेदार हैं, उनसे बात करने की स्थिति में नहीं है।

जोधपुर शहर के अन्दर एक गरीब बंजारा परिवार का बच्चा 2017 में गायब हो गया था, लेकिन अभी तक भी उस बच्चे का जोधपुर पुलिस पता ही नहीं लगा पाई है। मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत सारी चोरियां हुई हैं जिनमें गरीब किसान और दलित परिवार के जो लोग हैं, जिनकी तीस से चालीस लाख रुपये तक की बड़ी चोरियां हुई हैं, लेकिन एक भी चोरी नहीं खुली। उनका पता नहीं लगा तो यह अपने आप में पुलिस की जो कार्यशैली है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

(श्री पुखराज)

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर नशा प्रवृत्ति युवाओं के अन्दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो बेरोजगार युवा है, वे उनकी चपेट में आकर अपराध को कारित करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि ऐसे बेरोजगार युवा जो नशे की प्रवृत्ति के चपेट में आ रहे हैं उनको बचाएं, उन पर कठोर कार्यवाही करें, ताकि लोग उस नशा प्रवृत्ति से दूर रहें।

अभी हम पुलिस की कार्यशैली, व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जो मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आठ थाने आते हैं, उन आठों थानों के अन्दर जो पुलिस की नफरी होनी चाहिए वह नफरी नहीं है। उसमें पुलिस की नफरी बढ़ानी चाहिए और जो दूसरे संसाधन हैं, चाहे वे व्हीकल्स हों या चाहे और किसी तरह से जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसको मध्यनजर रखते हुए उसकी सारी व्यवस्था कराएं, पुलिस की नफरी बढ़ाएं और नये संसाधन भी उनको दिये जाएं।

पुलिस के अन्दर भी जो उनकी ड्यूटी है, चाहे वह राजस्थान के अन्दर आंतरिक कानून व्यवस्था की बात हो या चाहे हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की बात हो, चाहे पिछले दो साल के कोरोना काल के अन्दर जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने और पुलिस ने जो काम किया है, तो निश्चित तौर से उनको भी सुविधा देनी चाहिए। नये पुलिस कांस्टेबल और उनकी जो अभी ग्रेड-पे की डिमांड चल रही है, मेरे से पूर्व भी वक्ताओं ने बोली है। मैं भी आपके माध्यम से सरकार से यह डिमांड करना चाहूंगा कि उनका ग्रेडपे 2,800 से 3,600 किया जाये। उनके विभिन्न जो भत्ते हैं, चाहे वह मैस भत्ता हो, वर्दी का भत्ता हो या चाहे और कोई भत्ता हो तो सभी तरह के भत्तों को रिवाइज्ड करके भत्ते बढ़ाये जाएं।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अन्दर जो बड़े कस्बे हैं, भोपालगढ़, आसोप इन कस्बों के अन्दर पुलिस की गश्त बढ़ायी जाये और इसमें ट्रैफिक पुलिस के सिपाही भी लगाये जाने चाहिए और जो मेरे स्थानीय होमगार्ड के कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी के दिन बढ़ाये जाएं। मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि जो स्थानीय होमगार्ड के कर्मचारी हैं उनको भोपालगढ़ और आस-पास के जो बड़े कस्बे हैं उनको वहीं स्थानीय स्तर पर ड्यूटी पर लगाया जाये।

(श्री पुखराज)

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विशेषकर मैंने जो आठ थानों की बात की है, उन थानों के अन्दर अपराधों की संख्या को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्र की संख्या को देखते हुए और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्टाफ बढ़ाएं, यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 एवं 19 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

आज पुलिस विभाग एवं कारागार, विशेषकर सभी माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग, राजस्थान में वर्तमान स्थिति को लेकर, पुलिस विभाग में सुधार को लेकर अपनी बात रखी है। हम हर थाने में जाते हैं तो एक चीज लिखी रहती है कि- 'अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास', 'अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास', अगर यह शब्द सार्थक हो जाता है तो राजस्थान देश के अन्दर एक शानदार कानून व्यवस्था को लेकर जाना जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग की ओर से कई ज्ञापनों के माध्यम से हम तक, सरकार तक मांगें पहुंची हैं कि उनको रेगुलर ड्यूटी करवायी जाती है, उनकी कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है। उनका जो ग्रेड-पे है वह 3600 ग्रेड-पे को लेकर लम्बे समय से मांग की जा रही है तो हम यह चाहेंगे कि इनका ग्रेड-पे 3600 किया जाये और ड्यूटी का समय भी निर्धारित किया जाये, क्योंकि उनकी कोई निश्चित समयावधि नहीं रहती है तो वे मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। साथ ही मैस भत्ता जो 2200 रुपये दिया जा रहा है, उसको 3,000 रुपये किया जाए और हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो तीन से चार हजार रुपये दिये जायेंगे तो उसको भी बढ़ाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात अनुसूचित क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर रखना चाहूंगा। अनुसूचित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है और अनुसूचित क्षेत्र की जो कानून व्यवस्था है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा अंतर मिलता है। अपराधों के मामले में देखें तो वहां के अपराध और इधर के अपराध में काफी अंतर आता है।

(श्री राजकुमार रोत)

(समय: 16.00 बजे)

आज हमारे इलाके में दहेज उत्पीड़न को लेकर मुकदमे दर्ज होते हैं। काफी मात्रा में दहेज उत्पीड़न को लेकर मुकदमे होते हैं। सब जानते हैं कि आदिवासी समुदाय के अन्दर दहेज नाम की कोई चीज नहीं होती है। आदिवासी समुदाय के कल्चर में यह है कि दूल्हे की तरफ से दुल्हन को कुछ दिया जाता है। दुल्हन के गांव वालों को, उसके परिवार वालों को दिया जाता है। दुल्हन की तरफ से आदिवासी समुदाय के अन्दर कभी दहेज नहीं मांगा जाता है। हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है, दहेज के मुकदमे दर्ज होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, शिड्यूल्ड एरिया 1935 के अधिनियम में आइडेंटीफाई हुआ। हमारे देश के संविधान में शिडयूल्ड एरिया लिया, 244 के अंतर्गत जो प्रावधान है, हमारे वहां रूढ़िगत ग्राम सभा, संविधान में भी 13 (3) (क) के तहत इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी छोटे-मोटे मामले होते हैं तो रूढ़िगत ग्राम सभा मिलकर निपटारा करती है। इसको आगे बढ़ाया। पेसा कानून के रूप में लाया गया। पेसा कानून को लेकर काफी लम्बे समय से चर्चा चल रही है। कई बार कहा जाता है कि यह लागू है, लेकिन आज तक पेसा कानून धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पेसा कानून, रूढ़िगत ग्राम सभा जैसे को नजरअंदाज करके, शिड्यूल्ड एरिया में कानून व्यवस्था लागू की जा रही है, कहीं ना कहीं यह आदिवासी समाज के साथ अन्याय की तरह देखा जा रहा है।

सभापति महोदय, संविधान निर्माता थे, उन्होंने शिड्यूल्ड एरिया की स्थिति को देखा, रीति रिवाज को देखा, उनको भी कानूनी रूप दिया। संविधान बनाने वाले लोगों ने सोचा कि उस इलाके में कानून व्यवस्था डिफरेंट तरीके से, तो उसमें यह भी प्रावधान है कि हमारी जो आईपीसी, सीआरपीसी है, उसको अगर शिड्यल्ड एरिया में लागू करना है तो उससे पहले राज्यपाल महोदय द्वारा लोक अधिसूचना जारी करनी होती है। इसको लेकर भी हमने कई बार सदन में क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी मांगी। अभी तक हमें यह जानकारी नहीं मिली है कि क्या आईपीसी, सीआरपीसी शिडयूल्ड एरिया में लागू होने से पहले लोक अधिसूचना जारी हुई या नहीं हुई है। संविधान में प्रावधान है कि शिडयूल्ड एरिया के अन्दर आईपीसी, सीआरपीसी, अगर इसमें कोई संशोधन करने का हो तो राज्यपाल महोदय पीएचसी की बैठक बुलाकर, इसमें करने का अधिकार रखते हैं।

(श्री राजकुमार रोत)

सभापति महोदय, पाक्सो वाला कानून है। कानून की जानकारी नहीं होने के कारण पाक्सो में इतने मामले दर्ज होते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। इसी का परिणाम हम जेल में देखते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन लगाकर जानकारी मांगी। शिडयूल्ड एरिया के अंदर, हमारे पूरे उदयपुर सम्भाग में 19 जेलें हैं। केन्द्रीय कारागार उदयपुर में 910 क्षमता है और कैदी 1,265 हैं। डूंगरपुर कारागार में 71 की क्षमता है और 206 कैदी हैं। यह गम्भीर विषय है। जिस कमरे के अन्दर 71 लोगों के रहने की व्यवस्था है, वहां पर 206 लोग रह रहे हैं, यह हमारे लिए गम्भीर बात है। वह अपराध करके गये हैं, लेकिन मानव जीवन और मानवाधिकार आयोग का कहीं ना कहीं प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूरे उदयपुर सम्भाग की जेलों में यह स्थिति बनी हुई है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पेसा एक्ट में प्रावधान है कि दो साल की सज़ा तक वाले जो मामले हैं, उसका पुलिस सीधा मुकदमा दर्ज नहीं करे। पेसा एक्ट की ग्राम सभा को भेजे। पेसा एक्ट की ग्राम सभा इसमें विचार विमर्श करे। उसको अधिकार है कि वह इन मामलों का सुलटारा करके थाने में दे सकती है कि हमारा सुलटारा हो चुका है। वहां पर कार्यरत जो पुलिस कर्मी, अधिकारी हैं, न तो पेसा एक्ट की जानकारी है, न शिड्यूल्ड एरिया की जानकारी है, न रूढ़िगत ग्राम सभा 13 (3) (क) है, उसकी जानकारी है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे ज़िले में मौखिक आदेश से लगाने का प्रावधान कर रखा है। एक-एक थाने, एक-एक चौकी में, वह आदमी तीन साल तक लगा, उसके बाद कहीं और लगा। कई ऐसी बोर्डर वाली चौकियां हैं वहां कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल 7-7, 8-8 साल से मौखिक आदेश से लगे हुए हैं, जबकि हमें रिकार्ड में दो साल दिखाते हैं। माननीय सभापति महोदय, चालान वाली व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में दुर्घटना नहीं हो। लोग हैलमेट पहनें, लाइसेंस रखें, सीट बैल्ट बांधें। छोटे-छोटे गांवों में नाकाबंदी की जाती है। गरीब लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। शाम को 200-300 कमाकर आता है, उससे वसूली की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में पुलिस भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था। पुलिस भर्तियां निकलती हैं, अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। फिलहाल 2013 की अधिसूचना है, संशोधित अधिसूचना 2016 की है, इसके आधार पर शिड्यूल्ड एरिया में पुलिस भर्ती होती है। वहां स्थानीय रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ बहुत बड़ा

(श्री राजकुमार रोत)

अन्याय हो रहा है। 2017, 2018, 2019 की भर्ती आई, इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए न के बराबर पद आये। उस अधिसूचना में लिखा हुआ है कि 50 परसेंट सीटें सामान्य के लिए, मतलब सामान्य इसमें किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। परन्तु दुर्दशा ऐसी है कि कोई एससी या एसटी कैटेगरी का व्यक्ति जनरल मैरिट टॉप करता है, लेकिन रनिंग में या हाईट में या चेस्ट में उसने थोड़ी-सी भी छूट ले ली तो उसको न तो जनरल में लिया जाता है, न एसटी में लिया जाता है, उसको सीधा बाहर कर दिया जाता है। मतलब यह है, रिजर्व कैटेगरी का आदमी ओपन मैरिट में, सामान्य मैरिट में नहीं जाए। अगर वहां नहीं लेते हैं तो उसको कम से कम एसटी की मैरिट में तो लेना चाहिए। ऐसा क्या प्रावधान बना रखा है कि पिछली कई भर्तियों में रिजर्व कैटेगरी के लड़के जो ओपन मैरिट में गये, उनको सीधा बाहर कर दिया गया है। जैसे छूट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उस आधार पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया कि कोई रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति छूट लेता है तो उसको उसकी रिजर्व कैटेगरी में डाला जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, दौड़ने वाला एसटी का है, उसको 30 मिनट में पूरी करनी है। ओपन कैटेगरी, मतलब जनरल का व्यक्ति है, उसको 25 मिनट में करनी है। रिजर्व कैटगरी का व्यक्ति है, अगर वह 26 मिनट के अन्दर भी 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करता है, उसको हम अंक तो पूरे 30 दे रहे हैं, लेकिन उसको छूट मानते हुए बाहर कर दें, इससे यह हुआ कि 50 परसेंट पद हैं वह कहीं न कहीं वहां के जो स्थानीय हैं, 15 से 20 परसेंट जनरल वर्ग के लिए रिजर्व कर दिये गये हैं। इससे पूरे इलाके में अशांति फैली हुई है। युवाओं के अन्दर भयंकर आक्रोश है। इस अशुद्धि का शुद्धिकरण किया जाए।

कई बार हम कह चुके हैं कि 2013 की अधिसूचना है, वह आदिवासी बहुल क्षेत्र के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। वह एक काले कानून की तरह काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति अगर ओपन कैटेगरी में चला भी गया है, लेकिन पदों की गणना होती है तो रिजर्व कैटेगरी के पद की गणना उसी कैटेगरी में की जाती है। उसकी कास्ट की कैटेगरी में की जाती है। अगर वह ओपन कैटेगरी में गया है तो उसके पद की गणना भी ओपन कैटेगरी में की जा सकती है। वहां पदों की गणना होती है तो ओबीसी के पदों की गणना होती है कि ओबीसी के इतने लोग लगे। जब भर्ती होती है तो ओबीसी के लिए कहीं

(श्री राजकुमार रोत)

प्रावधान नहीं है। उनके लिए अलग से सीट नहीं है, लेकिन पदों की गणना होती है तो उनको किया जाए। या तो उनको ओपन में किया जाए, ओबीसी के अलग से हैं तो ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर, राजस्थान सरकार के परिपत्र, 16.7.2018 को एक पत्र निकाला। इसमें यह कहा गया कि गैर अनुसूचित क्षेत्र का कार्मिक अनुसूचित क्षेत्र में लगा हुआ है तो उससे विकल्प मांगा गया कि आप कहां रहना चाहते हैं। कई लोगों ने विकल्प भरा कि हम अपने क्षेत्र में, गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कई लोगों ने विकल्प में भरा, इसके बावजूद भी उनको यहां नहीं लगाया। अनुसूचित क्षेत्र की सीटें हैं, उन सीटों पर उनको पदोन्नति दी गयीं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, पदोन्नति की बात आती है। पदोन्नति में भयंकर भ्रमजाल फैला रखा है। एसटी कैटेगरी का पद है, उस पर पदोन्नति हो रही है, अगर एसटी का व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसको सामान्य में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। पुलिस भर्ती बोर्ड, वहां पदोन्नति की बात हो, भर्ती की बात हो, काफी भ्रमजाल फैला हुआ है। इसकी व्यवस्थित जांच करा कर संविधान के अकोर्डिंग, पांचवीं अनुसूची के अकोर्डिंग आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर कई ऐसे मामले हुए। हमारे पूर्व के सदस्यों ने भी इसके बारे में बताया। कुछ भी छोटा-सा मामला होता है, वहां आदिवासी का नाम आते ही उसको नक्सली शब्द दे दिया जाता है। हमारे लोगों को यह भी नहीं पता कि यह नक्सली शब्द क्या चीज है और ऐसा धब्बा लगा दिया जाता है। 1,167 जो पद हैं, उनको लेकर संवैधानिक तरीके से बच्चे आन्दोलन कर रहे थे और वह कांकरी डूंगरी प्रकरण हुआ। पूरा राजस्थान इसके बारे में अवगत है। विधायक होने के नाते मेरा भी फर्ज था उन युवाओं को समर्थन देना। उनकी वाजिब मांग थी। उस मांग को सरकार से मनवाना हमारा दायित्व था। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के कारण इस मामले को उलझा दिया गया और कुछ लोगों को इसमें डाल दिया गया। यह बात समझ में नहीं आती। मैंने देखा कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहला घटनाक्रम होगा, जिसमें इतने सारे

(श्री राजकुमार रोत)

प्रकरण दर्ज हुए। 63 प्रकरण दर्ज हुए। अब तक पांच सौ से ज्यादा लोग गिरफ्तार किये गये। वहां पर विपक्ष की तरफ से एक डेलिगेशन भेजा गया। उस डेलिगेशन को यह निर्देश था कि वहां पर रिसर्च करें कि घटना कैसे हुई, और क्या हुआ, लेकिन उन्होंने राजनीति करने का षड्यंत्र रचा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): हर बार समझ में नहीं आता। वहां पर एसटी का कोई भी मामला होता है तो जो एसटी का अधिकारी है उसको आगे किया जाता है। उस पर नक्सलाइट का भी आरोप लगा दिया जाता है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मेरा समय निर्धारित है। मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें। एक मिनट के अन्दर मैं कन्क्लूड करूंगा।

सिरोही में कार्तिक भील का जो घटनाक्रम हुआ, उस व्यक्ति को आज तक न्याय नहीं मिला है। इस सरकार में अगर एससी एसटी को न्याय नहीं मिलता है तो फिर ये लोग कहां पर न्याय मांगेंगे? हम यह चाहते हैं कि नियम के अनुरूप जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वहां पर यह भी आरोप लगा है कि सीएम साहब के जो सलाहकार हैं, उनका भी कहीं न कहीं इन्वोल्वमेंट है। हम नहीं कहते हैं कि कौन है, कौन नहीं है, लेकिन उस परिवार को वास्तविक न्याय मिलना चाहिए। आज भी वह परिवार धरना दे रहा है छोटे-छोटे बच्चों को लेकर।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज। विराजें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, 02 अप्रैल को जो एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा हुआ था...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): 000

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि विधान सभा में बोलने के बाद कोई कार्यवाही उस पर अमल होती है या नहीं या कथा ही सुनाये जा रहे हैं?

मैं कह रहा हूं कि यदि सरकार कानून में सुधार करने की व्यवस्था करती है तो निश्चित तौर पर कानून ऐसे सख्त बनाये जाएं, ताकि अपराधी

(श्री शंकर सिंह रावत)

को सज़ा मिले। एक अपराधी मेरे ब्यावर में है। उसके खिलाफ 40 केस दर्ज हैं। उसको पकड़ने के लिए पुलिस को छह महीने लगे। 01 लाख 48 हजार रुपये का डीजल जलाया गया उसके पीछे। स्टाफ कितना लगा होगा? बड़ी मुश्किल से जान पर खेल कर पुलिस के लोग उस अपराधी को पकड़ कर लेकर आये, गृह मंत्री महोदय। उसको कोर्ट में पेश करते ही 15 मिनट में उसकी बेल हो जाती है। इसका भी कोई सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कोर्ट भी इस प्रकार का संज्ञान नहीं ले सके और अपराधी को सज़ा मिले।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के ऊपर सभी बोलते हैं। जब हम सत्ता में थे तब आपने भी आंकड़े पेश किये थे। हम उससे बढ़ कर बता देंगे। इसमें सुधार कैसे हो सकता है? अगर आप आत्मा से चाहें तो निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। कलेक्टर को मालूम होता है कि उनके जिले में कितने लोगों ने कहां अतिक्रमण किया चरागाह और सिवाय चक पर या और किसी जमीन पर। इसी प्रकार एसपी को पता होता है। उसके पास बीट प्रभारी तक का पता होता है। पटवारी से कम क्षेत्र होता है बीट प्रभारी का। उसको मालूम है कि किस गांव में किसका लड़का अपराधी है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अगर वह पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है। निश्चित तौर पर यह काम पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस अपराधियों की पीठ थपथपा रही है कि बता आज कितना लूट कर लाया? ला, इधर ला। आधा तेरा, आधा मेरा। इस काम से हमें ऊपर उठ कर कानून इस प्रकार का बनाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। अधिकारी कह रहे हैं कि पहले वाले अधिकारी तो अच्छे थे। मैं अधिकारियों के लिए अच्छा भी नहीं कह रहा हूं और बुरा भी नहीं कह रहा हूं। आईपीएस और आईएएस अधिकारी के ऊपर हमें नाज होता है कि वे अच्छे ईमानदार अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सुधार करना चाहते हैं, जहां पर भी आईएएस और आईपीएस लगता है, उसके स्टाफ को उसके साथ में ही रवाना करें। उस जमे हुए स्टाफ को मालूम है कि इस फाइल पर कितना वेट है। यह हल्की है या यह भारी है। अधिकारी का कान भर कर भ्रष्टाचार को बढ़ा देता है। उस पर लगाम लगनी चाहिए। अगर आप सुधार करना चाहें तो यह करना होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मैं ईमानदार नहीं कह रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने की बात कह रहा हूं। पुलिस के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में

(श्री शंकर सिंह रावत)

पकड़े जाते हैं। उनकी जांच कौन करते हैं? पुलिस के ऊपर के अधिकारी करते हैं। वह उसको हफ्ता पहुंचा देगा और वह जांच के अन्दर बरी हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कानून सख्त बनाया जाये। कोई राजकीय सेवा में रहते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त करने का कानून बनाया जाये, ताकि योग्य बेरोजगार युवकों को नौकरी का मौका मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बात हम करते हैं। मेरे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में 06 फरवरी को विजयनगर थाने में 60/23 मुकदमा दर्ज हुआ। जसबीर सिंह के ऊपर गोली चलायी गयी। उसी व्यक्ति पर खरवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। खरवा में मुकदमा नम्बर 92/23 है। एक ही व्यक्ति के ऊपर दो बार गोली चली। अभी तक मुल्जिम पकड़े नहीं जा रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। 24 फरवरी को तीसरी गोली भी चली है। वह अन्य व्यक्ति के ऊपर है। इस प्रकार पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। यह क्या बात है? कानून में सख्ताई होनी चाहिए। हम आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं। इस पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा।

इसी प्रकार जवाजा थाने में 151 में कैदी को गिरफ्तार किया गया। उसने सेवा-पानी का पैसा नहीं दिया। कोर्ट ने उसकी बेल ले ली। जमानत मिलने के बाद में मुलजिम छूट जाना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं देने के कारण उसको पुलिस के द्वारा वापस गाड़ी में बैठाया गया, चल बैठ गाड़ी में, थाने में ले जाकर बन्द किया। कौनसी धारा में बन्द करें? कहा, बैठ जा, रात भर यहीं रहना। सुबह उसके पापा को बोला कि पैसा लेकर आ जाना और इसको ले जाना। उसके पापा ने सोचा, पैसे कहां से लाऊंगा। यह तो रात-दिन ऐसा ही कर रहा है। उस लड़के ने रात को उठ कर थाने के पीछे जाकर फांसी लगा ली। उस केस की पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन वह भी पुलिस को बचाने का काम कर रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि यहां का थानेदार और स्टाफ भ्रष्ट होने की वजह से उसकी जान गयी है। माननीय गृह मंत्री महोदय, कानून में सुधार करिये तो थोड़ा ठीक रहेगा। पुलिस जांच में भी ऊपर के अधिकारी बचा लेते हैं।

मैं महिला बलात्कार, गैंग रेप, अपहरण की घटनाओं का ज्यादा जिक्र नहीं करते हुए कानून-व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, उसके ऊपर हमको संज्ञान लेना चाहिए। दिनांक 09 फरवरी की घटना है। यह जोजावर की है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

उसमें श्रवण सिंह ऊर्फ सवाई सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गोलकी पुलिस थाना सरयारी, जिला पाली की पुलिस की सांठगांठ से हत्या को सुसाइड केस में बदला जा रहा है। माननीय गृह मंत्री महोदय, श्रवण सिंह टेंट व्यवसायी था। महावीर सिंह भाटी के साथ उसका 12 महीने का अनुबन्ध था टैंट का। छह महीने बाद महावीर सिंह वापस आ गया और अनुबन्ध खतम करने के लिए बोला। 01.08.2022 को उसका अनुबन्ध हुआ था। महावीर सिंह भाटी ने श्रवण सिंह को बोला कि टैंट व्यवसाय के अनुबन्ध को रद्द करो और मुझे मेरा धंधा दो। श्रवण सिंह ने कहा कि मेरा एग्रीमेंट 31 जुलाई, 2023 को खतम हो रहा है। पहले खाली क्यों करूं? इस बीच महावीर सिंह ने उसको धमकी दी कि आप तीन दिन के अन्दर खाली कर दो, नहीं करेगा तो तुझे खतम कर दूंगा। इसके लिए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। श्रवण सिंह के घर पर जाकर भी महावीर सिंह ने धमकी दी। श्रवण सिंह के आदेश पर, टैंट व्यवसायी की भट्टियों को लेकर छोड़ने के लिए मजदूर को साथ में लेकर श्रवण सिंह गया, और महावीर सिंह के गोदाम पर जा कर फिर घर जाऊंगा। श्रवण सिंह जब महावीर सिंह के घर गया उसके बाद श्रवण सिंह दिखाई नहीं दिया। अब श्रवण सिंह के गोदाम में आने की पुष्टि खुद महावीर सिंह भी कर रहा है कि श्रवण सिंह गोदाम में आया और पैन-डायरी रखकर वापस चला गया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, पांच मिनट और दें।

उस समय में महावीर सिंह प्रथम तल पर था। वह खुद पुष्टि कर रहा है, लेकिन महावीर सिंह को बचाने के लिए वहां की स्थानीय पुलिस पूरी मिलीभगत के साथ है। महावीर सिंह के CCTV कैमरे उतरवाये, जिसका बिना किसी जांच-पड़ताल के थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी, प्रहलाद सिंह ASI, कांस्टेबल विक्रम सिंह ने कैमरों को वहां से हटवा दिया, जिस पर महावीर सिंह भाटी ने श्रवण सिंह की माता को साथ में ले जाकर थाने में हमीर सिंह भाटी मेरा रिश्तेदार है थानेदार और मेरा मिलने वाला है, आप चलो। उसकी मां को ले जाकर वहां पर एम.पी.आर. दर्ज करायी। उसका नम्बर है आर 2023, यह 10 फरवरी की बात है।

माननीय सभापति महोदय, श्रवण सिंह कहीं टैंट व्यवसायी था। प्रहलाद सिंह के सहयोग से उसकी बॉडी को महावीर सिंह ले जा रहा था। रात के समय लोगों को सूचना मिलने पर मौके पर जाकर भारी विरोध किया,

(श्री शंकर सिंह रावत)

लेकिन पुलिस द्वारा पुलिस का रौब दिखाकर सहयोग नहीं किया गया और महावीर सिंह को सहयोग करते हुए गाड़ी में जाने दिया गया। भीड़ को वहां पर से खदेड़ दिया गया। बॉडी को जंगल में ले जाकर महावीर सिंह ने राजेन्द्र सिंह अध्यापक के साथ में मिलकर बॉडी को एक पेड़ पर लटकाकर और मोटर साइकिल को ले जाकर वहां पर पटक दिया। उसमें पुलिस की भूमिका है। दो किलोमीटर दूर घने जंगल में बीहड़ में श्रवण सिंह की लाश देखी गयी। श्रवण सिंह की हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने के लिए गले में रस्सी बांध दी गयी, ताकि वह आत्महत्या मानी जा सके। श्रवण सिंह घुटनों के बल जमीन पर टिका हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद 17 और 18 को हजारों लोगों की तादाद में जोजावर थाने के सभी लोगों ने मिलकर आन्दोलन किया।

श्री सभापति: समाप्त करें। समय पूरा हो गया, समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): उस समय में स्थानीय विधायक महोदय आदरणीय खुशवीरसिंह को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों की बात सुनकर इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: श्री वाजिब अली।

श्री वाजिब अली (नगर): धन्यवाद सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय सभापति महोदय, आज गृह और कारागार विभाग के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये।

श्री वाजिब अली (नगर): इससे पहले सदन में साथियों ने अपने विचार रखे।

श्री सभापति: प्लीज, क्या हो रहा है यह? विराजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री वाजिब अली (नगर): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आज सदन में गृह और कारागार विभाग पर चर्चा हो रही है। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने सदन में अपने विचार भी रखे, कमियां भी गिनायीं, अपनी मांगें भी रखीं। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इन चीजों पर गौर करके, यह चीजें आसान होंगी और बहुत सारी मांगें बहुत जायज हैं। एक पुलिसकर्मी को आठ घंटे की ड्यूटी का वेतन मिलता है, लेकिन उसकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता। बहुत लम्बे अर्से से वे लोग 3600 पे-ग्रेड की मांग कर रहे हैं। मैं समर्थन करता हूं कि सरकार इस विषय पर पोजिटिव सोच रखे और इस मांग को पूरा करे। उनका मैस भत्ता है, वह बढ़ना चाहिये। जेल प्रहरी भी बहुत दिनों से अपनी वेतन विसंगति की बात करते आये हैं, उन्होंने आंदोलन भी किया। हम सरकार से इस मांग का भी समर्थन करते हैं कि उन्हें भी राहत मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज मेरे मेवात क्षेत्र की एक बहुत मार्मिक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के गांव घाटमिका के दो युवकों को सुबह करीब 7 से 8 बजे के आसपास हरियाणा के कुछ गुंडे, जो गोरक्षक के रूप में या और किसी दलों के रूप में आकर आतंक फैलाने का काम करते हैं, वहां पर आये और उन्हें मारा-पीटा और उन्हें अगवा करके ले गये। अगले दिन उनकी लाश के अवशेष उनकी गाड़ी के अंदर जले हुए भिवानी में पाये गये। उनके परिजन सुबह 9 बजे से लेकर रात को एक बजे तक कई थानों के चक्कर काटते रहे। रात को एक बजे FIR दर्ज हुई। जांच चालू हुई पर लगता है कि तब तक बहुत देर हो गयी थी। एक आरोपी को तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उसने कबूला भी और पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी दीं। जिसकी जानकारी से उनकी जो गाड़ी थी, जिसमें वह लेकर गये, वह भी बरामद हुई। उसमें जो खून के धब्बे मिले हैं, वह DNA में साफ हो चुके हैं कि वह उन्हीं लोगों के थे। बड़ी बेरहमी से दो आदमियों को जला दिया गया। उनके परिवार को उनकी लाश भी नसीब नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में महोदय हरियाणा के अंदर पंचायतें होती हैं। जो आरोपी हैं, उनके समर्थन में रोड जाम होते हैं और यहां तक कि राजस्थान पुलिस यहां आई तो उसके पैर तोड़ दिये जायेंगे, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। ये कोई छोटी-मोटी गैंग के लोग नहीं हैं। अक्सर ये मेवात क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं करते आये हैं और बड़े शौक से वीडियो बनाकर, हथियार लहराकर सोशल मीडिया पर यहां-वहां इनको प्रसारित

(श्री वाजिब अली)

करते हैं। इनके हाथ और बड़े हैं। आप इनको सोशल मीडिया पर देखोगे तो इनके फोटो देश के गृह मंत्री के साथ भी हैं, केन्द्रीय मंत्रियों के साथ भी हैं, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी हैं, तो कहीं न कहीं इनको बहुत अच्छे तरीके का संरक्षण भी प्राप्त है। वहां इनके समर्थन में रोड जाम होते हैं तो वहां की सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती लेकिन जब लोग धरना देकर न्याय की मांग फिरोजपुर में करते हैं तो वही सरकार 600 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। यह तो उस सरकार का रवैया है। खैर, हम अपनी सरकार की बात करें तो कहीं न कहीं कमजोरी तो हमारी भी रही। बाहर के गुंडे और अपराधी हथियारों को लहराते हुए हमारे क्षेत्र में आकर लोगों को उठा-उठाकर ले जायेंगे...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री वाजिब अली (नगर): आप बैठिये, आप बैठिये, आपको ज्यादा जल्दी है क्या? (व्यवधान) आपको ज्यादा जल्दी है क्या? अब आप करिए। आप तो खुद आरोपी हो। बैठिये, मदन जी बैठिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री वाजिब अली (नगर): आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी की जान ले लो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री वाजिब अली (नगर): आपके खिलाफ भी 420 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। आप भी अपराधी हैं। आप बैठिए और बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं सीधा मंत्री महोदय को आमंत्रित कर लूंगा रिप्लाई के लिए। आप कोई नहीं बोल पायेंगे। बार-बार इंटरवीन करना जरूरी है क्या आप लोगों का? आप तो बोलकर बाहर चले गये, रात को 2 बजे तक कौन बैठेगा यहां पर? आप बार-बार में क्यों इंटरवीन करते हैं? आपने अपनी बात रख दी, वह भी अपनी बात रख रहे हैं। आपका बीच में बोलना जरूरी है क्या? माननीय सदस्य, आप बोलिये। आप उनको आमंत्रित नहीं करें, आप आसन की तरफ देखिए।

श्री वाजिब अली (नगर): यही तो मुश्किल है, माननीय सभापति महोदय, अपराधियों को इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो कहीं न कहीं उसके

(श्री वाजिब अली)

हौसले और बढ़ते हैं। आज लगभग 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार की तरफ से भी अभी तक उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महोदय भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अच्छा होगा कि वे भी वहां जायें और उस पीड़ित परिवार से मिलें। उन दोनों की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। उनके मकान भी कच्चे हैं। उनके बच्चों के ऊपर से उनके बाप का साया उठ गया है और कहीं न कहीं धार्मिक घृणा या दहशतगर्दी फैलाने के उद्देश्य से ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह की घटना उदयपुर में भी हुई थी, लेकिन पूरा राज्य, पूरा देश अपराधियों के खिलाफ था और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन इन 10-12 दिनों में पीड़ित परिवार के साथ हम मजबूती से खड़े नहीं हो पाये। वहां के स्थानीय विधायक ने घोषणा की थी कि 20 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलेगी, परंतु आज 13 दिन हो गये, न तो उन्हें 13 रुपये मिले हैं, न ही किसी नौकरी का आश्वासन मिला है। माननीय सभापति महोदय, क्या न्याय भी धर्म देखकर दिया जायेगा या सिर्फ वे मुसलमान हैं, उनकी जान की कीमत सस्ती है, इसलिए वहां ध्यान नहीं दिया जाता। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब गृह मंत्रीजी जवाब दें तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी रही, 13 दिनों में क्या हुआ? जब किसी परिवार को पालने की बात हम करते हैं तो यहां पर किस बात की चूक हो रही है, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए जो मुख्य आरोपी हैं, वे टी.वी. पर लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे। मुझे अपनी पुलिस पर शक नहीं है, परंतु कहीं न कहीं हमें एग्जाम्पल सैट करने पड़ेंगे। ऐसे अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिये। उसमें मोनू मानेसर नाम का जो उनका हैड है, वह अभी तक वांछित की लिस्ट में भी नहीं आया है। इससे भी पूरे क्षेत्र के अंदर सरकार के खिलाफ बड़ा असंतोष है और वहां कुछ लोग धरना दे रहे हैं, पर हमारी सरकार के एस.डी.ओ. ने ही नोटिस दे दिया कि आप शांति भंग कर रहे हैं। आज वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। महोदय, हम अगर अपनी सरकार में ही अपने हक की आवाज नहीं उठा

(श्री वाजिब अली)

पायेंगे तो कहां जाकर उठायेंगे? मैं इस सदन से मार्मिक अपील करता हूं कि इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही उन चारों पर हो और सरकार, वह दो परिवार, जो अनाथ हो गये, उनके लिए मुआवजा राशि बढ़ाये। आपने मुझे इस बात को इस सदन में उठाने का अवसर दिया, इसके लिए आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18 और 19, पुलिस और कारागार पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभी माननीय सदस्यों ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, गैंगवार, बजरी माफिया, लूट, फिरौती, डकैती, चोरी, इन सब बातों पर प्रदेश की स्थिति पर चिंता की। जब तंत्र में सरकार का इकबाल बुलंद न हो तो जो ध्येय वाक्य पुलिस थाने पर लिखा होता है कि 'अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास' तो वह कहीं चरितार्थ होता हुआ प्रदेश में नजर नहीं आता। जब सरकारी सिस्टम में पीएचईडी, बिजली के सारे काम तो ठेके पर हों और पुलिस थाने भी ठेके पर चलने लगे, कोई चेयरमैन चलायेगा, कोई ब्लाक अध्यक्ष चलायेगा और कोई कुछ चलायेगा तो यह चिंताजनक स्थितियां पैदा होना स्वाभाविक हैं।

एनसीआरबी के आंकड़ों पर भी इस सदन में चर्चा हुई। महिला अत्याचार में राजस्थान की स्थिति, दलित अत्याचार में राजस्थान पहले पायदान पर, बलात्कार में राजस्थान पहले पायदान पर, इन सब चिंताओं का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया। कानून की स्थिति की बानगी, सुबह जब सदन जुड़ा तो उप नेता, प्रतिपक्ष, राजेन्द्र राठौड़ जी ने स्थगन के माध्यम से एक विषय रखा कि लॉ फ्रेटरनिटी का अभिन्न अंग होता है एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट के अपने अनेक फैसलों में एडवोकेट को आफिसर आफ दी कोर्ट कहा गया है। उसके साथ क्या हो रहा है? वह भी सुरक्षित नहीं है। उसको भी अपने दायित्वों के निर्वहन के बदले में मौत मिलती है, जैसा उदाहरण जोधपुर में मुख्य मंत्री जी के गृह जिले में हुआ, जैसा उदाहरण रींगस में कुछ दिन पहले देखने को मिला, जैसा वकील साहब के साथ घड़साना में देखने को मिला, तो यह भी चिंताजनक स्थिति है।

जब पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलनरत है, एक लाख अधिवक्ता, 800 कोर्ट्स बंद हैं, काम प्रभावित है। लाखों लोगों का काम रुका पड़ा है। प्रदेश की बार कौंसिल आंदोलनरत है। देश की बार कौंसिल भी कह रही है कि जब

(श्री बिहारीलाल)

चुनावी घोषणा-पत्र में यह सरकार लेकर आयी थी कि हम अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लायेंगे, उसका ड्राफ्ट बना हुआ तैयार है। ड्राफ्ट में जो आब्जेक्टिव है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं - "whereas, acts of violence namely assault, grievous hurt, criminal force, criminal intimidation and threat causing or danger to life of Advocates and damage or loss to the property of Advocates are creating unrest in the State." जैसा अभी हो रहा है, "and whereas, it has become necessary to provide for the prevention of violence against advocates and prevention of damage or loss of property of advocates from such violent activities, and for the matters connected therewith or incidental thereto". यह जो बात उसके उद्देश्य में कही है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को, माननीय विधि मंत्री स्वयं गृह मंत्री का काम देख रहे हैं, वही जवाब देंगे। निश्चित रूप से यह बिल सदन में आना चाहिए। यह पारित होना चाहिए। अधिवक्ताओं की बात को सुना जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बात अधिवक्ताओं की हुई और विधि मंत्री जी जवाब देंगे तो बीकानेर जिला जहां से मैं आता हूं, वहां भी लंबे समय से बहुत बड़ी मांग चल रही है। आप स्वयं विधिवेत्ता हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट डिविजन हैडक्वार्टर पर 2009 में 120 दिन लंबी हड़ताल चली। पूरे संभाग की कोर्टों में 120 दिन तक काम बंद रहा। आज भी प्रत्येक महीने की 17 तारीख को वर्क सस्पैंड रहता है। तब के माननीय मुख्य मंत्री, जो अब भी मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने भी तब के विधि मंत्री, केन्द्र के वीरप्पा मोइली जी ने भी उस वक्त आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया था कि राजस्थान में एक भी सर्किट बेंच अगर हाईकोर्ट की नई खोली जायेगी तो बीकानेर को उसमें प्राथमिकता दी जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर हाईकोर्ट में पैंडिंग कैसेज की संख्या देखें तो बीकानेर संभाग के चारों जिलों के केसेज की संख्या सबसे ज्यादा है। श्री गंगानगर जिले का हिन्दूमल कोट और जोधपुर हाईकोर्ट की दूरी 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बीकानेर में तो हाईकोर्ट था। 1927 में महाराजा गंगासिंह जी ने बीकानेर में हाईकोर्ट स्थापित किया। आजादी के बाद भी सन् 1950 तक बीकानेर में हाईकोर्ट चला। उसके बाद जोधपुर में स्थानांतरित हुआ। यह हमारी मांग है। इसको भी सर्किट बेंच देने की मांग थी।

किरण रिजिजू 2 दिन पहले उदयपुर आये। उन्होंने कहा कि उदयपुर

(श्री बिहारीलाल)

में एक वर्चुअल बेंच खोलने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार भेजे, तो मैं आज सदन में आपके माध्यम से विधि मंत्री जी से, कानून मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी से भी मांग करना चाहूंगा कि उदयपुर ही नहीं, बीकानेर संभाग स्तर पर और प्रदेश के सभी संभागों में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की जाए। केन्द्र ने इसमें 7 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। आपने 2 दिन पहले देखा कि सीजेआई स्वयं उड़ीसा में जाकर 10 जिलों में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच का शुभारंभ करके आये हैं। यह जो पैंडिंग केसेज की संख्या हाईकोर्ट में है, यह बढ़ेगी।

हम कानून के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। हमने नीचे के पायदानों पर इसको कर दिया है। एसडीएम कोर्ट्स जिलों से उठकर तहसीलों में चले गये। आपके सिविल कोर्ट्स, एडीजे कोर्ट्स जिलों से तहसीलों में हम कर रहे हैं। जब इस स्तर पर विकेन्द्रीकरण हो रहा है तो हाईकोर्ट के स्तर पर भी यह विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार की तरफ से बीकानेर में भी एक वर्चुअल हाईकोर्ट की बेंच खोलने का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बीकानेर में तो जोधपुर हाईकोर्ट का आदेश चलता नहीं। उसका जीता-जागता उदाहरण आपके सामने है कि कुछ दिन पहले स्थगन के माध्यम से मैंने विषय उठाया था कि बीकानेर की ईसीबी कालेज के 18 कार्मिकों को, अशैक्षणिक कर्मचारियों को बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये हुए जो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए लगे थे, 4 वर्ष की सेवा के बाद सेवा से पृथक कर दिया गया। सिंगल बेंच हाईकोर्ट ने उनको स्टे कर दिया। जब उस बात को विभाग ने नहीं माना, डिपार्टमेंट ने नहीं माना, कालेज, यूनिवर्सिटी ने नहीं माना, ईसीबी डबल बेंच में चली गयी तो डबल बेंच में भी उनकी अपील को खारिज करते हुए कार्मिकों को राहत दी गयी। उसके बावजूद उस आदेश को माना नहीं गया। बीकानेर में लगता है कि जोधपुर हाईकोर्ट का आदेश चलता नहीं है। बीकानेर में कल्ला कोर्ट चलता है। उनका आदेश ज्यादा चलता है।

माननीय सभापति महोदय, 6 तारीख से लोग आंदोलनरत हैं। बीकानेर के हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब तो 27 तारीख को जब कंटेम्प्ट में गये तो हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि आगामी 20 तारीख तक इम्प्लीमेंट करे इस आदेश को, नहीं तो हाईकोर्ट की सख्त कार्यवाही सहन करने को तैयार रहे।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि पुलिस आयुक्तालय, जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में पदोन्नति में अनेक विसंगतियां हैं। वर्ष 2013 के बाद से आज तक कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल की पदोन्नति कमिश्नरेट में नहीं हुई। नागौर में नहीं हुई। अन्य जिलों में नहीं हुई। 2016 के बाद हैड कांस्टेबल से एएसआई की पदोन्नति नहीं हुई। 2015 से एएसआई से एसआई की पदोन्नति नहीं हुई। रेट का आदेश है और 434 सिविल रिटों को निर्धारित करते हुए माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश 27.09.2022 का है कि इन पदों पर वर्षवार गणना करते हुए इनकी पदोन्नति 6 माह में की जाए। नागौर में भी इस तरह से हाईकोर्ट के आदेश हैं। अन्य जिलों के लिए भी हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में स्थिति यह है कि उप निरीक्षक के 2,675 पद कार्यरत हैं और 2,079 पद खाली पड़े हैं। एएसआई के 4,973 पद कार्यरत हैं और उससे भी ज्यादा 5,149 पद खाली पड़े हैं। यह राजस्थान की नीचे की पुलिस सर्विस की स्थिति है। एक और विसंगति है कि आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन करने पर लेंथ आफ सर्विस, इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में एक साल की वरिष्ठता दी जाती है। उसी प्रकार सीआई से आरपीएस जूनियर स्केल में पदोन्नति दिये जाते समय प्रत्येक 5 वर्ष पर एक साल की वरिष्ठता दी जानी चाहिए। पहले एडिशनल एसपी को सलेक्शन ग्रेड के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): अब 40 से ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद उनको पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। अभी इनवेस्टीगेशन और लॉ एंड आर्डर के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने का जिक्र इस सदन में आया। कोटा में राजस्थान की पुलिस ने ऐसा प्रयोग भी किया है तो उसकी क्या परिणति है? वह भी सदन के सामने माननीय मंत्री जी रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह जो होमगार्ड के नौजवान हैं, इनकी भी मांग है कि इनको 12 महीने रोजगार दिया जाये। रोटेशन प्रणाली से ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया समाप्त कर पूरे वर्ष काम दिया जाए। इसके साथ-साथ जेल प्रहरियों की भी, और जेलों में भी क्षमता से अधिक कैदी हैं। जेलों में भी आपराधिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इसके लिए भी सरकार मुस्तैदी से कदम उठाए।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति महोदय, पुलिस पर अपेक्षाओं का बोझ बड़ा भारी है। अपेक्षाओं का बोझ क्या, अपेक्षाओं का पहाड़ है। इनवेस्टीगेशन, लॉ एंड आर्डर के साथ अनेकों काम पुलिस को करने पड़ते हैं। फिर भी पुलिस मुस्तैदी से जुटी है। 8 घंटे की ड्यूटी 24 घंटे कर रही है। लगातार सातों दिन कर रही है। 365 दिन कर रही है।

एसीबी ने पिछले 4-5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। एसीबी के काम को सरकार अगर मदद करे, अभियोजन स्वीकृतियां दे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।

माननीय सभापति महोदय, हम अपेक्षाएं तो बहुत करें और बजट प्रावधान, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, डिमांड पर चर्चा कर रहे हैं, बजट को पारित करने की बात कर रहे हैं, जब राजस्थान के टोटल बजट का पुलिस पर 3 प्रतिशत खर्च किया जाता है, नेशनल एवरेज, अन्य प्रदेशों का एवरेज 4.3 है। कहां 3 प्रतिशत और कहां 4.3 प्रतिशत, इसकी तुलना भी सरकार करे और संसाधन भी दे।

माननीय सभापति महोदय, सदन ने गैंग्स की चिंता की। अनेक गैंग्स के नाम लिए। लॉरेंस गैंग का नाम भी लिया। कहां पंजाब का रहने वाला व्यक्ति आज पूरे देश में आतंक का पर्याय बन चुका है।

नौजवान पीढ़ी सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाती है हथियारों के साथ, और अलग-अलग वीडियो डालती है तो निश्चित तौर पर इसके लिए भी पुलिस सख्ती से कार्यवाही करे ऐसे नौजवानों के खिलाफ, ताकि वे भटके नहीं और ऐसे लोगों के साथ न जाएं।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक का प्रकरण आया, कितने नौजवान, लाखों-लाख नौजवान इससे प्रभावित हुए, उनके परिजनों की गिनती करें तो राजस्थान की करोड़ों की जनता प्रभावित हुई। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, और मुख्य आरोपी के अलावा भी नाम आये हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इसमें जिस टीम ने कार्यवाही की है, देवाराम विश्नोई और उनकी टीम के साथियों को भी गैलेंट्री पुरस्कार प्रदान किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे गृह विभाग की डिमांड पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले प्रश्न लॉ एंड ऑर्डर का है। आज यह प्रश्न ही क्यों उठता है? केन्द्र सरकार को जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि एक परसेंट लोग 40 परसेंट इस कंट्री की वैल्थ को संभाल रहे हैं तो कंट्री में यह लड़ाई हैव और हैव-नोट्स की हो रही है और आगे यह लड़ाई बढ़ती ही जाएगी। आज जो यह गैंगवार अपन देख रहे हैं, यह लड़ाई किसलिए हो रही है, यह लड़ाई हैव और हैव नोट्स के बीच में हो रही है। आपने एडवर्टाइजमेंट्स दे-देकर कंज्यूमरिज्म को इस कंट्री में इतना फैलावा दे दिया कि आदमी लड़ रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और अंबानी और अडाणी के पास इस पूरी कंट्री की आपने वैल्थ दे दी तो आज जो समय आ गया है, समय आ गया है कि इस वैल्थ को आपको बांटना पड़ेगा। जब तक आप हैव और हैव-नोट्स की इस लड़ाई को खतम नहीं करोगे, लॉ एंड आर्डर की यह प्रोब्लम आएगी ही आएगी। आज सबसे बड़ी लड़ाई, आज आपके लॉरेंस विश्नोई गैंग जो तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार, सेंट्रल सरकार के नीचे मूसेवाला हत्याकांड में इन्वोल्व्ड है, क्या किया दिल्ली सरकार ने? दिल्ली सरकार की नाक के नीचे मूसावाला हत्याकांड हुआ और दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार पर मैं आरोप लगाता हूं कि उसने कोई कार्यवाही नहीं की। आपकी जो केन्द्रीय तिहाड़ जेल है वहीं से इस ताने-बाने को रचा गया। क्या एक्शन लिया? होम मिनिस्टर ने क्या एक्शन लिया? पता पड़ा कि उनको रिमांड पर लेने के लिए पंजाब सरकार के टांके खुल गये, उनको पंजाब सरकार भेजना नहीं चाह रही थी रिमांड पर। इसी तरह से राजस्थान सरकार को बड़ी मुश्किल से रिमांड पर लेना पड़ा। यह हो क्यों रहा है? इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हो इसलिए रहा है कि हमारी केन्द्र सरकार चंद हाथों में सिर्फ यह वैल्थ डालना चाहती है, अपने दोस्तों के हाथ में, मित्रकाल चल रहा है। मित्रकाल चलेगा तो इस देश का यही हाल होगा। जहां पता पड़ा 7 दिन के अंदर 60 परसेंट आपकी जो इरोड हो रही है अडाणीजी की वैल्थ 60 परसेंट, 7 दिन के अंदर 60 परसेंट वैल्थ इरोड हो गयी। 15 लाख 20 हजार जो उनकी वैल्थ थी, आज की डेट में वह 4 लाख 20 हजार करोड़ हो गई और आज बैंकें कह रही हैं कि हमने इतना लोन दे दिया, हमें क्या पता था, क्या होगा। हर आदमी की एलआईसी में, चाहे केन्द्र सरकार ने पैसा लगाया, 75 हजार करोड़

(श्री रोहित बौहरा)

रुपये का वैल्थ हम जैसे गरीब आदमियों की एलआईसी से साफ हो गयी। यह लड़ाई तो और चलेगी, यह हैव और हैव-नोट्स की लड़ाई चलेगी।

माननीय सभापति महोदय, अब जो पालिसी की बात, जो आज सुबह हमारे स्पीकर साहब ने की, पालिसी की बात भी मैं करना चाहूंगा। हमने जो कमिश्नरेट सिस्टम चालू किया, जयपुर का कमिश्नरेट सिस्टम चालू हुआ, जयपुर में लोगों में भय हो गया कि गुंडागर्दी करोगे तो कमिश्नरेट इतनी इफेक्टिव चल रही है कि वह आपको पकड़कर लेकर जाएगी। (व्यवधान) मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि कोटा और उदयपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना चाहिए। इसी तरह से जैसलमेर में भी करना चाहिए।

आज सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर कौन है? The tourism is your revenue earner. आपके पास ट्यूरिज्म से रेवेन्यू कब आएगी, जब आदमी चाहता है कि वहां पर उसको शांति मिले। राजस्थान वैसे भी आज शांतिप्रिय प्रदेश है। नहीं तो ट्यूरिज्म वाले आपको एक एडवाइजरी दे देते हैं कि वहां मत जाना, क्योंकि वहां पर प्रोब्लम है, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन खराब है। यदि लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन खराब है तो आपका वहां जाना बंद हो जाता है।

मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से, धारीवालजी से कि आज कम से कम कोटा, उदयपुर और जैसलमेर में तो कमिश्नरेट सिस्टम लागू करें, जिससे कम से कम बाहर का आदमी समझता है कि किस तरह से कमिश्नरेट सिस्टम लागू होता है, वह वहां पर लागू हो और इफेक्टिव पुलिस सिस्टम चालू हो, क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं है कि इन छोटे जिलों में भी आपको कोई आईजी लेवल का या एडीजी लेवल का अफसर लगाने की जरूरत है। आप अपने एक्ट में चेंज कर सकते हैं, आप भले ही वहां पर एसपी लगा दो, वहां पर डीआईजी लगा दो, उस एक्ट में आप चेंज कर दो and it is not necessary कि आपको आईजी लेवल का आदमी ही वहां लगाना पड़ेगा, आप उस एक्ट को चेंज कर दो, उस एक्ट को चेंज करने का आपके हाथ में है। आप विधान सभा में ले आओ, उसको कर दो या अपने लेवल पर भी आप कर लो तो कम से कम एक कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा, उससे पुलिस का इफेक्टिव सिस्टम चालू होगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज, आज प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। आज गृह विभाग खुद नहीं समझ रहा है। इन्हीं के कांस्टेबल्स, हैड कांस्टेबल्स, एएसआई, आपस में प्रमोशन के लिए लड़ रहे हैं। हमें डिपार्टमेंट में ऐसा

(श्री रोहित बौहरा)

सिस्टम ईजाद करना पड़ेगा जहां पर हमको उनसे बात करके, ये छोटे-मोटे कर्मचारी हैं, उनकी तकलीफें दूर करके हमारे को प्रमोशन सिस्टम को एक स्ट्रीम लाइन मैथड से काम चालू करना पड़ेगा। पता पड़ता है कि लोगों के चार-चार साल से प्रमोशन अटके पड़े हुए हैं। प्रमोशन हो ही नहीं रहे हैं और सरकार भी इसमें कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार भी इफेक्टिव काम करे, गृह विभाग को कहे कि पुलिस वालों की आपस में लड़ाई है, कांस्टेबल्स की, हैड कांस्टेबल्स की, एएसआई की, इंस्पेक्टर्स की, सीआईज की, उसको आपस में बैठकर वहीं की वहीं रिजोल्व करे, so that a smooth promotion system is evolved और किसी को भी प्रोब्लम नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज आपसे और कह रहा हूं, लास्ट टाइम जब गहलोत सरकार थी, तो थानों पर आप लोग स्टेशनरी का काफी पैसा देते थे। इस साल के बजट में स्टेशनरी का बहुत कम पैसा मिला है। लास्ट तीन साल से या कहें कि जब से वसुन्धराजी की सरकार आई थी और इस सरकार ने भी चार साल में पैसा कम दिया है। आप इससे करप्शन को बढ़ावा देते हो। आप क्या कहते हो, भैया, पेपर ले आ पांच, पेन ले आ मेरे लिए, वह सब आप खतम करो न। जब इस सोच के साथ 2003 और 2008 के बीच में आपने कहा था कि हम स्टेशनरी का पूरा पैसा देंगे, स्टेशनरी फ्रीली अवेलेबल थी। आज उसका बजट कम करके आप वापस उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो, तो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि स्टेशनरी पर पैसा जो कम कर रखा है उसको बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अब बात आई व्हीकल्स की, पुलिस में जो व्हीकल्स आपने दिये हैं, आप नये सिस्टम में तो नये व्हीकल्स दिये जा रहे हो जैसे पुलिस सिस्टम एक्सपेंड करना है, नये नवाचार करने हैं, उनमें तो आप व्हीकल्स दिये जा रहे हो, but what is happening with the old vehicles? ओल्ड व्हीकल्स, जो आपके थानों में पड़े हुए हैं पता पड़ा उनकी एज बार हो गई है, वे कन्डम हो गये हैं, फिर भी चेंज नहीं हो रहे हैं। हमारे को 2 साल से पुलिस सिस्टम में जितने नये व्हीकल्स देने चाहिए थे उतने व्हीकल्स नहीं दिये गये हैं, हमारे को चेंज करना पड़ेगा वह सिस्टम। हमें अपने ओल्ड व्हीकल्स को कन्डम घोषित करके नये व्हीकल्स हमारे थानों को देने पड़ेंगे, जिससे कि इफेक्टिव पुलिस सिस्टम चल सके।

(श्री रोहित बौहरा)

माननीय सभापति महोदय, पुलिस के कुछ मुद्दे थे जो मेरे ध्यान में आये और मैंने कहा कि सरकार को इन चीजों से अवगत कराने की हमें बहुत जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज कहता हूं, अभी मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक डकैती का मामला आया, बैंक में लूट हुई। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से पुलिस सिस्टम आपरेट करता है। बैंक में डकैती हुई, डकैतों को पुलिस ने 3 घंटे के अंदर राउंड अप कर लिया, पकड़ लिया। उसमें दो लड़कों ने, जो पुलिस मित्र थे, यहां पर कई लोगों ने पुलिस मित्रों की बुराइयां कीं, पर जो दो लड़के पुलिस मित्र थे, मानसिंह गुर्जर और प्रदीप सिकरवार, मेरे यहां से दो लड़कों ने पुलिस से ज्यादा उनको पकड़ने में, उनके पीछे चेस किया, अपनी मोटरसाइकिल से, उन लड़कों ने इसमें मदद की। उनने तो अपनी जान पर खेल कर, उनके पास कट्टे थे, वे कट्टा चला सकते थे, उन दोनों लड़कों ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर उन बदमाशों को पकड़ लिया और 5 गैंगों के मैम्बर पकड़े गये। पुलिस ने इतनी मुस्तैदी से कार्रवाई की। पुलिस और इन दोनों लड़कों का काम्बिनेशन हुआ तो मुस्तैदी से कार्रवाई हो गयी। कार्रवाई तो हो गयी, साहब, पकड़े भी गये लोग। जिन लड़कों ने, जिन पुलिस मित्रों ने अपनी जान पर खेलकर यह काम किया, मैं चाहता हूं, आप उन्हें कम से कम होमगार्ड में नौकरी तो दें। इससे यह तो होगा कि जो व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर बदमाशों के पीछे भाग रहा है, कम से कम उन्होंने उन्हें पकड़ा, तो they are rewarded, तो यह एक माहौल बनेगा गुण्डों-बदमाशों के खिलाफ नोर्मल पब्लिक में कि किस तरह से यदि हम भी अपनी जान पर खेलकर ऐसा करेंगे तो क्या पता हमें भी पुरस्कृत किया जाए।

एक शुरुआत और कहीं से न करके धौलपुर से ही हो। ऐसी शुरुआत हो, जिससे कम से कम हम इन पुलिस मित्रों को, जो आज आपकी और हमारी मदद कर रहे हैं, उन्हें हम सरकार की तरफ से जज्बा दिखाते हुए पुरस्कृत करें। यदि आप उन्हें परमानेंट जॉब नहीं दे सकते तो कम से कम एक-एक होम गार्ड में जॉब दीजिये।

एक लास्ट पाइंट, मैं अपना खतम करता हूं। बहुत वेतनविसंगति है जेल कर्मियों के साथ। मैं चाहता हूं, उनकी वेतन-विसंगति का सरकार कुछ हल निकाले। बैठे, उनसे बात करे। किस तरह से वेतन-विसंगति पुलिस और जेल कर्मियों के बीच में है, उसे हम ठीक कर सकें और जो जेल प्रहरी हैं, जो

(श्री रोहित बौहरा)

मुस्तैदी के साथ नौकरी करते हैं, उन्हें हम किस तरह से कुछ कर सकें कि वेतन-विसंगति खतम हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, राम-राम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय दो घण्टे बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाकर 7 बजे तक किया गया।

श्री अमृतलाल मीणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह व 19-कारागार पर विचार

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 18-गृह और मांग संख्या 19-कारागार पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहूंगा, गृह मंत्री जी हमारे सदन में नहीं हैं, वे विधि मंत्री भी हैं, लेकिन सदन के सभी माननीय सदस्यों को मानना पड़ेगा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था वाकई में चौपट है। पिछले चार-साढ़े चार सालों में हमें देखने को मिलता है, उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की हत्या हो जाती है, अलवर में एक किसान चिरंजीलाल की हत्या हो जाती है, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की हत्या हो जाती है और चित्तौड़ में रतन सोनी की हत्या हो जाती है। इतना ही नहीं, हमारी राजधानी में एक महिला की जलाकर हत्या की जाती है।

अभी किसी माननीय सदस्य ने बताया था, इसका फोटो इसके साथ है, इसका फोटो उसके साथ है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा, शह बगैर यह कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़ी। शह जरूर है। आज प्रदेश में बजरी माफियाओं का राज चल रहा है। बजरी माफिया, शराब माफिया, साइबर माफिया, भू-माफिया। भू-माफिया की नजर अब मन्दिरों की

(श्री अमृतलाल मीणा)

जमीन पर भी है। नकली नोट माफिया भी चल रहा है। ड्रग्स माफिया भी चल रहा है। अवैध हथियारों का बोलबाला पूरे राजस्थान में है। बेखौफ गोलीबारी भी हो रही है। माननीय सभापति महोदय, अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में राजस्थान पूरे देश में तीसरे नम्बर पर है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश का आज महिला दुष्कर्म के मामले में पहला नम्बर है। महिला अत्याचार के मामले में भी राजस्थान का पहला नम्बर है। साइबर क्राइम में भी पहला नम्बर है। परीक्षा पेपर आउट करने में भी पहला नम्बर है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बलात्कार के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के अपहरण के मामले में भी पूरे देश में अकेले राजस्थान में 5,964 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। महिलाओं पर सभी तरह के अपराधों में राजस्थान में 8 लाख से अधिक आपराधिक मुकदमे हुए।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी भी बढ़ते अपराधों में अछूते नहीं हैं। बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस होम गार्ड के कर्मचारियों को ट्रैक्टरों से कुचला जाता है, यह भी सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से प्रदेश में साम्प्रदायिक हिंसा हुई चाहे वह करौली की धार्मिक रैली हो, चाहे उदयपुर में तालिबानी नेतृत्व की बात हो, बड़ी सादड़ी में धार्मिक स्थल की बात हो, चित्तौड़ में धार्मिक स्थल की बात हो, जोधपुर में साम्प्रदायिक दंगों की बात हो और चाहे छबड़ा में साम्प्रदायिक दंगों की बात हो।

सभापति महोदय, प्रदेश में डकैतियां आम बात हो गयी हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, चाहे हत्या हो, चाहे हत्या का प्रयास हो, डकैती हो, लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, चोरी हो, अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अभी मामला आया था, बीकानेर की बात है, वहां कल्ला कोर्ट चल रहा है। सदन में इस प्रकार की चर्चा होना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं शह जरूर है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा, कुएं के पूरे ही पानी में भांग घुली हुई है।

पिछले कुछ सालों में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं, चाहे वह लक्ष्मण गौड़ हो, चाहे सतवीर सिंह हो, चाहे इन्द्र सिंह राव हो, चाहे मनीष अग्रवाल हो, चाहे पिंकी मीणा हो। इसके अलावा

(श्री अमृतलाल मीणा)

दिव्या मित्तल की बात कर लें, दो करोड़ अजमेर में लिए। यह किसी से छिपा नहीं है। मनीष बेनीवाल हो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सवाईमाधोपुर में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जिला परिवहन अधिकारी सहित जिले के सभी अधिकारियों के मासिक बंधी लेने के आरोप में पकड़ा गया था। जोधाराम जैसे इंस्पेक्टर को घूसखोरी में गैंगस्टर के साथ गोवा में पार्टी के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया। गृह विभाग ने बिना डीजीपी की जानकारी के वापस नौकरी पर ले लिया। सरकार की शह है या नहीं? चाहे बी.डी. कुमावत की बात ले लें, चाहे हिम्मत, अभिलाष टांक, तत्कालीन एसपी सिरोही की अन्तरराष्ट्रीय शराब तस्करी में लिप्तता होते हुए भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के औसतन प्रतिदिन एक अधिकारी और कर्मचारी किसी न किसी कारण से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन राजकीय संरक्षण के कारण भ्रष्टाचार में कमी नहीं हो पा रही है। अनुसूचित जाति-जनजाति पर भी अत्याचार है।

(समय: 17.00 बजे)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग को विशेष सुविधा देनी चाहिए। उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके मैस भत्ते की व्यवस्था करनी चाहिए तथा जो 3,600 की ग्रेड-पे मांग रहे हैं वह देनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो हमारे होमगार्ड हैं उनको 12 महीने नौकरी पर रखना चाहिए। इनकी जो 10 प्रतिशत राशि वेलफेयर में जा रही है उसको ईएसआई और पीएफ में करना चाहिए, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

मैं अब जेल के बारे में दो बातें कहूंगा। खेरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के वरिष्ठ माननीय सदस्य एवं पूर्व मंत्री जी हमारे बीच में विराजमान हैं। सेमारी थाना इनके अन्तर्गत है, जो मेरा होम थाना है। वहां पर एक बाबूलाल सिपाही है जो हमारे आदिवासियों को इधर का उधर करके कई तरह की तस्करी में लिप्त है, इसलिए उसको वहां से हटाया जाये। जेल के मामले में चाहे मोबाइल हो, सिम कार्ड हो, चार्जर हो, अफीम, चरस हो, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जेलों के बारे में जैसे माननीय सदस्यों ने बताया है कि जेलों में

(श्री अमृतलाल मीणा)

ठूंस-ठूंस कर भर दिया जाता है तथा 80 की जगह है और वहां पर 260 हैं, तो इसको भी देखने की जरूरत है। बंदियों के फरार होने की जो समस्या पिछले काफी समय से आ रही है, उस पर भी सरकार को चिंतन करना चाहिए, मंथन कर ध्यान से काम करना चाहिए। इसके अलावा जेल और पुलिस विभाग के कर्मचारियों में जो वेतन का अन्तर है यह भी इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसको भी सरकार को देखना चाहिए। समय नहीं है, पर कुछ ऐसे मामले हैं जैसे जेलों में रिक्त पड़े पदों को भी भरना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री खुशवीरसिंह।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): वरिष्ठ प्रहरी का नया पद देना चाहिए। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे यहां पुलिस थाना गींगला का भवन नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे गृह की मांग पर बोलने का अवसर दिया।

मैं मेरी बात का प्रारम्भ मेरे क्षेत्र में हुई एक घटना से करूंगा। अभी माननीय सदस्य ने इसका जिक्र भी किया था कि हाल ही में 10 दिन पूर्व मेरे वहां श्रवण सिंह नाम का युवा किसी की पार्टनरशिप में टैंट व्यवसायी का काम करता था, जो लापता हो गया। मेरे पास में परिवार के सदस्य आये तो मैंने तुरन्त पुलिस को सूचना दी कि सीसीटीवी कैमरे में देखकर बताएं कि क्या घटना है, क्या नहीं है, लेकिन 8 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला और 8 दिन के बाद में उसकी लाश वीरान जंगल में एक पेड़ के लटकी हुई क्षत-विक्षत हालत में मिली। इसके लिए मैं सरकार से जवाब चाहूंगा और जब भी सरकार जवाब दे, उसमें मैं यह चाहूंगा कि सबसे पहले इसकी निष्पक्ष जांच हो। चाहे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए, चाहे सीआईडी सीबी से इसकी जांच करायी जाए, लेकिन, सभापति महोदय, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उसके परिवार की स्थिति को देखते हुए उसे आर्थिक सहायता दी जाए और सम्भव हो तो उसकी पत्नी को आंगनबाड़ी या कहीं भी नौकरी दी जाए, जिससे उस परिवार का लालन-पालन हो सके।

इसके साथ ही एक डिम्पल नाम की नाबालिग लड़की बहलाने-फुसलाने

(श्री खुशवीरसिंह)

पर किसी के साथ चली गयी, हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी से वहां काम किया है, पर मैं चाहूंगा कि उस लड़की को भी तुरन्त लाया जाए। जो अध्यापक पढ़ा रहा था वही उसको बहला-फुसला कर ले गया। यह सोजत की घटना है।

सभापति महोदय, पुलिस से ही सरकार और सत्ता का एहसास होता है। आज दिल्ली की सरकार के पास में पुलिस की व्यवस्था नहीं है तो वह एक नगर निगम की तरह काम कर रही है। पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकार का एहसास होता है, चाहे कोई भी हो। सभापति महोदय, पुलिस जिस मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है वह बहुत अच्छी बात है लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने एफआईआर दर्ज करने की बात की जिससे इन्वेस्टिगेशन में जो भी होगा उसका निचोड़ सामने आयेगा, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर मुख्य मंत्री महोदय ने खेलों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की भर्ती की है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इससे हमारे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इसमें संख्या को और बढ़ाया जाए ताकि खिलाड़ी यदि पुलिस अधिकारी होगा तो निश्चित रूप से अपराधों पर लगाम लगेगी।

सभापति महोदय, उसके साथ एक बात गैलेंट्री प्रमोशन के लिए भी कहना चाहूंगा कि पुलिस का चाहे सिपाही है या अधिकारी है, अपराधियों को पकड़ने वालों को गैलेंट्री प्रमोशन देना चाहिए। बीच में उस पर रोक लगी हुई थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि गैलेंट्री प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा किये जाएं जिससे पुलिस की हौसला अफजाई हो और पुलिस अपराध को रोकने के लिए ज्यादा मुस्तैद हो, नहीं तो कई बार उनको हताशा हाथ लगती है। पुलिस अपराधियों को तो पकड़ती है, पर हम वहां नेतागीरी कर आन्दोलन खड़ा कर देते हैं, वहां पर पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ता है। मुझे मालूम है कि कई लोग लाश पर राजनीति करते हैं। जहां इस तरह की घटना हो जाती है तो कुछ ऐसे बिना जनाधार वाले व्यक्ति सोचते हैं कि हम इस माध्यम से जनता में एंट्री कर लें तथा दो मिनट के लिए तालियां बजवाकर वाहवाही लूट लें, लेकिन कानून-व्यवस्था को हमें दोनों तरफ से देखना होगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो कटु सत्य है।

(श्री खुशवीरसिंह)

हमारी सामाजिक व्यवस्था में हमारे आस-पास सोशल मीडिया के माध्यम से पोर्न मूवी गांवों में धड़ल्ले से नि:संकोच चल रही है, जिसके बारे में हमें सोचना होगा। उन लोगों को चिह्नित किया जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है, जो इस प्रकार से पोर्न मूवी बनाकर वीडियो वायरल करते हैं। उनके लिए तुरन्त प्रभाव से सख्त कानून बनाया जाए तथा उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसी मूवी जब छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे देखते हैं तो उनकी मनोस्थिति पर क्या असर पड़ता है, उस पर हमें विचार करना होगा। इसके बारे में हम सदन में चर्चा करते हुए भी झिझकते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी हमें विचार करना होगा।

दूसरा, कारागार से पहले मैं होमगार्ड की बात कहना चाहूंगा कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं, अभी होमगार्ड का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने देखा कि उन जवानों को वन विभाग में गार्ड की जगह लगाया तथा वे बहुत ही मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इनकी वहां पर नफरी बढ़ायी जाए तथा इनके 365 दिन पूरे किये जाएं। इनका हर पांच वर्ष के बाद में रिन्युअल करना पड़ता है तो वह व्यवस्था भी समाप्त की जाए। जो बड़े-बड़े कस्बे हैं, जिनमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा तो कंटालिया, राणावास, जोजावर, आहूवा, सोमेश्वर हैं, इस तरह के बडे-बड़े कस्बों में होमगार्ड की गश्त हमें दी जाए।

साथ ही सरकार से यह भी मांग करूंगा कि रानी और मारवाड़ नगरपालिका में ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही खराब रहती है तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस के स्थायी पद सृजित किये जाएं ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था वहां पर सुचारु रूप से चल सके। वहां पर दो-दो घंटे तक जाम लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करूंगा। साथ में सिरहड़ी थाने के अन्तर्गत करमाल चौराहे पर एक नई पुलिस चौकी की भी मांग करूंगा, क्योंकि वहां पर आये दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अपराध करके मारवाड़ से मेवाड़ और मेवाड़ से मारवाड़ में लोग चले जाते हैं, जिससे इस तरह के अपराध करने वाले उन अपराधियों पर भी लगाम लगेगी इस तरह का अपराध करने वालों पर तो मैं सरकार से वहां स्थायी चौकी की मांग करूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस का साइकिल भत्ता, पहले पुलिस में कैमल सवार हुआ करते थे, अब मैंने सुना है कि साइकिल भत्ता मात्र पचास रुपये दिया जा रहा है, तो उसमें वृद्धि की जाए। इनके वेतन भत्ते में जो विसंगियां हैं, वे भी दूर की जाएं।

मैं जेल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे मंत्री महोदय विराजमान हैं। हमारी जेलों के अन्दर कैदियों को किस तरीके से, उस वक्त वह एक ऐसा समय होता है, वैराग्य का समय होता है, उस समय वैराग्य आता है, जो भी जेल के अन्दर जाता है उसकी मनोस्थिति, पहली बार जाने वाला आदमी, आदतन अपराधी जो होते हैं, उनका मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पहली बार इस तरह के लोग गलती से चले जाते हैं, एक बार गलती करके अहसास होता है तो वैराग्य का समय होता है, उस वैराग्य के समय में वहां दस की जगह पचास अन्दर भरे हुए होते हैं। वहां उनके लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर भी ध्यान दे और उनकी सुचारु व्यवस्था हो, ताकि बाहर आने पर उनको यह अहसास हो, नहीं तो मनोस्थिति पर असर पड़ता है। उस वैराग्य में वे किधर भी वैराग्य ले सकते हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जोजावर गांव में हाल ही में घटना हुई थी, उस पर सरकार जवाब दे। चाहे तो स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम से जांच करवाई जाए, चाहे सीआईडी (सीबी) से जांच करवाई जाए। यह मेरी मांग है और सरकार उस परिवार को सहायता दे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान के समाचार पत्रों में प्रतिदिन खबरें छपती हैं कि पुलिस सुस्त और अपराधी मस्त, जबकि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है कि 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय' तो हम इसको देखते हैं, अपराधियों में जो भय... लेकिन सम्पूर्ण राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिससे आमजन में भय एवं चोरों में विश्वास की कहावत चरितार्थ हो रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं कि दिनांक 21 फरवरी, 2023

(श्री गोविन्द प्रसाद)

को कस्बा मनोहर थाना के व्यापार संघ द्वारा व्यापारियों ने वाहन चोरी, लूट, डकैती, दुष्कर्म, भू-माफिया और शराब माफिया के कारण कस्बा मनोहर थाना को बन्द कर दिया, जिसके विरोध में व्यापारियों द्वारा बस स्टैण्ड मनोहर थाना पर, पुलिस की नाकामियों के कारण पांच घण्टे धरना-प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया। व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण प्रतिदिन कस्बा मनोहर थाना से मोटरसाइकिलों की चोरियां हो रही हैं। पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज करवाये जाते हैं, तो प्रकरण दर्ज नहीं किये जाते हैं। धरना-प्रदर्शन के समय करीब बीस लोगों द्वारा यह बताया गया कि पुलिस की कार्यशैली सही नहीं है, लेकिन धरना-प्रदर्शन के तुरन्त बाद कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 8 मोटरसाइकिलें बरामद कीं। प्रशासन चाहे तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। इसी तरह 24 फरवरी, 2023 को झालावाड़ के भास्कर में खबर प्रकाशित होती है कि झालावाड़ लूट, बलात्कार, अपहरण के मामले में सम्भाग में प्रथम स्थान पर है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं तो पुलिस थाना घाटोली का एक मामला है। सभापति महोदय, पुलिस थाना घाटोली के अन्तर्गत धार्मिक स्थान केलखोयरा महादेव में चोरों द्वारा रात्रि के समय दान पात्र तोड़ना व विरोध करने पर पुजारी को रस्सी से पेड़ पर बांध देना, आज तक इस घटना का पता नहीं लग पाया।

सभापति महोदय, मैं पुलिस थाना जावर की बात करता हूं। प्रकरण नम्बर 121/2021, धारा 302, आदिवासी भील समाज का युवक मोहर सिंह भील, निवासी मवासाकी की घर पर हत्या व परिवारजन के साथ मारपीट की, लेकिन आज दिन तक इस घटना का पता नहीं चल पाया।

सभापति महोदय, इस तरह की घटनाएं आये दिन हो रही हैं। पुलिस मुकदमों में ढिलाई बरतती है, इसका भी कारण है। सभापति महोदय, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अपराध को रोकने के लिए पुलिस विभाग की पर्याप्त नफरी होना आवश्यक है। दूसरी बात, झालावाड़ जिले का तो यह हाल है, सभापति महोदय, चार वर्षों में 400 से 500 पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण तक कर दिये गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीबन 8 थाने हैं और 8 थानों में करीबन फिफ्टी परसेंट कर्मी लगे हुए हैं तो स्टाफ न होने के कारण भी अपराध बढ़ते हैं। दूसरी बात, कर्मचारियों को एक ही पुलिस थाने में

(श्री गोविन्द प्रसाद)

बार-बार लगातार लगाना भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसी जो पुलिस की कार्यशैली है, इस पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, जहां अधिकारी नहीं होंगे वहां अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि पुलिस विभाग को पर्याप्त एवं आधुनिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पुलिस के कर्मचारियों को 3600 पे-ग्रेड एवं साप्ताहिक अवकाश व ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत कराया जाए एवं आधुनिक वाहन व आवास उपलब्ध कराया जाए। अगर ये सुविधाएं प्राप्त होंगी तो पुलिस जवान टिक कर रहेगा।

दूसरी बात, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी, वाहन चोरी के अलावा अवैध खनन एवं सट्टा, यह ज़ोरों पर चल रहा है। दूसरी बात, अवैध शराब की बिक्री से भी अपराध बढ़ रहे हैं। गांव-गांव में अवैध शराब की दुकानें हैं और रातभर दुकानें खुली रहती हैं। किराना स्टोर पर शराब मिल जाती है। यह भी अपराध बढ़ने का एक कारण है।

सभापति महोदय, चालान की स्थिति तो यह है कि मेरा गृह थाना घाटोली है। घाटोली छोटा-सा कस्बा है, लेकिन पुलिस वाले थाने के सामने चालान काटते हैं। वहीं सब्जी मार्केट है, वहीं किराना मार्केट है, वहीं से लोग निकलते हैं, लेकिन स्टेट हाईवे के बजाय, जहां दुर्घटनाएं होती हैं, वहां ये चालान नहीं काटते हैं और उस जगह थाने के सामने चालान काटते हैं। इस थाने के सामने चालान काटना बन्द कराया जाए, जिससे आमजन परेशान न हो।

दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सुव्यवस्था बनानी होगी। सभापति महोदय, पुलिस के टेलीफोन बन्द रहते हैं। टेलीफोन बन्द रहने के कारण हम समय पर पुलिस को सूचना नहीं दे पाते हैं। स्टाफ की कमी है, स्टाफ लगाया जाए। स्टाफ की कमी के कारण कोई भी घटना हो जाती है तो पूरा थाना खाली हो जाता है। चाहे तो चार डकैत आकर उस थाने को लूट सकते हैं, ऐसी स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए स्टाफ लगाया जाए और वहां से अब स्थानान्तरण बन्द किये जाएं। एक ही कर्मचारी को बार-बार उस थाने पर नहीं लगाया जाए, ताकि अपराध नहीं बढ़ें।

मैं इतना ही कहकर, एक छोटी-सी मेरी डिमांड है, मैंने अगले बजट में मांग रखी थी, दो चौकियां आमेठा और एमपी बोर्डर मांगी थीं, उनमें से एक भी चौकी मुझे नहीं दी गई है।

(श्री गोविन्द प्रसाद)

दूसरा, पुलिस थाना कोलू खेड़ी कलां और चुरूल्या, ये दो पुलिस थाने अगर नये खुल जायेंगे तो काफी अपराध कम हो जायेंगे। यही मेरा निवेदन है। जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मांग संख्या 18 और 19 पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। आज विधान सभा राजस्थान की कानून-व्यवस्था, गृह मंत्रालय के बारे में चर्चा कर रही है।

सभापति महोदय, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, प्रकाश सिंह बनाम यूनियन आफ इंडिया का, जिसमें पुलिस सुधार के लिए कुछ दिशा-निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये थे। लम्बे समय के बाद भी, जो सुझाव दिये गये थे, उनको पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस पर गौर फरमाए और उसको लागू करे।

उसके महत्वपूर्ण सुझावों में दो सुझाव दिये थे, एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, एक एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के सारे वेतन विसंगति, प्रमोशन से रिलेटेड या दूसरे जो इंटर्नल पुलिस डिपार्टमेंट को ठीक करने के जो सुझाव थे, वे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिये गये थे, प्रकाश सिंह कमेटी के माध्यम से। उसके साथ-साथ जो 1861 का ब्रिटिश पुलिस एक्ट था, उसमें भी बदलाव करने की बात की गयी थी। प्रकाश सिंह के जजमेंट में यह भी कहा था, सोली सोराबजी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने प्रारूपित 2006 एक्ट लागू करने की सिफारिश की थी, जो आपस में इंटर्नल कनेक्शन थे इंटरस्टेट्स के, पुलिस डिपार्टमेंट के, उस पर भी उन्होंने कुछ डाइरेक्शंस दिये थे स्टेट गवर्नमेंट को। उनका कितना फोलो हुआ, कितना नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके का समाज का जो ढांचा बदल रहा है, जिस तरीके से अपराध का जो तौर-तरीका बदल रहा है, सरकार को ज्यादा मुस्तैदी से इस पर पालिसी बनानी पड़ेगी, इस नीति पर काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आये दिन साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई कांकरेंट पालिसी नहीं है कि किस तरीके से हम काम कर रहे

(श्री जगदीश चन्द्र)

हैं। आज क्राइम कहीं होता है और पुलिस मोबाइल के माध्यम से या दूसरा जो पुलिस का सिस्टम है उससे अपराध का पता लगाने की कोशिश करती है, उसमें कामयाबी मिलती है, कई बार नहीं मिलती। सरकार इस पर कुछ न कुछ फैसला करके इसको थोड़ा-सा स्पीडली करे।

सभापति महोदय, दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज जिस हिसाब से पापुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से पुलिस की नफरी कम है। पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाना चाहिये। पुलिस के पास जो संसाधन हैं वे बहुत पुराने हो चुके हैं। आजकल के अपराधियों के पास में नयी तरह की टेक्नोलोजी है, नये तरीके के संसाधन हैं, हम पुराने संसाधन से उनको कम्पीट नहीं कर पायेंगे। सरकार कोई न कोई रास्ता निकालकर इस पर भी गौर करे।

स्टेट पुलिस स्टेट की सरकार का सब्जेक्ट है। निश्चित तौर पर स्टेट सरकार के पास में बजट भी सीमित होता है। भारत सरकार के बजट की तरह बजट तो है नहीं, फिर भी राजस्थान सरकार ने लॉ एंड आर्डर के मामले में पिछले चार साल में जो काम किये, बेहतरीन काम किये हैं। हमारा अभय कमाण्ड का जो एक्सपेरीमेंट था, वह सक्सेसफुल रहा। एफआईआर कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन करने का किया है, उसमें भी कामयाबी हमने हासिल की है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है वह बोर्डर का क्षेत्र है। तीनों तरफ पंजाब लगता है, एक तरफ पाकिस्तान लगता है। ड्रग्स माफिया हैं, वे किस तरीके से पूरे जिले में और जिले के माध्यम से पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। तस्करी बढ़ रही है। हमारे पास में कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है। मैं सरकार से लगातार इस बात का कोई न कोई ऐसा सिस्टम डवलप करने के लिए दरख्वास्त कर रहा हूं कि जो मादक पदार्थ हैं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिये, नहीं तो आने वाली पीढ़ी तबाह हो जायेगी। वह चाहे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट से बात करे, चाहे हरियाणा से बात करे, इंटरस्टेट कोई सिस्टम कनेक्टिविटी का करे ताकि उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमारा जो पूरा क्षेत्र है वह सिंचाई का क्षेत्र है, वहां पंजाब से जो पानी आता है खेती के लिए उसकी भी चोरी आये दिन बढ़ती जा रही है। सरकार को चाहिये कि कोई न कोई पुलिस चौकी एस्टेब्लिश करके किसानों के पानी की चोरी नहीं हो। अगर चोरी होती है तो

(श्री जगदीश चन्द्र)

झगड़े होते हैं और सरकार के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि खेती के पानी की चोरी को रोक पाये। सरकार कुछ न कुछ प्रयास करे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इसके साथ-साथ कि जो विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर है उसकी गंगानगर हैडक्वार्टर से चालीस किलोमीटर की दूरी है। हमारे पास में जेल का कोई प्रावधान नहीं है, कैदियों को तारीख पेशी के लिए गंगानगर लेकर जाना पड़ता है, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि सादुलशहर में एक उप जिला जेल कारागृह एस्टेब्लिश करना चाहिये, ताकि सरकार का खर्चा भी बचेगा और कैदी सुरक्षित भी रहेंगे और अपराधियों के आने-जाने में जो रिस्क फैक्टर सरकार का होता है वह भी कम होगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ सादुलशहर से तीन रास्ते हैं पंजाब के वाया हिन्दूमलकोट, वाया साधुवाली, वाया पतली वेरियर, तीनों पर हमारी टेम्परेरी पुलिस चौकियां हैं। टेम्परेरी पुलिस चौकी में इतना बंदोबस्त नहीं है जितना कि हमें चाहिये। आये दिन जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार को चाहिये कि परमानेंट पुलिस चौकी एस्टेब्लिश करे और मैं आपसे बड़ी गम्भीरता के साथ निवेदन करना चाह रहा हूं, यह सारा सदन बैठा हुआ है, जिस तरीके से पंजाब के अजनाला में पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया है, जिस तरीके से पंजाब के हालात आये दिन खराब होते जा रहे हैं, यह बहुत गम्भीर विषय है कि उसका सीधा-सीधा हमारे जिलों पर असर पड़ेगा, इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे। जिस दिन स्टेट पुलिस का इकबाल खतम हो जायेगा उस दिन सारा सिस्टम मैस कर जायेगा। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह घटना कोई साधारण घटना नहीं है, वह बहुत गम्भीर घटना है, उसका इंटरनेशनल रिलेशन है। जिस तरीके से आउट आफ कंट्री सोर्सेज उनको मदद कर रहे हैं उस पर सरकार कोई न कोई, चूंकि बोर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, उस पर गम्भीरता से सरकार सोचे कि इस तरीके के हालात राजस्थान में पैदा नहीं हों। हमने वह टेररिज्म का टाइम भी देखा है। पांच बजे सारा ब्लैक आउट हो जाता था। साये की तरह लोग घरों में छुपे रहते थे। पता नहीं किस कोने से गोली आकर लगेगी, जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसे हालात फिर पैदा होने के चांसेज हो रहे हैं।

इसके साथ-साथ जो गैंगवार के बारे में सारे सदस्यों ने चिन्ता की है वह सारा का सारा आउट आफ स्टेट वहीं से सोर्स आ रहा है। सारा, उस सोर्स को किस तरीके से हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, सरकार इस पर गम्भीरता से

(श्री जगदीश चन्द्र)

विचार करे। कोई ऐसा मैकेनिज्म डवलप करे ताकि हम उस गैंगवार को रोक सकें। आये दिन धमकी मिल रही है बिजनेसमैन को। आम आदमी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।

आप आये दिन अख़बार में पढ़ते हो कि आज किसी बिजनेसमैन को धमकी दे दी है, कोई वाया अमेरिका से आ रहा है, कोई वाया इंग्लैंड से आ रहा है। ऐसा कौन-सा तंत्र है कि जिस तंत्र के माध्यम से हम अपनी पुलिस को मोर्डनाइज करें और इन अपराधियों को पकड़ें, ताकि इस तरीके का वातावरण नहीं बने।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी से पहले का जेल मैनुअल एक्ट है, अभी तक वह का वह एक्ट चल रहा है। कोई उसमें बदलाव नहीं है। न कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में सोचा जा रहा है, न उनके प्रमोशन के बारे में सोचा जा रहा है, न ही जेल में ऐसे संसाधन उपलब्ध कराये जा सके जिससे मानवीय जीवन को हम जी सकें। जेल में बहुत ज्यादा पापुलेशन हो गयी है, जेल में कैदी ज्यादा हो गये हैं। हमारे पास डिस्पोज करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार इस पर विचार करके जेल के मैनुअल एक्ट में कुछ बदलाव करे, ताकि लोगों को लगे कि सरकार वास्तव में, डेमोक्रेसी के अन्दर जो एक ह्यूमन राइट्स की बात इंटरनेशनल लेवल पर लोग करते हैं, आये दिन कोई न कोई आर्गेनाइजेशन करती है, सरकार गम्भीरता से विचार करके जेल के मैनुअल एक्ट में भी सुधार करे।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे होम मिनिस्ट्री के लोग भी यहां बैठे हुए हैं, इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की जो पालिसी है खास कर कांस्टेबल लेवल तक की, उसमें आप जरूर बदलाव करें। गंगानगर के आदमी को आपने बांसवाड़ा लगा दिया तो आधे-अधूरे मन से वह काम करता है। आये दिन हमारे आगे-पीछे घूमता है, आपके आगे-पीछे घूमता है। कम से कम एक छोटे अधिकारी को, जो कांस्टेबल लेवल का अधिकारी है, उसका इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नहीं करें, ताकि वह ढंग से काम करे और पूरी ईमानदारी के साथ करे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पुलिस का जो ढांचा है उसमें आपको समय के हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा। अगर समय के हिसाब से बदलाव नहीं किया तो पुलिस का तंत्र फेल हो जायेगा। मैं बार-बार इस बात का निवेदन करना चाह रहा हूं। मैंने पिछली बार भी हाउस में यह बात कही थी कि हमारा जो पुलिस का ढांचा है यह सरकार का मुखौटा है। अगर लॉ

(श्री जगदीश चन्द्र)

एंड आर्डर ठीक है तो लोगों में ठीक मैसेज जाता है, सरकार ठीक काम कर रही है। हम इतने प्रयत्न के बावजूद भी, इतनी अच्छी योजनाओं के बावजूद भी धरातल पर नहीं उतार सके हैं और सबसे बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक नया कानून बनता है, उस कानून को लागू करने के लिए जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है वह एजेंसी सबसे कमजोर साबित हो रही है। उस एजेंसी को किस तरीके से हम ताकत दे सकते हैं, सरकार इस पर विचार करे।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने बेहतरीन बजट में पुलिस व पुलिस प्रशासन पर, होम मिनिस्ट्री पर सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और राजस्थान में जिस तरीके से कम्पल्सरी एफआईआर का जो हमने प्रावधान स्टार्ट किया है, उससे पहले धारा 156(3) के माध्यम से एफआईआर होती थी, उसमें कमी आयी है। यह एफआईआर की तादाद तो ज्यादा लग रही है लेकिन एक आम आदमी में इस बात का मैसेज गया है कि हमारी सुनवाई हो रही है। आधी बात तो सुनने में ही खतम हो जाती है। अधिकारी ठीक से बात सुन ले, उसको सेटिस्फाई कर दे तो आदमी आधा संतुष्ट होकर अपने घर चला जाता है, तो सरकार को चाहिये कि जो कम्पल्सरी एफआईआर का फैसला सरकार ने किया है, उसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ाये। डिस्ट्रिक्ट के साथ-साथ एक मेंडेटरी प्रोविजन करे, एक एसएचओ लेवल तक के अधिकारी को मजबूत करे कि एसपी के पास जाना ही नहीं पड़े। एसपी के पास कौन जाता है? अगर एसएचओ नहीं सुनता है तो एसपी के पास जाता है, एसपी नहीं सुनता है तो आईजी के पास जाता है, आईजी नहीं सुनता है तो डीजी के यहां जाता है और चार दिन जयपुर के धक्के खाकर वापस चला जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता है। एक फाइल 6-6, 8-8 महीने बार-बार तफ्तीश के माध्यम से घूमती रहती है और उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिलता।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस ढांचे को थोड़ा ठीक करें और मेंडेटरी करें और कम्प्यूटर के माध्यम से एफआईआर का पूरा सिस्टम डवलप करें ताकि किसी को जाना ही नहीं पड़े। घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हमने कानून तो बना दिया, लेकिन धरातल पर नहीं उतार पाये हैं अभी, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक घर बैठा आदमी भी कम्प्यूटर के माध्यम से,

(श्री जगदीश चन्द्र)

आईटी के माध्यम से एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। पुलिस जाकर इन्वेस्टिगेशन करे और उसको न्याय दिलाने का प्रयास करे। मुझे लगता है यह सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से जनता को जो राहत देने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी कमेटी हमने गठित तो कर दी, स्टेट लेवल पर भी हमने गठन किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गठन कर दिया, लेकिन वह पिक्चर में कहीं नहीं है। उसकी आज तक बैठक ही नहीं हो पायी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब अकाउंटेबिलिटी कमेटी का गठन कर दिया गया है तो कम से कम उसकी बैठक तो हो, जिससे कम से कम लोगों को पता तो लगे, इसलिये इस पर थोड़ा ध्यान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने मांग 18 व 19 गृह और कारागार पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पुलिस की मांगों पर ही शुरुआत करता हूं। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नतियां अन्य विभागों जैसे ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, एलडीसी आदि की तरह की जाएं। इसी प्रकार पुलिस को 24 घंटे नौकरी करने के बावजूद भी अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अन्य विभागों की तुलना में हार्ड ड्यूटी के नाम पर बहुत कम मानदेय दिया जाता है, इसलिए मानदेय बढ़ाया जाए। पुलिस विभाग में भी अन्य विभागों की तरह ही डीपीसी के आधार पर पदोन्नति की जाए, जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा रहे और न्यायालय में रिट लगने की प्रक्रिया भी कम होगी। इससे राज्य सरकार का काम भी जनता के सामने अच्छा प्रतीत होगा। पुलिसकर्मियों को उच्च पदोन्नति देने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। सभापति महोदय, इस प्रकार पुलिसकर्मियों की उक्त समस्या का समाधान करने से उनके मनोबल में बढ़ोतरी होगी और उनका उत्साह व जवाबदेही बढ़ेगी। सभापति महोदय, उच्च पदोन्नति देने पर पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा तथा उनमें नौकरी के प्रति उत्साह और जोश पैदा होगा। पुलिस विभाग में वर्तमान में जो परीक्षाओं के अनुरूप पदोन्नतियां होती हैं, उस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। सभापति महोदय, वर्तमान में जो मैस भत्ता दिया जा रहा है वह नाम मात्र का है। उसे बढ़ाकर 4000 रुपये

(श्री गिरधारीलाल)

प्रतिमाह किया जाए। इसी प्रकार पुलिसकर्मियों की ग्रेड-पे 3600 की जाए एवं जेल प्रहरियों को भी यह सुविधा दी जाए।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांग कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में तीन थाने आते हैं, श्रीडूंगरगढ, सेरूणा और जसरासर। सभापति महोदय, मेरे इलाके में लगातार गाय, भैंस आदि की चोरियां हो रही हैं। कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां बच्चे-बच्चियां घर से गायब हुए हैं। वे वह आज तक नहीं मिल पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे इलाके में पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए और पुलिस को और ज्यादा सुविधा दी जाए।

सभापति महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, वह अपराध नहीं कर पायेगा। सभापति महोदय, अभी आपने देखा, हरियाणा सरकार ने राम रहीम बाबा को पेरोल पर छोड़ा। जो अपराधी पेरोल पर बाहर आता है उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। वहां गवर्नमेंट भाजपा की है और देश में भी भाजपा की है। सभापति महोदय, हम इस पवित्र सदन में बैठकर अंतर आत्मा से बात करेंगे तो अपराध नाम की चीज नहीं रहेगी।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में 30 दुकानें शराब की हैं। 8 बजे के बाद शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती हैं, फिर भी ये दुकानें खुली रहती हैं। अवैध खनन के मामले में बीकानेर एक नम्बर पर है। चाहे वह कोलायत हो, खाजूवाला हो, नोखा हो, अवैध खनन की भरमार है। अगर हम वहां ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से उस अवैध खनन को रोक पायेंगे। रही पुलिस की बात, आज पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं हैं, पुलिस कमजोर है, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो। आज पुलिस उन भू-माफिया का, खनन माफिया का, चूना माफिया का सामना कर नहीं सकती। इसलिए पुलिस का मनोबल बनाये रखने के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सरकार की ओर से जितनी मदद पुलिस को मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा उनको मदद करें।

सभापति महोदय, राजनीति का बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के राज में राजनीतिक मुकदमे हुए थे। कांग्रेस के टाइम के तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे राजनीतिक मुकदमे वापस ले लिए। मैं आपके माध्यम से

(श्री गिरधारीलाल)

सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी राजनीतिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के समय में दर्ज हुए हैं, उनको वापस लें, क्योंकि वे राजनीतिक द्वेषता से किये गये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं जिला परिषद् का सदस्य था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का राज था और मैं बिजली की मांग को लेकर नोखा गया था। उस समय महारानी मुख्य मंत्री थीं। मेरे को नोखा जाने से रोका गया था। नोखा में मेरी पिटाई हुई थी। अंग्रेजों के समय जिस तरह से होता था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में मेरे साथ हुआ। मैंने उस समय पुलिस को कह दिया था कि आप जांच कर रहे हो, मैंने कहा, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली के लिए रखोगे तो वह रखवाली होगी नहीं। जांच पुलिस के पक्ष में गयी। उस समय जो आईएएस जांच कर रहा था, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। अभी उसके घर में खाने के दानों के सांसे पड़ रहे हैं, मैंने उसको उसी समय कह दिया था।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट। अंत में मैं यही कहूंगाः

"औरों से क्या गम, हमें तो अपनों ने लूटा।
मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था।"

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 18 व 19 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज सुबह से ही इन दोनों मुख्य विभागों पर चर्चा चल रही है। बड़ी गंभीरता से पक्ष और विपक्ष के सभी साथी सदस्यों को मैं सुन रहा था। अभी डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने बड़ी अच्छी बात कही कि अंतर आत्मा से अगर हम सही होंगे, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसने चांद पर जाने के लिए वाहन बना लिए, सूरज पर पहुंचने का वह प्रयास कर रहा है लेकिन वह ऐसी मशीन नहीं बना पाया जिससे अंतर आत्मा को जान सके। इससे पहले भादरा से आने वाले विधायक ने बड़ी अच्छी बातें कहीं कि आदर्श थाने घोषित होने चाहिये, आदर्श एसएचओ होने चाहिये। हम सब लोग मिलकर इस पवित्र सदन में अच्छी बातें करें, उन बातों से कोई न कोई विश्लेषण हो और उसके बाद कोई मक्खन ऐसा निकले जिन बातों को लेकर हम कानून-व्यवस्था

(श्री नारायण बेनीवाल)

की बात करें, राजस्थान को एक अच्छा राज्य बनाने की बात करें। सत्ता और विपक्ष के सब लोग मिलकर एक राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर अगर ईमानदारी से प्रयास करें तो निश्चित रूप से कोई न कोई अच्छा परिणाम निकलकर आयेगा।

सभापति महोदय, सब वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात कही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि 2006 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकारों को पुलिस सुधारों के संबंध में सात निर्देश जारी किये। इन निर्देशों में पुलिस सुधार शुरू करने के लिए एक व्यावहारिक तंत्र का खाका प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी, जिसमें हर राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हो, जो यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार पुलिस पर अनावश्यक दबाव न डाले। अभी सत्ता पक्ष के सारे माननीय सदस्य कह रहे थे, पुलिस की बातें हो रही थीं, लेकिन आज जिलों में क्या स्थिति है? थानों में स्थिति यह है कि चाहे एसएचओ हो, चाहे एसपी हो, आज सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ टकटकी लगा कर देखता है कि न्याय किसको देना है। आप लोग इन पर आरोप लगाओगे, यह लोग आप पर आरोप लगायेंगे, लेकिन हकीकत बात यह है कि जिन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की हम बातें करते हैं, वहां सबसे पहले डिजायर प्रथा शुरू हुई। पुलिस के अफसर डिजायर प्रथा से लगना शुरू हुए और विधायकों के भाईभतीजे थानों के बाहर बैठकर उनकी कमीशन-खोरी का काम करते हैं। यह सच भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यदि वास्तव में हमें पुलिस को मजबूत बनाना है, कानून-व्यवस्था में हमें एक अच्छा उदाहरण पेश करना है तो सबसे पहले हम जनप्रतिनिधियों को कहीं न कहीं नैतिक होना पड़ेगा क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सारा जो सिस्टम है, पुलिस के अन्दर जो काम कर रहे हैं, वे भी सामाजिक प्राणी हैं, उनके भी बीवी-बच्चे हैं, वे भी सोचते हैं। आज सुख-सुविधाओं की बातें होती हैं, वे भी सोचते हैं। उनको क्या-क्या मिलना चाहिए? जब कोई अच्छा काम होता है, तब हम देखते हैं कि पुलिस के जवान बड़ी मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन उसका अवार्ड एसपी को मिलता है। सारा अवार्ड कप्तान को मिलता है। लेकिन जो सेना कमजोर हो रही है, आज यदि हम कांस्टेबल की बात करें तो उनके उत्थान की जब तक हम ईमानदारी से बात नहीं करेंगे, तब तक हम राजस्थान के अन्दर एक

(श्री नारायण बेनीवाल)

अच्छी पुलिसिंग की बात नहीं कर सकते हैं। वेतन विसंगतियों की बात हो, चाहे मैस के भत्ते की बात हो, चाहे टीए की बात हो, ये सारी की सारी बातें। पुलिस का जो जवान है, वह बैल्ट की नौकरी कर रहा है। वह किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है। वह आन्दोलन नहीं कर सकता। वह आन्दोलित तरीके से अपनी मांग सरकार से मनवा नहीं सकता। वह कहां जाए? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनकी जो भी डिमांड है, ग्रेड-पे 3600 की सब लोग मांग कर रहे हैं। होमगार्ड और बोर्डर होमगार्ड के जवानों के हितों की रक्षा की जाए। बोर्डर होमगार्ड के जवान आज आंदोलन कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में बटालियन का गठन राजस्थान से 32 वर्ष बाद हुआ, उसके बावजूद वह नियमित हो गयी और राजस्थान में अभी तक नहीं हुई। बोर्डर होमगार्ड की राजस्थान में चार बटालियनें हैं, इनको भी नियमित किया जाए।

कारागार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर किया जाकर उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैनेजमेंट भी यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप मैक्सिमम आउटपुट तभी ले पायेंगे जब जॉब की सिक्योरिटी और जॉब का सेटिस्फेक्शन, दोनों चीजें हों। आज रोटी, कपड़ा और मकान की असेंशियल आवश्यकता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि थोड़ा-अच्छा जीवन जीऊं, मेरे बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाऊं, उनको भी बड़ा अफसर बनाऊं। ये सब की ख्वाहिशें होती हैं लेकिन आज जो छोटा पुलिसकर्मी है, उसकी जो सुख-सुविधाएं हैं, उनकी बात कोई नहीं करता है, न कोई उनके प्रमोशन की बात करता है। हम अखबारों के अन्दर हमेशा पढ़ते हैं, आरपीएस, आईपीएस का प्रमोशन एक दिन पहले हो गया है। आईपीएस का सुपर टाइम स्केल में एक दिन पहले ही हो गया लेकिन आज कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई, एसआई से सीआई, इनके प्रमोशन में 10-20 साल क्यों लग जाते हैं? इसके ऊपर हम सब को मिलकर कोई न कोई अच्छा खाका यहां पर तैयार करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात भी आपके माध्यम से करूंगा। खींवसर उप खण्ड मुख्यालय पर डीवाईएसपी कार्यालय खोलने की मैं मांग करूंगा। बड़ा लम्बा-चौड़ा हमारा इलाका है। उसके अलावा पुलिस के लोगों को भी एक साप्ताहिक अवकाश, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है, सबसे पहले हम उसको सिखाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है

(श्री नारायण बेनीवाल)

तो जो पुलिस में भर्ती हुआ है, इसकी भी कहीं न कहीं सामाजिक रेस्पोंसिबिलिटी है, उसके लिए भी सरकार कहीं न कहीं साप्ताहिक अवकाश के बारे में सोचे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी हमेशा जीरो टोलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी का इस बार का कार्यकाल जिस प्रकार का निकला है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सत्तापक्ष के लोगों ने मुख्य मंत्री जी को बड़ा दर्द दिया। आपके बेदर्दी होने के कारण मुख्य मंत्री जी पूरे स्टेट को भूल गये और कानून-व्यवस्था की जो स्थिति राजस्थान के अन्दर हुई है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आज जीरो टोलरेंस की बात करने वाले अधिकतर लोग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के अन्दर डूब गये। लोगों के अन्दर हाहाकार मचा है। एसीबी के कुछ लोगों को मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन हम सब लोग मिलकर इस पवित्र सदन से कोई न कोई अच्छी चीज लेकर आएं। माननीय सभापति महोदय, चाहे पोक्सो एक्ट की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें। कोई भी परिवाद आता है, उसके बाद 164 में बयान होते हैं। 164 के बयान के आधार पर उसको सज़ा हो जाती है। क्यों न भ्रष्टाचार के मामले में ऐसी नीति अपनायी जाये कि कोई भी व्यक्ति.. अभी तो हम कहते हैं कि रिश्वत देने वाला भी बराबर दोषी है। अब जब उसका काम नहीं हो रहा है तो वह कहीं न कहीं रिश्वत देगा। आपने उसको बराबर का दोषी मान लिया, आपको आकर कौन बतायेगा कि फलां आदमी एसीबी के अन्दर यह है, आपको टेप रिकार्डर ले जाना है, इसके बाद ये पैसे ले जाने हैं। उसके वाइस सैम्पल आने चाहिए। उसके बाद हम उसको पकडेंगे। वह कोई अनपढ़ आदमी थोड़े ही है, जो बड़ा अफसर होगा। छोटे पटवारी को आप पकड़ लो, मास्टर को पकड़ लो, लेकिन आप जब तक बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ेंगे, 10-20 लोगों को आप नहीं लटकायेंगे, तब तक इस प्रदेश में खाली बातें ही होंगी। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी की बड़ी-बड़ी बातें यहां पर हुईं। भारतीय जनता पार्टी के राज में भी जिस टाइम पर खनन का घोटाला हुआ, हमारा जो सारा सिस्टम था, वे हमारे खान सचिव के फोन का लॉक नहीं खोल पाये। इससे बड़ी शर्मनाक घटना हमारे लिए क्या हो सकती है?

मैं तो इतना ही निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि कानून बहुत

(श्री नारायण बेनीवाल)

अच्छा है। हर व्यक्ति कहता है कि अच्छा कानून बनना चाहिए। देश में बहुत बड़े कानून हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो, कौन ऐसे व्यक्ति हैं? अच्छे लोगों को आप चुनिए। कोई जरूरी नहीं है कि प्रदेश का हर प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम करेगा। आपकी सतर्कता विंग है, विजिलेंस की जो विंग है, उसके अन्दर आप 100-50 अच्छे आदमी छांटिए। आप उनको बराबर ढंग से तवज्जो दें। अपने आप इलाज करेंगे।

मैं आपको मेरे इलाके की एक घटना बताता हूं। मुझे शाम को एक बार कहा कि थाने के अन्दर पार्टीबाजी और शराबबाजी चलती है। मैं रात को वहां देखने गया तो पूरा थाना नशे के अन्दर झूम रहा था। जब उनको पता लगा कि विधायक आये हैं तो नंगे पांव सारा थाना वहां से भाग गया। मैंने शिकायत की। जो थानेदार था, वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। मैंने विजिलेंस के अन्दर यह शिकायत की। मैं उस टाइम के अफसरों और एसीबी के अफसरों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उस एसएचओ को साढ़े बारह लाख रुपये की रिश्वत के साथ अरेस्ट किया। हम जो जन प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारा भी कहीं न कहीं नैतिक दायित्व है कि हम सिर्फ भाषण से ही काम नहीं चलाएं। अभी हम बड़ी-बड़ी बातें कर लेंगे, अखबारों में छप जायेगा लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा यह है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं तस्वीर बदलनी चाहिए। यदि हम सब लोगों को मिलकर तस्वीर बदलनी है तो इसके अन्दर कहीं न कहीं शुभ शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। आदर्श नगर से आने वाले माननीय विधायक ने बड़ी अच्छी बात कही। जो भी घटना हुई, मैं भी उस घटना की निन्दा करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, एक मिनट बोलूंगा।

इन्होंने बड़ी अच्छी बात साम्प्रदायिकता को लेकर कही। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि इस देश में 75 वर्ष के अन्दर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने साम्प्रदायिकता, धर्मवाद और तुष्टिकरण के अलावा कोई काम ही नहीं किया है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोगों की ये जो छोटी-मोटी बातें हैं, ये साम्प्रदायिकता और तुष्टिकरण की हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि कर्तव्य पथ पर जो पुलिस के जवान अपनी जान न्योछावर कर देते हैं, सेना में जैसे शहीद का दर्जा मिलता है वैसा दर्जा इनको भी मिले। ट्रांसफर

(श्री नारायण बेनीवाल)

नीति कहीं न कहीं लागू होगी तो निश्चित रूप से हम पुलिस के अन्दर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 18 व 19 गृह एवं कारागार पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। कानून-व्यवस्था मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति हम से छिपी हुई नहीं है। राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं। 10 जनवरी, 2022 को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक श्री एम.एल. लाठर साहब ने प्रेस कांफ्रेस के जरिये स्वीकार किया कि 2021 में 2020 की तुलना में 11 परसेंट अपराध ज्यादा दर्ज हुए हैं। यह बयान प्रदेश में पुलिस के मुखिया ने दिया है। ये वे अपराध हैं जो कि थानों में दर्ज हुए हैं। कई अपराध दर्ज नहीं हो पाते हैं तथा परिवादी थाने में प्रकरण दर्ज कराने जाते हैं, परन्तु पुलिस अधिकारी और पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं। इसका उदाहरण है, इसी विधान सभा के सदस्य माननीय हरीश जी मीना, जो कि पूर्व में पुलिस महानिदेशक थे, उनके क्षेत्र में बजरी ट्रैक्टर के ड्राइवर को पुलिस द्वारा मार दिया जाता है, परन्तु एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। माननीय सदस्य और पूर्व के पुलिस महानिदेशक, जिनको सात दिन तक वहां पर धरना करना पड़ता है, तब जाकर वह केस एंट्री होता है। इससे राजस्थान की पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है।

पुलिस का नारा है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, परन्तु अभी आम जन में तो निराशा है और अपराधियों में डर नहीं है। यह चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि अपराधी विश्वास से अपराध कर रहे हैं। पुलिस उनका सहयोग कर रही है। थाने में मुकदमा दर्ज कराना आसान नहीं है। बड़ा आदमी कोई फोन करता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से केस एंट्री होता है। विधान सभा में सभी सदस्यों को यह पता है।

प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराधों की स्थिति के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में महिलाओं के 6,337 बलात्कार के मामले राजस्थान में दर्ज हुए हैं। इसी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिला अत्याचार के मामले गत सरकार की तुलना में, 2018 से महिलाओं के साथ बलात्कार एवं हत्या के प्रकरणों में दिसम्बर, 2022 तक 92.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो शर्मनाक है। इतनी वृद्धि पहले कभी नहीं

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

हुई थी। बलात्कार के मामलों में राजस्थान पूरे देश में नम्बर एक पर है। राजस्थान में 31 दिसम्बर, 2022 तक महिलाओं पर बलात्कार, छेड़छाड़ व हत्याओं के 7,945 प्रकरण दर्ज हुए। पूरे देश में महिला अत्याचार में राजस्थान अव्वल है। जयपुर, राजस्थान की राजधानी है, यहां राजधानी में पुलिस के सारे अधिकारी रहते हैं, फिर भी जयपुर में बलात्कार के 502 प्रकरण दर्ज हुए हैं। राजस्थान पुलिस, इन प्रकरणों में अनुसंधान के नाम से आधे से अधिक मामलों में एफआर लगा दी जाती है। भास्कर अख़बार की जांच में सामने आया कि महिलाओं के बयान नहीं देने के कारण व मोबाइल की लोकेशन नहीं मिलने जैसे आधार मानकर पुलिस एफआर लगा देती है जबकि पुलिस अगर निष्पक्ष जांच करे तो शायद ये अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हों और आगे अपराध करने की सोचें नहीं।

हमारे भीलवाड़ा में अपराधियों ने हद ही कर दी। शास्त्री नगर में एक व्यक्ति की हत्या मेन चौराहे पर की है आदेश तापड़िया की। उनका भाई व मिलने वाले साथ में थे। वहीं के लोकल थे। उन्होंने पुलिस में नामजद प्रकरण दर्ज करवाया कि इन-इन आदमियों ने चाकू मारे हैं परंतु पुलिस द्वारा नाबालिगों को मुलजिम बनाया जाता है और उनको छोड़ दिया गया। यह हमारी पुलिस पर सवालिया निशान है। अभी 5 दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में जवाल नोहरा गांव में एक गैंग द्वारा रामेश्वर जाट के घर में घुसकर दिन में दोपहर बाद पीट-पीट कर मार दिया जाता है। पुलिस उन मेन मुलजिमों को बचाने में लगी हुई है। यह हमारे सोचने का विषय है। मैं महानिदेशक महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस केस में जो भी अभियुक्त हैं, चार लड़के थे, दो भाई उसमें अभियुक्त थे। एक को बचाया जा रहा है। मेन को बचाया जाकर दूसरे पर केस डाला जा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इसमें निर्दोष को नहीं फंसाकर जिन्होंने गलती की है, अपराध किया है, वे ही जेल जाने चाहिए।

"इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके-जुर्म हैं,
आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार।"

मेरा निवेदन है कि पुलिस ही अपराधियों की संरक्षक बन जाए, जब सूरज ही अंधेरे से समझौता कर ले तो अंजाम क्या होगा, यह हम सब सहज कल्पना कर सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवैध कारोबार पुलिस संरक्षण में ज्यादा पनप रहा है। आज गांवों में युवाओं में शराब और स्मैक का नशा

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

बहुत ज्यादा फैल रहा है। हर गांव में दो-दो, चार-चार युवा बच्चे स्मैक से ग्रस्त हैं, परंतु पुलिस को बार-बार शिकायत करने के बावजूद हर जगह दुकानों पर स्मैक मिलती है। उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। शराब व स्मैक से अपराध बढ़ रहे हैं। लड़ाई-झगड़े होते हैं। बहुत-से घर बर्बाद हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शराब व स्मैक की जो अवैध दुकानें हैं, उनको बंद करवाई जावें।

मेरे क्षेत्र में देह व्यापार का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। मेरा मांडलगढ़ मेन कस्बा है। वहां पर रेलवे स्टेशन के सामने एक बस्ती है, उसमें खुलेआम देह व्यापार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर साहब को शिकायत करने के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस सरकार के आने के बाद मेरे मांडलगढ़ में वेश्यावृत्ति का धंधा जोरदार तरीके से फल-फूल रहा है। सट्टा, मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में आठ-दस जगह खुलेआम सट्टा चलता है। मेरे द्वारा बार-बार थानेदार आदि को कहने के बावजूद, अभी बंद कराते हैं, परंतु एक दिन बंद हो जाता है और दूसरे दिन ज्यादा ताकत से वापस चलता है। कोई रोकने वाला नहीं है।

पुलिस थानों में सुविधाएं नहीं हैं। स्वागत कक्ष भी विधायक मद से बने हैं, परंतु वहां पर मिट्टी लगी हुई है। कोई बैठने वाला नहीं है। विधायक फंड से बनाये गये हैं, लेकिन उसका उद्घाटन भी नहीं कराया गया है। मैं मांग करता हूं कि विधायक मद से जो स्वागत कक्ष बनाये हैं उनका उद्घाटन कराया जाए। कई बार पुलिस थानों में सुविधाएं जन सहयोग से जुटानी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में पुलिस के साथ ऐसे लोगों का गठजोड़ हो जाता है, क्योंकि पुलिस पैसे मांगने जाती है तो समाज में समाज कंटक होते हैं, ऐसे अपराधियों के हौसले बुलन्द हो जाते हैं। यही कारण है कि अपराधी या तो फरार हो जाता है या जमानत पर चला जाता है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि

"इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा,
ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा।"

पुलिस थानों में नफरी के अनुसार पुलिसकर्मी नहीं हैं। पुलिस वालों पर काम का दबाव ज्यादा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। पुलिसकर्मियों को समय पर अवकाश व आवश्यक सुख-सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। पुलिस वालों को बहुत कम तनख्वाह देते हैं। आधुनिक हथियारों से हमारी पुलिस लैस नहीं है। इसका एक उदाहरण भीलवाड़ा में कोटड़ी में मेरे विधान

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

सभा क्षेत्र में ओंकार रेबारी का है। तस्करों ने गोली मारकर उनको उड़ा दिया था। डेढ़ घंटे बाद वे ही तस्कर रायला में जाकर दूसरे पुलिसकर्मी को गोली से उड़ाते हैं और भाग जाते हैं, परंतु पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान पुलिस के पास अच्छे वाहन उपलब्ध होने चाहिए और पूरे हथियार, जो तस्करों के पास होते हैं, उनसे अच्छे हथियार हमारे पास होंगे तो उन पर हम काबू पा सकते हैं। सरेआम दो पुलिसकर्मी हमारे भीलवाड़ा में गोली से उड़ा दिये गये और उनका कुछ भी नहीं हुआ।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): दो मिनट, साहब।

पुलिस केवल वाहनों की जांच व हेलमेट का जुर्माना करने में व्यस्त है। हेलमेट का जुर्माना अभी हजार रुपये कर रखा है। गांव में किसान आदमी मोटरसाइकिल पर जाता है, उनके पास एक हजार रुपये होते नहीं हैं। एक हजार रुपये का जुर्माना होने के कारण ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कुछ पैसे पुलिस वालों को देकर किसी भी हाल में हाथ-पैर जोड़कर वे छूटते हैं। मेरी मांग है कि एक हजार रुपये ज्यादा हैं, थोड़ा कम कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार कम होगा।

साइबर क्राइम, मोबाइल चोरी की घटनाएं नियंत्रण के बाहर हो रही हैं। कारागृह बंदियों का सुधार गृह माना जाता है, लेकिन ये कारागृह, जेल अपराधियों का गढ़ बन रहे हैं। जेलों में मोबाइल से अपराध घटित करवाए जा रहे हैं। जेलों से मोबाइल बरामद होने की घटनाएं आज रोज हो रही हैं। आये दिन समाचारों में पढ़ते हैं, लेकिन रोकथाम के कोई उपाय नहीं हैं। मैं मांग करता हूं हम सब मिलकर इसी सदन में, जेल में जैमर लगाए जाएं, जिससे अगर बाहर से कोई मोबाइल जेल में देता भी है तो मोबाइल नहीं चलेगा, जिस तरह से हमारे विधान सभा में नहीं चलता है, तो बात किससे करेंगे। वहां भी जैमर लगा दिए जाएं तो शायद अपराध बहुत कम होंगे।

मेरा निवेदन है कि सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की पुख्ता व्यवस्था करे, जिससे प्रदेश का आम अवाम खुशहाली व शांति से अपना जीवन जी सके।

"किसी बेगुनाह का एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए
तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना।"

मेरे क्षेत्र में जो अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं, उनके बारे में

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

महानिदेशक जी से मांग करता हूं। हर तरह का अवैध कारोबार मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रहा है, तुरंत उनको बंद करवाया जाए। जो भी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध खनन है, अवैध सट्टा है, अवैध वेश्यावृत्ति है, बहुत गलत काम मेरे क्षेत्र में हो रहे हैं। आपकी पुलिस कोई सुनती नहीं है। अभी एक डीवाईएसपी साहब, कीर्ति जी पधारे हैं, उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया है, परंतु नीचे के पुलिस वाले, वहां पर ड्यूटी लगा दी तो उनके सामने ही वेश्यावृत्ति होती है। वे बैठे-बैठे देखते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): हमारे यहां पर पुराने पुलिस वाले जमे हुए हैं। हमारे माण्डलगढ़ में अफसर तो अच्छे हैं, परंतु नीचे के पुलिस वाले अच्छे नहीं हैं। वे उनसे मिले हुए हैं। उनको तुरंत हटा दिया जाए तो शायद ये धंधे बंद हो जाएंगे। सट्टे के मामले में भी वे सट्टे वालों से मिले हुए हैं। बरसों से चल रहा है। मैं मांग करता हूं कि इनको बंद करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति महोदय, मांग संख्या 18- गृह विभाग और मांग संख्या-19 कारागार पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, जिस तरीके से हमारी फौज हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, ऐसे हमारी पुलिस आंतरिक सुरक्षा, हमारे हिन्दुस्तान की आंतरिक रक्षा करती है आतंकवादियों से, चोरों से, डकैतों से, गुंडे-बदमाशों से और आम नागरिक रात को चैन की नींद सो सकता है। आज पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आते हैं। जब भारत को आजादी मिली, एक टूटा भारत उनको मिला था। उन्होंने कश्मीर को, हैदराबाद को, जूनागढ़ को पुलिस के और फौज के द्वारा मिलाकर हिन्दुस्तान को एकीकृत भारत बनाया। ऐसा मजबूत गृह मंत्री, उप प्रधान मंत्री न आज तक भारत में हुआ है न होगा, जिनकी बदौलत आज हम अखण्ड भारत में जी रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस में भी दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे हैड एण्ड टेल होता है, तो यहां पर अच्छे अधिकारी भी हैं और यहां पर भ्रष्ट अधिकारी भी हैं। अच्छे अधिकारियों को,

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

अच्छे लोगों को अगर हम अच्छी जगह पर पहुंचाएंगे तो हमारे देश और हमारी जनता का भला होगा।

(समय: 18.00 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद इम्पीरियल पुलिस की स्थापना की थी कि हिन्दुस्तान के जो आजादी के मतवाले, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भारत की आजादी का बिगुल बजाया था, उनको कुचलने का काम इम्पीरियल पुलिस ने किया था। पूरे देश के लोगों को, जो क्रांतिकारी थे उनको, गांव-गांव में जाकर सभी क्रांतिकारियों को, उनकी पुलिस ने बहुत बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव किया था।

आज भी हम किसी भी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस की सरकार आती है या बी.जे.पी. की सरकार आती है तो हम उसी सत्ता के साथ, इंडियन पुलिस कोड, 1861 के अन्दर जो इन्होंने बनाया, तो वह 1861 में अंग्रेजों ने इतनी बुरी तरह से बनाया। उन्होंने 1857 के क्रांतिकारियों को इतनी बुरी तरह से कुचला और जगह-जगह पर लोगों को मार दिया। उसकी परिभाषा यह हुई कि अंग्रेजी फौज तो बोर्डर पर लड़ती थी, हमारे देशी रियासतों पर कब्जा करती थी और पुलिस का मिस्यूज करके हमारी देश की जनता को कुचला जा रहा था। उसी की यह परिणति हुई कि जलियांवाला बाग़ कांड हुआ, गोली चलाई हम देश के क्रांतिकारियों पर, शहीदों पर। चौरी चौरा कांड हुआ और 1857 से आते-आते 1947 तक हम, हिन्दुस्तान एक होकर आजाद हो गया।

अहम रोल, अंग्रेजों के राज को भगाने का काम पुलिस ने भी किया। क्यों? पुलिस ने हिन्दुस्तान के लोगों पर, अंग्रेजों के अंडर कहकर इतनी गोलियां चलाईं, जिससे हमारे करोड़ों लोग मारे गये। हमने दो-दो प्रधान मंत्री खोये हैं। आतंकवाद की भेंट चढ़ा। मुझे वह वाकया याद है कि 1992 में सरदार बेअंत सिंहजी पंजाब के मुख्य मंत्री थे, के.पी.एस. गिल जी वहां के डी.जी.पी. थे। रिबेरो साहब पर जालंधर के अन्दर अटैक हुआ आतंकवादियों का। रिबेरोजी को हटाकर के.पी.एस. गिल को पुलिस का चीफ बनाया गया। खुदा न खास्ता, मैं एक एम.पी. साहब के घर पर था। गुरुचरण सिंह गालिब लुधियाना में, तो वहां पर के.पी.एस. गिल आये। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी से यह बोला कि अगर आतंकवादियों के साथ आप मुझे डी.जी.पी. बनाना चाहते हो तो आतंकवादियों के साथ जो पंजाब पुलिस के लोग मिले हुए हैं उनको सबसे

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

पहले कुचलना पड़ेगा। जैसे ही वे डी.जी.पी. बने, जो पंजाब पुलिस के लोग आतंकवादियों से मिले हुए थे, उन सबको शूट-आउट किया गया, उनको कुचला गया और आज पंजाब हिन्दुस्तान में रह गया और खालिस्तान नहीं बन पाया तो ऐसे भी पुलिस आफिसर थे।

जो हमारे पुलिस आफिसर कहीं भी जमीनों पर कब्जे करते हों, डोडा-चूरा सप्लाई करते हों, ड्रग्स बिकवाते हों, पूरे हिन्दुस्तान में पाकिस्तान से जो भी ड्रग्स सप्लाई होती थी, पंजाब पुलिस भी पूरी उसमें इन्वाल्व थी। जब उनको कुचल दिया तो आतंकवाद पंजाब से खतम हो गया। हमारे मुख्य मंत्री बेअंत सिंहजी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन हम लोग, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, पुलिस में भ्रष्ट लोग भी हैं, उन अच्छे लोगों को अच्छी की-पोस्ट पर बैठाओ और जो डोडा-चूरा स्मलिंग, स्मैक, नकली शराब, जमीनों पर कब्जे करवाने वाले हैं, इनको तुरंत सज़ा दो और उनको लाइन हाजिर करो। तब ही हम देश की जनता को एक अच्छा पुलिस राज दे पाएंगे।

भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हमने अभी भी अंग्रेजों का आई.पी.सी. कोड चला रखा है तो इसको बदलने की जरूरत है। आजाद हिन्दुस्तान में हमें पुलिस को पोलिटिकली मिस्यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ पुलिस को यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें पुलिस को कानून-व्यवस्था पर, गुंडे-बदमाशों व आतंकवादियों को कुचलने के लिए देश की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस सिविल फोर्स है। यह जनता के इतनी क्लोज रहती है कि इसमें जब जनता और पुलिस दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए। आप कहीं भी पूरी दुनिया में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, पोलैंड में, हॉलैंड में जाओ, रशिया में जाओ, अमरीका में जाओ तो वहां पर पुलिस का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वहां से कोई भी ड्रग्स माफिया या आतंकवादी बचकर भाग नहीं सकता है। वहां पर लोगों में पुलिस के प्रति एक अफेक्शन भी है क्योंकि हम इस पुलिस में अंग्रेजों की एक अभिभूति देखते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश की आजादी को कुचलने के लिए 90 साल तक पुलिस का मिस्यूज किया और आज भी हम लोग, चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, बी.जे.पी. हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, लोक दल हो, हर पार्टी अपनी सत्ता को बचाने के लिए पुलिस का मिस्यूज करती है।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

मैं यह चाहता हूं और मैं इस पर यह स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि पुलिस को कानून, रूल आफ लॉ पर काम करने दो। पुलिस को हमारी जो आंतरिक व्यवस्था है, उसको मजबूत करने दो। पुलिस जो हमारे देश को तोड़ने वाले जो आंतरिक, जो हमारी अन्दर की शक्तियां, जो हमारे भारत को अन्दर से तोड़ना चाहती है, उनको खंडित करने का काम भी करती है। हमारी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत भी करती है। पुलिस और जनता का इतना गहरा रिश्ता होता है कि रात को अगर पुलिस थाने में एक गरीब आदमी भी जाये तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए।

राजा विक्रमादित्य के राज में कितना न्याय था? कोई भी गरीब आदमी अगर वहां पर चला जाता था तो उसकी बात सुनी जाती थी और तुरन्त उनको न्याय मिलता था। जहांगीर के राज में पशुओं तक को, एक घोड़े ने घंटी बजा दी थी तो जहांगीर ने यह बोला कि यह घोड़ा भूखा है। जिस राज में पब्लिक को न्याय नहीं मिले, पब्लिक को शेल्टर नहीं मिले, पब्लिक को कानून का विश्वास नहीं हो, पब्लिक का बचाव नहीं हो, गुंडे-बदमाश जिस राज में खुले घूमते हों, आतंकवादी जिस देश में खुले घूमते हों, डोडा-चूरा के स्मगलर राज गद्दी पर बैठे बड़े-बड़े मंत्री और मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री की सीटों पर पहुंच जाते हों, मैं दुनिया के एक ऐसे देश का जो आज दुनिया में कमजोर हो रहा है मैक्सिको, वहां एक नेक्सस बन चुका है पोलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, ड्रग्स माफिया का और इंडस्ट्रियलिस्ट्स का। वहां की सत्ता पर सारे लोग ड्रग्स माफिया पहुंच गये हैं और अमरीका जैसे शक्तिशाली देश को अन्दर से कमजोर कर दिया। अमरीका की पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है।

हमने इसी ड्रग्स माफिया से पंजाब में आतंकवाद को झेला है। उसी की परिणति में हमारे देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की जान गयी। हमारे पंजाब के मुख्य मंत्री बेअंत सिंहजी की जान गयी और उसी आतंकवाद को हमारी पंजाब पुलिस ने कुचल कर रख दिया। मैं तारीफ करना चाहता हूं पुलिस के उन अच्छे आफिसरों की, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर इन माफियाओं को, नकली शराब बनाने वालों को, भू-माफियाओं को और ड्रग्स माफियाओं को पकड़कर रखा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े-बड़े पोलिटिकल शेल्टर से, एक कोई डूंगरपुर का लगा हुआ अधिकारी अगर किसी नकली शराब को गुजरात में भेजता हो तो वह राजसमन्द में आकर कहां से ईमानदार हो जायेगा? अगर

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

कोई चित्तौड़ में करता हो तो वह जोधपुर ग्रामीण में कहां से ईमानदार हो जायेगा? हमको यह सोचना पड़ेगा कि अगर हम इन भ्रष्ट अधिकारियों को, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे प्रधान मंत्री हो, इस देश को अगर लाइन देनी पड़ेगी तो हमें ईमानदारों की एक लाइन बनानी पड़ेगी। तभी हमारा अखंड भारत, ऐसा मजबूत देश जो हमको सरदार पटेल ने दिया, वह इतना मजबूत रहेगा कि सदियों तक हम एक रह सकते हैं।

हमारी आधुनिक फौज होनी चाहिए और हमारी पुलिस भी आधुनिक होनी चाहिए। आज हम पुलिस के सिपाहियों के हाथ में डंडा देते हैं तो हमें उनके हाथ में आतंकवादियों से, गुंडों से लड़ने के लिए ए.के. 47 देनी चाहिए। हम उन फौजी आदमियों को जो ताकत देते हैं, उनको बुलेटप्रूफ जैकेट भी देते हैं तो इनको भी लड़ने के लिए हमको बुलेटप्रूफ जैकेट देनी पड़ेगी। हमें गुंडे, बदमाशों का कानून के तहत रहकर सफाया करना पड़ेगा, जिससे आम आदमी हिन्दुस्तान का, राजस्थान का आम नागरिक चैन की नींद सो सके। ये हमारे रक्षक हैं। जैसे फौज के लोग होली-दीपावली पर अपने घरों पर नहीं आते हैं ऐसे ही पुलिस के लोग भी हमारी होली-दीपावली, जो हम सुख-चैन से मनाते हैं और वे अपनी होली-दीपावली बाद में मनाते हैं।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस के उन जांबाज सिपाहियों का, जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए, नक्सलवाद से लड़ते हुए, देश की सीमाओं पर, चाहे सी.आर.पी.एफ. के लोग हों या चाहे राजस्थान पुलिस के लोग हों, जिन्होंने गुंडे-बदमाशों से लड़ते हुए, माफियाओं से लड़ते हुए अच्छा काम किया है, वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

हमें इनकी एक सोच बनानी पड़ेगी। अगर हम इनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, हम इनकी ग्रेड-पे को 3,600 रुपये करेंगे, इनको साइकिल की बजाय हरियाणा की तर्ज पर पूरे देश में घूमने का बस अलाउंस देंगे, हम इनकी हार्ड ड्यूटी पर, हार्ड ड्यूटी होती है तो 50 परसेंट इनको अलाउंस देना चाहिए। मैस भत्ता हमको इनको छह हजार रुपये बढ़ाकर देना चाहिए। वर्दी भत्ता हमको दस हजार रुपये करना चाहिए। मोटरसाइकिल भत्ते की जगह पर वाहन भत्ते के साथ-साथ ही पैट्रोल का पैसा भी दिया जाना चाहिए। स्टेशनरी भत्ता, मोबाइल चार्ज का भत्ता भी दिया जाना चाहिए। फील्ड ट्रेनिंग का भत्ता एक हजार रुपये मासिक दिया जाना चाहिए। हमें मजबूत करना पड़ेगा, जैसे

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

हिन्दुस्तान की फौज को हमारे हर प्रधान मंत्री ने आज तक, चाहे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, श्रीमती इंदिरा गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, नरेंद्र मोदीजी हों, मनमोहन सिंहजी हों, हम सब हिन्दुस्तानी हैं। हमने पूरे देश की फौज को जिस तरह से मजबूत किया है, उसी तरह से हमको भी हमारे राज्य की पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा। उनको टूटी गाड़ी नहीं देनी है। उनको नई गाड़ियां देनी पड़ेंगी, जिस तरीके से पंजाब में लड़ने के लिए केपीएस गिल ने नई जिप्सियां दीं और आतंकवाद को कुचल दिया। उन्होंने कई पुलिस के आफिसर्स का एनकाउण्टर किया, जो आतंकवादियों से मिले हुए थे। जो ड्रग्स माफिया पाकिस्तान से सप्लाई करते थे, अफीम, डोडा, चूरा सप्लाई होता था और हमारा पंजाब जो आज भारत का अभिन्न हिस्सा है, एक तरफ ऐसा लग रहा था कि वह खालिस्तान बन जायेगा। देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधीजी की जान चली गई। टूटता नजारा था। भिण्डरवाला, अटवाल जैसे हमारे पुलिस के आईजी आफिसर्स की जान चली गयी। चट्टोपाध्याय जैसे, अनिल शर्मा जैसे, मोहम्मद उस्सवाह जैसे बगैर जाति-पांति के अच्छे आफिसर्स जो बार्डर पर रहते थे, कई अधिकारी अच्छे थे, जो हमारे साथ कालेजों में पढ़े भी थे, लेकिन वे अपनी वर्दी के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होकर उन्होंने काम किया और आतंकवाद को उस सिविल फोर्स ने कुचल कर रख दिया और हमें फौज की जरूरत नहीं पड़ी और हिन्दुस्तान में खालिस्तान नहीं बन पाया। पंजाब आज एक तरक्कीनुमा प्रदेश है और भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान उसके दो टुकड़े करना चाहता है, लेकिन पंजाब पुलिस की मदद से केपीएस गिल जैसे जांबाज पुलिस आफिसर और बेअन्त सिंह जैसे दूरदृष्टि वाले मुख्य मंत्री की वजह से आज पंजाब भारत का हिस्सा है।

माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री मजबूत होना चाहिए। उनको ताकत से पुलिस को यूज करना है। उनमें उतनी ताकत होनी चाहिए कि उनके पास हर चीज की इन्फोर्मेशन हो। जो आफिसर्स गलत काम में इन्वोल्व हों, उनको पुलिस सर्विस से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब कारागार पर आते हैं। कारागार के अन्दर अपराधियों के लिए जगह होती है। कारागार में मोबाइल मिल जाते हैं। कारागार में आपको पिज्जा मिल जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप इनको सुनिए प्लीज।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आप बैठिए, भाई साहब।

श्री सभापति: बैठिए। No. This is not allowed.

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आप थोड़ी-सी नालेज ले लो प्लीज।

श्री सभापति: This is not allowed.

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आप बोलते बहुत हो।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बाहर निकालो इनको।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्यजी, आप नालेज ले लो। आप यह बता दो कि केपीएस गिल और बेअन्त सिंह ने पंजाब के आतंकवादियों को कुचला या नहीं कुचला? इन्दिरा गांधी की हत्या पुलिस वालों ने की थी या नहीं की थी? सिक्के के दो पहलू हैं। थोड़ा समझो। बोलो। सरदार पटेल को आपके माननीय मोदीजी मानते हैं। आप क्यों नहीं मानते हो? देश के बड़े गृह मंत्री थे। उन्होंने हिन्दुस्तान को एक कर दिया। आप मानिए तो सही। आप बार-बार खड़े हो जाते हो। खड़े रहते हो। बैठ जाते हो। थोड़ा बहुत सोचो, समझो। पढ़ लिख कर आओ। पूरे देश को संभालो। देश आप ही के कब्जे में रहेगा। चिन्ता मत करो। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो। बुरा है तो बुरा बोलो। आप खड़े होकर डिस्टर्ब करने लग जाते हो। आप बोलिए। आप मानिए कि सरदार पटेल गृह मंत्री थे। अच्छे थे या नहीं थे? अखण्ड भारत आपको सरदार पटेल की वजह से मिला या नहीं मिला? केएल पंजाबी आईसीएस आफिसर थे। बंगाल में दंगे हुए कैलकट्टा के अन्दर। होम सेक्रेटरी आफ इण्डिया थे फर्स्ट। है आपको नालेज? सुनिए। क्या बोला उन्होंने। (व्यवधान) सुनिए। बैठिए। आप नालेज लीजिए।

श्री सभापति: बैठिए प्लीज। नो-नो। यह ठीक नहीं है इस तरह से। Please don’t disturb the House. जब आप बोल रहे थे, तब उधर से कोई नहीं बोला।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आपको पता ही नहीं है। आप किताबें नहीं पढ़ते हो और यहां आकर बोलने लग जाते हो। माननीय सभापति महोदय, इनको सीखने दो। ये सीखने के आदी हैं।

क्या हुआ? बंगाल में कैलकट्टा में दंगे हो रहे थे हिन्दुओं-मुसलमानों के, केएल पंजाबीजी आये, फर्स्ट आफिसर थे इण्डिया के, पढ़ लजिए। सरदारजी बैठे हुए थे कुर्सी पर। उन्होंने पूछा क्या बात है? वे घबरा रहे थे। सरदार पटेल का इतना रौब था। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि, साहब, बंगाल में दंगे हो गये। कहा, ठीक है। क्या करना है? बोले, साहब, गोली चलानी पड़ेगी। कहते हैं, ठीक

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

है, दंगे बन्द होने चाहिए। पुलिस को आर्डर करो। निर्दोष नहीं मरने चाहिए। पांच-सात दंगाई मरे और कैलकट्टा में हिन्दू-मुस्लिम दंगे बन्द हो गये। वह सरदार पटेल था। आप हमारे नेता को लेकर, मूर्ति लगा कर, वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस के गृह मंत्री थे, वे कांग्रेस के उप प्रधान मंत्री थे। आप अपना बता दीजिए, आपने क्या किया? आप काम करो। आपको हमने मौका दिया है दस साल। आप काम करो। हिन्दू-मुसलमान, सिख-ईसाई जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो आप बता सकते हो कि अशफाकुल्लाह भी मुसलमान था। सरदार भगतसिंह भी जाट था। उधम सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराबा, राजबिहारी बोस। चन्द्रशेखर आजाद के लिए मायावती ने क्या बोला था, आतंकवादी। आपने मायावती की सरकार को उत्तर प्रदेश में सपोर्ट किया था। आजाद की पिस्तौल, आजादी थी, आजाद ही रहा और आजाद ही मरा। आप शहीदों का अपमान करते हो। सत्ता के लिए कभी भी किसी के साथ मिल जाते हो। आपको सत्ता चाहिए। (व्यवधान) छोड़िए। आपने समझौता किया था।

श्री सभापति: बैठिए। बैठिए।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आप बैठ जाइए। बैठिए। आपको कोई नालेज नहीं है।

यही पुलिस थी, जिन्होंने क्रांतिकारियों को मारा और यही पुलिस थी जिसकी वजह से अंग्रेजों का राज चला गया। आपका राज कब गया? जब आपने 72 गुर्जर मारे। किसान पानी मांगता था। आपने 26 किसानों पर गोली चलायी राजस्थान के अन्दर। आपने गरीबों पर गोली चलायी। आपने मिस्यूज आफ पुलिस किया। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के राज में आन्दोलन भी हुए लेकिन हमने कहीं गोलियां और लाठियां नहीं चलायीं। यह होता है संवेदनशील मुख्य मंत्री और संवेदनशील राज्य। आपने जनरल डायर की बात को ताजा किया है। जैसे जलियांवाला बाग़ में ...(व्यवधान) बैठिए, नेताजी। जनरल डायर की तरह आपने लोगों पर गोलियां चलायी। आपने राज में पुलिस का दुरुपयोग किया। आपने पुलिस का इतना दुरुपयोग किया। हमने पांच सालों में कहीं भी पुलिस का दुरुपयोग नहीं किया। बैठिए आप। आपका समय आये तब बोलिए, नेताजी। आप पहले पढ़ कर आइए, फिर बाद में बात करिए। आप नकार दीजिए कि सरदार पटेल देश का गृह मंत्री नहीं था या सरदार पटेल की वजह से आज अखण्ड भारत है। 610 रियासतों को हिन्दुस्तान में मिलाया। जिस राजस्थान में

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

हम रहते हैं, जूनागढ़ और इधर के लोग पाकिस्तान में जा रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने से जोधपुर महाराज ने 28 रियासतों को हिन्दुस्तान में मिलाया। हमको हैदराबाद के अन्दर जाना पड़ता तो हमको रास्ता नहीं मिलता। पेट में से होकर जाना पड़ता पाकिस्तान से। आप और हम तो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। उन हिन्दुस्तानियों के बारे में सोचो जिनके पुरखे जो गुलाम भारत में पैदा हुए हैं। अंग्रेजों ने कितनी गोलियां चलायीं। कितना क्या हुआ।

अब मैं कारागार पर आता हूं। कारागार के अन्दर आपको स्मैक मिल जायेगी। कारागार कैदियों की जगह है। वहां पर मोबाइल मिल जायेंगे। वहां पर बाहर के खाने मिल जायेंगे। कारागार से नेटवर्क चलता है। कारागार में मर्डर तक हो जाते हैं। कारागार के अधिकारियों को यह पता नहीं होता कि वहां पर एपल जैसे अच्छे मोबाइल मिल जायेंगे। 14 मोबाइल, खाना-पीना, सब कुछ कारागार में चला जाता है। कारागार को मजबूत बनाएं। अपराधियों की जगह पर वे सुविधाएं मिल जायेंगी जो पांच सितारा होटल्स में हैं। उनको कौन दिलाता है? कौन आता है? अपराधी मैडिकल लेकर हास्पिटल्स में भर्ती होते रहते हैं। कारागार, जो कैदियों की जगह है, उसको मजबूत करो। अगर हम कारागारों को मजबूत करेंगे तो अपराधी सोचेगा कि अगर मैं जेल गया तो मुझे कारागार में रहना पड़ेगा।

अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों को एक छोटी-सी कोठरी में, काला पानी में रखा पोर्टब्लेयर में। माननीय राजेन्द्र राठौड़जी तो हमारे बड़े भाई हैं। ये माननीय सदस्य गये होंगे। कैसी छोटी-सी कोठरी में रह कर हमारे शहीदों ने रात गुजारी होगी। उसमें बाथरूम भी नहीं था। खाने के लिए नहीं था। कपड़े भी नहीं थे तो अपराधियों की जगह सख्ती से होनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): हम नेताओं को भी अपराधियों के लिए फोन नहीं करने चाहिए। हमें गुंडों बदमाशों के लिए थानों में फोन नहीं करने चाहिए। हमें गुंडे बदमाशों, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। नकली शराब, जिससे हमारे लोगों के लीवर खराब होते हैं, डायबिटीज हो जाती है। आपको पता है कि मिलावटी दूध मिल रहा है कपासन से आने वाले माननीय सदस्य? आप दूध के अन्दर यूरिया पी रहे हो। रिपोर्ट मंगवा कर देख लो। मिर्च के अन्दर क्या मिल रहा है, पता है आपको? लीद मिल रही है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करो।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): आप पुलिस को फोन मत करो थानों में, कि अपराधी को छोड़ दो, इस गुंडे को छोड़ दो। उनको कानून से काम करने दो। माननीय सभापति महोदय, आखिर में आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस इस देश की आन्तरिक फौज है। मैं पूरा समर्थन करता हूं कि पुलिस पर भी बहुत स्ट्रेस होता है। 30 करोड़ के देश में अंग्रेजों के राज में तीन लाख दस हजार पुलिसकर्मी थे। आज हमारा 140 करोड़ का देश है। हमें पुलिस की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। सात करोड़ के राजस्थान में हमें पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमें पुलिस के अलाउंस बढ़ाने पड़ेंगे। पुलिस, जो मानसिक तनाव में रहते हैं, वे भी हमारे भाई हैं। ये किसानों के, राजस्थानियों के, दलितों के, पिछ़डों के बेटे हैं, हम इनके बारे में सोचें। आफिसर्स की बजाय पुलिस के सिपाही, हैड कान्स्टेबल, सब इंस्पेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं और पुलिस की मांग का समर्थन करता हूं। राज्य सरकार से और कारागार मंत्रीजी से अपील करता हूं कि कारागारों को सुधारो और पुलिस को सुधारो। जो अच्छे आफिसर्स हैं, उनको जगह दो और जो भ्रष्ट आफिसर्स हैं, उनको जेल की सलाखों में डालो, तभी हमारा राजस्थान सुरक्षित रहेगा और तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18 और 19 पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता माननीय बिधुरी साहब जो बोल रहे थे और पुलिस की बड़ाई कर रहे थे, इसलिये उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।

सामान्यत: पुलिस का जो रोल है, मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं। कोरोना काल में पुलिस का जो रोल था, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि पुलिस ऐसा व्यवहार कर सकती है। पुलिस ने उस समय एक आदर्श प्रस्तुत किया था। मैं भी 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं। अनेक बड़ेबड़े अधिकारी उदयपुर संभाग में रहकर गये और अधिकांश अच्छे ईमानदार अधिकारी रहकर गये, परंतु उनमें से एक-दो ऐसे भी होंगे जो पुलिस को बदनाम करने वाले हैं। आज सत्तारूढ़ पार्टी के दो विधायक, हमारे जयपुर के एक विधायक ने अपनी व्यथा बतायी। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, अब आप लोग भी सुनिए इनको।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): पुलिस की बीती हुई व्यथा बतायी। एक माननीय पूर्व डी.जी., जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी व्यथा बतायी। यानी आश्चर्य यह है कि जो आदमी डी.जी. रहे हुए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, उनको FIR दर्ज करवाने के लिए धरना देना पड़े। यह पुलिस की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के बारे में बाकी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सिरोही के एस.पी. शराब तस्करी में पकड़े गये। यह प्रूव हुआ और प्रूव होने के बाद उनको वहां से हटाया, पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और उनको फील्ड की पोस्टिंग दे दी। यह हमारी सरकार की स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, जब शराब का विषय आया तो मैं कहना चाहूंगा कि डूंगरपुर में बड़े पुलिस अधिकारी शराब की दुकानों की बंधी में पकड़े गये। 10-10 लाख रुपये की बंधी में पकड़े गये। यह समाचार-पत्रों में आया है। इससे भी घिनौनी कार्यवाही पुलिस ने की है। बिछीवाड़ा में जो पुलिस ने शराब पकड़ी, जब्त की, उसको बड़े पुलिस अधिकारियों ने नीचे के अधिकारियों से मिलकर बेच दी। माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। देवगढ़ में तीन महीने पहले एक प्रजापत को, जो 50 बीघा जमीन पर उसकी सात पीढ़ियां मंदिर की पूजा कर रही थीं, कुछ भूमि दलालों ने मिलकर, क्योंकि हाईवे पर 100 फीट की रोड निकल रही थी, उसमें वह जमीन आ गयी, वह जमीन देवस्थान की है, सात पीढ़ियों से वह पुजारी प्रजापत पूजा कर रहा है। कुछ गुंडों ने मिलकर तीन-चार महीने पहले शाम को सात बजे उसके बेटे को रस्सियों से बांधकर पटक दिया। पति-पत्नी खाना खा रहे थे। थाली में रोटी पड़ी थी। उनको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। यह देवगढ़ की घटना है। पुलिस ने कार्यवाही की, वहां पर पुलिस पहुंच भी गयी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। चित्तौड़ में सोनी को सरेआम मार दिया। भीलवाड़ा में दो भाई जा रहे थे और दो भाइयों में से एक को उतारकर गोली से मार दिया। दुर्भाग्य यह है मारना, उसको कोई पुलिस ने भेजा नहीं। अपराधी पर अंकुश लगाना पुलिस का काम है, परंतु वहां पर स्थिति क्या बनी? जिस भाई ने कहा कि मेरे भाई को इन्होंने गोली मारी है, सवेरे समाचार-पत्रों में दूसरे लोगों के नाम आये। जिन्होंने गोली मारी, उनके नाम ही नहीं हैं।

इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में 10 दिन पहले

(श्री धर्मनारायण जोशी)

राजू की हत्या हुई है। उस हत्या के तार कहां से जुड़े हुए हैं जेल से। जेल में रहकर आदमी मोबाइल से मॉनिटरिंग कर रहा है। क्या हमारी सरकार की आंखें बंद हैं कि जेल से आदमी मोनिटरिंग कर रहा है और बाहर वह हत्या करवा रहा है। कहां रूकेंगे, क्या करेंगे, कैसे भागेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, क्योंकि पुलिस तो यह देख रही है कि बैल्ट है कि नहीं है, हेलमेट है कि नहीं, इसका चालान बनाओ। मेरे क्षेत्र में एक पुलिस थानेदार है। मैंने कभी उसकी शिकायत नहीं की। वह सवेरे छह बजे अवैध पत्थर के खदान पर पहुंच जाता है। एक दिन उसको वहां कोई मिला ही नहीं तो वहां पर एक डम्पर पड़ा था, उसकी खाली हवा निकालकर आ गया। कोई मिला नहीं तो किससे लेन-देन करे। ऐसी स्थिति हमारे यहां की पुलिस की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं उदयपुर के एस.पी. को, जिन्होंने रीट परीक्षा में इतने बड़े कांड को उजागर किया। राजस्थान में 16-17 बार पेपर लीक हुए। सरेआम हमारी परिवहन बस सेवा में रात भर वह टिपंतरी करते रहे, पेपर सॉल्व करते रहे। राजस्थान में ऐसा अनेक बार हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, एक परिवार के तीन RAS बन जाएं, क्या यह टिपंतरी का मामला नहीं है? सरकार को इसकी जांच करानी चाहिये। ऐसे अनेक मामले हैं। माननीय सभापति महोदय, उनको ठीक करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, कन्हैयालाल का कांड हुआ। कन्हैयालाल की पत्नी दर-दर ठोकरें खाती रही। सरकार ने उसकी मदद की। मैं कह सकता हूं कि सरकार ने उसकी मदद की, परंतु अभी भी उनके बच्चों को आर्थिक रूप से कोई पैसा देने से आदमी सबल नहीं हो जाता है। उसका इलाज ढंग से हो, सरकार मदद भी कर रही है, उसका इलाज भी हो रहा है, परंतु उस परिवार का भविष्य क्या होगा? आखिर वह कन्हैयालाल सिलाई की दुकान पर काम करता था।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही एक कांड और बताता हूं। कन्हैयालाल का जिस समय कांड हुआ, वहां एक जैन परिवार की टायर की दुकान है। उसने फेसबुक पर कुछ लिख दिया था। गुंडे उसके पास गये और उसको धमकी दी। धमकी जिस समय दे रहे थे, उस समय पुलिस वाला वहां खड़ा था। उसने कहा, मैं पुलिस वाला हूं। उसने टैप किया तो वे वहां से भाग

(श्री धर्मनारायण जोशी)

गये। मैंने उनके पिताजी को पूछा कि वह बालक कहां है? उन्होंने उदयपुर छोड़ दिया, उसका मैं आपको पता बताने के लिए तैयार हूं, वह मेरे 22 साल के बेटे को मार देंगे। वह गुजरात में शिफ्ट हो गया। यानी हमारे राजस्थान की छवि अगर यह होगी, माननीय सभापति महोदय, तो कौन रक्षा करेगा?

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की मांग के लिए मेरा कुछ विनम्र निवेदन है। हमारे यहां बड़ा एयरपोर्ट है। एक थाना डबोक का ऐसा है कि वहां का सी.आई. एयरपोर्ट पर ही लगा रहता है। वहां VIP आते रहते हैं तो अलग से एयरपोर्ट थाने की व्यवस्था की जाए। हमारा एक डेबारी पूरा अलग क्षेत्र है, उसका अलग से थाना बनाया जाए। Dy.SP दो साल से है। Dy.SP आफिस का भवन नहीं है, किराये के भवन का उनका आफिस चल रहा है। आपने जो स्वागत कक्ष बनाये हैं न, सरकार ने स्वागत कक्ष बनाये हैं, वे सरकार ने नहीं बनाये, विधायकों के पैसे से बनाये हैं। DIG फोन करते हैं, SP फोन करते हैं कि आप पैसे दे दीजिये। आज सरकार के पास पैसे नहीं हैं क्या? मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में अपराध पर अगर पुलिस सख्त होगी, कई बार ऐसा किस्सा चलता है न कि पुलिस चाहे तो अपराध ही नहीं हों। अगर पुलिस तय कर ले तो मैं समझता हूं कि कोई अपराध कभी हो ही नहीं सकता, परंतु पुलिस की मिलीभगत से सारे अपराध होते हैं। मेरा सरकार पर सीधा आरोप है। इसके साथ ही हम और आप सब राजनेता के सम्बन्ध ऐसे आ जाते हैं कि उनको बचाने में लग जाते हैं। अपराधी व्यक्ति को कठोर दंड मिले, जिसने अपराध किया, चाहे वह पुलिस वाला हो, कोई भी हो, अगर उसको दंड मिलेगा तो अपराध में कटौती होगी। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती रमिला खड़िया (अनुपस्थित)। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 18-गृह विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पर बात करना चाहूंगी। एक अलग परिस्थिति की मैं बात रख रही हूं और मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री महोदय, उस पर जरूर गौर करेंगे। मैं सिद्धमुख तहसील के बारे में जिक्र करना चाहूंगी जहां पर हम बहुत गम्भीर समस्या से जूझ रहे हैं। वह समस्या है पानी चोरी की और दो

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

जिलों का बोर्डर होने के कारण उस जिले के बोर्डर पर जो गांव हैं, सिद्धमुख तहसील के गांव भी और भादरा तहसील के गांव भी, जो कि पेयजल की भी काफी गम्भीर समस्या से जूझ रहे हैं और इसका मुख्य कारण है पानी की चोरी। अगर हम हमारे यहां से पुलिस से बात करते हैं तो हनुमानगढ़ पुलिस के बारे में बोल दिया जाता है कि उनका क्षेत्राधिकार है। उधर से कोई बात होती है तो चूरू जिले का क्षेत्राधिकार है। इसके लिए मैं यह बात रखना चाह रही थी। इसका कारण यह था कि इस क्षेत्र के अंदर न तो ग्राउंड वाटर है और न ही यहां पर पेयजल के लिए कोई सुदृढ़ क्षेत्र हैं जिनसे हम इसकी आपूर्ति कर सकें। हालात ऐसे बने हुए हैं कि हरियाणा बोर्डर लगता है तो हमें हरियाणा से पानी खरीदना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं मांग यह रखना चाह रही हूं कि इस समस्या से हमें निजात दिलाने के लिए वहां पर एक चौकी की जरूरत है, जो कि विशेष रूप से इसी के लिए लगायी जाये, ताकि इस समस्या का निस्तारण हो सके।

सभापति महोदय, साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि हरियाणा बोर्डर पर होने के नाते काफी लंबे समय से यह मांग रही कि यहां पर सीआईडी (सीबी) की चौकी होनी चाहिए। अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों पुलिस ने बहुत अच्छी कार्यवाही की।

आपने देखा कि जयपुर में भी काफी गिरोह, जो पनपने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर कार्यवाही की। समय-समय पर आप कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करना चाहिए, जहां पर ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, उसके लिए मैं जरूर कुछ बातें पुलिस के लिए रखना चाहती हूं।

जब कोई परिवादी पुलिस थाने पहुंचता है और अपनी एफआईआर दर्ज कराता है, उसके लिए अगर आईओ को संबंधित स्थान पर जाना पड़े तो पुलिस के द्वारा वाहन की कमी बतायी जाती है। उनको या तो परिवादी वाहन उपलब्ध कराए या थाने के अंदर जब भी वाहन उपलब्ध होगा तो ये लोग अनुसंधान के लिए पहुंचते हैं। आज जो क्राइम है वह बड़ा हाई टेक हो चुका है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां रखते हैं। हमारे पास जो वाहन हैं, उनके माध्यम से हम क्रिमिनल तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। एक मेरी यह मांग रहेगी कि थानों के अंदर अच्छे वाहन होने चाहिए जिससे कि जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल हैं, उन तक पहुंचा जा सके।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

दूसरा, पर्याप्त नफरी की भी बात मैं करना चाहूंगी। कभी भी कोई बड़ा एजिटेशन होता है, कोई बड़ा वीआईपी आता है तो थाने में नफरी की कमी रहती है। काफी संख्या में एफआईआर दर्ज होने के नाते अनुसंधान में भी काफी देरी होती है। ज्यादा अतिरिक्त कार्य भार होने के कारण जो नफरी है, वह मानसिक दबाव में भी रहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समयबद्ध तरीके से छुट्टी की भी बात करना चाहूंगी। पुलिसकर्मी 24 ऑवर्स जॉब करते हैं। वह एक सामाजिक जीवन शैली को भी जीता है। 24 ऑवर्स की जो जॉब है वह भी मुझे लगता है कि उनके मानसिक दबाव का कारण रहती है। इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। साथ ही, जो इनको मेन्टली स्ट्रेस रहता है, उसके लिए ओरिएंटेशन काउंसलिंग हमें समय-समय पर करवानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले पुलिसकर्मी लगभग हर विधायक के पास पहुंचे थे और उन्होंने हमसे यह लैटर लिखवाया था, जिससे सरकार तक उनकी बात जाए। मैं आपके सामने उनकी कुछ बातें रखना चाहती हूं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हैं। यह होनी चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि बहुत ही कम ग्रेड पे 2,400 पर वे कार्य कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 3,600 ग्रेड पे उनकी होनी चाहिए।

कई बार सुनने में आता है कि कांस्टेबल भर्ती होता है और कांस्टेबल पर ही रिटायर हो जाता है। डीपीसी का प्रावधान भी समयानुसार जैसे और विभागों में है, वैसे होना चाहिए। जैसे मैंने 24 घंटे की ड्यूटी का जिक्र किया, सभी कर्मियों का कहना है कि 24 घंटे की ड्यूटी अगर हम करते हैं तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी मिलना चाहिए। जोखिम भत्ते की भी इन्होंने मांग रखी है, जिसकी मासिक 5 हजार की मांग इन्होंने रखी है। इनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित होनी चाहिए। जब हम सभी कार्यालयों की, सभी विभागों की बात करते हैं तो वह 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। यह भी हमें सोचना होगा कि यह तभी संभव हो सकता है, जब पर्याप्त संख्या में नफरी हमारे पास हो।

साथ ही, एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग मांग इन्होंने की है कि इनको साइकिल भत्ता 50 रुपये प्रति माह दिया जाता है। कहां हम वाहन की बात कर रहे हैं और कहां हम साइकिल भत्ता 50 रुपये देते हैं। इन्होंने 10 लीटर पेट्रोल प्रति माह या 500 रुपये की मांग की है। इन्होंने थाने पदस्थापन पर

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

मिलने वाले एटीएफ राशि की भी मांग की है, जो 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की है। स्टेशनरी भत्ते की भी बात की है। उप निरीक्षक, पुलिस की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत विभागीय पद कार्मिकों के लिए आरक्षित रखे जाएं, यह भी इन कार्मिकों के द्वारा मांग रखी गयी है।

मुझे लगता है कि जब हम बजट को देखते हैं तो बहुत शानदार बजट रखा गया है। यह वह संस्था है जो कि प्रदेश में शांति कैसे बनाए रखें, किस तरीके से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। मुझे लगता है कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी यह चर्चा है। निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और अपने जवाब में जरूर इनका उत्तर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू।

सूचना

सिवाना के ग्राम मौड़ी में दो व्यक्तियों की संदिग्ध मृत्यु

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन से आपका और माननीय गृह मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करता हूं कि सिवाना विधान सभा में मौड़ी ग्राम में जगदेव सिंह पुत्र भंवर सिंह, रूप कंवर पत्नी भंवर सिंह, दोनों अपने घर में अकेले रहते थे। उनकी मृत्यु हो गयी, कैसे हुई? पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद में भी, काफी दिनों से घर वाले और पूरा गांव परेशान है, आज दिन तक उनका पता नहीं पड़ा।

मैं गृह मंत्री जी का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं कि इस पर पता लगाकर जल्दी से जल्दी जो भी उनके साथ में घटना घटी है, अपराधी, अगर हों तो उनको पकड़ें और पता लगायें।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय की कमी को देखते हुए और बोलने वालों की संख्या ज्यादा है तो जो 10-10 मिनट दोनों ही तरफ से निर्धारित किये हुए हैं, उसमें कंसल्ट करने के बाद में दोनों तरफ के 2-2 मिनट कम किये जाते हैं। प्रत्येक सदस्य, जो अब आगे बोलेंगे, वे 8 मिनट बोलेंगे। धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह व 19-कारागार पर विचार

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सर, यह कटौती मेरे से ही शुरू करने की आवश्यकता थी क्या?

श्री सभापति: आप शुरू कीजिये प्लीज।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 18 और 19 के ऊपर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, यह भी एक विडम्बना ही है कि सबसे ज्यादा गालियां जिस विभाग को दी जाती हैं, अपेक्षा भी उसी विभाग से की जाती है। यह भी सत्य है कि राजस्थान में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जो राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान की धरा को भी शर्मसार करने वाली होती हैं।

सभापति महोदय, मैं किसी घटना का समर्थन इस आधार पर नहीं करता कि ऐसी घटनाएं होनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि अभी भरतपुर के नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो लोगों का अपहरण किया और उनको आग में जला दिया गया। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं कि यह घटना ठीक है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसी घटनाओं के इतिहास को भी थोड़ा जान लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसी घटना हुई क्यों? जिन व्यक्तियों के खिलाफ गो तस्करी के 5 से 10 मुकदमे दर्ज हों, आये दिन ऐसे अपराधों में लिप्त रहने वाले लोग हों और उनके साथ ऐसी घटना घट जाए तो उन घटनाओं की भी निंदा की जानी चाहिए, जो उनके कृत्य थे।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में जिस तरह से भू-माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया, ड्रग्स माफिया पनप रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। यदि अंकुश लगाने के लिए कानून से बाहर जाने की भी आवश्यकता है तो पुलिस को बाहर जाना चाहिए, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होती है। डर के बिना अनुशासन नहीं होता है, इसलिए डर जरूरी है।

आपने मानवाधिकार आयोग की बात की, इस आधार पर आप करें कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। फिर तो यह होगा कि राजस्थान भी आने वाले समय में अपराधियों की एक शरण स्थली बन जायेगा। जहां

(श्री रामलाल शर्मा)

कोई भी बंदूक उठाने को तैयार नहीं रहेगा। कोई भी इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। कोई भी अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं रहेगा।

सभापति महोदय, मेरा सीधा-सा निवेदन आपसे यही है कि जिस पुलिस से हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं, उसके बारे में भी हमें चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान में कांस्टेबलों की भर्ती होने के उपरांत 20 साल बीत गये, फिर भी पदोन्नति नहीं है। पदोन्नति तो दूर की बात है, उनको 9, 18, 27 का लाभ भी नहीं है। आज भी 24 घंटे की नौकरी करने के उपरांत उनसे अपेक्षा और उम्मीद यह रखो कि वे तमाम वे कार्य भी करें जो उनकी सर्विस के क्षेत्र में आते भी नहीं हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है।

सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन इतना ही है कि आने वाले समय में इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर में सबसे बड़ा जो अपराध हो रहा है, वह भू-माफियाओं का अपराध है। जयपुर में प्राइवेट कोलोनाइजर सोसाइटियों का गठन करके एक प्लाट का पट्टा 3-3 लोगों को जारी करने का काम करते हैं। 3 लोगों को पट्टा जारी होने के बाद कब्जा किसी का है। पट्टा किसी के पास है। कोर्ट में कौन जा रहा है? यथास्थिति के आदेश लेकर उस प्लाट पर कब्जा करके, कोर्ट का स्टे दिखाकर पुलिस को कार्यवाही करने से भी वंचित कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अंदर किस तरीके से सरकार की विल पावर है, लोग यह सोचते हैं कि मेरी सरकार है, हमारी सरकार है, इस सरकार में तो हम कुछ भी करेंगे, हमारे सब गुनाह माफ हैं। किस वजह से राजस्थान के अंदर, झालावाड़ के अंदर कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हुई, किस वजह से अलवर के अंदर हरीश जाटव की हत्या हुई, किस वजह से अलवर जिले के अंदर योगेश जाटव की हत्या हुई? ये हत्याएं उसी का परिणाम हैं कि मेरी सरकार है। समय रहते सरकार इन लोगों पर कार्यवाही करती तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग आज जिंदा होते। आज सारे राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर एटीएम सुरक्षित हो कि जिस जिले के अंदर मकान सुरक्षित हो, जिस जिले के अंदर गाड़ी सुरक्षित हो। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उन अपराधों पर

(श्री रामलाल शर्मा)

अंकुश लगाने के लिए उसी तरीके की कार्य प्रणाली भी अपनाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि अपराधियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता हो और कानून के दायरे के बाहर भी जाने की आवश्यकता हो तो जाना भी चाहिए। हो सकता है कि हमने अगर किसी की मदद की हो तो उस मदद के प्रतिफल के रूप में क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं है। आज राजस्थान के अंदर जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, इनके जीवन पर कोई संकट आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सक्षम भी हैं, पावरफुल भी हैं, लेकिन आम आदमी को कोई व्यक्ति परेशान करे, प्रताड़ित करे तो उसकी रोकथाम के लिए कौनसा तंत्र हमने तैयार किया है? आवश्यकता इस बात की भी है कि हम उनको सुरक्षा दें।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, वह सबसे बड़ा क्राइम, साइबर क्राइम है। क्यों नहीं हम पुलिस की भर्ती के अंदर पहले ही पोस्टें रिजर्व करने का काम करें कि जो आईटी एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, इतनी पोस्टें उनके लिए रिजर्व की जाती हैं। आज भी आठवीं पास पुलिस से हम यह अपेक्षा करें कि वह साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगाने का काम करेगा तो यह सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करते युवाओं के वीडियोज के बारे में अभी कई माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की। यह बात बिलकुल सत्य है। माननीय सभापति महोदय, सत्य घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के धोबलाई का एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर मुझसे बोला कि साहब, अकेले में बात करनी है। मैंने कहा कि बोलो, क्या बात है? वह बोला कि, नहीं, बात अकेले में ही करनी है। मैंने पूछा कि क्या बात है? माननीय सभापति महोदय, उसने मुझसे कहा कि इस तरीके से मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया, मैंने उस वीडियो कॉल को रिसीव किया। कुछ देर बाद वीडियो कॉल कटता है और मेरे पास मैसेज आता है कि यदि आपने इतने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो सोशल मीडिया पर आपके इस वीडियो को सार्वजनिक किया जाएगा। मैं डेढ़ लाख रुपये ट्रांसफर कर चुका हूं और अभी मेरे को फिर धमकी दी है कि दो लाख रुपये ट्रांसफर करो, नहीं तो इसको सोशल मीडिया पर डालने का काम हम कर रहे

(श्री रामलाल शर्मा)

हैं। उसने कहा कि आज आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो मैं कल आत्महत्या करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर आत्महत्याओं की अगर आप जांच कराएंगे तो कई आत्महत्याएं इसी का परिणाम मिलेंगी जो सोशल मीडिया द्वारा टार्चर किये गये व्यक्ति की होगी। माननीय सभापति महोदय, मैंने सम्बन्धित एसएचओ को कहा कि इस नम्बर से कॉल आ रहा है, इसकी लोकेशन तो निकलवाइए। लोकेशन अलवर के मेवात क्षेत्र की मिलती है। माननीय सभापति महोदय, यह सत्य घटना है। मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। उसके कुछ देर बाद में वह फोन दुबारा मेरे बैठे रहते आया। मैंने मेरे मोबाइल से वह नम्बर मिलाया तो लिखा हुआ आया, क्राइम ब्रांच, मुम्बई। कोई व्यक्ति 'क्राइम ब्रांच, मुम्बई' लिखे, कोई 'एसीबी, जयपुर' लिखे, कोई 'एसीबी, राजस्थान' लिखे; इस तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं। इस साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के बहुत से जवानों ने बेहतरीन काम किया है। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी काम किया है। क्या राजस्थान की पुलिस उनको समय पर गैलेंट्री प्रमोशन देने का काम कर रही है? क्या आज राजस्थान में उनकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हो? अच्छा काम करने वाले को आप धन्यवाद देने का काम कर रहे हो? सिस्टम अगर पूरा कोलेप्स हो जाएगा तो इस सिस्टम को बचाने वाला कौन रहेगा? आज राजस्थान पुलिस को कोई अपराधी राजस्थान से बाहर बैठा हुआ चैलेंज करे कि शुरुआत आपने की है, अंत मैं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, अगर इस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज करने लगे तो आखिर आम जन को बचाने वाला कौन है? मेरा आपके माध्यम से निवेदन इतना ही है कि सरकार ने यदि समय रहते इन मामलों पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी विडम्बना होगी।

माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम बात और मैं आपसे कहता हूं कि 6 चरणों में अपराध की अंतिम स्टेज पहुंचती है। पहला स्टेज एफआईआर दर्ज होना, दूसरा स्टेज इन्वेस्टीगेशन होना, तीसरी स्टेज चालान पेश होना, चौथी स्टेज न्यायालय में प्रक्रियाधीन, पांचवीं स्टेज आती है निर्णय और छठी स्टेज आती है अपील। माननीय सभापति महोदय, क्या समय पर अपराधी को सज़ा देने का काम कर रहे हैं? आज भी राजस्थान में कितने न्यायालयों में

(श्री रामलाल शर्मा)

मामले विचाराधीन हैं, सरकार क्या निर्धारित समय में उन प्रकरणों को निस्तारित करवाने का काम कर रही है? माननीय सभापति महोदय, आज भी राजस्थान में आपके थानों के अंदर जो एक्सीडेंट के व्हीकल खड़े हैं, चोरी के व्हीकल खड़े हैं, क्या उनका डिस्पोजल करने का कोई प्रोसिजर बना हुआ है? ताकि समय पर हम उनको निस्तारण कर सकें। आवश्यकता इस बात की है कि न्याय के अंदर देरी होती है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जुर्म करने वाले व्यक्ति को हम समय पर कानून के दायरे में सज़ा नहीं दिलाएंगे, तब तक राजस्थान के अंदर शांति स्थापित नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अपराधियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, अपराधियों को अपराधियों की भाषा में ही समझाने का प्रयास करें। अगर विकास दुबे की गाड़ी पलटी खाती है तो राजस्थान में भी विकास दुबे की गाड़ी को पलटी खिलाओ, तब जाकर अपराधी डरेंगे और अपराध रुकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18 और 19 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज विडम्बना है कि सबसे ज्यादा अगर आदमी कोसता है तो पुलिस को ही कोसता है। आज आम आदमी सुख-शांति से बैठा है, राजस्थान में अमन-चैन है तो पुलिस के कारण ही है। दिक्कत तब आती है जब दो व्यक्ति पुलिस के पास जाते हैं। उनमें एक गलत और एक सही होना ही है, पर हर गलत आदमी भी यही सोचता है कि मैं सही हूं, क्योंकि सब आदमी अपने आपको सही ही सोचते हैं। वहां पर दिक्कत आती है। वहां वह यह सोचता है कि पुलिस हमारे साथ गलत कर रही है, पर हकीकत में यह है नहीं, क्योंकि पुलिस तो अपने अनुसंधान से चलती है और जो उसके सामने साक्ष्य आते हैं उससे चलती है।

माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छा बजट दिया और विशेष तौर से पुलिस में और कैसे सुधार किया जाए, इस पर विचार किया। आज के समय यदि अपराधियों की ओर देखें तो वे भी बड़े शातिर हो गये हैं। आज अपराधी हाईटेक हो गये हैं। उनका तरीका चाहे चोरी का हो या अन्य अपराध करने का हो, वह पहले की तुलना में बदल गया है। उसी के हिसाब से पुलिस की जांच का दायरा उसी तरह से होना चाहिए और

(श्री मनोज कुमार)

संसाधन भी उसी के अनुरूप उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन वे उतने उपलब्ध नहीं हैं। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छा निर्णय किया है कि हम 5 लाख कैमरे पुलिस थानों को उपलब्ध कराएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी लगवा दिए जाएं, क्योंकि आज जब भी किसी अपराध के अनुसंधान की बात आती है तो सबसे पहले पुलिस यही देखती है कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए और उसकी लोकेशन मोबाइल से ट्रेस हो जाए। मोबाइल से लोकेशन ट्रेस में भी आज बहुत समय लग रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो आईटी एक्सपर्ट हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, वे कम हैं। पुलिस में कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उसमें उसके साथ-साथ कोई इस तरह का कैडर भी बनाया जाए, जिसमें आईटी एक्सपर्ट हों, मोबाइल और आधुनिक गैजेट्स से जुड़े साइबर अपराधी हैं, उनको ट्रेस कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बताया और वास्तव में यह सही है कि जो आत्महत्याएं अभी हो रही हैं, उनमें आत्महत्याएं करने वालों के बहुत से परिजन हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उसका लिंक उसके मोबाइल में मिलता है। मोबाइल में लिंक मिल रहा है तो इसके कारण वह कहीं न कहीं इसका शिकार हुआ है, चाहे धोखाधड़ी का हो या कई बार और वीडियो कालिंग के माध्यम से ब्लैकमेल हुआ हो। इसमें पुलिस अनुसंधान में तभी ज्यादा आगे बढ़ पाएगी जब उसके पास ऐसे विशेषज्ञ होंगे, क्योंकि जब भर्ती होती है तो कांस्टेबल की योग्यता हम जानते हैं, दसवीं, बारहवीं पढ़ा हुआ व्यक्ति वहां भर्ती होता है। पुराने कांस्टेबल हैं, जो नई तकनीकों के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस बात के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और भी कई फैसले किये हैं, जैसे पुलिस उप अधीक्षक स्तर पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भी एक अच्छा सराहनीय कदम है। इसके साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी ड्रग्स) को गठित करने का बजट में प्रावधान किया है। यदि इसको गठित किया जाए तो इसका दायरा बढ़ाया जाए। आज जो अपराध बढ़ रहे हैं उनमें बहुत बड़ा कारण ड्रग्स का भी है। शराब माफिया है, लेकिन ड्रग्स एक नशे का रूप है। वह शराब से आगे चला गया है। विशेष तौर से जो सीमावर्ती जिले हैं वहां से वह आगे बढ़ता हुआ पूरे राजस्थान में फैलता जा रहा है। वह तभी सम्भव हो जाएगा जब ये स्पेशल टास्क फोर्स, जो बना रहे हैं, उसका बखूबी दायरा बढ़ाया जाए और इसमें इतनी भर्ती हो और इतने संसाधन आएं कि वे पूरे तरीके से काम कर सकें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है।

(श्री मनोज कुमार)

आज पुलिस की एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि उसका आधा स्टाफ कुछ ऐसे कामों में लगा रहता है, जिस कारण से नफरी जो कि पहले से ही कम है, वह और कम हो जाती है। उसका विकल्प हो सकता है, जो होम गार्ड है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। एक तो पुलिस के पास आदमी उपलब्ध होंगे। दूसरा, होम गार्ड को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। विशेष तौर से हम देखते हैं कि मेले लगते हैं, मेलों में थाने का न सिर्फ आधा स्टाफ चला जाता है, बल्कि जिला पुलिस लाइन से भी स्टाफ बुलाया जाता है।

काम क्या करती है पुलिस वहां? सिर्फ वहां लोगों को लाइनों में लगा रही होती है, जो कि होम गार्ड भी आराम से कर सकता है। वहां कोई आपराधिक घटना नहीं हो रही है या पुलिस वाहनों को इधर-उधर करवा रही है। ट्रैफिक देख रही है। यह तो एक आम होम गार्ड का आदमी भी कर सकता है। बस एक या दो हैड कांस्टेबल्स हों और 10-20 होम गार्ड के आदमी हों। उनसे इस प्रकार के काम हो सकते हैं। इससे पुलिस अपना काम सुचारु रूप से कर सकती है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): दो मिनट में मैं जेल की बात भी करूंगा। कारागार विभाग की सभी ने मांग की कि आज थाने बढ़ गये, मुन्सिफ कोर्ट, ट्रायल कोर्ट काफी बढ़ गये। उस हिसाब से जेलों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। कम से कम हर तहसील मुख्यालय या जहां-जहां मुन्सिफ कोर्ट है, वहां सब-जेल होना जरूरी है। मैं अपने क्षेत्र सुजानगढ़ की यदि बात करूं, वहां 6 थाने हैं। दो डिप्टी स्तर के आफिस हैं। एडिशनल एसपी स्तर का आफिस है। कारागार नहीं होने से अपराधियों को 50-100 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। पुलिस का काम भी बढ़ता है और आम आदमी को भी इससे परेशानी होती है। यदि सुजानगढ़ में उप-कारागार खोला जाता है तो दोनों को ही फायदा होगा।

दूसरा, यदि सुजानगढ़ में यातायात को देखें तो वह बड़ी समस्या है। सालासर गांव छोटा है, वहां बड़ी समस्या है। सालासर की समस्या यह है कि वहां का थाना दिन-भर मन्दिर में आने वाले वीआईपीज की सेवा में लगा रहता है। प्रोटोकाल है, लगना पड़ता है, वीआईपीज आते हैं, जजेज आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं पूरे देश से। दूसरा, वाहनों और भीड़ की इतनी समस्या रहती है कि पूरा थाना उसी की व्यवस्था में मंगलवार और शनिवार को लगा

(श्री मनोज कुमार)

रहता है। आजकल रविवार को उससे भी ज्यादा भीड़ होती है। वहां मन्दिर के लिए अलग-से एक चौकी स्थापित हो जाए, ताकि वह मन्दिर की व्यवस्था को ही देखे। इससे पुलिस थाना पूरे गांव को भी देख सकेगा और उसे काम करने में सुविधा हो जायेगी।

दूसरा, सुजानगढ़ में अलग से एएसआई, एसआई स्तर का ट्रैफिक का अलग से कुछ बनाया जाए, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गयी है, विशेषकर छोटे कस्बों में, जहां गलियां तंग होती हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी जगह ज्यादा होती है, चौड़े रास्ते होते हैं, पर छोटे शहरों में जाम ज्यादा रहता है, दिक्कत ज्यादा होती है।

एक मैं लास्ट मांग करूंगा कि लालगढ़, जो बीदासर साण्डवा थाने के अन्तर्गत आता है, वहां एक चौकी खोली जाए, क्योंकि वहां से वहां की दूरी 45-50 किलोमीटर है। वहां के लोगों को बार-बार काम से आना पड़ता है। साण्डवा की पुलिस को लालगढ़ और आस-पास के गांवों की व्यवस्था देखने में बहुत समय लगता है। वहां एक पुलिस चौकी खोली जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घण्टा बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाकर 8 बजे तक किया गया।

सूचना

पाली के खस्ता हाल नयागांव रोड के चलते त्रस्त आमजन

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, पाली शहर का मुख्य मार्ग नयागांव रोड के दुकानदारों ने आज तंग आकर अपनी दुकानों के ताले लगाकर उनकी चाबियां प्रशासन को सौंप दीं। कारण यह है कि वहां जो सड़क है, वह मुख्य सड़क है। उसकी दुर्दशा इतनी ज्यादा हो गयी कि वहां इतनी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मिट्टी उड़ रही है कि दो या तीन मीटर के आगे कोई देख नहीं सकता। मिट्टी उनकी दुकानों में जाने से उनका वहां बैठना हराम हो रहा है। वे लगातार कई महीनों से वहां के स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद् से मांग कर रहे हैं कि इस रोड के टैंडर हो चुके हैं, इसका नवीनीकरण जल्दी करवा दें। बार-बार आश्वासन देने के बाद भी जब सरकार रोड को तैयार नहीं करवा पा रही है तो दु:खी होकर और तंग आकर उन्होंने आज अपने ताले लगाकर चाबियां दे दी हैं। कम से कम आप डायरेक्शंस जारी करें कि सरकार वहां इस सड़क का निर्माण जल्दी कराए। वहां से सैकड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं। वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। यह सड़क जल्दी बन जाए, यह आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: सरकार के नोटिस में आपकी बात आ गयी।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह व 19-कारागार पर विचार

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 18 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले तक राजस्थान देश में अमन-चैन, आपसी भाईचारे और शान्ति के लिए जाना जाता था, पर कहते हुए दुख होता है कि आज का राजस्थान उसके बिल्कुल विपरीत है। आज का राजस्थान देश में अपराधों, महिलाओं के दुष्कर्म, दलितों पर अत्याचार और साइबर क्राइम में नम्बर एक पर है। महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नम्बर दो पर है। यह सत्ता पर काबिज लोगों, राजस्थान सरकार और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए शर्म की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है, कि यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की चिन्ता करनी चाहिए। आने वाले समय में इन अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु साझा विचार करके काम होना चाहिए, ताकि राजस्थान एक बार पुन: शान्ति, भाईचारे और अमन-चैन में नम्बर एक पर आ सके। सभापति महोदय, राजस्थान में बढ़ते अपराध, अत्याचार और दुष्कर्म राजस्थान की कमजोर सरकार और सत्ता पर काबिज नेताओं के काम करने की मंशा को दर्शाता है। साथ ही, थानों में नफरी की कमी, अत्याधुनिक वाहनों की कमी, अत्याधुनिक हथियारों की कमी और आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अत्याधुनिक उपकरणों की कमी है।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, साइबर क्राइम से लड़ने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है। पुलिस विभाग की लाइन में अन्तिम छोर पर खड़ा व्यक्ति बिना छुट्टी के, बिना रुके दिन के 24 घण्टे और साल के 365 दिन काम करता है। इससे उसकी कार्य क्षमता भी कहीं न कहीं कमजोर पड़ती है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों की वेतन-विसंगति दूर की जाए। साथ ही, इनका ग्रेड-पे बढ़ाकर 3,600 किया जाये। अन्य विभागों की तरह इन्हें भी एक दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए, जिससे ये मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि थानों में नफरी की कमी को पूरा किया जाए। थानों में अत्याधुनिक वाहन उपलब्ध कराये जाएं। थानों में अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाएं। साथ ही, आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से थानों में पद भी बढ़ाये जाएं। माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ट्रेंड स्टाफ के साथ-साथ साइबर क्राइम के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराये जाएं, जिससे आने वाले समय में राजस्थान में शान्ति बहाल हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की बात करते हुए हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी चर्चा करूं तो आपके माध्यम से सरकार के समक्ष कुछ बातें रखना चाहूंगा। अभी तीन-चार दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के गादली गांव में कुछ बदमाशों ने तीन-चार घरों में करीब पन्द्रह लाख की नकदी और सोना लूटा। जब लूटकर वे भागने वाले थे तो अंकित राजपूत नाम के एक लड़के की आंख खुली। उसने उन लुटेरों में से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उस लुटेरे के अन्य साथी आये और उस लड़के पर उन्होंने देसी कट्टे से फायर किया। भगवान का आशीर्वाद यह रहा कि जो गोली चली, वह उसके कन्धे पर लगी और आज वह सुरक्षित है।

इससे पहले नीमराना में आरपी संस ज्वैलर्स में जो धर्मवीर सोनी जी हैं, उनकी दुकान पर जाकर कुछ बदमाशों ने देसी कट्टे की नोंक पर वहां से करीब दो करोड़ रुपये के सामान की लूट की। कुछ दिन पूर्व बासनी में सचिन नामक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जाकर कुछ बदमाशों ने उन पर फायर किया और एक पर्ची देकर गये कि दस लाख रुपये दे देना, नहीं तो आने वाले समय

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

में अंजाम भुगत लेना। इस घटना के बाद वहां के डीवाईएसपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि जब तक ये सभी अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे, उस क्षेत्र में 24 घण्टे पुलिस गश्त करायी जायेगी, पर आज मालूम करने पर पता चला कि दो-तीन दिन तो पुलिस गश्त हुई, उसके बाद वह गश्त वहां से हटा दी गयी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक लम्बा हिस्सा हरियाणा सीमा से लगता है, उस सीमा से लगते हुए गांवकांकर, रामसिंहपुरा, गादली, दादिया, सीलगांव और बासनी में 24 घण्टे पुलिस गश्त करायी जाये, जिससे आने वाले समय में वहां पर अपराधों पर अंकुश लग सके। साथ ही, मुण्डावर में एक पुराना थाना था। अब नया थाना मुण्डावर से बाहर स्थापित हो चुका है। पुराने थाने पर चौकी बनायी जाए, क्योंकि नया थाना दूर होने की वजह से वहां भी हमेशा आपराधिक घटनाएं होने का डर बना रहता है। अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हरियाणा बोर्डर से लगते हुए सभी गांवों में पुलिस चौकियां स्थापित की जाएं, जिससे अपराधी अपराध करके वापस हरियाणा की तरफ न भाग सकें। साथ ही, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि सोडावास और अजरका में जो चौकियां स्थापित हैं, उन चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जाए।

(समय: 19.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, कुछ गांव ऐसे हैं जो अन्य थानों में जुड़े हुए हैं, पूर्व में सड़कों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए नहीं थे। इसलिए दूसरे जो नजदीक के थाने थे उनमें जुड़े हुए हैं, पर आज सड़क तंत्र मजबूत होने की वजह से दूसरे थाने हैं, वे उनके नजदीक आ गये हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि शामदा व भधीण पंचायत को तथा हट्टूण्डी पंचायत के गांव चूडला को हरसोरा थाने से हटाकर मुण्डावर और ततारपुर के अन्दर जोड़ा जाए। साथ ही मातोर को खैरथल से हटाकर ततारपुर थाने में जोड़ा जाए तथा कुतीणा पंचायत को मांढण थाने से हटाकर शाहजहांपुर थाने में जोड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन मुख्य कस्बे मुण्डावर, शाहजहांपुर और नीमराना हैं। दो कस्बों में तो बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं तथा वहां पर भारी वाहनों का आवागमन भी बहुत अधिक है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इन तीनों कस्बों के

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

अन्दर यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाए जिससे वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका आवागमन सुगम हो सके।

साथ ही, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने प्रशासन गांव के संग एक अभियान चलाया, उस तर्ज पर पुलिस आपके संग नाम से भी एक अभियान चलाया जाए जिससे पुलिस महकमा आम आदमी से, आम व्यक्ति से जुड़ सके और जो उसकी समस्याएं हैं उन्हें सुन सके तथा आने वाले समय में उन समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आने वाले समय में पुलिस आपके संग अभियान चलाकर जो अपराध और अपराधी हैं, उन पर अंकुश लगाए तथा इस अभियान के माध्यम से सभी को सुरक्षा मुहैया कराए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 18-गृह विभाग और मांग संख्या 19-कारागार पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

आज पुलिस पर बात हो रही है और मैं सुबह से सुन भी रहा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद पुलिस यह सोचती होगी कि हमारा पुलिस में नौकरी करना अपराध हो गया। वे भी इन्सान ही हैं और मैं नहीं समझता कि उनको अलग से समझा जाए तथा जितनी जिम्मेदारी उनकी है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, हमारे समाज की भी बनती है, हम जो लोग रहते हैं उनकी भी बनती है। जब तक पुलिस का हम सहयोग नहीं करेंगे तब तक बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करना ठीक नहीं है। राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाये रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर सीमाओं की सुरक्षा हमारी सेना करती है, हमारे देश की रक्षा सेना करती है तो हमारे राज्यों की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस इसको बखूबी कर भी रही है, लेकिन काम का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि वे अपनी नौकरी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तनाव की स्थिति में वे नौकरी कर रहे हैं और तनाव की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम उतने संतोषप्रद नहीं आते। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से माननीय सदस्य हरीश जी मीना, पूर्व डीजीपी

(श्री सुरेश टाक)

ने जो एक बात कही थी, उस बात का समर्थन करते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि पुलिस को भी दिल्ली सरकार की तरह जो ग्रेड-पे है वह ग्रेड-पे मिलें तथा नीचे कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक को वे सारी सुविधाएं मिले, जिससे वह अपने परिवार की चिन्ता छोड़कर पुलिस की अपनी नौकरी में पूरा समय दे सके, अपना पूरा दिमाग लगा सके। राज्य सरकार पूरी तरह से अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए क्या-क्या सुविधाएं पुलिस को दी जा सकती हैं, उसके लिए लगातार प्रयासरत भी है। अभी इस बजट में और रिप्लाई में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस के लिए बहुत कुछ दिया है, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा।

हमारी पुलिस व्यवस्था जितनी कुशल होगी उतनी ही राज्य की कानून-व्यवस्था भी कुशल होगी और इस कुशलता से कार्य करने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पुलिस विभाग के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक कोई भी हो, अधिक जिम्मेदारी की वजह से वह मानसिक तनाव झेल रहा है। पुलिस विभाग को सुविधाओं का अभाव है। वे ही पुराने संसाधन, वे ही पुराने हथियार, वे ही पुरानी गाड़ियां उनके पास हैं, जबकि जितने भी अपराधी हैं उनके पास आज के युग में पुलिस से ज्यादा संसाधन हैं, नये आधुनिक हथियार हैं। उनके आधुनिक हथियारों से पुलिस पुराने हथियारों के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकती है, पर फिर भी कोशिश करती है। कई बार हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है कि बजरी माफियाओं को रोकते हुए पुलिस का एक कांस्टेबल कुचला गया, जान-बूझकर कुचल दिया गया, तो क्या पुलिस अपनी जान न्यौछावर नहीं कर रही है? क्या हम सब यह नहीं देख रहे हैं? अपराधी अपराध करेगा और पुलिस उस अपराधी को पकड़ने का काम करेगी। पुलिस के पास जिम्मेदारियां बहुत आ गयीं। मैं पुलिस की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं, मानवीय संवेदनाओं को समझता हूं और इस बात को भी अच्छी तरह समझता हूं कि पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के साथ-साथ जो हड़तालें हो रही हैं वहां जाना है, धरना-प्रदर्शन हो रहा है तो वहां जाना है, कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है तो वहां जाना है। शहर में किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था का मामला हो, चाहे वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो वहां भी जाना है। वही पुलिस, वही लोग, उतनी ही नफरी, उतने ही कर्मचारी, उतने ही अधिकारी और उनको वे सारे काम करने हैं, जिनसे शहर के अन्दर शांति कायम हो सके। इन सब कामों के लिए हमें भी उनकी तरफ ध्यान देना

(श्री सुरेश टाक)

पड़ेगा, हमें भी उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और जहां हमारी जरूरत है वहां पुलिस के साथ खड़े होकर यह कोशिश करनी चाहिए कि उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं। अपराध घटित होना अलग बात है।

वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी मेरे शहर में पिछले 10 दिनों में लगातार तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर चिन्ता करना स्वाभाविक बात है। वे तीनों घटनाएं एक तरह की, समान रूप की हैं, दिन में घरों में घुसकर चोरियां करना। कल जो घटना हुई है वह नकबजनी की घटना है, जिसमें घर में हथियार लेकर घुसकर, जो महिलाएं थीं उनको एक कमरे में बन्द करके जितना भी सामान था, वह लूटकर ले गये। पुलिस अभी तक उन तक नहीं पहुंच पायी है। शायद संसाधनों का अभाव रहा होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह मानता हूं कि किशनगढ़ का क्षेत्रफल, दायरा बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस थाने दूर हो गये और बीच में इतना ट्रैफिक रहता है कि घटनास्थल पर पुलिस का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक घटना घटित होती है और उसके बाद में पुलिस पहुंचती है तो आम जनता में भी इस बात का गुस्सा होता है। मेरा एक आग्रह है कि जहां इस तरह के क्षेत्र हैं, हमारा किशनगढ़ विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मण्डी है और शहरीकरण बढ़ा है, क्योंकि मजदूरी खूब है तो बाहर गांवों के लोग आकर वहां बस गये, जिससे क्षेत्रफल बढ़ गया और क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से वहां पुलिस चौकियां स्थापित करना बहुत जरूरी हो गया है। आधुनिक संसाधनों के साथ वहां पर दो-तीन पुलिस चौकियां अलग से खुले। हाउसिंग बोर्ड इलाका खोड़ा गणेशजी रोड पर पुलिस चौकी खुले, गांधीनगर क्षेत्र में पुलिस चौकी खुले, राजाहेड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी खुले, तब अपराधियों पर अंकुश लग सकता है और घटना घटित होते ही पुलिस वहां पर तुरन्त पहुंच जाए तो अपराधी बहुत दूर तक नहीं जा पाते।

यहां पर पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी सब लोग बैठे हैं। माननीय मंत्री जी भी मेरी बात सुन रहे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि विधायक मद से शहरों में कैमरे लगते हैं और हमने लगाये भी हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में ऐसे कैमरे लग जाते हैं कि पैसा भी लग गया और उन कैमरों का उपयोग भी नहीं होता है। मैं यह चाहूंगा कि कोई ऐसा परफेक्शन वाला व्यक्ति हो और इसके नोर्म्स बनें कि किस तरह के कैमरे लगाये जाएं, जिससे वे काम आ जाएं। उनका पैसा निरर्थक नहीं जाए और पुलिस को अनुसंधान में उन कैमरों का सहयोग मिले तथा आम जनता को भी इस बात

(श्री सुरेश टाक)

का सब्र हो कि कैमरे लगे हुए हैं, अपराधी बचकर नहीं जा सकता है तो ऐसी कोई व्यवस्था पुलिस अपनी तरफ से करे, ऐसा कोई प्रशिक्षण दे कि कौनसे कैमरे लगाये जाएं और वे नियमों में आ जाएं। अगर नियमों में इस तरह के कैमरे आ जाएंगे तो एमएलए लैड, एमपी लैड से लगने वाले कैमरे उच्चतम क्वालिटी के लगेंगे, ताकि अपराधियों पर नजर पुलिस अपनी तरफ से अच्छी तरह रख सके।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सर, अभी तो बोलना शुरू किया है।

श्री सभापति: दो मिनट में।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): घरेलू हिंसा के मामले भी खूब बढ़े हैं। साइबर अपराध, चोरी, नकबजनी, ये सब चीजें बढ़ी हैं। आधुनिकीकरण के साथ-साथ टेक्नोलॉजी के युग में जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी ने विकास किया, वैसे-वैसे अपराधी भी उस तरफ बढ़ रहे हैं और इनका उपयोग वे अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पुलिस को भी ऐसे संसाधन और ऐसी चीजें मिलें। वैसे अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में आईटी प्रशिक्षित एक-एक कांस्टेबल की नियुक्ति प्रत्येक थाने में करने की घोषणा की है, जो एक बहुत बड़ा प्रयोग है और निश्चित रूप से ऐसा अधिकारी/कर्मचारी, ऐसा कांस्टेबल लगने से इन साइबर अपराधों में भी कमी आयेगी।

जहां तक एफएसएल रिपोर्ट का सवाल है तो अनुसंधान में देरी होने की वजह एफएसएल की रिपोर्ट देरी से आना भी है, जिससे जनता के बीच में पुलिस का विश्वास कम हो रहा है। कई बार सुसाइड केस में राइटिंग एक्सपर्ट के लिए एफएसएल में जाती है और बहुत सारी चीजें भी एफएसएल में जाती हैं और लैब के अभाव में देरी होना ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अलग-अलग जिलों में लैब स्थापित करे, ताकि एफएसएल की जांच में देरी हो रही है, वह जल्दी से जल्दी पूरी हो सके।

पुलिस थानों में नफरी बढ़े और ट्रांसफर सिस्टम को भी सुधारा जाए। जो लगातार बहुत सालों से जिलों में बैठे हैं उनको बदल दिया जाए जिससे अपराधियों से सांठ-गांठ का उन पर आरोप लगता है, वह आरोप मिथ्या हो जाए। यह पुलिस के लिए भी ठीक रहेगा, ताकि उनका मनोबल बना रहे, क्योंकि अनावश्यक रूप से एक व्यक्ति की वजह से पूरा पुलिस विभाग

(श्री सुरेश टाक)

बदनाम होता है। इसलिए डीजी साहब को जिलों से एक लिस्ट मंगानी चाहिए और उस लिस्ट के हिसाब से जितने समय से थाने में रह रहे हैं, उनका एक टाइम निश्चित करके वह पुलिस कांस्टेबल या जो भी अधिकारी है, वह उतने समय तक उस थाने अथवा जिले में रहे, तभी यह कंट्रोल हो पायेगा...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक जिले में जो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा अधिकारी हो, उनका ट्रांसफर किया जाए।

छोटे बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नशा शायद अपराध का सबसे पहला कारण बन रहा है और नशे की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। चाहे वह छोटा नशा हो, बच्चे स्मैक ले रहे हैं या आजकल टिंचर-आयोडीन का भी हो रहा है, कोई सोल्यूशन भी पी रहे हैं, तो ऐसे बच्चों पर भी अंकुश लगाया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। थैंक यू।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): उनके घरवालों को बुलाकर समझाया जाए और ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे बच्चे इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। शराब की दुकानें 8 बजे बाद नहीं खुलें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में विशेष रूप से इस बात की घोषणा की है कि 8 बजे के बाद शराब की दुकान नहीं खुले। अगर खुली पाई गई तो वहां के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी, यह सुनिश्चित हो। यह बहुत जरूरी है कि आठ बजे बाद शराब की दुकानें बन्द हों। अगर ये बन्द होंगी तो अपराध पर अंकुश लगेगा।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): हर हाल में अंकुश होगा। मैं कारागार पर एक मिनट बोलकर मेरी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: थैंक यू। Your time is over now. एक मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सर, एक मिनट कारागार वालों के लिए बोल लूं, नहीं तो वे कहेंगे हमारे लिए आपने बात नहीं की। मैं यह कहना चाहूंगा। एक मिनट संजय जी।

सर, पुरानी जेलें हैं। एक पिक्चर में डायलॉग था, मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं, तो जेलर तो हमारे नये हो गये, लेकिन हमारी जेलें अभी तक भी

(श्री सुरेश टाक)

अंग्रेजों के जमाने की हैं। उन जेलों की बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं, उनको ठीक कराया जाए।

वहां महिला बन्दी हैं, उनके लिए अलग से एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। हमारी महिला जेलकर्मी हैं, उनके लिए अलग बैरक हो, ताकि वे सुविधाओं के साथ नौकरी कर सकें। वहां की मैस की स्थिति को सुधारा जाए। जेल में जितने कार्मिक हैं, उनकी पे-ग्रेड के लिए, वैसे तो सरकार ने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट पर सरकार बहुत जल्दी अमल करने वाली है।

एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हर जेल में हो, ताकि अपराधी किसी तरह का आरोप नहीं लगाए और बीमार होने की स्थिति में उसको जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा दिया जाए।

श्री सभापति: थैंक यू, प्लीज। श्री संजय शर्मा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मेरे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि वहां पुलिस निरीक्षक स्तर का एक अधिकारी तैनात हो, जिससे स्टाफ बढ़ जाए। किशनगढ़ बहुत बड़ा इलाका है। विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मण्डी है। लाखों लोग एक ही सड़क से गुजरते हैं, यातायात बहुत जाम होता है तो पुलिस निरीक्षक स्तर का एक कार्यालय खुले व उसी तरह का स्टाफ हो और एडिशनल एसपी का एक पद सृजित हो। मैं अपनी बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18 और मांग संख्या 19 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले के अन्दर दो पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं। राज्य सरकार की कार्यालय खोलने के पीछे मंशा यह थी कि अपराधियों पर नकेल कसी जायेगी और आमजन को राहत मिलेगी, लेकिन हुआ उसके विपरीत। संसाधन कम होते चले गये, अपराधी अत्याधुनिक संसाधनों में आ गये। आज मेरा अलवर जिला, चाहे वह चैन स्नैचिंग की घटना हो, चाहे रंगदारी की घटना हो, चाहे डकैती की घटना हो, चाहे बलात्कार की घटना हो, चाहे गोकशी की घटना हो, चाहे अवैध खनन की घटना हो, चाहे मॉब लिंचिंग की घटना हो, पूरे राजस्थान के अन्दर किसी न किसी अख़बार में या न्यूज चैनल के अन्दर अलवर जिला छपता रहता है और दिखता रहता है।

(श्री संजय शर्मा)

सभापति महोदय, इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं यह मानता हूं कि जब मॉब लिंचिंग की घटना होती है और उस मॉब लिंचिंग में किसी दलित बन्धु की हत्या होती है और हत्या करने वाले भी अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग होते हैं, तो कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेशर के तहत उस घटना को दुर्घटना के रूप में पुलिस परिवर्तित कर देती है। थानागाजी का काण्ड हो, 2019 में सरकार की स्थापना पर ही गैंगरेप हुआ, एफआईआर दर्ज होने में देरी हुई, मुलजिमों को देर से पकड़ा गया। उसका कारण यह था कि जोधपुर में लोक सभा के चुनाव होने थे, वोट पड़ने थे, तो सरकार की तरफ से आदेश आया कि इस मामले को थोड़ा डिले करो।

अभी मूक बधिर बच्ची का काण्ड हुआ। उस समय पंजाब में चुनाव चल रहे थे, क्योंकि वह बेटी सिख समाज की थी। उस मामले में भी उस बेटी को न्याय न देकर बलात्कार की घटना को भी इसी पुलिस ने दुर्घटना के रूप में परिवर्तित कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं बात करूं, जब तक राजस्थान पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं किया जायेगा, राजस्थान पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द नहीं किया जायेगा, इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी और अपराधियों के हौसले बुलन्द होते रहेंगे।

यदि मैं अलवर जिले की बात करूं तो अलवर जिले में दो पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं, लेकिन दो पुलिस अधीक्षक कार्यालय होने के बावजूद भी, जो आंकड़े मेरे पास हैं। आदरणीय धारीवाल साहब यहां बैठे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे जिले के अन्दर निरीक्षक के 34 पद हैं, लेकिन आज की तारीख में 12 पद रिक्त हैं। उप-निरीक्षक के 53 पद हैं, लेकिन 10 रिक्त हैं। सहायक उप-निरीक्षक के 289 पद हैं, 144 रिक्त हैं। हैड कांस्टेबल के 397 पद हैं, लेकिन 96 रिक्त हैं।

साथ ही साथ, राजस्थान सरकार बहुत बड़ी मात्रा में चौकियों को थानों में परिवर्तित कर रही है। नये थाने खोल रही है। पुराने थानों में तो लांगरी का पद है, लेकिन आपने नये थानों के अन्दर लांगरी के पद का सृजन ही नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं।

साथ ही साथ, यदि मैं अलवर की बात करूं तो अलवर के अन्दर अखेपुरा चौकी, जो अलवर शहर के अन्दर स्थित है, पुरानी मांग है कि इस

(श्री संजय शर्मा)

चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाए। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय के यहां से भी रिपोर्ट आई है। वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी चाह रहे हैं कि अपराधियों पर नकेल डालने के लिए उस अखेपुरा चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की महती आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

साथ ही साथ, यदि मैं मांग करूं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, उनके पास जो आवास हैं, पहली बात तो अलवर शहर में हों या पूरे जिले में हों, जहां-जहां हमारे थाने हैं, वे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। पर्याप्त मात्रा में तो है ही नहीं, लेकिन जिस जर्जर स्थिति में उनके आवास हैं, निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि एक बड़े बजट की आवश्यकता है। उन आवासों को ठीक करने के लिए भी चाहिए और नये आवास बनाने के लिए भी चाहिए।

सभापति महोदय, आज का जो अपराधी है, वह बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेकर घूमता है। चाहे फार्च्यूनर हो, चाहे पजेरो हो, जो बहुत तेज गति से चलती हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले हमारे यहां अख़बार के अन्दर एक फोटो भिवाड़ी थाने से सम्बन्धित छपी थी, पुलिसकर्मी अपनी सरकारी जीप को धक्का लगा रहे थे। अपराधी घटना करके निकल जाता है, लेकिन जो वाहन उसके पास है, वह अपराधी का पीछा करने में सक्षम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक थाने में, जहां कम से कम 500 एफआईआर प्रतिमाह दर्ज हो रही हों, दो नई गाड़ियां उस थाने में उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ने में भी हमारी पुलिस को आसानी होगी। साथ ही साथ, हमारे जिले के अन्दर जिला मुख्यालय पर साइबर थाना तो खुल गया है और वहां अपराध भी बड़ी तेज गति से दर्ज हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अपराध दर्ज होने के बावजूद भी आज तक अपराधियों को पकड़ने में हमारी पुलिस विफल साबित हुई है। सभापति महोदय, साइबर थाना खोलना अच्छी बात है, लेकिन उसी गति से पुलिस को उन अपराधियों को भी पकड़ना चाहिए। सभापति महोदय, यह मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग है।

उसके साथ-साथ, हमारे जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, मैं एक कटु सत्य आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैंने नफरी की कमी तो आपको बतायी है, लेकिन इसमें पुलिस कांस्टेबलों का जो दर्द है, वह मैं आपके सामने बयां करना चाहूंगा। सभापति महोदय, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबल, हमारे जो

(श्री संजय शर्मा)

पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, चाहे वे जिला स्तर के हों, चाहे वे जयपुर में बैठने वाले अधिकारी हों, उनके घर पर काम कर रहे हैं। डीजी साहब की भैंस दूध नहीं देती, इसकी चिन्ता कांस्टेबल करता है। डीजी साहब की गाय दूध नहीं देती तो उसकी सहानी की चिन्ता पुलिसकर्मी करता है। इस पुलिसकर्मी को भी आजादी की आवश्यकता है। सभापति महोदय, कम से कम ऐसा तो कर दें कि वह अधिकारियों का काम करने के बजाय, अपराधियों को पकड़ने में अपनी पूरी भूमिका निभाए। सभापति महोदय, मैं इस प्रकार की मांग भी राज्य सरकार से करता हूं।

साथ ही साथ, आने वाले समय में हमारी पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार हों। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने भारत की सेना को एक विशेष बजट देकर, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, एक विशेष बजट दिया है, उनको अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवाये हैं। उसी प्रकार से, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान पुलिस को भी आन्तरिक सुरक्षा के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान करें।

साथ ही साथ, हम कई बार आरोप लगाते हैं कि थानेदार हमारा फोन नहीं उठाता है, डिप्टी एसपी हमारा फोन नहीं उठाता है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो जयपुर में बैठे हुए उच्चाधिकारी हैं क्या उन्होंने यह सोच रखा है कि वे केवल फीड किये हुए फोन ही उठायेंगे, बिना फीड किये हुए फोन नहीं उठायेंगे। ऐसी परिस्थिति में, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप माननीय मुख्य मंत्री जी से, मेरी तरफ से भी आग्रह करें और माननीय धारीवाल साहब आप विराजमान हैं, आप बहुत सक्षम हैं, अधिकारियों को आदेशित करें कि चाहे एक ले-मैन, एक आमजन भी उस आदमी को फोन करे तो उसका फोन उठाकर उसे रिस्पोंस दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 19 पर बात करना चाहूंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस बजट में उप अधीक्षक कार्यालय की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। इससे पहले, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में

(श्रीमती इन्द्रा)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बौंली के अन्दर घोषणा की गयी थी, उसके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। रामसिंहपुरा चौकी बामनवास में खोली गयी, मित्रपुरा पुलिस चौकी को थाने में कन्वर्ट किया गया, बाटोदा थाने को थ्री स्टार थाना बनाया गया और पूरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस महकमे में इतने सारे काम पहली बार हुए। इनके लिए मैं सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, साथ ही मैं सरकार से मांग करना चाहूंगी कि इन कार्यालयों के लिए अभी अस्थायी रूप से किराये की बिल्डिंग में या फिर किसी दूसरी बिल्डिंग के अन्दर काम कर रहे हैं या फिर वहां स्थापित हैं। बौंली का पुलिस थाना और मित्रपुरा का पुलिस थाना, मित्रपुरा चौकी थी और थाना बन गया तो जगह बहुत कम पड़ती है। पुलिस जाब्ते के लिए भी वहां रहने की व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगी कि बौंली थाने में पानी भर जाता है और मित्रपुरा थाना छोटा पड़ता है, दोनों के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था की जाए। वहां पर नयी बिल्डिंग बने, जमीन अलाट हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुल गया है। वहां पर भी जमीन अलाट हो चुकी है और उसकी बिल्डिंग के लिए पैसा स्वीकृत किया जाए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि उप अधीक्षक कार्यालय अभी इस बजट में हुआ है, वहां पर भी बिल्डिंग की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस के जवान के लिए किराये से रहना सम्भव नहीं है और इतना सारा जाब्ता एक ही जगह पर उपलब्ध हो, यह कानून-व्यवस्था में भी जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो चौबीस घंटे ड्यूटी देता है। चाहे होली हो, दीवाली हो, चाहे किसी भी प्रकार का त्यौहार हो, वे अपने बाल-बच्चों के पास नहीं जाकर आम जन की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी बहुत सारी मांगें लगातार वे करते आये हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि पुलिस कांस्टेबल की जो पे ग्रेड है, वह 2,400 से 3,600 पे ग्रेड की जाये, डीपीसी करके उनको पदोन्नति दी जाए, उनको हर बार पदोन्नति के लिए एग्जाम देना पड़ता है। हार्ड ड्यूटी अलाउंस पचास प्रतिशत किया जाए और मैस भत्ता मासिक पांच हजार रुपये किया जाए।

(श्रीमती इन्द्रा)

माननीय सभापति महोदय, वे जोखिम भरे काम करते हैं तो जोखिम भत्ता भी उनको देय होना चाहिये। वर्दी के लिए उनको पांच हजार रुपये मिलते हैं सालाना। मैं मांग करना चाहूंगी कि उनको दस हजार रुपये कम से कम दिया जाना चाहिये। मोटरसाइकिल के अन्दर डीजल या फिर मोटरसाइकिल भत्ता भी उनको मिलना चाहिये, क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज है जिसको साधन की आवश्यकता पड़ती है और साधन के लिए उनको इधर-उधर नहीं देखना पड़े। मुलज़िमों से कन्सल्ट नहीं करना पड़े कि मुलजिम गाड़ी करके लाए या फिर किसी की जरूरत पड़े तो वे ही उनको लेकर जाए, ऐसी व्यवस्था के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि ऐसी व्यवस्थाएं हों।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में हम देखते हैं कि उनके खाने के पैसे से ज्यादा कैदी के खाने पर खर्च होता है तो कम से कम इन चीजों पर भी ध्यान रखा जाये। मैं मांग करना चाहूंगी कि प्रत्येक थाने के अन्दर आज हम देखते हैं कि चोर कैसे पकड़ेंगे, उनके पास टूटी-फूटी गाड़ियां हैं, हमने भी कहा कि हमारे बजट से दे दी जाए। उसमें बहुत सारे नियम लगाये गये हैं। या तो हमारे बजट से, विधायक कोटे से उनको अलाट करने की परमिशन पहले मिली है, लेकिन कुछ उसमें दिक्कतें आ रही हैं तो उनको सरल किया जाए या फिर यहां से सरकारी लेवल पर स्पीड ...

श्री सभापति: आ गयी परमिशन आपको। कल की डाक नहीं देखी आपने। कल आपने डाक नहीं देखी, परमिशन आ गयी, उसमें जोड़ दिया प्रोविजन।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): हां, सर।

धन्यवाद उसके लिए, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मैं मांग करना चाहूंगी, सभापति महोदय, कि सरकार से अगर वह व्यवस्था हो जाए और ऐसी गाड़ियां उनके लिए अलग से बनायी जाए जो चोरों की गाड़ियों से ज्यादा स्पीड से चल पाए ताकि वे चोर को पकड़ने के लिए सक्षम हो सकें। कई बार बहाने बनाते हैं। कई बार कई पुलिस वाले तो अच्छे भी होते हैं और कई पुलिस वाले गलत भी होते हैं, तो बहाना उनको मिल जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मांग के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि कुछ व्यवस्थाएं थानों की करनी अभी आवश्यक हैं क्योंकि ये जनहित में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। माननीय सभापति महोदय, कई बार मुलजिम को लेकर जाने के लिए बसों में किराये से लेकर जाते हैं और उनके लिए...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): जी।

मैं मांग करना चाहूंगी कि मुलजिम के लिए अलग से कोई ऐसी व्यवस्था हो कि मुलजिमों के लिए एक साथ वे लेकर जाएं और सुरक्षा के अन्दर लेकर जाएं ताकि उनको भी दिक्कत नहीं हो और आम आदमी को भी दिक्कत नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत सारी चीजें और भी थीं, लेकिन दो मिनट का आपने नाम ले लिया, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोराराम जी कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 18 व 19 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान कानून-व्यवस्था के मामले में नम्बर वन बन गया है लेकिन सरकार मौन है। गृह विभाग चैन की नींद ले रहा है। जनता परेशान है। पिछले कई सालों से हमारा राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश रहा है। शांतिप्रिय प्रदेश होने से राजस्थान में देश व विदेशों से सबसे ज्यादा पर्यटक भी आते हैं। राजस्थानी व्यवसायी और प्रवासी उद्योगपति भी अपना उद्योग राजस्थान में लगा रहे थे, जिससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी, लेकिन पिछले चार वर्षों से राजस्थान में कानून-व्यवस्था बेहद खराब हो रही है।

(समय: 19.28 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

प्रदेश में कई तरह के माफिया पनप गये हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाये रखे व आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करावे, लेकिन सरकार की शिथिलता, सरकार की नाकामी, सरकार में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की इच्छा शक्ति की कमी से राजस्थान में शराब माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया, भू-माफिया, सूद माफिया जैसे कई माफिया पैदा हो गये हैं। ये सारे माफिया पुलिस के संरक्षण के बिना नहीं चल सकते। पुलिस को सक्रियता दिखाते हुए इन माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर आमजन को भयमुक्त वातावरण देने की आवश्यकता है।

नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना पुलिस का काम है, लेकिन मैं मेरे

(श्री जोराराम कुमावत)

सुमेरपुर क्षेत्र की बात करूं तो सुमेरपुर क्षेत्र में, शहर में आजकल एमडी नामक नशीला पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहा है। सैकड़ों युवा नौजवान इस नशीले पदार्थ के शिकार होकर अपनी जिन्दगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एमडी नामक नशीले पदार्थ की तस्करी करने व युवाओं को इसका शिकार बनाने वालों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। पुलिस सिर्फ मूकदर्शक बनी हुई है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर अपराधियों पर शिकंजा कसे व युवा पीढ़ी को बचाने का श्रम करावे।

सभापति महोदय, सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में नेतरा गांव के एक स्कूली छात्र मनोहर राजपुरोहित का 6 साल पहले 23.11.2016 को फालना कस्बे से अज्ञात लोगों ने अपहरण किया। विद्यालय के गेट पर 6 चिट्ठियां मिलीं जिनमें पच्चीस लाख रुपये की फिरौती की मांग की गयी। पुलिस ने जांच की, अपराधियों को पकड़ नहीं पायी। पुलिस जांच के बाद सीआईडी को जांच सौंपी। सीआईडी के बाद में सीबीआई को जांच राज्य सरकार ने भेजी। अभी सीबीआई को जांच नहीं सौंपी है, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने हाथ झटक दिये। जांच पूरी ठंडे बस्ते में डाल दी। 6 साल हो गये, लेकिन 6 साल में भी उस प्रकरण का खुलासा राजस्थान की पुलिस नहीं कर पायी है, मनोहर को नहीं ढूंढ पायी है। सभापति महोदय, मैं सरकार से आपकी मार्फत मांग करना चाहूंगा कि वह इस प्रकरण को स्पेशल लेकर के पुनः जांच कराए तथा इस प्रकरण को सुलझाए और उनके परिवार को राहत देने का काम करे।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने व कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस को मजबूत करना आवश्यक है, इसलिए वहां कई थाने खोलने की जरूरत है। नेशनल हाईवे पर ढोला में नया पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता है। मणियारी व खोड़ पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। सुमेरपुर शहर में विवेकानन्द बस स्टैण्ड के पास हाउसिंग बोर्ड में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता है, जिससे बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।

सभापति महोदय, सुमेरपुर क्षेत्र की आबादी अभी करीब 60 हजार है। 20 साल पहले सुमेरपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई थी और उस समय 1/4 की नफरी थी। उस समय सुमेरपुर की 20 हजार की आबादी थी। आज 60 हजार की आबादी होते हुए भी अभी भी 1/4 की नफरी है।

(श्री जोराराम कुमावत)

इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि उस पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाए और वहां 1/20 की नफरी करने का कष्ट करावे।

इसी तरह से सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में तखतगढ़ कस्बा है। तखतगढ़ कस्बे में 35 हजार की आबादी है, लेकिन वहां ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां नई ट्रैफिक पुलिस चौकी खोलने की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में मदद मिले। इसी तरह से सुमेरपुर में बढ़ते अपराध को देखते हुए सुमेरपुर शहर में एडिशनल एसपी का कार्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए।

माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में कानून के रक्षक वकील जुगराज चौहान की हत्या की गयी, यह बड़े शर्म की बात है। इस प्रकरण को लेकर 70 हजार अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या; करौली, भीलवाड़ा व जोधपुर में धार्मिक जुलूस में पथराव व मारपीट की घटनाएं; जन आंदोलन कर रहे साधु पर खनन माफियाओं के द्वारा हमला कर हत्या करना; रोजाना प्रदेश में लूट, हत्या; महिलाओं पर अत्याचार; एससी, एसटी पर अत्याचार; प्रदेश में खराब कानून-व्यवस्था के लिए राजस्थान की पुलिस जिम्मेदार है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप कर कानून-व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। वकीलों की मांगों को मानकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, वर्तमान में बाइक चोरी, फोर व्हीलर चोरी, रात्रि में मंदिरों व मकानों में चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं, जिससे आम जन दहशत में है। सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछले दो-तीन महीनों में पावा, फतापुरा, नेतरा, तखतगढ़, खिवान्दी, सुमेरपुर शहर सहित कई गांवों में मंदिरों के ताले टूटे, बन्द मकानों के ताले टूटे और वहां चोरियां हुईं। लोगों ने चोरियों की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस एक भी चोरी नहीं खोल पाई है। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और उन चोरियों को खोलकर लोगों को राहत पहुंचाए। इसी तरह से बूसी ग्राम में पिछले महीने में दिन में महिला के गले से सोने की कंठी लूट कर लुटेरे चले गये, लेकिन अभी भी वह लुटेरे फरार हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस को थोड़ा मुस्तैद करें, उनको आधुनिक हथियारों से लैस करें। अपराधियों के विरुद्ध राजस्थान में जो माहौल बना है, उस माहौल को खतम करें, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, गैंगवार अपराध, संगठित अपराध, डकैती और चोरी राजस्थान में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी बढ़ती जा रही हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए पुलिस को नये आधुनिक हथियारों से, नई आधुनिक गाड़ियों से और संचार के दूसरे संसाधनों से लैस किये जाने की जरूरत है, ताकि इन अपराधों पर नियंत्रण हो सके। इनके काम की परिस्थिति को देखते हुए इनके वेतन में, इनके भत्तों में और अन्य सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की भी आवश्यकता है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। मेरे यहां तीन पुलिस थाने पहले से हैं और चौथा सरकार ने इस बजट में खोला है। तीनों ही थानों में सीआई नहीं लगे हुए हैं, तीनों खाली हैं और चौथे में तो अभी पोस्टिंग होनी बाकी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन खाली पदों को भरा जाना आवश्यक है, ताकि अपराधियों पर नियंत्रण हो सके। सीआई के अलावा अन्य भी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। इसके लिए चाहे पुलिस की नई भर्ती करनी पड़े, चाहे कोई और व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन थानों में जब तक कामगार नहीं लगेंगे तब तक अपराध नियंत्रण नहीं हो सकेगा। पुलिस के पास और भी बहुत से काम हैं। वीआईपी मूवमेंट रहता है और हमारे यहां पड़ोस में तो खाटूश्याम जी का मेला भरता है। आये दिन महीनों तक हमारी सभी थानों की पुलिस वहां चली जाती है और अपराधी भय मुक्त हो जाते हैं। थाना बिलकुल खाली हो जाता है। इस तरह की परिस्थिति हो जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है, गृह मंत्री जी बैठे हैं, खाटूश्याम जी के लिए पुलिस की अलग से कोई व्यवस्था की जाए। वहां पर बहुत चढ़ावा आता है। उनके पुजारियों को पाबंद किया जाए कि वे किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करें। आजकल बहुत से प्राइवेट सुरक्षाकर्मी एजेंसियों के थ्रू मिलते हैं। कोई भी व्यवस्था की जाए, लेकिन सभी थानों को खाली नहीं किया जाए।

मेरे यहां सबसे पुराना थाना कोतवाली है जो स्टेट टाइम से है और शायद सीकर जिले के कुछ थानों में से एक है। उसकी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है, उसके लिए पहले शायद बजट मिला भी था, लेकिन उस समय उस थाने का पट्टा नहीं था। अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान में उसका पट्टा दे दिया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस थाने के रिनोवेशन के लिए फिर से बजट दिया जाए या वह जो बजट लैप्स हो गया है, उस बजट को वापस दिया जाए।

(श्री सुरेश मोदी)

मेरे यहां एक नई पुलिस चौकी दलपतपुरा में खोलने की आवश्यकता है। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं। साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार ने बजट में घोषणा भी की है कि हर जिले में साइबर क्राइम के थाने खुलेंगे। लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, शायद अपराधी उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसलिए इनकी विशेष तौर से रोकथाम किये जाने की आवश्यकता है।

मेरे यहां नीम का थाना में एक उप कारागृह है जो स्टेट टाइम का बना हुआ है और शहर के बीचोबीच है और असुरक्षित भी है। कानून के हिसाब से ज्यादा अपराधी बंदी उस कारागृह में रहते हैं। 2018 में विभाग ने भूमि की मांग की थी। राजस्व अधिकारियों ने 2018 में ही भूमि के प्रस्ताव उनको दे दिये थे और भूमि अलाट कर दी थी, लेकिन आज तक उस जेल को स्थानांतरित करने का कोई बजट नहीं मिला है। 2018 के बाद आज पांच साल व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उस जेल को बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि वह सुरक्षित भी रहे और उसमें नई सुविधाएं, जैसे ज्यादा बंदियों की एकोमोडेशन हो, इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकें। वह शहर के बिलकुल बीचोबीच है, जहां चारों तरफ मूवमेंट है, ट्रैफिक का मूवमेंट है, कोई भी आदमी आ-जा सकता है, कोई भी चीज दीवार के ऊपर से फेंक सकता है, जो अपराधी तक पहुंच सकती है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और उस जेल को वहां से ट्रांसफर किया जाए। मैं मांग संख्या 18 व 19 दोनों का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 18-गृह और अनुदान की मांग संख्या 19-कारागार के पारित होने तक व आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय दोनों मांगों के पारित होने एवं कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दोनों मांगों के पारित होने एवं कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 18-गृह व 19-कारागार पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार अपने इस कार्यकाल के अन्तिम बजट में मांग संख्या 18 एवं 19 पर चर्चा का प्रस्ताव लेकर आयी है। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को प्रारम्भ करूं, उससे पहले मुझे यह कहते हुए बड़ी वेदना है कि कानून-व्यवस्था, पुलिस, आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो किसी न किसी तरह हमारे जनजीवन को प्रभावित करता है। यह सरकार के अन्तिम कार्यकाल का अन्तिम बजट है, पर सरकार के पूर्णकालिक गृह मंत्री, मुख्य मंत्री जी, उन्होंने सदन में आज तक इस कानून-व्यवस्था के बारे में उठे तमाम मुद्दे, जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, उनका न केवल अब तक संज्ञान लिया है, बल्कि कभी यह तोहमत भी नहीं उठायी कि वे सदन में आकर गृह मंत्री के रूप में उन बातों का जवाब दें। मैं आपके माध्यम से मेरी बात के प्रारम्भ से ही यह मांग करता हूं कि चूंकि अन्तिम सत्र है मुख्य मंत्री जी को आकर आज सदन में जवाब देना चाहिए।

सभापति महोदय, यह सही है, मानव सभ्यता जब आकार ले रही थी। चाहे कोई भी काल रहा हो, अपराध रहा, अपराधी रहे, अपराध और अपराधी इस समाज से कभी अलग नहीं हुए। परन्तु सवाल इस बात का है कि शासन में बैठे लोगों का अपराध और अपराधी को देखने का नजरिया क्या है? उनकी नीति क्या है? उनकी रीति क्या है? निश्चित तौर पर इस बात का आकलन करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते हुए, जो भी लोक कल्याणकारी सरकार होगी, उसका प्रमुख दायित्व उन्होंने इस बात का रखा। चाहे हमारे Directive of Principals में हो, चाहे हमारे Fundamental Right में हो, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार का पहला कर्तव्य है कि अवाम अपनी जिन्दगी महफूज व शान्ति से जी सके, इसकी व्यवस्था वह करे। सभापति महोदय, आर्टिकल 21 में हम लोगों को राइट-टू-लिव का अधिकार दिया है, जिसे हम स्वतन्त्रता का दैहिक अधिकार कहते हैं।

सभापति महोदय, मैं पिछले कई घंटों से माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था। पक्ष के लोग अपनी बात कह रहे थे, प्रतिपक्ष के लोग अपनी बात कह रहे थे, परन्तु हर माननीय सदस्य ने अपनी कहते हुए 'लेकिन' शब्द का इस्तेमाल जरूर किया। यानी आज की कानून-व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था से, सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे लोग हों, किसी ने भी पूर्णत: संतुष्टता जाहिर नहीं की। सभापति महोदय, इस राजस्थान की खूबसूरती है। यहां आम व्यक्ति कानून के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं राजस्थान की दूसरी खूबसूरती भी है कि राजस्थान के आगोश के अन्दर वह इतिहास छिपा है, जिस इतिहास को देखने के लिए दुनिया का पर्यटक, चाहे दुनिया के किसी मुल्क से निकले, हर छठा पर्यटक राजस्थान में आना चाहता है, देखना चाहता है। सभापति महोदय, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़े, विदेशों में बसे। आजकल जब उनसे दूरभाष पर बात होती है तो वे कहते हैं कि अब राजस्थान, वह राजस्थान नहीं रहा, जो चार साल पहले था। अब राजस्थान में दहशतगर्दी है। अब राजस्थान के अन्दर आम राहगीर भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता है। अख़बारों में नित नये आने वाले लोमहर्षक समाचारों ने लोगों के मन में इस राजस्थान के अन्दर, जो कि राजस्थान को देखने आते थे, उनके मन में भी एक भय का वातावरण कर दिया और इसीलिए पर्यटक भी राजस्थान से मुख मोड़ते चले गये।

सभापति महोदय, मुझे बड़ी वेदना है कि निश्चित तौर पर आज सदन में जिन लोगों ने अपनी बात कही, गैंगस्टर की बात सभी ने कही। गैंगस्टर द्वारा प्रोटेक्शन मनी लेने की बात कही। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार अपराध और अपराधी बेखौफ रहा है, निश्चित तौर पर वह चिन्ता की बात है। सभापति महोदय, पुलिस बेड़े के बारे में अलग-अलग राय हो सकती है, पर कई बार पुलिस की प्राथमिकताओं को हमने बदलते देखा है। इन चार सालों में पुलिस की प्राथमिकता सिर्फ इस बात की थी कि सत्तारूढ़ दल के अन्दर जो अन्तर्विरोध है, कानून-व्यवस्था संभालने से ज्यादा चिन्ता पुलिस को उसकी रही। न जाने कौनसा भय रहा? न जाने कौनसी बात रही? सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपका भी दीर्घ संसदीय जीवन रहा है। मैंने मुख्य मंत्री जी को कभी गृह मंत्रालय से इस प्रकार का मोह रखते नहीं देखा। कितना दुर्भाग्य है कि राजस्थान में चार साल दो माह पुरानी सरकार पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं दे पायी। आज राजस्थान के अन्दर फील्ड पोस्टिंग, जिनके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अलग-अलग राय जाहिर की, जो फील्ड में जाकर कानून व्यवस्था संभालते हैं, सभापति महोदय, उसकी योग्यता क्या रह गयी? जो सत्तारूढ़ दल के विधायकों को साधकर रखे, सन्तुष्ट करके रखे, वह सबसे योग्य अधिकारी माना गया। मुझे कहते हुए अफसोस है कि आईपीसी नहीं, इंडियन पैनल कोड नहीं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, एमपीसी, एमएलए पैनल कोड। एमएलए के आधार पर राजस्थान की पुलिस कार्यवाही करे और उसका नतीजा क्या निकला? हर निर्वाचन क्षेत्र में कोई न कोई व्यक्ति कार्यवाहक डीजीपी की भूमिका में आ गया। मिनी मुख्य मंत्री की भूमिका में आ गया।

सभापति महोदय, वह मंजर हम सबने देखा है, जब पांच सितारा होटल के अन्दर, संगीनों के पहरों के अन्दर सरकार कैद रही। हमने उस नाकाबन्दी को देखा, हमने उस पांच सितारा होटल के चारों तरफ तीन अलग-अलग सर्किल में पुलिस की सुरक्षा के चक्र को देखा। उसी समय हमने वह काम भी देखा, पुलिस की सक्रियता भी देखी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पर, अल्पकालीन गृह मंत्री जी, जब आप जवाब दें तो यह बात जरूर बता देना कि आज सबसे बड़ा अपराध, आज मैं हिन्दुस्तानी हूं, मैं राष्ट्रप्रेमी हूं, सभापति महोदय, मुझे कोई गोली मार दे, पर मुझ पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दे और मुझे यह कह दे कि मैंने राष्ट्रद्रोह किया है। आपने राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया और आरोप भी अपने सहयोगियों पर लगाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो एसओजी के अन्दर, आपके इशारे पर एफ.आई.आर. नम्बर 47/2020, 48/2020, 49/2020 और एक एसीबी के अन्दर एफ.आई.आर. नम्बर 129 है। मैं पूछना चाहूंगा कि यह एफ.आई.आर. 2020 में दर्ज की और एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति ने दर्ज करवायी। राजस्थान के काबीना मंत्री ने दर्ज करवायी। और किसी को सुनो या नहीं सुनो, 2020 की यह अनुत्तरित एफ.आई.आर. जवाब मांगती है। यह एफ.आई.आर. दर्ज हुई, एफ.आई.आर में एफ.आर. लगायी। एफ.आर. लगायी तो आपने अदालत में कब पेश की? जब आप जवाब दें तो जरूर बता देना। इस पूरी घटना ने राजस्थान के अन्दर एक काबिल डीजीपी को ढूंढने का काम जरूर किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, टेलीग्राफ एक्ट बना हुआ है। टेलीग्राफ एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए जिस प्रकार से टेलीफोनों को टेप किया गया, निश्चित तौर पर अगर मैं कहूं, राजस्थान का गुप्तचर विभाग, राजस्थान का इंटेलीजेंस विभाग, उसका एकमात्र कार्य, अगर कोई मुझसे पूछे तो यह रहा कि सत्ता के दो धड़ों में बैलेंसिंग ठीक है या नहीं? कौनसे धड़े के अन्दर कौनसा असन्तुष्ट व्यक्ति किससे सम्पर्क कर रहा है? इसीलिए इस प्रकार का मंजर है।

सभापति महोदय, अभी यहां पर साम्प्रदायिकता की बहुत बात चली। अभी 19 फरवरी को, माननीय कार्यवाहक मंत्री जी, आपका कार्य तो सिर्फ गाल बजाने का है, बाकी तो आपका नियन्त्रण कुछ नहीं है। इसी 19 फरवरी को एन.आई.ए. ने प्रदेश में पी.एफ.आई. की सात जगहों पर छापा मारा। आपके कोटा निर्वाचन क्षेत्र में तीन जगह पर, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, जयपुर में और पी.एफ.आई. का छापा, जो एन.आई.ए. में मारा, उसमें राष्ट्र विरोधी दस्तावेज, हिन्दुस्तान को कमजोर करने के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और धारदार हथियार मिले। राजस्थान ने यह पहला मंजर देखा, इस पी.एफ.आई. को हिजाब रैली के लिए, पी.एफ.आई. का वह प्रदेशाध्यक्ष जो आज एन.आई.ए. के कारण जेल में है, मोहम्मद आसिफ के आवेदन पर कोटा के अन्दर, इस देश के अन्दर अगर पहली रैली को अनुमति दी है तो मेरे सामने बैठे संसदीय कार्य मंत्री जी के इशारे पर आफिसर गैलरी में बैठे लोगों ने दी है। आज उसका क्या रहा?

अभी इसी में उनका एक साथी इमरान और गिरफ्तार हुआ है। यह किस प्रकार से आप साम्प्रदायिकता, सद्भाव पर भाषण ठोकते हैं। आपके सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने इस थीम पर भाषण भी दे डाला। यह एनआईए का छापा, ये पीएफआई की रैली को अनुमति क्या सवाल खड़ा कर रही है? मैं सदन का ध्यान 2022-23 के बजट के पैरा 109, 2023-24 के पैरा 132, 133, मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा बजट में इस सदन में, देश में धार्मिक, सामाजिक मुद्दों पर असुरक्षा, तनाव एवं अविश्वास का माहौल बढ़ने लगा है। वसुधैव कुटुम्बम् के विचार को आत्मसात करने के लिए सरकार के साथ सभी जागरूक संस्थाएं, प्रबुद्ध नागरिकों को एकजुट होकर सामाजिक समरसता कायम करने के लिए अथक प्रयास, देश के साथ-साथ प्रदेश में भी शांति, साम्प्रदायिक सौहार्द्र व भाईचारे का माहौल बनाने का प्रयास करना होगा। बहुत अच्छी बात है, परंतु आपकी कथनी व करनी, यह जो हर जगह वोट बैंक ढूंढने की, वोट की फसल काटने की आपकी अदा ने राजस्थान को, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान जल उठा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, 01 अप्रैल, 2022 को करौली के अंदर रामनवमी पर पुलिस की परमिशन से जो जुलूस निकल रहा था, उस पर जिस प्रकार का हमला हुआ, हमला हो गया, हमले के बाद में जिन लोगों पर हमला किया गया, 28 वे लोग, उनको मुलजिम बना दिया गया। ये सरकार की तुष्टिकरण की नीति है। यही नहीं, मई, 2022 को देश की जंग-ए-आजादी का संघर्ष करने वाले बालमुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर जब पाक समर्थित झंडे लगा दिये गये, लोगों ने एतराज किया, वह बर्बर लाठीचार्ज का वीभत्स दृश्य भी जोधपुर के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी अप्रैल, 2022 के अंदर आधा छबड़ा जल उठा। छबड़ा के अंदर जो मुख्य आरोपी था, वह आसिफ अली तीसरे दिन रोजा इफ्तार की पार्टी में मुख्य मंत्री जी के निवास पर आया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं आगे बात बढ़ाऊं। मैं झालावाड़ की बात करूं, मैं गंगधार की बात करूं, भवानी मंडी की बात करूं, नोहर के अंदर विश्व हिन्दू परिषद् के प्रखंड अध्यक्ष, सतवीर सहारण पर हमले की बात करूं? मैं राजगढ़, अलवर के अंदर ढाई सौ वर्ष पुराने शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ा गया, उसकी बात करूं? मैं सालासर मंदिर प्रवेश द्वार पर राम मंदिर की बात करूं? परंतु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि राजस्थान में यह पहला मौका है राजस्थान में खनन माफियाओं के सामने नतमस्तक होती सरकार। 503 दिन तक कृष्ण क्रीड़ा स्थली, आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत में भगवान कृष्ण के अवशेष नहीं मिटाएं, इसके लिए 503 दिन का धरना और उसके बाद सरकार ध्यान नहीं दे। बाबा विजयदास का वह आत्मदाह करके धूं-धूं करके अपने को जलाना, इस सरकार में बैठे लोगों को मौका आने पर उस आग की लपटों से आप बच नहीं पाएंगे।

कन्हैयालाल की बात, 28 जून की बात मुझसे पहले लोगों ने कही। सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हालत क्या है? धर्मांतरण करने वाले गिरोह बेखौफ हैं। हिन्दू देवी-देवताओं पर अपमानित भाषा का प्रयोग हो रहा है। सामूहिक विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कन्हैयालाल का सर कलम हुआ, शिकायत हुई, आपने जाकर तत्कालीन एसपी मनोज चौधरी को एपीओ किया। कार्यवाही तत्काल करनी थी और आपने आज उनको धौलपुर में नवाज दिया। मतलब सरकार खुद जिसको एक बार कहे, उसी को सरकार नवाजने का काम करे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हैं, हरियाणा से लगी हैं, पंजाब से लगी हैं, मध्य प्रदेश से लगी हैं, गुजरात से लगी हैं, आजकल हो क्या रहा है, इन प्रदेशों में अपराध नियंत्रण करने के लिए इन प्रदेशों की सरकार जब शिकंजा कसती है तो अपराधी पनाह लेने के लिए यहां आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने माफियाओं को तोड़ा। गैंगस्टर या तो जेल में हैं या रामपुर में हैं या लंगड़ा गैंग का सदस्य बना हुआ है। आज सारे राजस्थान के अंदर किसी न किसी तरह माफियाओं की शरण में आकर काम कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर गैंगस्टर नाबालिग अपराधियों, शार्प शूटरों से सरेआम कत्ल करवा रहे हैं। राजस्थान में राजू ठेहट की हत्या को और उसके वायरल हुए वीडियो को लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों का जखीरा राजस्थान में आ रहा है। पंजाब से, जिसका जिक्र भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, ये हेरोइन, अफीम, चिट्टा हमारे नौजवानों की जिन्दगी लील करने के लिए आ रहे हैं।

सभापति महोदय, सिरोही से जिन एसपी अभिलाष टांक की बात कही गयी है, ये शराब की सप्लाई, अभिलाष टांक और उसके साथ-साथ डूंगरपुर में जब एडिशनल एसपी, अच्छे-अच्छों को सस्पेंड इसलिए किया कि डीजीपी साहब ने पीएचक्यू से विजिलेंस टीम को भेजा, विजिलेंस की टीम ने देखा कि एसपी सहित सारे लोग शराब की तस्करी में लगे हैं। गुजरात में शराब भेज रहे हैं। आपने उस वक्त जिन एसपी सुधीर जोशी जी को विजिलेंस की टीम की रिपोर्ट के आधार पर हटाया, आज क्या कारण है कि राजसमन्द में लगा दिया? मैं समझता हूं कि आप करना क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय, अब यह बहस का विषय ही नहीं रहा कि राजस्थान के अंदर अपराध और अपराधी बेकाबू हैं, परंतु मुख्य मंत्री जी एक तर्क देते हैं। मंत्री महोदय भी वही बात कहेंगे। पढ़ा-पढ़ाया, तैयार किया हुआ भाषण इनके पास है। मुख्य मंत्री जी ने बजट 2021-22 के पैरा 24 के अंदर कहा था कि माननीय सदस्य जानते हैं कि आजादी के कई वर्ष बाद भी थानों के अंदर एफआईआर दर्ज करना कठिन काम था। पहले लोग मारे-मारे फिरते थे, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। हमारी सरकार के प्रयासों से 2019 से निर्बाध एफआईआर होने लगी। पहले आम धारणा थी कि एफआईआर ज्यादा होना अपराध होना है। अनिवार्य एफआईआर से संख्या बढ़ सकती है, किंतु पीड़ितों को न्याय मिलता है। यह बात नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में भी देखने को मिलती है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आंकड़ों के मायाजाल में अनावश्यक आलोचना करने से बचें, बल्कि एप्रिशिएट करें। मुख्य मंत्री जी बजट में ये बात कहते हैं।

मैं समझता हूं एफआईआर दर्ज करना भी अपराध नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े भी कोई अपराध नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं एनसीआरबी के आंकड़ों की बजाय अभी संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, 2007 में प्रकाश सिंह के प्रकरण में इस पूरे देश के अंदर पुलिस की सारी कार्यवाही पुलिस के एक्शन साझा आपस में प्रदेश करें, उसकी कार्यवाही में समानता रहे, उसके लिए पुलिस एक्ट, 2007 आया। पुलिस एक्ट, 2007 में मेंडेटरी किया गया हर सूबे के अंदर, हर महीने पुलिस के डीजीपी गृह मंत्री जी से हस्ताक्षर करवाकर पुलिस का प्रतिवेदन जारी करेंगे। अभी प्रतिवेदन नेट पर पड़े हैं। सभापति महोदय, पुलिस एक्ट में सैक्शन 12, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। सैक्शन 12 पुलिस एक्ट का यह कहता है कि पुलिस की सभी गतिविधियों की, कार्य की सुपरवाइजरी पावर चुनी हुई सरकार के पास है। बच नहीं सकती सरकार। कोई इन्डिपेंडेंस नहीं है। चूंकि पुलिस हमारे संविधान की स्टेट लिस्ट में है और पुलिस एक्ट के सैक्शन 29 में लिखा है, पुलिस का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह जनता के जीवन, स्वतंत्रता अधिकारों की गरिमा, मानव अधिकार और सम्पत्ति की रक्षा करे।

सभापति महोदय, पुलिस प्रतिवेदन के आंकड़ों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस प्रतिवेदन दिसम्बर, 2022, वर्ष अपराध की तुलनात्मक स्थिति- 2020 के अंदर राजस्थान में आईपीसी के 1,93,229 प्रकरण दर्ज हुए। 2021 के अंदर 2,14,552 प्रकरण दर्ज हुए। 2022 के अंदर 3,39,459; यानी 2020 से 2022 में 23.89 परसेंट की वृद्धि। आप कह रहे थे अपराध बढ़े नहीं। यह मेरा कागज नहीं है। यह सरकार का वह प्रतिवेदन है जो डीजीपी साहब ने जारी किया है। वर्ष 2021-22 में 11.61, तीन साल में 8,57,751 आपराधिक प्रकरण शांतिप्रिय राजस्थान में दर्ज हो जाए और राजस्थान की सरकार गाल बजाए कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक है।

सभापति महोदय, पिछले साल जो 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक जो मामले दर्ज हुए मैं उन मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आईपीसी में मामले दर्ज हुए 2,39,459, चालान हुआ 1,09,749, यानी 45 परसेंट। सभापति महोदय, ये अदमवकू, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस सदन में, अदमवकू और अदम अन्य, दो कालम बनाये गये हैं, अदमवकू का मतलब अपराध कारित ही नहीं हुआ, असत्य और अदम अन्य का मतलब है कि अपराध में साक्ष्य नहीं मिले।

(समय: 20.00 बजे)

आपने इस साल 70,004 एफ.आर. अदमवकू पर लगाई, जो 31.83 परसेंट है। एफ.आर. अन्य में लगाई 40,181 लगाई। यह 1,10,185 एफ.आर. आपने दी। मैं समझता हूं कि अदमवकू अगर एफ.आर. है, वह असत्य एफ.आई.आर है तो आपने आईपीसी की धारा 182 के अंदर कितनों में कार्यवाही की? आप जवाब दें तब मुझे बता दें। 1 लाख की जगह 1 हजार में की तो बताएं। पुलिस की एक आदत पड़ गई। आज प्लाट ढूंढो, प्लाट ढूंढो मामला चल रहा है, डबल पट्टे ढूंढ लो। एक आदमी को कह दिया कि कब्जा कर लो, दूसरे को कह दिया तुझे सैटल कराएंगे। दोनों से पैसे लेना, सिविल नेचर के नाम पर एफ.आर. लगा देना, इस प्रकार एफ.आर. मंजूर कर लेना, यह काम है।

मैं सदन का ध्यान, पुलिस एक्ट, 2007, सैक्शन 31, एफआईआर दर्ज करना प्रत्येक भारसाधक अधिकारी की कानूनी जिम्मेदारी है। एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो उसके सर्विस रिकार्ड में रेड एंट्री होगी। मंत्री महोदय, जवाब दें तो मुझे बता दें कि आपने पुलिस के एक्ट सैक्शन 31 के अनुसार कितनी जगह पर, आप तो ऑनलाइन एफ.आर. दर्ज कर रहे हो, क्या एक भी एसएचओ के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर आपने कार्यवाही की?

सभापति महोदय, कापी पेस्ट भाषण देना आदत पड़ गई। मुख्य मंत्री जी से लेकर, मंत्रिमण्डल के सारे सदस्य। एक ही, बस उसमें दो-चार शब्दों को ऊपर नीचे करते हैं। यह भी कहेंगे कि 156(3) में पहले बहुत ज्यादा मुक़दमे दर्ज होते थे, अब बड़े कम हो रहे हैं। मंत्री महोदय, 156(3) आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। 156(3) में एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस्तगासा कोर्ट में पेश करता है, एफिडेविट साथ में देता है कि मैं पुलिस में गया था, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वह एफिडेविट दे रहा है। इसका मतलब है कि सैक्शन 31 के अनुसार उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। आपने कितनों की कार्यवाही की? और आपको मालूम है, कांस्टिट्यूशनल बैंच का फैसला, ललिता कुमार vs. स्टेट आफ यूपी, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कह रहा है। अगर दर्ज नहीं करते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। आपने कितनों की कार्यवाही की? मुझे बता दें। 182, 211 में कितनों की कार्यवाही की? आपने एफ.आर. अन्य लगाया, तो आपने असत्य गवाही के आधार पर आईपीसी में 193 पर कितने में कार्यवाही की? सीआरपीसी में, 157 में लिखा है कि कोई भी घटना हो जाए, पुलिस को तुरंत मौक़े पर पहुंचना है। आपकी पुलिस कईकई घंटे नहीं जाती, क्या आपने एक पर भी कार्यवाही की?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, यहां हमारे प्रदेश को मंत्री महोदय ने मर्दों का प्रदेश करार किया। भई, खोज आपकी है। मुझे कुछ कहना नहीं। मर्दों के प्रदेश में, आपने 2021-22 में कहा था, special investigation unit for crime against women का हमने गठन किया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, एनसीआरबी, मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा। इनकी जुबान लड़खड़ाई थी। बड़ाई करते-करते, जब महिला दुष्कर्म की बात आई, तो इनके मुंह से भी निकला कि नहीं-नहीं, हम पहले नम्बर पर हैं। एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं, 2019, 2020 और 2021 में, तीनों के अंदर, हम ने मुल्क के अन्दर पहले पायदान पर खड़े होकर इस राजस्थान को कलंकित करने का काम किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?

17 महिलाओं की प्रतिदिन लुटती अस्मत राजस्थान को शर्मसार कर रही है। मेरा सोर्स है, पुलिस प्रतिवेदन दिसम्बर, 2022, महिला अत्याचार। 2020 में 34 हजार 368 हुए। 2021 में 40 हजार 220 हुए। 2022 में 44 हजार 407 हुए। यानी 1 लाख 18 हजार 995, वृद्धि, देखो सभापति महोदय, 2020 से 2022 के बीच 29 परसेंट की वृद्धि। बलात्कार के मामले 2020 में 5,310 तथा 2021 में 6,337 व 2022 में 7,093, कुल 18,740 हैं और आपकी वृद्धि 33 परसेंट है। इसके अन्दर आपने एफ.आर. देने का काम किया है, रिकार्ड बना डाला। एफ.आर. .... आपने महिला अत्याचार में पिछली एक जनवरी से दिसम्बर तक, 44,407 में 19,163 में एफ.आर. टेकी। 22,054 में चालान और 3,190 आपने पेंडिग रखे। बलात्कार के अन्दर भी 7,093 में एफ.आर.दी 2,943, यानी 49 परसेंट में चालान और बाकी मामले या तो एफ.आर. या पेंडिग, क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। आपने कह दिया, बलात्कार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

होना बड़ी बात नहीं। मुख्य मंत्री जी ने कह ही दिया था, डीजीपी साहब ने समझा दिया कि बाहर जाकर कह दो कि 56 परसेंट मामले बलात्कार के असत्य होते हैं। रेप तो दूसरा कोई करता ही नहीं है।

सभापति महोदय, हमारी पारिवारिक संस्कृति है, मामा की, फूफा की, चाचा की, ताऊ की, बुआ की। परिवार के लोग बलात्कार करते हैं। हमारी संस्कृति, उस पर सीधा आक्षेप लगा दिया। एक और कह दिया, निर्भया काण्ड आने के बाद, फांसी की सज़ा का प्रावधान होने के बाद, यह बलात्कार और हत्या के प्रकरण बढ़ गये। सभापति महोदय, मैं समझता हूं, इन सारी चीजों पर गम्भीरता से बात करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं हत्या की बात करूं। राजस्थान में तीन वर्षों में, पुलिस प्रतिवेदन कह रहा है, 5 हजार 339 हत्या के प्रकरण दर्ज हुए प्रतिदिन 7 हत्याएं। सीकर का वह वीभत्स दृश्य जब मैं देखता हूं, मैं आत्मा से कहता हूं कि आंसू निकल आते हैं। क्या कसूर था दोतिना के ताराचंद कड़वासरा का। बेटी कनिष्का को डाक्टर बनाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस जमा कराने गया था, गोली का शिकार हो गया। उस बच्ची का अपने पिता की लाश पर लिपटते हुए रोते देखते हुए मानवता शर्मसार हो गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, इस बात का दुर्भाग्य है कि हत्या के मामले में भी 50.16 परसेंट में सरकार चालान कर रही है 2022 में। 1834 मामले दर्ज हुए और 920 में चालान। हत्या जैसा जघन्य अपराध, यह अनुत्तरित सवाल है। हत्या में आदमी की डेड बॉडी सामने आई होगी, हत्या के अन्दर एफआर। मैं समझता हूं, जिस प्रकार का वातावरण बना है, इसमें निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, इस अनुसूचित जाति ने आपको सरकार तक पहुंचाया है। 0.5 परसेंट मतों का अंतर था। आपके यहां 200 में से एक आदमी का मन बदला और सरकार आपके पास चली गई, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग थे। अनुसूचित जाति पर...

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, एक मंत्री को भेजा गया हमारे इधर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, एनसीआरबी के 2021 के आंकडे, पूरे मुल्क में अनुसूचित जाति पर अत्याचार पर हम दूसरे पायदान पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाकर खड़े हो गये। 7,524 प्रकरण, तीन सालों में 23,293 प्रकरण और मैं पिछले साल की बात करूं, 2022 में 99 हत्याएं हुई, 54 में सिर्फ चालान। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपको इस पूरे मामले के अन्दर, हत्या जैसे मामले असत्य हैं, तो आपने कार्यवाही 182 में क्यों नहीं की?

बलात्कार के अन्दर, एस.सी. की बच्चियों में बलात्कार, 658 में से 286 में एफआर, यह क्या कहते हैं? इसी प्रकार एस.टी. के अन्दर, तीन वर्षों में 23,293 मामले दर्ज हुए। मैं 2022 की बात करूं, तीन वर्षों में 81 प्रकरण दर्ज हुए। अकेले 2022 में 40 और चालान 22 का। सभापति महोदय, क्या हो रहा है, मेरे समझ के बाहर की बात है।

सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम, 2016 बने हुए हैं। अपराध हो जाता है, बलात्कार पर 5 लाख रुपये, गैंगरेप पर 8 लाख रुपये, हत्या इन सब पर, अनूसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति के मृतक व्यक्ति की विधवा को या अन्य आश्रित को 5 हजार रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता, जिस तरह बढ़े, बढ़ोतरी की बात है। मृतक के परिवार के लिए रोजगार, कृषि भूमि व घर और बालक के लिए स्नातक तक के लिए शिक्षा का भरण प्रबंधन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह नियम बने हुए हैं, आप कहते हो हम एस.सी., एस.टी. के कल्याण के लिए सोचते हैं। यह लोग, जो किसी न किसी कारण से, दुनिया से मरहूम हो गये, उनके लिए आपने क्या किया?

माननीय सभापति महोदय, यह चोरियों की बात मैं क्या करूं? हमारे मेवाड़ में बकरा चोर गैंग का आतंक आज भी है। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य मुझे शेक-हैंड करेंगे। मैंने पिछली बार भी यह कहा था गधा चोर का आतंक आज भी आपके इलाके में विद्यमान है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): पहले था, अब पकड़े गये सारे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पकड़े गये? माननीय सभापति महोदय, ये मेरी तरफ इशारा करके कह रहे हैं। गधा पकड़े गये, उधर इशारा करिये आप। नहीं, यह मेरी तरफ इशारा किया कि गधे पकड़े गये, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने मैं इंसान हूं। दो पैरों पर खड़ा हूं आपने यह कैसे कह दिया? आप उनकी तरफ करिये। (व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, चोरियां बहुत सुनीं पर नवजात शिशुओं की चोरी इसी सरकार में सुनी। सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में मार्च, 2021 में बच्चा चोरी होता है। मार्च में ही बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में बच्चा चोरी होता है। फरवरी, 2022 में एस.एम.एस. अस्पताल में बच्चा चोरी होता है। उदयपुर में सवीना थाने में बच्चों की खरीद-फरोख्त, बच्चों का व्यापार राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय, राजधानी से 340 किलोमीटर दूर पंडेर में राजस्थान के अन्दर बच्चियों को स्टाम्प पर बेचने का गिरोह आता है, बच्चियों को स्टाम्प पर खरीदता है। यह राजस्थान को कलंकित करने का काम होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चोरी की बात करूं तो रिकार्ड बन गया। यह मेरा आंकड़ा नहीं है। सोर्स पुलिस प्रतिवेदन है। 2020 के अन्दर 28695 चोरी, 2021 में 38873 चोरी, 2022 में 40364 चोरी और इसमें वृद्धि है 40 परसेंट। माननीय सभापति महोदय, आप एफ.आर. देखो, चोरी हो जाए और यह देखो कि इस वर्ष जो 40364 चोरियां हुई, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पुलिस का प्रतिवेदन कह रहा है। माननीय सभापति महोदय, 31773 में एफ.आर., 7401 में चालान, मैं यह समझता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर चोरों का आतंक, जितनी चोरियां हुई, उनमें 80 परसेंट में, माननीय सभापति महोदय, अगर एफ.आर. लगती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अवैध हथियारों की बात करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, एम.पी. से अवैध हथियारों का जखीरा आ रहा है। चार वर्षों में अवैध हथियार पकड़े गये। एक भी मामले के अन्दर पुलिस ने यह कोशिश नहीं की, अवैध हथियार का ओरिजनली सप्लायर कौन था? एक आर्म्स एक्ट बना हुआ है, 1959, उसके सैक्शन 25 में कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए अफसोस है कि राजस्थान के अन्दर जो हमारा आर्म्स एक्ट, 1959 का सैक्शन 39 है, उसमें मुकदमा अपराधी पर तब तक नहीं चलाया जा सकता है जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कलेक्टर प्रोसीक्यूशन की इजाजत नहीं दे। कलेक्टर प्रोसीक्यूशन की इजाजत इसलिए नहीं देता क्योंकि वह बड़ा आदमी है, अदालत में जाना पड़ेगा। 1160 प्रकरण में पिछले तीन साल में राजस्थान के अन्दर आर्म्स एक्ट, 1959 के सेक्शन 39 के अन्दर प्रोसीक्यूशन अभी लम्बित पड़ी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। अपराधी अपराध करके चला जाये और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एन.सी.आर.बी. के आंकड़े कह रहे हैं। अवैध हथियारों से राजस्थान में जो अपराध कारित हो रहे हैं, उनमें पूरे देश में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। मैं यह समझता हूं कि यह इस प्रकार राजस्थान के मैं पूरे आंकड़े बताऊंगा तो मेरा समय जाया होगा, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यह जो अवैध हथियार पकड़े जाते हैं या पुराने राजघराने के हथियार हैं, वे मालखाने में जमा होते हैं। वर्षों-वर्षों तक मालखाने का इंस्पेक्शन नहीं होता है। भीलवाड़ा का मामला अभी प्रकाश में आया है। बनेड़ा राजघराने के वे हथियार, यह 317 हथियार, 1817-18 की पिस्टल जो कर्नल टॉड ने राजा भीमसिंह को दी थी, वह गायब हो गयी तो मैं यह समझता हूं कि इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है?

माननीय सभापति महोदय, इन चोरों का आतंक देखिये, अभी मंत्री महोदय जवाब देंगे तो मंत्रीजी आप तो यह बता देना कि इसी 27 फरवरी को आपके पूर्व राजपरिवार के गढ़ के अन्दर जो म्यूजियम था, उसके बेशकीमती चांदी के हाथी सहित करोड़ों रुपये के पुरातत्व महत्व के एंटिक सामान चोरी हुए कि नहीं हुए? आपकी पुलिस कितने घंटे बाद गयी? मैं यह समझता हूं कि इसको देखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं यह निवेदन करूंगा कि एक रिपोर्ट थी Child Rights and You (CRY) की, स्टेटस रिपोर्ट आन मिसिंग चिल्ड्रन। इसमें यह कहा है कि 2021 में राजस्थान में प्रतिदिन 14 बच्चे अपने परिवार से अलग हुए, 14 नौनिहाल अपने परिवार से अलग हुए। मैं यह समझता हूं और इसमें आप बरामदगी भी देखें तो बरामदगी कुछ भी नहीं। आप उत्तर दें तब बतायें।

पुलिस की अभी बात बहुत चली। आपने यह कहा कि हमने थानों को पुलिस फ्रेंडली बनाने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये और स्वागत कक्ष बनाये। यह स्वागत कक्ष तो नहीं, पर आपने यातना कक्ष पुलिस स्टेशनों को जरूर बनाया है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह एन.एच.आर.सी., राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट यह है कि 2020-21 में 73, 2021-22 में 93, दो वर्षों में 166 लोगों को पुलिस हिरासत में मौत देने का काम इस सरकार की पुलिस ने किया है। यह कितनी बुरी बात है? माननीय सभापति महोदय, इसमें हिरासत में मौत पर सीआर.पी.सी. के सैक्शन 176(1) में हर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यायिक अभिरक्षा में मौत होती है तो उसकी मजिस्ट्रेट जांच होती है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि 173 मामलों में कस्टोडियल डैथ में कितनों में जुडिशियल इंक्वायरी हुई और जुडिशियल इंक्वायरी के आधार पर आपने कितने पुलिस अधिकारियों, कर्मियों पर कार्यवाही की? मौत हो, मौत के बाद में कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दो तो मैं यह समझता हूं कि यह बर्बरता की निशानी है।

17 दिसम्बर, 2022 को लक्ष्मणगढ़ में बृजेन्द्र और संदीप को 500 दंड-बैठक लगवायी, मुर्गा बनवाया और सिर को सिर से टकरा दिया। 2022 में लक्ष्मणगढ़ में बाइक चोरी में 17 साल के नाबालिग सुरेन्द्र को पीट-पीटकर मार डाला। इसी अगस्त, 2022 में चूरू के तारानगर में भालेरी थाने में पुलिस कस्टडी में एक नौजवान प्रमोद पारीक को इतना टार्चर किया कि वह पुलिस कस्टडी में चलती बस से कूदकर मर गया। 24 जुलाई को सरदारशहर, चूरू में 26 वर्षीय नौजवान छगन शर्मा को असत्य पाक्सो के मुकदमे में चूरू की जेल में भेजा गया, वहां पर निर्मम पिटाई करके हत्या कर दी। कुचामनसिटी के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, यदि मैं यह पूरा बोलूंगा तो मेरा समय जाया होगा, पर यह सारी बात यह कह रही है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहूं कि पुलिस थाने के अन्दर शेर है और बाहर इस पुलिस ने पिटाई खाने में भी रिकार्ड बना डाला। जय हो इनकी, डी.जी. साहब की भी। 1023 प्रकरण, पुलिस ने इन तीन वर्षों में 1023 बार मार खायी। 1023 बार, रोज पुलिस पिटी है राजस्थान के किसी न किसी जगह पर इन माफियाओं से, और यह तो देखो, माननीय सभापति महोदय, एफ.आई.आर. भी पुलिस दर्ज करवाये और उसके अन्दर एफ.आर. भी पुलिस लगाये। सिर्फ 14 प्रकरणों में, तीन साल में 14 प्रकरणों में दोष साबित हुआ है। दोष साबित नहीं कर सके और सात मामलों में तो आपने एफ.आर. लगा दी और रोहट के मामले में भी मुझ से पहले सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, वहां पर तो, माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का मंजर रहा, मैं यह समझता हूं और भीलवाड़ा में रायला थाने के अन्दर नाकाबंदी में तस्करों ने औंकार सिंह, पवन चौधरी को उड़ा दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी तो मेरा टाइम पड़ा है।

श्री सभापति: टाइम है तो दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह जो साइबर क्राइम की बात है, साइबर क्राइम में मुझसे पहले सभी लोगों ने यह कहा, यह पुलिस प्रतिवेदन में आपने 3 नवम्बर को साइबर थाने खोलने की बात तो जरूर कर ली, पर फरवरी, 2022 में डी.जी., पुलिस मुख्यालय ने परिवादों की सूचना मांगी तो 20179 परिवाद और उसमें 9557 में तो पूछताछ ही नहीं हुई। अभी एक तारांकित प्रश्न था। उसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी सरकार ने माना। तीन वर्ष में 2427 प्रकरण दर्ज हुए, चालान सिर्फ 253 में हुआ और 1841 में एफ.आर. हुई। साइबर क्राइम में, यह मेरा नहीं, यह इस जवाब में है कि 4405 दर्ज हुए और 2278 में एफ.आर. हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बड़ी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मुझे यह मालूम है, अभी मेरा टाइम है, आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा, पर मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, ये जो क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी है, जिनका जिक्र सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। पिछले चार साल से राजस्थान के लोगों को ठगने का काम कर रही है। इसके अन्दर रकम का ज्यादा ब्याज देना, दुगुना करना, सीकर के अन्दर आपके इलाके में नेक्सा एवरग्रीन ने अभी जो ठगी की है, वह आपके सामने है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में 20 लाख निवेशकों के 14682 करोड़ की ठगी। नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी में 400 करोड़ की, साईं कृपा को-ऑपरेटिव के अन्दर 372 करोड़ की, माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर चार वर्षों में 30 लाख निवेशकों से 32 हजार करोड़ की ठगी हुई। (व्यवधान) हां, मैं वह भी बोलता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसी के अन्दर जिस पर मुख्य मंत्रीजी बात करते हैं संजीवनी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी, 2 लाख 14 हजार निवेशकों से 9553 करोड़ का घोटाला और यह banning of unregulated deposit scheme act आया 21 फरवरी को, उसको आपने लागू नहीं किया। उसके पीछे मकसद एक ही था कि इस प्रकार की क्रेडिट सोसाइटी की सम्पत्ति जब्त करना और उनके खिलाफ कार्यवाही करना।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं। संजीवनी क्रेडिट सोसायटी को लेकर मुख्य मंत्रीजी ने आरोप लगाया केन्द्रीय मंत्री पर। मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन करना चाहूंगा, 2011, 2012 और 2013 में तीन सालों में गजेन्द्र सिंहजी, जो मंत्री हैं, उन्होंने अपना 10 करोड़ रुपये का प्लाट बेचा। डीएलसी की रेट पर बेचा। बैंक ट्रांजेक्शन हुआ। टीपीए एक्ट जो बना हुआ है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्रेता से विक्रेता पूछे कि तेरा सोर्स क्या है? संजीवनी क्रेडिट का आडिट भी हुआ। 10 करोड़ का प्लाट 953 करोड़ में अगर उन्होंने बेचा तो वह गुनहगार हो गये? जो विक्रम सिंहजी हैं, ये कौन हैं? माननीय सभापति महोदय, ये विक्रम सिंहजी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। यह देखिए, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को रिफाइनरी शुरुआत करवाने पर शुभकामनाएं। यह विक्रम सिंहजी की फोटो। आप देखिए, सभापति महोदय।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कांग्रेस से पचपदरा के लिए उन्होंने टिकट मांगी। मेवाराम जैन, विधायक, बाड़मेर को रिफाइनरी लगाने पर हार्दिक बधाई। विक्रम सिंह की फोटो है। माननीय सभापति महोदय, हरीश चौधरी के एआईसीसी में मनोनीत होने पर विक्रम सिंहजी की फोटो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपके केन्द्रीय मंत्री मुख्य मंत्रीजी के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं क्या? मुख्य मंत्रीजी ने उनका नाम लिया, मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं कहता हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं मुख्य मंत्रीजी, उनको शोभा नहीं देता।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मानहानि का मुकदमा करवा रहे हो क्या? उन्होंने खुले में नाम लिया है, खुले में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि गजेन्द्र सिंहजी पर आरोप लगाया। उनकी दिवंगत मां पर आरोप लगाया। मेरी चुनौती है, सरकार सिद्ध कर दे। विक्रम सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ता के माध्यम से एक बढ़ते हुए नेता को खतम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी के पुत्र को हराया। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): जांच की मांग कर दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। माननीय सदस्य, अब विराजिए आप। 40 मिनट से ज्यादा हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरे 40 मिनट हैं।

श्री सभापति: 40 मिनट से ज्यादा हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दो मिनट।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, अगर इनमें सच्चाई है तो जांच की मांग क्यों नहीं करते? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा। गम्भीरता बरतिये थोड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, ये बातें जो मैंने कहीं, बड़ी जुम्मेवारी से कही हैं। 953 करोड़ के घोटाले में 10 करोड़ का अगर संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी एक व्यक्ति का प्लाट खरीदती है, एसओजी उसको दोषी बनाने की कोशिश करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये तार कहां से कहां जा रहे हैं?

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री टीकाराम जूली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अन्त में मैं जेल के बारे में दो बात कह कर बात खतम करूंगा।

मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1894 के अंग्रेजों के समय प्रिजन्स एक्ट के माध्यम से जेल मैन्युअल, 1951 में इन्होंने संशोधन किया, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हाईकोर्ट ने सुओमोटो रिट पिटीशन के माध्यम से जेल प्रशासन को जो 45 निर्देश दिये थे, उनकी पालना इन्होंने नहीं की। इन्होंने एफिडेविट देकर कहा कि हम 15 दिसम्बर तक प्रिजन्स एक्ट सदन में नये रूप में प्रस्तुत कर देंगे। आज यह सदन पुलिस एवं कारागार पर बात कर रहा है। 'आज ऐशगाह बन गई जेल' से अपराधी समानान्तर गैंग चला रहे हैं। इन्होंने, हाईकोर्ट में एजी ने एफिडेविट देकर वादा किया था उसके अनुसार यह जो नया प्रिजन्स एक्ट है, यह सरकार कब लेकर आयेगी? यह बताएं।

कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर इन चार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सालों में दहशतगर्दी का वातावरण रहा। राजस्थान की पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जाता रहा। अगर इसी प्रकार करेंगे तो समय का चक्र बदल रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरह करेंगे, उनको आने वाले समय में भुगतान भी करना पड़ेगा। यह इसी मंच से कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(माननीय सदस्य श्री लाखन सिंह (करौली), श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई) व श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़) के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्यों के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। दो लाइनों के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा।

'कि एक तू है, कि एक तू है,

जो मेरे कत्ल की कोशिश में था,

एक मैं हूं जो तेरे लिए जेल में खाना लेकर आया हूं'।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं एक बात जरूर कहूंगा।

'कल तू था, आज है, कल कोई और था,

यह भी एक दौर है और वह भी कोई दौर था।'

दौर का इन्तजार कर लेना, महाराज।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 'उसे गुमान है, उसे गुमान है, मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है।'

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने कारागार की मांग पर चर्चा में भाग लिया और कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उनके द्वारा जो सुझाव आये हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं। 182 कटौती प्रस्ताव थे, उन सबका जवाब आज भिजवा दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जेल की जो

(श्री टीकाराम जूली)

परिकल्पना है, वह कहीं न कहीं गांधीजी के विचारों से मेल खाती है। महात्मा गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आजादी दिलायी और उनके मन में विरोधियों के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम था। गांधीजी कहते थे कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से घृणा नहीं। गांधीजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बारीकी से समझने की जरूरत है। बापू अपने समय का सदुपयोग साफ-सफाई, स्वाध्याय के साथ-साथ अपना काम खुद करते थे। माननीय सभापति महोदय, वे मानते थे कि अगर आपके अन्दर आत्मसम्मान है, आप आत्मनिर्भर हैं तो आपको कोई झुका नहीं सकता। बन्दियों को करुणा, सदाचार, प्रेम, सद्भावना एवं भाईचारे को आत्मसात करना चाहिए। आप तो खुद जाकर आये हैं। राजस्थान के यशस्वी गांधीवादी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जेल के अन्दर जो बंदी निरुद्ध हैं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, वे वापस समाज की मुख्यधारा में आएं और अपना जीवन यापन करें, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य इन पिछले चार वर्षों में किये।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे दिन की चर्चा के अन्दर जिस प्रकार की बातें सम्माननीय सदस्यों ने रखीं, उनमें ज्यादातर जगह एक डिमाण्ड आ रही है कि थाने, चौकी खोले जाएं, जेल खोली जाएं और मैं देख रहा हूं कि जेलों की संख्या और थानों, चौकियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम सदस्यों को अपने खुद के गिरेबान के अन्दर भी झांकना पड़ेगा कि हम समाज को और इस देश को किस ओर लेकर जा रहे हैं। किस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराध को रोकने के लिए उन पर धारा लगाना, जेल में डाल देना उनका समाधान नहीं है। अगर हम जब तक सार्वजनिक रूप से सभी दल बैठ कर इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है तो मैं समझता हूं कि यह संख्या इसी प्रकार बढ़ती रहेगी, इसी प्रकार से डिबेट चलती रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि पिछली साल बंदी रिहा किये और अबकी बार हमने बंदी कम रिहा किये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे समय में हमने समय पूर्व रिहाई की है। पहले की तुलना में और आज की तुलना में उसके अन्दर दिन रात का अन्तर है। पिछली सरकार के समय में कुल 84 बंदियों की समय से पहले रिहाई हुई थी और हमारे समय में हमने

(श्री टीकाराम जूली)

835 बंदियों की रिहाई की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारे देवली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि लारेंस विश्नोई गैंग राजस्थान की जेल से अपना कारोबार करती है। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान की जेल के अंदर न तो वह व्यापार कर सका था, न अपराध कर सका था और वह यहां से तिहाड़ जेल के अंदर शिफ्ट हो गया। आज जितनी भी जो भी घटनाएं हुई हैं, वह तिहाड़ जेल से हुई हैं, राजस्थान की जेल से नहीं हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है। आप लोगों ने मोबाइल की बात की कि यहां जेल के अंदर मोबाइल मिल रहे हैं। आपके समय में चार साल के अंदर 1524 मोबाइल जब्त हुए थे और हमारे समय में मात्र 656 मोबाइल ही जब्त हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपसे आधे से भी कम हैं। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान के अंदर झांकना चाहिये। हमने तलाशी अभियान शुरू किया है, आपके समय में तलाशी अभियान नहीं चलता था। माननीय सभापति महोदय, ज्वाइंट अभियान जज साहिबान, पुलिस के लोग, कलेक्टर साहब के सहित तलाशियां हुई हैं। हमने पिछले चार वर्षों में लगभग 21 हजार जेलों के अंदर तलाशी अभियान चलाये हैं, तब यह इतने मोबाइल बरामद हुए हैं। यह मोबाइल क्यों आ रहे हैं? जेलों के अंदर मोबाइल कैसे चल रहे हैं? आपकी सरकार के समय में तो जैमर लगे थे न, तो ऐसे कैसे जैमर लगाये कि मोबाइल चल रहे हैं? आपने इस प्रकार के जैमर लगाये कि वे कोई उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर मोबाइल काम करता है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग आने वाले समय में आपकी जो टेक्नोलॉजी थी, जो जैमर थे, उन सबको बदलकर हाई सिक्योरिटी के जैमर लगा रहे हैं, जिसके अंदर मोबाइल काम नहीं करेंगे। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा। (व्यवधान) चिंता मत करो, पता नहीं कब आ जाओ, आप भी, भाई, ध्यान से रहो।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें, प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमने जेलों के अंदर सुधार के लिए वहां के मरीजों के लिए

(श्री टीकाराम जूली)

एम्बुलैंस लगायी हैं। आपके समय में 11 एम्बुलैंस लगीं, हमारे समय में 27 लग चुकी हैं और 10 के लिए इस बजट में घोषणा हुई है।

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप आसन की तरफ देखकर जवाब दें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हम लोग जेलों के अंदर नवाचार कर रहे हैं। पहली बार इस प्रकार का नवाचार किया गया कि जेल के अंदर राष्ट्रगान होता है। सारे कैदी सफेद पोशाक के अंदर एक साथ खड़े होकर जब राष्ट्रगान गाते हैं तो उनके अंदर देश भावना जागृत होती है। हमारे जो दिव्यांगजन हैं, किसी न किसी रूप से शारीरिक दृष्टि से बाधित हैं, उनके लिए हमने उपकरण मुहैया कराये हैं। हमने बैसाखी, छड़ी, कान की मशीन, हाथ-पैर विकलांग संस्था, जो महावीर सेवा संस्थान है, उसके सहयोग से 277 लोगों के लिए उपकरण उपलब्ध कराये हैं। पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी जेलें हैं, उनमें जहां से भी डिमांड आयेगी तो हम उनको उपकरण उपलब्ध करायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जेल के अंदर जो कैदी हैं, उनके बारे में, मेरे जेल मंत्री बनने से पहले कई प्रकार की मेरी भी भावनाएं मेरे दिल के अंदर होती थीं और मैं भी सोचता था कि पता नहीं किस प्रकार के हार्डकोर अपराधी हैं, जो जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन जब हम जेल के अंदर गये और देखा तो यह महसूस हुआ है कि कुछ लोग जरूर हार्डकोर अपराधी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश, कोई गुस्से की वजह से, अपराधी नहीं हैं, लेकिन अपराध कारित हो गया। एक बार अपराध हो गया, इस प्रकार के लोग हैं। उन लोगों को वापस समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने आर्ट आफ लिविंग संस्था से MOU किया है। हम उनको योगा सिखायेंगे, मेडिटेशन सिखायेंगे। यहां पर जेल के जो बंदी हैं, उनको हम चित्रकारी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे करीब 9 लाख रुपये की उनकी पेंटिंग्स बिकी हैं। इससे उनकी आमद हुई है। इस सरकार ने जो हमारे बंदी हैं, उनकी कैंटीन की राशि, जो पहले 2500 रुपये थी, उसकी सीमा को हमने बढ़ाकर अब 3500 रुपये कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी बात हो रही थी, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि महिलाओं के लिए अलग बैरक नहीं हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए अलग से बैरक होती हैं और

(श्री टीकाराम जूली)

हमने चार साल के कार्यकाल में 5 नये महिला बंदी सुधार गृह खोले हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जहां महिला जेलें सबसे ज्यादा उनके लिए खोली गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, चौरासी से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने मांग रखी थी डूंगरपुर जेल की, तो हम जल्दी ही वहां पर जेल शुरू करेंगे, यह भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा। हमारे दौसा के अंदर जो जेल है, वह शुरू कर दी है। अकलेरा जेल का भी निर्माण कार्य चल गया है, बहुत ही जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। उदयपुर जेल की बात आयी थी। वहां पर जगह की दिक्कत आ रही है। बहुत ही जल्दी हम जगह चिह्नित करके उदयपुर के अंदर भी नई जेल बनाने का काम कर रहे हैं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे हैं तो वहां भी हमने नई जेल स्वीकृत की है। डी.पी.आर. की हमारी घोषणा हो गयी है। आप जितनी जल्दी जमीन उपलब्ध करायेंगे, तो हम सिरोही के अंदर भी नई जेल बनायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड है, ज्यादातर सदस्यों ने इसके लिए कहा है और उनके साथ मैं भी खड़ा हूं, वह है वेतन विसंगति की। जेल प्रहरी और पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, उनके अंदर जो अंतर है, वह कहां से आया? उसकी शुरुआत कहां से हुई है? किन लोगों ने उनसे वादा किया था? 2017 के अंदर किन लोगों ने कमेटी बनाकर उनको मंजूरी दी थी कि आप यह जो अनशन कर रहे हैं, इसको तोड़िये, हम इसको शीघ्र ही लागू करेंगे। आपने सिग्नेचर करके दिया था। क्या आप लोगों ने नहीं किया? मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस चीज को बहुत ही गहराई से लिया है और बहुत ही जल्दी वे इस पर काम कर रहे हैं। सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करते हुए हमारे जो जेल प्रहरी भाई हैं, उनकी मदद हम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस साल हमारे जो मुख्य प्रहरी हैं, उनका वेतनमान हमने हैड कांस्टेबल के बराबर कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टॉयलेट्स की जो बात बतायी है, टॉयलेट्स लगभग सभी जगह उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं जगह की कमी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग जहां भी सुझाव देंगे, हम वहां पर आप लोगों की मदद करेंगे, यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे बंदी हैं, वह वापस समाज की मुख्यधारा के अंदर आएं, इसके लिए सबसे अधिक खुलाबंदी शिविर हमने लागू किये हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, माननीय सभापति महोदय, पहला स्थान ही नहीं, लगभग आधे हिस्से के अंदर पूरा राजस्थान है और आधे हिस्से के अंदर पूरा देश है। यह हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हम उन अपराधियों को खुले के अंदर, जिनका अच्छा व्यवहार है, उनको हम वहां पर भेज रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि समय पूर्व रिहा करना, यह हमारे यहां सबसे अधिक है।

माननीय सभापति महोदय, एक नवाचार हमने पेट्रोल पम्प का किया है। हम जयपुर के अंदर हमारे कैदियों के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक पेट्रोल पम्प भी चला रहे हैं। वह पेट्रोल पम्प, मैं समझता हूं कि आसपास के किसी पेट्रोल पम्प की इतनी सेल नहीं होगी, जितनी सेल हमारे यहां इस पेट्रोल पम्प की है। इसके साथ-साथ हम 6 नये पेट्रोल पम्प जल्दी ही और शुरू कर रहे हैं। उनका जो प्रोफिट आता है, वह भी हम बंदियों पर ही खर्च करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो बंदी अनुशासनहीनता करते हैं, उनको हम हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भेजते हैं। इसके साथ ही इनके कौशल और विकास के लिए हम निरन्तर प्रयासरत हैं। इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाये हुए हैं। हमारे जो कैदी हैं वह कहीं कूलर बना रहे हैं, कहीं LED के बल्ब बना रहे हैं, कहीं गलीचे बना रहे हैं। अलग-अलग प्रकार के काम कर रहे हैं, ताकि वह जो पैसा कमाते हैं, वह जब रिहा होते हैं, उस समय हम उनको भुगतान करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक नवाचार हमारे यहां पर हुआ है। हमारे यहां पर जो कैदी आते हैं उन कैदियों में कई कैदी ऐसे होते हैं, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं, उनके लिए साक्षरता अभियान भी हम चला रहे हैं। इसके लिए उनका धन्यवाद लैटर भी उन कैदियों ने हमें वापस लिखकर भेजा है। हो सकता है कि विपक्ष के लोगों को ये चीजें अजीब सी लगें कि इस प्रकार के काम कर रहे हैं, लेकिन यह जो नवाचार राजस्थान के अंदर हुए हैं यह शायद ही देश में कहीं दूसरी जगह पर हो रहे हों। यहां कैदियों को साक्षर करने से लेकर आई.टी.आई. से डिप्लोमा आदि चीजें भी हम उनको करवा रहे हैं।

(श्री टीकाराम जूली)

माननीय सभापति महोदय, पूरे देश के अंदर राजस्थान पहला स्टेट बना है जहां ई-प्रिजन की शुरुआत हुई है। हमारे 2019 के बाद में जितने भी कैदी हैं, 2019 में हमने कम्प्लीट कर लिया था, सारे कैदियों का जो डाटा है, वह हमारे पास सबका ऑनलाइन रिकार्ड उपलब्ध है। इसमें देश के अंदर राजस्थान सबसे अग्रणी है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि कैदियों को पौष्टिक भोजन, ई-मुलाकात, मुलाकात, वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ-साथ चिकित्सा की सुविधा और ये सारी चीजें भी हम उपलब्ध करा रहे हैं।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रिजन बिल की बात की। बहुत ही जल्दी वह जारी होगा। उसके जो रुल्स हैं, वे हमने 12 दिसम्बर, 2022 को अधिसूचित कर दिये हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से जेलों में बहुत बड़ा कार्य किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मुझे एक बात पर एतराज और है, जो मैं कहना चाहूंगा कि अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि आधा परसेंट वोट इधर से उधर हो गये और आप लोग जीत गये। आपने सीधा इशारा शिड्यूल्ड कास्ट की ओर किया कि एससी के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इसलिए आप लोग चुनाव हार गये। यह आपकी मंशा दिखाता है कि आप दलितों के खिलाफ हो, एससी के खिलाफ हो। ये चीजें गलत हैं। आप जिस प्रकार से टार्गेट करते हो और एससी तो कभी भी आपकी डिक्शनरी में रहा ही नहीं। आप तो दिखाने के लिए एससी के घर खाना खाने जाते हो। तब भी वह घर चुनते हो, जहां गंदगी नहीं हो। वहां भी बर्तन साथ लेकर जाते हैं। इस प्रकार की इनकी जो मानसिकता है, वह मैं यहां पर बताना चाहूंगा।

सभापति महोदय, साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि सुजानगढ़ से आने वाले सदस्य ने सुजानगढ़ में उप कारागार के लिए कहा है, वह हमारे यहां पर विचाराधीन है। हम इसके लिए प्रयास करेंगे कि जल्दी ही वह हो। सारे साथी मेरे पीछे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द मैं खतम करूं। दो लाइनों के साथ और जो मेरा बचा हुआ है, वह मैं टेबल करूंगा। हमारी जेल में जो काम हुआ है उसके बाद हालत यह है कि,

'रिहाई की गुजारिश नहीं करते हैं ये कैदी,
इश्क की जेल में जमानत कैसी'।

सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

(सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मांग संख्या 18-पुलिस पर चर्चा के दौरान जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। कई महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव भी आये हैं। उनको भी लागू करने की कोशिश करेंगे। कहीं-कहीं पुलिस की कमियों और खामियों का जिक्र भी आया, उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक सम्भव हो सकेगा, इसमें जो कुछ सुधार हो सकता है, उसको भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी आपके कटौती प्रस्ताव आये हैं, मैं उन सबका जवाब जल्द से जल्द आपके पास भिजवाने का प्रयत्न करूंगा।

जैसा राठौड़ साहब, आपने फरमाया कि चुनी हुई सरकार का काम यह है, उसका यह प्रथम कर्तव्य है कि प्रदेश की जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस करे, वह इस प्रकार के प्रयास करे कि जिससे कोई भी व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित महसूस न करे। जहां तक सवाल राजस्थान सरकार का है, जनता के सम्मान, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करना ही जवाबदेही और पारदर्शी सरकार का कर्तव्य होता है, जो हमने निभाने का हरचंद प्रयास किया है।

संवेदनशील पुलिस प्रशासन प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साइबर अपराधी, मादक पदार्थ, अवैध हथियारों से जुड़े पेशेवर एवं आदतन अपराधियों और भू-माफियाओं पर कड़ी निगरानी एवं कठोर कानूनी कार्यवाही करना, थाने में जन केन्द्रित सुविधाएं, स्वागत कक्ष का विकास एवं जन सुनवाई के लिए निश्चित समय की व्यवस्था की गयी है। ये पहले आपके यहां कभी नहीं होती थीं। कभी आपकी सरकार ने यह डायरेक्शंस नहीं दिये कि एसपी से लेकर के सीआई तक इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जन सुनवाई करेंगे। कभी नहीं कहा। वह हमारे वक्त में हमने की।

निर्बाध पंजीकरण को महत्ता दी गयी। आपने बार-बार बात उठायी, मदन दिलावर साहब ने भी बात उठायी कि एफआईआर दर्ज करवाने का आपने आदेश दे रखा है कि जो जायेगा उसकी एफआईआर दर्ज हो जायेगी, लेकिन नहीं होती हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान में जो प्रकरण आये, वे सिर्फ 18 आये। 18 प्रकरण ऐसे थे, जिनमें जांच की गयी। वाकई सही बात निकली कि परिवादी थाने पर गया, एसपी के पास गया या डिप्टी एसपी के पास गया,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कहीं पर भी गया, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गयी। उनमें से 10 को तो चेतावनी दी गयी, 5 में परिनिन्दा की गयी और 3 की वेतन वृद्धि रोकी गयी। आप अगर 18 से 19वां प्रकरण बता देते हो तो बताइये। कोरी हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है। विराजो।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने यहां पर जितने भी आंकड़े बताये, वे काहे में से बताये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रतिवेदन में से।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रतिवेदन में से? पुलिस प्रतिवेदन में से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पुलिस प्रतिवेदन जो डीजीपी साहब ने हस्ताक्षर करके जारी किया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पुलिस प्रतिवेदन तो सबके पास पहुंचा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ठीक है तो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या नयी बात बता दी आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फिर क्या गलत बता दिया मैंने?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नयी क्या बात बता दी? आपसे तो यह उम्मीद की जाती थी कि आप वह चीज सदन को बताते जो किसी को मालूम नहीं हो और वह बात हो चुकी हो। उन प्रतिवेदनों पर आपने चर्चा करके कि यह हुआ, यह हुआ, यह इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आप अपने कार्यकाल से तुलना करके देखिये। यदि एक भी ऐसा प्रयास आपके समय पर हुआ हो जो हमारे द्वारा किया गया इन 4 सालों में, तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, एक भी। घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई मतलब नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप तो अपनी बताओ। हमारी छोड़ो। हमसे नहीं हुआ तभी तो इधर बैठे हैं। आप तो अपनी बताओ। आप तो अपनी बताओ कि आपने क्या किया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि इन पुरानी बातों को और इन आंकड़ों को बताने से कोई फायदा नहीं है। सरकार ने क्या किया है, यह मैं बताना चाहता हूं। किस प्रकार से बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, यह बताना चाहता हूं। मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता जो आपने बताये हैं।

पंजीयन, आंकड़ा बढ़ने की आलोचना का पूर्वाभास होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने निर्बाध पंजीकरण की नीति को दरकिनार करने की कभी नहीं सोची बल्कि अधिक मजबूत करने के लिए कि थानों में एफआईआर हो रही है या नहीं, इस हेतु डिकाय आपरेशन किये गये हैं। हुए कभी आपके टाइम पर डिकाय आपरेशन?

साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफआईआर की सुविधा को और सुदृढ़ किया गया है। अक्सर यह शिकायत आती थी कि थानों में परिवादी के साथ अत्यंत ही शुष्क व्यवहार किया जाता है, पूरी सहानुभूति एवं संवेदनशीलता के साथ उसकी पूरी बात सुनी नहीं जाती। इसलिए हमने थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण किया, जिसमें आप लोगों ने भी सहयोग दिया। विधायकों ने भी सहयोग दिया। हमने एक ऐतिहासिक अभिनव कदम उठाया। उन सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने इसमें विधायक कोष से सहयोग दिया है।

थानाधिकारी से पुलिस अधीक्षक तक समस्त अधिकारी दोपहर 12 बजे से लेकर दिन के डेढ़ बजे तक अनिवार्य रूप से जन सुनवाई करेंगे। यह आदेश हमारे द्वारा प्रसारित किया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ी बहुत गंभीरता रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

श्री सभापति: आपको नहीं कह रहा हूं। आपके पीछे वे आवाज कर रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वर्ष 2022 में आईपीसी के कुल 2 लाख 39 हजार 459 अपराध पंजीकृत हुए माना। लेकिन ये गत वर्ष से कितने बढ़े, सिर्फ 11 परसेंट, आपने 23 परसेंट का कहा। ये 11.6 परसेंट अधिक बढ़े हैं, इसका

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मतलब कि हमने जो प्रयास किये, उन प्रयासों से कम से कम अपराधों पर रोक तो लगी है। इनमें 1 लाख 96 हजार 914 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया और 2 लाख 19 हजार 934 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

माननीय सभापति महोदय, प्रकरणों की पेंडेंसी 16 परसेंट रही। पेंडेंसी कितनी रही? 16.57 परसेंट रही, जो पिछले साल की पेंडेंसी से 18.66 परसेंट कम थी। हुआ या नहीं हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हुआ जी, हुआ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धन्यवाद आपको, हाथ जोड़ने का।

जिनके विरुद्ध असत्य प्रकरण, आपने कहा न 182 नहीं चलाई जाती, जिनके विरुद्ध असत्य प्रकरण दर्ज करवाए जाते हैं, वे उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने असत्य मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182/211 में कार्यवाही करने के लिए पुलिस एवं अभियोजन को निर्देशित किया। 2022 में पूर्व वर्ष की तुलना में 182 और 211 आईपीसी के प्रकरणों में 67.98 प्रतिशत वृद्धि हुई। आपके वक्त में 182 क्या चीज है और 211 क्या चीज है, इसकी जानकारी आपको कभी होती ही नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संख्या कितनी है, बता दो। संख्या बताओ न, 1 लाख 03 हजार पर एफआईआर लगाई, संख्या बताओ न 182 में कितने, संख्या बोलो न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रतिशत बता रहा हूं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रतिशत से क्या हुआ?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): संख्या निकाल लेना। मैं निकालकर भेज दूंगा आपके पास।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बता दूंगा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): असत्य मुकदमा तो मेरे भी लग गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): लग गया?

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): लग गया।

श्री सभापति: विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): अपहरण का। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) प्लीज सहयोग कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। (व्यवधान) सरकार के मंत्री बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): (व्यवधान) मैं अपहरण करने के लिए जाऊंगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सरकार का मंत्री बोल रहा है, यह क्या बात है? सरकार का मंत्री, यह कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो, सभापति महोदय। (व्यवधान) सरकार का मंत्री बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: (व्यवधान) प्लीज (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा किसी का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000 (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) विराजिये। प्लीज ...(व्यवधान) आप तो मांग पास कराओ।

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चोरी के मामले में 185 करोड़ 86 लाख रुपये की सम्पत्ति बरामद की जा चुकी है। बरामदगी प्रतिशत 42.27 रहा है। हत्या और हत्या का प्रयास, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में चालानी प्रतिशत 97.98 परसेंट रहा है। पाक्सो एक्ट, महिला अत्याचार व एससी, एसटी अत्याचार के निस्तारण में लगने वाला औसत समय भी कम होता गया है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आप कहेंगे तो टेबल कर देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, कह दो, टेबल कर देंगे। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, ये सुनेंगे नहीं। ये सुनना नहीं चाहेंगे। (व्यवधान) मेरा जवाब सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) यह पूरा प्लान है। मेरा जवाब नहीं सुनना चाहेंगे क्योंकि जो कम्पेरिजन मैं दूंगा उसका जवाब इनके पास नहीं है। ये नेस्तनाबूद हो जाएंगे, इनकी उस सरकार का बिलकुल पर्दाफाश हो जाएगा कि उस सरकार के द्वारा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को चलाया गया था यहां पर और कैसे-कैसे और किनको बचाने के लिए इन्होंने अपनी सरकार के रहते हुए काम किया था। (व्यवधान) नहीं सुन सकते आप मेरा जवाब। आप मेरा जवाब नहीं सुन सकते। बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जो बोलूंगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: तो फिर पास कराता हूं मैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये तो पहले से तैयारी करके आये हैं। (व्यवधान)

(समय: 20.57 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य। Madan Dilawar Ji, I will name you. माननीय सदस्य, माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान) I will name. I will name someone. आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान) आज आप गलत परम्परा डाल रहे हो। आप अपनी जगह पर बैठो। (व्यवधान) आप अपनी जगह पर जाओ, प्लीज। Mr. Rathore Sahab, don't compel me.

माननीय सदस्य, मैं आपकी भावनाओं से अवगत हूं। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मुझे पता है, हर माननीय सदस्य को अपनी बात सदन में कहने का अधिकार है, सरकार को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कह दी, सरकार अपना जवाब देगी, आप बैठिए, सुनिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: I am on legs. Please. I am on legs. Please be seated. माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) आप बैठिए, माननीय सदस्य, प्लीज।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, आप परम्पराओं का निर्वहन करें, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, किसी माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है, वह रिकार्ड पर है। माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। धैर्य रखिए, आप चिंता क्यों करते हैं? माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट बात है कि फ्री रजिस्ट्रेशन की पालिसी है। इसके अंतर्गत प्रकरण किसी के विरुद्ध भी दर्ज करवाया जा सकता है। निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित किया जाएगा। सीधी बात है, अगर किसी को एतराज है तो अनुसंधान होता रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it. Please, be seated. (interruptions) Please, I will not allow it. माननीय सदस्य, यह गलत बात है। माननीय राजेन्द्रजी ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, I will not allow it. मंत्री बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, नीचे बैठें प्लीज। (व्यवधान) जरूरत नहीं है प्लीज। (व्यवधान) मंत्री बोल रहे हैं इसलिए मैंने जगह नहीं दी है। He has not yielded yet! Please understand the parliamentary democracy. Minister has not yielded yet. Let him finish, then इनको मौका मिलेगा। बोलें मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वर्ष 2022 से पूर्व की तुलना में 182 और 211 आईपीसी के केसेज में 67.98 प्रतिशत वृद्धि हुई है। चोरी के मामलों में भी 185 करोड़ 86 लाख रुपयों की सम्पत्ति बरामद की जा चुकी है। बरामदगी 42.27 परसेंट रही। हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में चालानी प्रतिशत 97.98 प्रतिशत रहा।

(समय: 21.00 बजे)

पाक्सो एक्ट महिला अत्याचार एवं एससी-एसटी अत्याचार के निस्तारण में लगने वाला औसत समय कम होता गया। मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से कम हुआ। महिलाओं के मामले लीजिये। महिला अत्याचार के मामले में 2019 में जहां 138 दिन लगते थे, 2020 में 135 रह गये, 2021 में 102 रह गये और 2022 में सिर्फ 72 दिनों में कार्रवाई हो गयी। इसी तरीके से दुष्कर्म के मामलों में 2019 में 141 दिन लगते थे, 2020 में घटकर 126 दिन हो गये, 2021 में घटकर 86 रह गये और फिर 2022 में घटकर सिर्फ 69 दिन रह गये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसी प्रकार से पाक्सो एक्ट में भी 137 दिन लगते थे 2019 में, 2020 में 116 दिन रह गये, 2021 में 79 रह गये और फिर अब 2022 में 68 दिन रह गये। एससी-एसटी एक्ट में 125 दिन लगते थे 2019 में, आज 2022 में 80 दिनों में फैसले होने लग गये। आप अपने कार्यकाल से तुलना करके तो देखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं बोल दूंगा, फिर मुझे इनसे डांट पड़ेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उनको क्या दिखाते हैं? वह तो बना-बनू के लाये हैं आप।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, राजेन्द्र जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अपराध नियंत्रण और विशेष कार्रवाई। 2022 में राज्य में 1055 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लम्बे समय से वांछित 164 घोषित अपराधियों, 1,834 भगोड़ों और 15,411 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। जाली नोट के 8 प्रकरणों में 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

एक नयी पहल और हुई। साइबर अपराध के लिए कई माननीय सदस्य बोले। यह हमारी सरकार और उसकी अग्रणी सोच थी। सोचिये, क्या कभी एक साथ सभी जिलों में विशेष पुलिस थानों को खोला गया? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। साइबर थाने सभी जगह खोल दिये गये। अब सवाल यह उठता है कि अभी तो खुले हैं, कोई न कोई कमी होगी तो उसकी पूर्ति होती रहेगी। स्टाफ की नफरी भी बढ़ेगी, साधन भी बढ़ेंगे। यह भी होगा, वह भी होगा। शुरुआत तो हुई है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दूरदर्शी सोच के साथ सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थाने खोले। एक बड़ा निर्णय लेते हुए साइबर क्राइम के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी का पदस्थापन किया गया। यह सरकार की साइबर क्राइम के प्रति सीरियसनेस बताता है।

साम्प्रदायिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई। आपने करौली शहर की बात की थी। (व्यवधान) ये क्या इशारों से बात कर रहे हो? इधर देखो न, राठौड़ साहब। सुनना नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ज्यादा छेड़ो मत, ठीक रहोगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी दोस्ती बाद में रखें। माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने करौली शहर की बात की। करौली शहर में वाहन रैली पर पथराव की घटना हो या जोधपुर शहर में जालोरी गेट के चौराहे पर झण्डे लगाने का विवाद हो या उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हो, साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर 100 साम्प्रदायिक तत्वों को गिरफ्तार कर लगभग 5 हजार साम्प्रदायिक तत्वों को पाबन्द किया गया।

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के प्रकरणों में कार्रवाई। पेपर लीक करने, उससे सम्बन्धित षड्यंत्र करने, प्रयत्न करने तक को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया और अपराधियों के लिए अधिकतम सज़ा 10 वर्ष एवं अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ तक का किया गया है। 281 मुलजिम पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।

फायरिंग की घटनाओं की बात है तो सीकर में राजू ठेहट पर फायरिंग का मामला हो या जयपुर में जी-क्लब पर फायरिंग का मामला हो, पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया और अभी लॉरेंस बिश्नोई को पकड़कर ले आयी।

फायर आर्म्स के उपयोग की घटनाओं पर कार्रवाई की बात है तो 275 में चालान पेश हो गया, 11 में एफआर लग गयी और 47 प्रकरण ऐसे थे, जिनमें 173(8) में 175 प्रकरण अनुसन्धान हुए। ऐसे प्रकरणों में 1,551 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामण्डन करने वालों के विरुद्ध भी 11 प्रकरण दर्ज किये गये और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपराध होने पर रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन में 286 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 235 को पाबन्द किया गया और प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का गठन किया गया। यह पहले कभी नहीं हुआ।

विशेष प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई और कठोर सज़ा के मामलों में वर्ष 2022 में गम्भीर अपराधों में मृत्यु दण्ड की सज़ा। अब यह सुनिये आप, कितनी जल्दी फैसले हुए और मृत्यु दण्ड तक पहुंच गये। देखिये साहब, ये तो बातचीत कर रहे हैं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सुन नहीं रहे हैं साहब, ये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चन्द्रभान जी को अपनी सीट पर बैठाएं, साहब। आप अपनी सीट पर विराजें। यूं करने से क्या होगा? वहां बैठें, वहां।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज। राजेन्द्र जी, अपनी जगह पर। मिस्टर आक्या जी, Please be seated. अपनी जगह पर बैठें। गलत परम्परा नहीं। माननीय मंत्री जी, इधर देखकर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नरेला, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, पाली में छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्यु दण्ड की सज़ा दी गयी। महिलाओं के खिलाफ अपराध की सज़ा की दर, 42.50 परसेंट है, जो कि देश की औसत 26.50 प्रतिशत से काफी अधिक है।

महिलाओं पर होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम- बच्चियों व महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु लैब का निर्माण कर 1392 पुलिस अधिकारियों और 181 न्यायपालिका के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सुरक्षा सखी योजना चालू की गयी, जो 26.03.2021 से प्रारम्भ की गयी है। महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों से सम्बन्धित समस्या- अब अपराध की रोकथाम और सकारात्मक संवाद स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2022 तक कुल 17,911 सुरक्षा सखियों का चयन कर लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं साथियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में महिला पेट्रोलिंग यूनिट निर्भया स्क्वाड संचालित है, जिसके द्वारा 4702 प्रिवेंटिव एक्शन व 83 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

बाल महिला एवं दलित अत्याचार किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बदनुमा धब्बा है। वर्तमान में कांग्रेस सरकार इसे समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कई बार समस्त पुलिस अधीक्षकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों की स्वयं बैठक ली और इस प्रकार के अपराधों पर गम्भीर चर्चा करने के साथ-साथ सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से फील्ड अधिकारियों को बताया और पालना के निर्देश दिये।

पुलिस ने 1 लाख 36 हजार लोगों को अपने आधिकारिक जन-जागरण

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

व्हाट्सएप ग्रुप 24955 में जोड़कर लगभग 1702 अफवाहों का खण्डन किया है। यह कभी होता था क्या? अफवाह फैलाने में तो आप लोग मास्टर हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इधर देखें आप। इधर देखकर बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, साहब, आपकी तरफ ही देखूंगा, लेकिन ये अफवाहें फैलाने में मास्टर हैं। ये कभी अफवाहों को रोकेंगे नहीं। हमने किया है यह। राज्य में 34,780 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किये जाकर कुल 30,541 ग्राम रक्षकों को थाना स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य के सभी थानान्तर्गत आज तक कुल 37,291 पुलिस मित्र बनाये जा चुके हैं। प्रत्येक वर्ष में एक-एक पुलिस थाने को आदर्श पुलिस थाने के रूप में विकसित कर वर्तमान में राज्य में कुल 229 आदर्श पुलिस थाने बनाये गये हैं।

सड़क दुर्घटना, इसमें मृत्यु भी एक चिन्ता का विषय है। इसकी रोकथाम के लिए 25 नये डिजिटल इंटरसेप्टर वाहन राज्य के 17 जिलों को आबंटित किये गये हैं।

नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर कुल मिलाकर 4500 किलोमीटर रोड सेफ्टी आडिट करवायी गयी है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु माडल को लागू किये जाने बाबत रोड मैप 2020 तैयार किया गया है। पुलिस को बीपीआर एण्ड बीडी के मापदण्डों के अनुसार अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिसकी मांग कई माननीय सदस्यों ने की है। वे निश्चित तौर पर करवाये जायेंगे और इसके प्रस्ताव भी तैयार कर लिए गये हैं। परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई के साथ संयुक्त रूप से भी कार्यवाही की जायेगी।

आंतरिक सतर्कता-राज्य के पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस की सतर्कता के बाबत बताना चाहता हूं कि कुल 57 डिकाय आपरेशन विभिन्न विभागों में सम्पादित किये गये हैं। विभागीय कार्यवाही में 10 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया, 12 पुलिसकर्मियों को सेवा से पृथक किया गया और 2 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी। आपने पूछा था न कि किसके खिलाफ कार्यवाही हो गई? वर्ष 2022 में राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों पर 105 कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति भी जारी की गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने देखा होगा कि मुख्य मंत्री जी हमेशा यह कहते थे कि हर गलती कीमत मांगती है। हर गलती कीमत मांगती है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन पुलिस के अधिकारी नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, गलत बात है, please be seated. संयम लोढ़ा। अंकित नहीं होगा। संयम लोढ़ा, मिस्टर संयम लोढ़ा, अंकित नहीं होगा। Please don't do it. गलत परम्परा है। Please be seated. नीचे बैठें आप। (व्यवधान) मिस्टर संयम, आप नीचे बैठो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: I will name you. नीचे बैठो, प्लीज। I will name you. सीनियर मैम्बर हो आप। क्या प्रिसीडेंट डाल रहे हैं आप? प्लीज, नीचे बैठें, नीचे बैठें। I say, अंकित नहीं होगा। नीचे बैठें। I am on legs.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय संयम लोढ़ा। नीचे बैठें, माननीय संयम लोढ़ा। नीचे बैठें। बहुत गलत परम्परा है। आप अच्छे विधायक हैं न? यह परम्परा डाल रहे हैं आप? मंत्री ने यील्ड नहीं किया है। क्या सीखा है? नीचे बैठें। प्लीज, नीचे बैठें आप। I will name you otherwise. नीचे बैठें। नीचे बैठें, प्लीज। I will name you otherwise. Don't set a wrong precedent. आप यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। सीनियर मैम्बर हैं, बेस्ट विधायक हैं और ऐसी परम्परा डाल रहे हैं। यू-ट्यूब पर लोग देख रहे हैं। फिर किस बात के बेस्ट विधायक हैं अपन? The Minister has not yielded yet. माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) प्लीज, गलत परम्परा है। आप सीखें। मंत्री जी ने जब यील्ड नहीं किया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जनता के साथ अन्याय करने पर सरकारी कर्मियों को उसी अनुपात में दण्ड दिया जाएगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। नीचे बैठो आप। आप नीचे बैठो। माननीय सदस्य, प्रोब्लम है क्या अपने को? (व्यवधान) आपको प्रोब्लम है क्या? I will not allow you. मिस्टर दिलावर, I will deprive you to participate in the debate. I will not allow you in the House. मिस्टर मदन दिलावर, मेरे को भी प्रीविलेज है, हाउस में आपको जो प्रीविलेज है उसको भी मैं रोकूंगा यदि गलत प्रिसीडेंट डालेंगे तो। बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। सीनियर मैम्बर हैं

(श्री अध्यक्ष)

और पार्टी के पदाधिकारी हैं। क्या परम्परा डालना चाहते हैं अपन? लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास खतम हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज, नीचे बैठें। माननीय मंत्री जी। माननीय संयम लोढ़ा, नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा। प्लीज, नीचे बैठें। यह सदन आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। मिस्टर संयम, आपकी मर्जी से सदन नहीं चलेगा। You can't dictate the minister. आपने अपनी लिबर्टी ले रखी है क्या? बहुत गलत परम्परा डालना चाहते हैं अपन? माननीय मंत्री जी, प्लीज। (व्यवधान) बहुत गलत परम्परा डालना चाहते हैं अपन?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कुल 57 डिकॉय आपरेशन विभिन्न विभागों में सम्पादित किये गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब ये सुनना ही नहीं चाहते तो वाइंड-अप करिये। ये सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वाइंड-अप कर रहा हूं, 3-4 पन्ने हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्सनल score सैटल करना है, but they don't want to react on demands! मंत्री जी, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस कांस्पिरेसी का मुझे पहले से ज्ञान था कि ऐसा होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। मैं आपको बोलने के अधिकार से वंचित करूंगा यदि नहीं सुनना चाहते हो तो। आप भी तो डिमांड पर बोलेंगे? जब मंत्री जी से सुनना ही नहीं चाहते तो मैं उन विधायकों को, जो सुनना नहीं चाहते, उनको बोलने का अवसर भी सदन में नहीं देने का सोचूंगा। माननीय मंत्री जी, please wind-up.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सरकार द्वारा उल्लेखनीय, सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए कुल 412 आउट आफ टर्न प्रमोशन किये गये। वर्ष 2022 में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने वाले 169 पुलिसकर्मियों को विशेष पदोन्नति भी प्रदान की गयी। एएसआई के नवीन दो हजार पदों का सृजन किया गया। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए हमारी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सरकार ने 26 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति देने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की वर्दी की मांग मानते हुए 7 हजार रुपये वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया।

मुठभेड़ में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की सहायता एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी। रोडवेज बसों में स्थायी पास के लिए जो 300 रुपये प्रतिमाह अनुदान सरकार की तरफ से देने का निर्णय किया गया, उसमें 200 रुपये वह देगा, 300 रुपये सरकार देगी और कुल मिलाकर 500 रुपये देने पड़ेंगे।

प्रदेश के सभी पुलिस थानों को पुलिस निरीक्षक स्तर पर अपग्रेड किये जाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा के अनुरूप निरीक्षक के 473 नवीन पदों का सृजन किये जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत स्मार्ट पुलिस इक्विपमेंट श्रेणी में 71 मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट आबंटित किये जाने के निर्देश भी जारी हो गये हैं। बजट घोषणा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर 100 डायल, 112 को जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट के गठन की घोषणा की गयी है। महिला सहायक उप निरीक्षकों के लिए 300 की क्षमता के नवीन हास्टलों के निर्माण हेतु राशि 12 करोड़ 39 लाख 67 हजार रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी गयी है।

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के फैसले से पुलिसकर्मियों में भारी उत्साह है। वेतन विसंगति को दूर किया जाकर पुलिस कांस्टेबलों को भारी राहत दी गयी है। राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से पुलिसकर्मियों के हितार्थ कल्याणकारी कार्यों के लिए राशि रुपये 3 करोड़ 46 लाख 50 हजार 330 की स्वीकृति दी गयी है।

पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 181 पदक प्राप्त किये, जिनमें 60 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 66 कांस्य पदक हैं।

अब मैं एसीबी के बारे में थोड़ा-सा बोल लूं। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टोलरेंस की नीति रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण स्थापित करना सरकार के नीतिगत दस्तावेज में शामिल है। लोकजीवन में शुचिता लाने पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एसीबी को आधुनिक व तकनीकी संसाधनों से लैस करके अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। चाहे ट्रैप के प्रकरण हों या पद के दुरुपयोग के मामले हों, चाहे आय से अधिक सम्पत्ति के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मामले हों, सभी में एसीबी ने प्रभावी कार्यवाही की है और पिछले 4 साल में 1799 मामले दर्ज किये गये हैं, जबकि आपके कार्यकाल में यह आंकड़ा सिर्फ 1695 था।

आपको बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019, 2020, 2021 में राजस्थान की एसीबी का ट्रैप के प्रकरण दर्ज करने व भ्रष्टाचार के कुल प्रकरण दर्ज करने में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान है। आपने एनसीआरबी के कई आंकड़े बताये, पर यह नहीं बताया, तो इसको भी लिखना कि राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान रहा। राज्य के लोक सेवकों के विरुद्ध ही नहीं, अपितु केन्द्र सरकार के लोक सेवकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करते हुए 62 प्रकरण दर्ज किये गये। 'एसीबी आपके द्वार' कार्यक्रम की शुरुआत की गयी जिसमें व्हाट्सएप अथवा हेल्पलाइन से शिकायत या सूचना मिलने पर परिवादी से तुरन्त सम्पर्क कर सम्बन्धित अधिकारियों के पास पहुंच कर यथोचित कार्यवाही की जाती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर जिला स्तर पर, तहसील व ग्राम स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता पैदा की जा रही है।

धन की कमी के कारण आमजन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कराते थे। इसका मूल कारण यह था कि ट्रैप की कार्यवाही के बाद परिवादी की धनराशि न्यायालय के निर्णय तक ब्लाक हो जाती थी। इसके लिए एक करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फंड की स्थापना की गई। वर्तमान में ट्रैप की कार्यवाही के तुरन्त पश्चात् परिवादी को उसके द्वारा दी रिश्वत राशि का तुरन्त पुनर्भरण किया जाता है।

माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे यहां पर ऐसे उठाये हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों का मामला उठाया। राज्य में आदिवासी क्षेत्र उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ में 01 जनवरी, 2022 से आज तक बेटियों को बेचने के उदयपुर जिले में 5 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें 5 पीड़ितों को दस्तयाब किया जाकर के 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर के 3 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है और 2 प्रकरण अभी गैर अनुसंधान ही हैं। आधे दर्जन जिलों में 8 से 18 वर्ष तक की लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने की घटनाएं, राज्य में 1 जनवरी, 2022 से आज तक लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने के सम्बन्ध में जिला झालावाड़ में 2 प्रकरण दर्ज हुए, अनुसंधान के उपरान्त दोनों प्रकरण असत्य पाये गये हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आदमी मिसिंग हो जाते हैं। अगर युवक की उम्र 18 साल से ऊपर है तो टोटल ऐसे प्रकरण 17 हजार 995 थे, उनमें से रिकवरी 13 हजार 261 हुए, तो टोटल रिकवरी 77.57 परसेंट थी। मेल, जो 18 साल के नीचे थे, वे टोटल प्रकरण 2 हजार 513 थे और उसमें से रिकवरी हुए 2 हजार 394, कुल मिलाकर उनकी रिकवरी 96.26 परसेंट आई है। फीमेल में, 18 साल से ऊपर वाली लड़कियों के, 51 हजार 241 प्रकरण हुए, उसमें से 42 हजार 400 रिकवरी हुई और 82.46 परसेंट उसकी रिकवरी निकली।

फीमेल, जो 18 साल से नीचे की थीं, वे 12 हजार 597 थीं, उनमें से 11 हजार 955 रिकवर हो गई, 94.90 प्रतिशत इनकी रिकवरी हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, हो गया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, साहब। अब कई माननीय सदस्यों ने.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे कटौती प्रस्ताव हैं, आप जवाब दे देंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उनका जवाब दे दूंगा, साहब। टाइम खराब करने से, क्योंकि मेरा सारा टाइम तो इन्होंने बिगाड़ दिया। अलावा इसके काम ही क्या है इनका?

श्री अध्यक्ष: आप प्रस्ताव रखिये। आपका रिप्लाई हो गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, साहब, रख रहा हूं। जिस प्रकार चुनौतियों के मध्य हमारे पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं, वह आसान नहीं है। यदि हम एक दिन भी पुलिसकर्मी का जीवन जीकर देखें तो पता लगेगा कि हमारे आपके जैसा हाड़-मांस का यह इंसान सुपरमैन न होते हुए भी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सुपरमैन जैसे कार्य करता है। सरकार प्रदेश में संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

मैं आज आपको राजस्थान पुलिस की ओर से यह पुन: आश्वासन देता हूं कि सेवार्थ कटिबद्धता के ध्येय पर अनुसरण करते हुए राजस्थान और देश की जनता की सेवा में तन-मन से समर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 18 को पारित किया जाए।

मांग संख्या 18-गृह का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-गृह विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 94,00,38,32,000/- (चौरानवे अरब अड़तीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19-कारागार का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19-कारागार विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,06,94,53,000/- (तीन अरब छह करोड़ चौरानवे लाख तिरेपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 01 मार्च 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21:25 बजे बुधवार, 01 मार्च 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

शेरगढ़ में विद्युत ट्रांसफार्मरों की चोरी

214. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2020 से अब तक विद्युत ट्रांसफार्मरों व विद्युत लाइनों की चोरी की वारदातों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो किस-किस पुलिस थाने में, कितने प्रकरण दर्ज हुए? थानेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में से कितनी चोरी की वारदातें पकड़ी गयीं व कितनी सामग्री बरामद हुई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वारदातों को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2020 से अब तक विद्युत ट्रांसफार्मर व विद्युत लाइनों की चोरी की कुल 13 वारदातें दर्ज हुई हैं।

वर्ष 2020 में 2

वर्ष 2021 में 3

वर्ष 2022 में 8

वर्ष 2023 अब तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं।

दर्ज प्रकरणों का वर्षवार व थानावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में से कुल 4 चोरी की वारदातें पकड़ी गई हैं जिनमें 100 मीटर अर्थ केबल व 11 बैटरियां, 290 मीटर केबल, 15 किलोग्राम बिजली का तार, 80 लीटर विद्युत तेल व घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है। बरामद सामग्री का विवरण परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 7 में दर्ज है।

(3) जी हां। विद्युत चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग की अपराध शाखा, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्रों के माध्यम से समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगणों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पटवारियों की मांगों पर समझौता

218. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पटवारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के साथ कोई समझौता हुआ है? यदि हां, तो क्या व कब?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त समझौते को लागू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में पटवारियों के पद रिक्त होने से उनको अतिरिक्त हल्के का कार्य भी करना पड़ रहा है? यदि हां, तो कोटा संभाग में वर्तमान में कितने पटवारियों के पास अतिरिक्त चार्ज है? सरकार उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पटवार संघ की मांगों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक उपरान्त जारी बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.07.2021 अनुसार निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किये जाने का समझौता हुआ:-

1. पटवारी कैडर में व्याप्त स्थिरता (Stagnation) को दूर करने की दृष्टि से राज्य में पदोन्नति का एक और चैनल बनाया जायेगा जिसके तहत राज्य में वरिष्ठ पटवारी का पद सृजन किया जायेगा।
2. पटवारियों को देय अतिरिक्त कार्य भत्ता एवं बहुआयामी भत्ते (Hard Duty Allowance) में देय वर्तमान राशि में 50 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
3. राजस्व विभाग से जुड़ी पटवारियों की गैर-वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि 3 माह में अपनी रिपोर्ट देगी।
4. पटवारियों द्वारा की जा रही हड़ताल एवं आंदोलन के चलते हुए मुकदमों को वापस करने की दृष्टि से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

(2) जी हां। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.07.2021 में अंकित उक्त बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:-

बिन्दु सं. 1:- राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 से वरिष्ठ पटवारी पद का सृजन किया जाकर राजस्व (ग्रुप-2) विभाग के पत्र, दिनांक 18.11.2021 द्वारा 5000 पटवारियों के पदों को वरिष्ठ पटवारी के पदों पर क्रमोन्नत किये जाने संबंधी आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(राजस्व मंत्री)

बिन्दु सं. 2:- राजस्व (ग्रुप-2) विभाग के पत्र दिनांक 10.08.2021 द्वारा पटवारियों को देय विशेष भत्ते की राशि को रु. 1500/- प्रतिमाह से बढाकर 2250/- प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्य भत्ता रु. 2500/- से बढ़ाकर 3750/- किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

बिन्दु सं. 3:- प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन आदेश दिनांक 03.07.2021 द्वारा किया गया। विभिन्न बैठकों में पटवार संघ की गैर-वित्तीय मांगों के संबंध में बिन्दुवार विचार-विमर्श किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

बिन्दु सं. 4:- उक्त बिन्दु के संबंध में गृह (ग्रुप-10) विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2023 द्वारा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को विचारोपरान्त लोकहित में न्यायालय से वापस लिया जा चुका है।

(3) जी हां। कोटा संभाग में वर्तमान में 201 पटवारियों को अतिरिक्त हल्कों का चार्ज दिया हुआ है, जिनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

जिले का नाम	**अतिरिक्त चार्ज वाले पटवारियों की संख्या**
कोटा	53
बून्दी	45
झालावाड़	59
बारां	44
कुल	**201**

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में चयनित 5584 अभ्यर्थियों के पटवारी पद पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे शेष पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी होने के उपरान्त यथासंभव पदस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

बाड़ी कृषि उपज मण्डी की रिक्त भूमि का आबंटन

220. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, बाड़ी में रिक्त भूमि उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि मिनी सचिवालय के निर्माण अथवा सरकारी अधिकारियों के आवास हेतु आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। कृषि उपज मण्डी, बाड़ी में वर्तमान में 6.0379 हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी हुई है। उक्त क्रम में रिक्त पड़ी भूमि के संबंध में जिला कलेक्टर, धौलपुर से उप खण्ड मुख्यालय बाड़ी पर नवीन जिला चिकित्सालय, बाड़ी एवं शेष भूमि मिनी सचिवालय, बाड़ी के नाम आबंटन के प्रस्ताव दिनांक 08.02.2023 को भिजवाये गये हैं, जो वर्तमान में विभाग में प्राप्त हो गये हैं, जिनमें नियमानुसार निर्णय कर आबंटन की कार्यवाही की जाएगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजपत्रित अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति

157. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष एवं राजपत्रित अधिकारियों को 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एसीपी का लाभ दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों में उक्त भेदभाव समाप्त कर समान सेवा अवधि पर एसीपी का लाभ दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार राज्यकर्मियों को 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एसीपी समयबद्ध पदोन्नति दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के अनुरूप राजपत्रित अधिकारियों को भी उक्त सेवा पूर्ण करने पर उक्त लाभ दिये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के कुछ संवर्गों को समयबद्ध पदोन्नति प्रदान की जाती है? क्या सरकार वंचित ऐसे संवर्गों को भी समयबद्ध पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पदोन्नति से वंचित संवर्गों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एवं राज्य सेवा के अधिकारियों को 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एसीपी दिये जाने का प्रावधान है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 155 में वर्ष 1992 में स्वीकृत चयनित वेतनमान की तर्ज पर एसीपी योजना के अन्तर्गत राज्य सेवा सहित समस्त कार्मिकों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति वाले पदों के वेतनमान दिये जाने की घोषणा कर दी गई है। इससे समस्त कार्मिकों को समान सेवा अवधि पूर्ण करने पर एसीपी का लाभ प्राप्त होगा।

इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(वित्त मंत्री)

(2) जी नहीं। राज्य कर्मियों को 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एसीपी/समयबद्ध पदोन्नति दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) राज्य में एलोपेथी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा शिक्षकों को डीएसीपी के रूप में समयबद्ध पदोन्नति प्रदान की जाती है।

अन्य सेवा संवर्गो हेतु समयबद्ध पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन/प्रक्रियाधीन नहीं है।

बालिकाओं की सुरक्षा हेतु प्रदेश में एंटी-रोमियो अभियान

158. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर नगरपालिका मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार महिला उत्पीड़न, प्रताड़ना, बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखकर प्रत्येक उप खण्ड मुख्यालय पर भी महिला पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर नगरपालिका मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोले जाने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून

(गृह मंत्री)

व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(3) प्रदेश के ग्रामीण थाना क्षेत्रों में महिला पुलिस के सहयोग से बालिकाओं की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज, बसों आदि में छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाया जाकर इन्सदादी (निरोधात्मक) कार्यवाही की जाती है।

लूणकरणसर में राजकीय विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा

159. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कितने राजकीय विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सेवा से वंचित सभी राजकीय विद्यालयों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कुल 313 राजकीय विद्यालयों में से 280 विद्यालयों में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है। विद्यालयवार इन्टरनेट सुविधा उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष विद्युत कनेक्शन कार्य की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विद्युत विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य सी.एस.आर., जनसहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(शिक्षा मंत्री)

राजकीय विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट दी जाती है, जिसका उपयोग इंटरनेट सुविधा हेतु किया जा सकता है। विस्तृत दिशा-निर्देश परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व दिशा-निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा संभाग में संचालित संस्कृत महाविद्यालय

160. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग में कितने संस्कृत महाविद्यालय संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर के रटलाई कस्बे में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा संभाग में संस्कृत शिक्षा विभाग के दो राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के रटलाई कस्बे में शास्त्री महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रूपा की नांगल (जयपुर) में फिल्म सिटी योजना हेतु भूमि का आबंटन

161. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-10 द्वारा ग्राम रूपा की नांगल पटवार हल्का-सुमेल जयपुर (पूर्व) में फिल्म सिटी योजना हेतु भूमि अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु अवाप्ताधीन भूमि का भौतिक कब्जा पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी नहीं लिए जाने के फलस्वरूप उक्त अवाप्ति की कार्यवाही व अवार्ड प्रस्ताव निरस्त हो गये हैं? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश एवं अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत उक्त योजना हेतु नवीन अवाप्ति प्रस्ताव

(श्री गजराज खटाणा)

अनुमोदन हेतु विभाग को प्रेषित किये गये हैं? यदि नहीं, तो कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजनान्तर्गत अवाप्त की गई भूमियों को अवाप्ति से मुक्त होने के फलस्वरूप उप पंजीयक प्रथम, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को अवाप्ति भूमि के खसरों पर लगाये गये स्टे (नोट- JDA AVAPTI BHOOMI LIST) को हटाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों व उक्त के लिए कौन जिम्मेदार है तथा अब कब तक स्टे (नोट-JDA AVAPTI BHOOMI LIST) को हटाने हेतु निर्देश जारी कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खातेदारों की अवाप्त भूमि की अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही/अवार्ड प्रस्ताव निरस्त होने के संबंध में विभाग का पत्र परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। व्यावहारिक नहीं पाये जाने के कारण अवाप्ति के नवीन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये।

(3) जी हां। उप पंजीयक प्रथम, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के यहां अवाप्त खसरों में अवाप्ति का नोट के बारे में संज्ञान होने पर पत्रांक 359 दिनांक 02.02.2023 द्वारा उप महानिरीक्षण-प्रथम, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को अवाप्ति का नोट हटाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया (परिशिष्ट-स)। उप पंजीयक कार्यालय द्वारा अवाप्ति के नोट के संबंध में जोन-10 को पूर्व में अवगत नहीं होने के कारण जविप्रा के किसी भी कार्मिक/ अधिकारी द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई है।

(अधिसूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा में रिवर फ्रन्ट योजना

162. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगर निगम क्षेत्र कोटा उत्तर व दक्षिण में अनेक बरसाती व गंदे नाले सीधे चम्बल नदी में गिर रहे हैं? यदि हां, तो नगर विकास न्यास द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित किये जा रहे रिवर फ्रन्ट के प्रारम्भ होने के उपरान्त भविष्य में नालों से दूषित होने से बचाने के

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाये किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कोटा शहर में नमामि गंगे परियोजना (NMCG) के अन्तर्गत चम्बल नदी में गिरने वाले 22 (3 कोटा बैराज के अपस्ट्रीम में व 19 डाउनस्ट्रीम में) गंदे पानी के नालों को चम्बल नदी में छोड़ने से पूर्व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जायेगा। सीवेज शुद्धीकरण के पश्चात् ट्रीटेड पानी को पुन: चम्बल नदी में छोड़ने के कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं। उक्त कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण करवा दिया जायेगा। वर्तमान में रिवर फ्रंट पश्चिम के सभी नालों को ट्रेप कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा ट्रीटमेंट पश्चात् ट्रीटेड पानी को चम्बल नदी में छोड़ा जा रहा है।

सिवांची गेट (जोधपुर) में व्यावसायिक निर्माण

163. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्तमान में सिवांची गेट-प्रताप नगर रोड में एक व्यावसायिक काम्प्लेक्स व रहवासीय बड़े परिसर का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त निर्माण की स्वीकृति एवं भूमि रूपान्तरण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड मकान नं. 2-ब-2 वार्ड सं. 09 जोधपुर पर अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर गैर सायल को नगर निगम जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रथम नोटिस दिनांक 03.08.22 को जारी किया गया। इसके पश्चात् नगर निगम जोधपुर (उत्तर) आदेश दिनांक 26.08.22 गैर सायल को द्वितीय नोटिस जारी किया गया व मौके पर निर्माण कार्य बंद करने की हिदायत दी गई। गैर सायल द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतिक्रमण प्रभारी द्वारा मौका निरीक्षण करने पर गैर सायल श्रीमती सुमन सोलंकी पत्नी महेन्द्र सोलंकी द्वारा G+1 की आवासीय स्वीकृति प्रस्तुत की गई।

निर्माण स्वीकृति एवं मौके पर हुए निर्माण के संबंध में संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता से रिपोर्ट प्राप्त की गई। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार मकान सं. 2-ब-2 की मौके पर ग्राउंड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निर्माणाधीन है। ग्राउण्ड फ्लोर के 9 फीट नीचे बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा है। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मौके पर दो दुकानें बनी हुई हैं, वर्तमान में निर्माण कार्य बंद है। मौके पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं हो रही हैं। निर्माणाधीन भवन के आवासीय/व्यावसायिक उपयोग के संदर्भ में वर्तमान में निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण में आज दिनांक तक गैर सायल सुमन सोलंकी पत्नी महेन्द्र सोलंकी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में नगर निगम जोधपुर (उत्तर) को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैर सायल को अंतिम नोटिस दिनांक 13.02.2023 को जारी किया गया है। निर्माण स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सुन्दर नगर (गंगापुरसिटी) में भूखण्डों के पट्टे

164. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर को वर्ष 2021 में जयपुर रोड पर स्थित सुन्दर नगर के किन-किन भूखण्डधारियों से पट्टा बनाने हेतु कब-कब आवेदन प्राप्त हुए? आवेदनकर्ता का नाम एवं भूखण्ड संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगर परिषद् द्वारा सुन्दर नगर के किन-किन भूखण्डधारियों को अब तक पट्टे जारी किये जा चुके हैं तथा कितनों को किन कारणों से अब तक पट्टे जारी नहीं किये गये? सरकार पट्टे से वंचितों को अब कब तक पट्टा जारी कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् गंगापुरसिटी को वर्ष 2021 में जयपुर रोड पर स्थित सुन्दर नगर भूखण्डधारियों से पट्टा बनाने हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण मय भूखण्ड संख्या, नाम एवं तिथि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद् गंगापुरसिटी द्वारा सुन्दर नगर के भूखण्डधारियों को जारी किये पट्टों का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

शेष लम्बित चार आवेदकों के पट्टे दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त जारी कर दिये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व का कार्य

165. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व का काम प्रारम्भ किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पक्षी विहार कंजरवेटिव रिजर्व से मछली के ठेके बन्द करने के संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व, उम्मेदगंज की वर्ष 2021-22 से 2030-31 तक 10 वर्षों के लिए प्रबंधन योजना मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 27.12.2021 से स्वीकृत किया गया है, जिसकी पालना में वर्ष 2022-23 में कैम्पा योजनान्तर्गत 15 हैक्टेयर हैबिटाट इम्प्रूमेन्ट कार्य तथा 1000 र.मी. में दीवार निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

(2) उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व, उम्मेदगंज में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार उक्त क्षेत्र में मछली पालन ठेके प्रतिबंधित हैं। कंजर्वेशन रिजर्व से बाहर के क्षेत्र में मत्स्य विभाग द्वारा बंध उम्मेदगंज के नाम से ठेका किया जाकर मत्स्याखेट कराया जाता है। इस संबंध में मत्स्य विभाग को उक्त क्षेत्र में पक्षी संरक्षण में सहयोग देने हेतु मत्स्याखेट का ठेका नहीं करने हेतु अनुरोध किया गया है। वन विभाग द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में गश्त कर मत्स्याखेट करने से रोके जाने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

आसीन्द में चरागाह भूमि पर कब्जे

166. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के कई गांवों की चरागाह भूमि पर कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसीलदारों से सर्वे करवाकर उक्त चरागाह भूमि से अवैध कब्जे हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में चरागाह भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। चरागाह भूमि पर हुए अवैध कब्जे की रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की जाने पर सम्बन्धित अतिक्रमी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार बेदखली के आदेश सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा किये जाते हैं। धारा 91 में प्रथम कृत्य के लिए जुर्माना तथा द्वितीय एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमणों के लिए सिविल कारावास तक के दण्ड का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा में चरागाह भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के संबंध में दर्ज एवं निस्तारित प्रकरणों का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार हैः-

तहसील का नाम	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निस्तारण	शेष
हुरड़ा	87	87	0
बदनोर	21	21	0
आसीन्द	65	65	0
माण्डल (आंशिक ग्राम)	11	11	0

अनूपगढ़ के गांवों में श्मशान हेतु भूमि का आबंटन

167. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के किन-किन गांवों में श्मशान और हड्डारोडी हेतु भूमि आबंटित है व ऐसे कितने गांव हैं जिनमें उक्त हेतु भूमि आबंटित नहीं है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त से रहित गांवों में उक्त के लिए भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड अधिकारी घड़साना व अनूपगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील घड़साना, रावला व अनूपगढ़ के चकों में श्मशान और हड्डारोडी हेतु भूमि की स्थिति निम्नानुसार हैः-

(राजस्व मंत्री)

तहसील का नाम	**श्मशान हेतु भूमि आरक्षित/ आबंटित है, के चकों की संख्या**	**श्मशान हेतु भूमि आरक्षित/आबंटित नहीं है, के चकों की संख्या**	**हड्डारोडी हेतु भूमि आरक्षित/ आबंटित है, के चकों की संख्या**	**हड्डारोडी हेतु भूमि आरक्षित/आबंटित नहीं है, के चकों की संख्या**
घड़साना	39	206	30	215
रावला	32	158	16	174
अनूपगढ़	58	242	16	242

सूची परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील अनूपगढ़, घड़साना व रावला के जिन गांवों में श्मशान व हड्डारोडी हेतु भूमि आबंटित नहीं है, उन गांवों में उपलब्ध रकबाराज भूमि श्मशान एवं हड्डारोडी हेतु आरक्षित/आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार भूमि आरक्षित/आबंटन की कार्यवाही की जाती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सूंथला ग्राम (जोधपुर) में भूमि पर अतिक्रमण

168. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम सूंथला पटवार मण्डल गेंवा तहसील जोधपुर में दर्ज खसरा नम्बर 38 गैर मुमकिन खालिया, खसरा नम्बर 84 गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 88 सिवाय चक भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने कब से व कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है? सैटेलाइट सर्वे के आधार पर भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमियों पर अतिक्रमण को हटाने के संबंध में जिला कलेक्टर व सरकार को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब-कब? सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नम्बरों पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा होने के कारण अब तक बेदखल नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अब कब तक उक्त का अतिक्रमण हटा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम सूंथला, पटवार मण्डल गेंवा, तहसील जोधपुर की वर्तमान जमाबंदी में ख.नं. 38 रकबा 1.19 बीघा गै.मु. खालिया, ख.नं. 84 रकबा 0.08 बीघा गै.मु. आबादी व ख.नं. 88 रकबा 19.10 बीघा बारानी चारम भूमि सिवायचक दर्ज है, जिसमें से ख.नं. 88 रकबा 19.10 बीघा भूमि जिला कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक 3735 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा नगर निगम, दक्षिण जोधपुर को हस्तांतरित की गई। जिला कलेक्टर, जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सूंथला का नक्शा लट्ठा अप्रमाणित है एवं मौके पर कोई स्थाई सीमा चिन्ह मौजूद नहीं होने से तथा पास में वन विभाग क्षेत्र स्थित होने से उपरोक्त खसरों की सटीक भौतिक स्थिति का आंकलन किया जाना कठिन है। उक्त भूमियां वर्तमान में नगर निगम, दक्षिण जोधपुर के क्षेत्राधिकार/स्वामित्व में है।

ख.नं. 88 में से लगभग 9-10 बीघा भूमि पर चारदीवारी बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु अतिक्रमी श्री राधेश्याम रंगा, निवासी चौपासनी को नगर निगम, जोधपुर द्वारा दिनांक 15/2/2023 नोटिस जारी किया गया है।

(2) जी हां। मा. मुख्य मंत्री महोदय के जोधपुर प्रवास (दिनांक 09.11.2021 तथा 02.04.2022) के दौरान प्राप्त अभ्यावेदन अनुसार उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। परिवादों को मुख्य मंत्री विशेष प्रकोष्ठ में दर्ज किया जाकर नगर निगम, दक्षिण जोधपुर को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।

स्वायत्त शासन विभाग एवं नगर निगम को प्राप्त परिवाद के क्रम में नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) के पत्र दिनांक 15.02.2023 द्वारा ख.नं. 38, 84 एवं 88 के सीमांकन करवाने हेतु तहसीलदार, जोधपुर के नेतृत्व में टीम गठित किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, जोधपुर को लिखा गया है। जिला कलेक्टर (भू.अ.) जोधपुर के आदेश दिनांक 23.02.2023 (परिशिष्ट-अ) से गठित कमेटी द्वारा सीमांकन कार्य किये जाने के उपरांत अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाकर इन्हें हटाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

डीडवाना में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को सहायता

169. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में विगत पांच वर्षों में अग्निकांड, प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं कहां-कहां घटित हुईं? वर्षवार, घटनावार जनहानि, पशुधन हानि एवं धन-सम्पत्ति, फसल-चारे आदि के नुकसान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुर्घटनाओं में पीड़ितों को अब तक आर्थिक सहायता नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों? लम्बित प्रकरणों की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में वर्ष 2018 से 2022 तक हुई आगजनी, प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में 14 पशु, 62 आवासीय क्षति हुई हैं। मानव एवं फसल-चारे की क्षति नहीं हुई है। विवरण परिशिष्ट- 'अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त घटनाओं में सभी पात्र प्रभावितों को एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता राशि रुपये 12.91 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(3) सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

युवाओं को खेलों हेतु प्रोत्साहन की संचालित योजनाएं

170. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु युवाओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिए समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least one Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा संख्या 62 की अनुपालना में ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 का आयोजन किया गया है एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में आगामी वर्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन और वृहद् स्तर पर किये जाने की घोषणा की है।

राशमी (चित्तौड़गढ़) आई.टी.आई. का भवन निर्माण

171. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आई.टी.आई. खोलने के मानदण्ड व नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उप खण्ड मुख्यालय भोपालसागर में आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि आई.टी.आई. भवन राशमी को बनाने की समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात् भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समय पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संवेदकों को ब्लैक लिस्टेड करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आईटीआई खोलने के लिए राज्य सरकार के कोई नियम व मानदण्ड निर्धारित नहीं होकर महानिदेशक (प्रशिक्षण), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संबद्धता हेतु नियम एवं मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो राज्य में भी लागू हैं। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता तथा गुणावगुणों के आधार पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन राजकीय आईटी.आई. खोले जाने का निर्णय लिया जाता है।

(3) जी हां। कार्यकारी निर्माण एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, सानिवि, खण्ड चित्तौडगढ़ के पत्र (परिशिष्ट-2) अनुसार अनुबन्ध अनुसार उक्त कार्य को प्रारम्भ करने की दिनांक 21-04-2017 को एवं कार्य पूर्ण करने की दिनांक 20-04-2018 निर्धारित थी, परन्तु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त कार्य का साइट प्लान श्रीमान् मुख्य वास्तुविद, सानिवि, राज., जयपुर के पत्रांक 2327 दिनांक 02.05.2017 द्वारा अनुमोदित करने हेतु भिजवाया गया था, लेकिन श्रीमान् मुख्य वास्तुविद, सानिवि, राज., जयपुर द्वारा साइट प्लान में आवश्यक परिवर्तन हेतु सुझाव देने के पश्चात् पुनः संशोधित साइट प्लान श्रीमान् मुख्य वास्तुविद, सानिवि, राज., जयपुर को पत्रांक 2425 दिनांक 12.06.2017 को भेजा गया था।

शैड बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ड्राइंग एम.एन.आई.टी. से दिनांक 28-08-2017 को अनुमोदित होने के पश्चात् शैड बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ड्राइंग श्रीमान् मुख्य वास्तुविद, सानिवि, राज., जयपुर से दिनांक 03-10-2017 से स्वीकृत होने के उपरांत संवेदक को लेआउट दिया गया एवं संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया।

विभागीय अधिकारियों एवं संवेदक द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया तथा साइट की आवश्यकतानुसार कार्य का एक्स्ट्रा एवं एक्सेस आइटम की स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को भिजवाया गया, जिसकी सक्षम स्वीकृति दिनांक 26-02-2021 को प्राप्त हुई।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

माह मार्च, 2020 एवं मार्च, 2021 कोविड-19 महामारी के कारण लॉक डाउन लगने से लेबर तथा सामग्री की आपूर्ति बाधित रहने से कार्य की प्रगति बाधित रही।

वर्तमान में 30.01.2023 को राजकीय औप्रस राशमी का भवन हस्तान्तरित किया जाकर प्रशिक्षण स्वयं के भवन में प्रदान किया जा रहा है। (परिशिष्ट 03)

(4) जी नहीं। कार्यकारी निर्माण एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता, सानिवि, खण्ड चित्तौड़गढ़ के पत्र (परिशिष्ट-2) अनुसार उक्त भवन निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से बाधित होने के कारण भी संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं दिनांक 06-08-2022 को प्रशासनिक भवन एवं 30-01-2023 को शेष पूरा भवन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया।

भवन निर्माण में होने वाले विलम्ब के लिए विभाग द्वारा संवेदक के पार्ट में रहे विलम्ब के दिनों की गणना पश्चात् समयावधि प्रकरण की सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के पश्चात् आरोपित शास्ति की वसूली की जायेगी। अतः संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर दिये जाने से संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही नहीं की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में बेरोजगारों का पंजीयन

172. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा) में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने बेरोजगार युवाओं का पंजीयन रोजगार कार्यालय में हुआ है? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में रोजगार देने हेतु विगत चार वर्षों में कहां-कहां, कितने-कितने शिविरों का आयोजन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिविरों के आयोजन से क्षेत्र के कितने बेरोजगार युवा लाभान्वित हुए? लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा) में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 1495 बेरोजगार आशार्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन जिला मुख्यालय पर ही किया गया है। रोजगार कार्यालय, भीलवाड़ा के द्वारा दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 27 रोजगार सहायता शिविरों का जिला मुख्यालय पर आयोजन किया गया है।

(3) रोजगार कार्यालय, भीलवाड़ा के द्वारा दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 27 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन कर 1,485 बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसरों हेतु प्राथमिक चयनित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवीन महाविद्यालयों के भवन हेतु बजट का आबंटन

173. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में कितने नवीन महाविद्यालय कहां-कहां खोलने की घोषणा की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नवीन महाविद्यालयों के लिए कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई व कितने महाविद्यालयों को नवीन भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालयों के लिए कितने बजट का आबंटन किया गया है व कितना व्यय किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में 200 स्थानों पर नवीन महाविदयालय खोलने की घोषणा की गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविदयालयों हेतु आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त महाविदयालयों में से 08 महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित हैं।

(3) वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक उक्त महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 464.88 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है, जिसमें से राशि रुपये 251.24 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन में संचालित निजी महाविद्यालय

174. श्री पदमाराम (चौहटन): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वर्तमान में कितने निजी महाविद्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में निजी महाविद्यालयों में भौतिक संसाधन एवं पर्याप्त स्टाफ नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालयों में कितने शैक्षणिक पद सृजित हैं व उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में वर्तमान में 09 निजी महाविद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निजी महाविद्यालयों में भौतिक संसाधन एवं पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने का दायित्व स्वयं निजी महाविद्यालयों का है।

विधान सभा क्षेत्र चौहटन में निरीक्षण के दौरान 03 महाविद्यालयों में भौतिक संसाधन कम पाये गये तथा 04 महाविद्यालयों में स्टाफ पर्याप्त नहीं मिलने पर नियमानुसार महाविद्यालयों पर 19 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गयी तथा नियमानुसार भौतिक संसाधन एवं पर्याप्त स्टाफ हेतु निर्देशित किया गया।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित राजकीय महाविद्यालय, चौहटन एवं राजकीय महाविद्यालय, सेडवा (सोसायटी) में पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना जंक्शन (नागौर) में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

175. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 500 से अधिक बालिकाओं के अध्ययनरत होने पर वहां कन्या

(श्री विजयपाल मिर्धा)

महाविद्यालय खोलने की योजना है? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में कितने महाविद्यालय खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डेगाना के डेगाना जंक्शन में कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 500 से अधिक बालिकाओं के अध्ययनरत होने पर वहां कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई योजना नहीं है बल्कि वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा अर्थात् "आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जावेगा" की गई। (परिशिष्ट-1)

उक्त घोषणा की अनुपालना में 09 कन्या महाविद्यालय खोले गए, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। साथ ही ऐसे बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निकट स्थित महाविद्यालयों में कला संकाय में 02 अतिरिक्त वर्ग स्वीकृत किये गये हैं। राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर व राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में 4-4 अतिरिक्त वर्ग खोले गये हैं।

(2) जी हां। वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में डेगाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालपुरा में श्रमिक कार्ड

176. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी किये जाने के क्या-क्या प्रावधान हैं? उक्त कार्डधारियों को क्या-क्या सुविधाएं व लाभ मिलता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप खंड मालपुरा व टोडारायसिंह में

(श्री कन्हैया लाल)

माह जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक कितने श्रमिक कार्ड जारी किये गये? उप खंडवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 18 से 60 वर्ष के श्रमिक जो पिछले 12 माह में भवन अथवा अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित रहे हैं, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीयन के पात्र हैं।

निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों हेतु लागू योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग का पंजीयन व योजना संबंधित कार्य विभाग के ऑनलाइन पोर्टल एलडीएमएस पर संचालित किया जाता है। विभागीय पोर्टल एलडीएमएस पर पंजीयन की सूचना उप खंडवार संधारित नहीं होती है। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक 4,564 पंजीयन आवेदन स्वीकृत हुए जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 18-गृह पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 18-गृह के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

1. विधान सभा क्षेत्र नदबई की पुलिस चौकी गहनोती को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. मुख्यालय उच्चैन में वृत्ताधिकारी नदबई, उच्चैन, बयाना को सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र नदबई में डहरा मोड़ हाईवे पर नवीन थाना खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र नदबई के एचेरा, अखेगढ़ व पिथूना में नवीन पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
5. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवाओं में भी विभागीय पदोन्नति (DPC) किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

6. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में सिंचाई चोरी रोकने के लिए पुलिस थाने खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

7. सिद्धमुख कैनाल से पानी की चोरी की रोकथाम हेतु पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

8. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम-मुबारिकपुर, मालपुर बांबोली एवं ग्राम-खूंटेटा कलां में नवीन पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

9. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पुलिस थानों एवं यातायात ट्रैफिक में नफरी बढ़ाने तथा पुलिस चौकियों व थानों के भवनों हेतु निर्माण राशि स्वीकृत करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

10. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पुलिस थानों के भवनों की मरम्मत, रिक्त पदों को भरने तथा बढ़ते अपराध व नशीले पदार्थों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

11. विधान सभा क्षेत्र आहोर के शंखवाली गांव को आहोर थाने से जोड़ने के क्रम में जो भौगोलिक दृष्टि से अति आवश्यक है, के संबंध में चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भाद्राजून थाना आहोर थाना, बागरा नोखरा थाना में दर्ज चोरी के मुकदमों में पेश हुए चालानों के संबंध में चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र आहोर में उप अधीक्षक (CO) कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी, पावटा, भूती में पुलिस चौकी खोलने एवं उम्मेदपुर में पुलिस थाना खोलने के क्रम में चर्चा के लिए।

15. राज्य में वाहन दुर्घटना की रोकथाम हेतु नवाचार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

16. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में जैरोली में पुलिस चौकी, मदीना में पुलिस थाना, पुलिस लाइन भिवाड़ी में निर्माण कार्य तथा शेखपुर थाने के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

17. विधान सभा क्षेत्र नगर में पुलिस चौकी जालूकी को थाने में क्रमोन्नत करने तथा पुलिस थाना भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

18. विधान सभा क्षेत्र करौली में कोटरी ग्राम में पुलिस चौकी, उप तहसील कटकड़ में पुलिस थाना की आवश्यकता तथा पुलिस थानों में नई गाड़ियों की व्यवस्था तथा मासलपुर में वृत्त कार्यालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

19. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में चोरियां, डकैती, लूट, हत्या, अपराध में लगातार बढ़ोतरी होने व पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पूर्व में संचालित पुलिस चौकी बलाड़ा व नवीन स्वीकृत पुलिस चौकी टूकड़ा को पुलिस थाना आ.कालू क्षेत्राधिकार में रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र जैतारण मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी होमगार्ड को 12 महीने तक लगातार ड्यूटी देने से उत्पन्न स्थिति व उनके वेतनमान में बढ़ोतरी करने, पुलिस कर्मियों के वेतनमान में बढ़ोतरी करने व उनकी मांगों पर स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

23. जयपुर जिले में फागी उप खण्ड मुख्यालय पर नवीन उप अधीक्षक कार्यालय, उप खण्ड मौजमाबाद के ग्राम मौखमपुरा में नवीन पुलिस थाना खोलने तथा जयपुर ग्रामीण के पुलिस थाना नरेना, दूदू, मौजमाबाद, फागी में स्वीकृति के अनुरूप कार्मिक लगाने के क्रम में चर्चा के लिए।

24. राज्य में पुलिस कांस्टेबलों के वेतन में वृद्धि करने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

25. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के बड़े कस्बों मारवाड़ जंक्शन, रानी खिवाड़ा, जोजावर, अऊबा तथा कन्टालिया में रात्रि गश्त प्रारम्भ कराये जाने तथा होमगार्ड के कार्य दिवस बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. राज्य में होमगार्ड के प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण योजना को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

27. अलवर शहर में पुलिस थानों में अत्याधुनिक हथियार एवं नये वाहन उपलब्ध कराने, अखैरपुरा चौकी, अलवर शहर को थाने में क्रमोन्नत करने तथा अलवर शहर के थानों में पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

28. राज्य में पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे 3600 रुपये किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
29. राज्य में पुलिस कार्मिकों का ड्यूटी टाइम अन्य कर्मचारियों की भांति निर्धारित करने एवं साप्ताहिक अवकाश दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
30. राज्य में पुलिस उप निरीक्षक सीधी भर्ती में विभागीय कार्मिकों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
31. राज्य में पुलिस कार्मिकों को दिये जाने वाले विभिन्न भत्ते यथा-मैस भत्ता, जोखिम भत्ता, वर्दी भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, यात्रा भत्ता, दुपहिया वाहन भत्ता इत्यादि में बढ़ोतरी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

32. नोखा वृत्ताधिकारी क्षेत्र के पुलिस थानों नोखा, जसरासर एवं पांचू में रिक्त पद भरने हेतु चर्चा के लिए।
33. राज्य में पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे 3600 करने के संबंध में चर्चा के लिए।
34. विधान सभा क्षेत्र नोखा के पांचू पुलिस थाना क्षेत्र में कक्कू गांव में पुलिस चौकी (मय वाहन) खोलने पर चर्चा के लिए।
35. प्रदेश में कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक की लम्बित पदोन्नतियां तत्काल करने पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

36. प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के संबंध में चर्चा के लिए।
37. प्रदेश में पुलिस कर्मियों के दुराचरण व आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
38. पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार एवं चोरी की घटनाओं में शीघ्र बरामदगी की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
39. पुलिस कार्मिकों में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

40. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में तुलसीवन रोड बाड़ी पर नवीन पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

41. पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती, पुलिस कर्मियों की वेतन श्रृंखला में बढ़ोतरी तथा पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्या दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

42. सिवाना उप खण्ड मुख्यालय पर पुलिस वृत्त अधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र सिवाना का मुख्य कस्बा-खंडप एवं होडू में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या आबादी के आधार पर पुलिस विभाग में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. प्रदेश में पुलिस विभाग में अधिकारियों की डीपीसी के अनुरूप सिपाही वर्ग की भी डीपीसी करने एवं आधे पद पदोन्नति से भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के थानों के सीमांकन के लिए विधान सभावार, ग्राम पंचायतवार एवं पंचायत समितिवार सीमा निर्धारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

47. प्रदेश में पुलिस द्वारा युवाओं में नशा प्रवृत्ति रोकने की पहल कर अभियान चलाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

48. राज्य में संबंधित पुलिस थानों में फरियादी (पीड़ित) से घटना स्थल पर जाने के लिए साधन मांगने की प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

49. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छीपाबड़ौद हाट मोहल्ले में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. छीपाबड़ौद में उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

51. राजस्थान में पुलिस रेन्ज आईजी के कार्यालय बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

52. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पुलिस थाना मांडवा के तहत ग्राम लालगढ़ में पुलिस चौकी खोलने तथा थानों में पुलिसकर्मी तथा यातायात कर्मी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

53. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन की नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन एवं क्षेत्र रानी में ट्रैफिक पुलिस के स्थायी पदों की स्वीकृति तथा पुलिस थाना हल्का सिरियारी के अन्तर्गत करमाल पर स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

54. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के सुकेत पुलिस थाने में अत्याचार के संबंध में दर्ज प्रकरण में एफआईआर नं. 0364 में एफआर लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

55. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम खोहरा कलां व खोहरा खुर्द को हनुमान नगर पुलिस थाने से हटाकर पुलिस थाना जहाजपुर से संबद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पुलिस थाना कोटड़ी में दर्ज प्रकरण संख्या 104/2010 तथा 145/2015 में चालान पेश नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विधायक/सांसद कोष से पुलिस थानों में निर्मित स्वागत कक्षों के लोकार्पण की स्वीकृतियां जारी कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पुलिस थाना हनुमान नगर व कोटड़ी में पुलिस निरीक्षक के स्थान पर पुलिस उप निरीक्षक के पदस्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पुलिस थाना शक्करगढ़, जहाजपुर, हनुमान नगर, पन्डेर कोटड़ी तथा पारोली में एस.सी./एस.टी. के दर्ज प्रकरणों में एस.सी./एस.टी. कोर्ट से आर्थिक सहायता नहीं दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

60. भीलवाड़ा जिले में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल):

61. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के उप खण्ड झाड़ोल के लुणावतों का खेडा में पुलिस चौकी की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के पुलिस थाना झाड़ोल, ओगणा, पानखा, फलासिया, कोटड़ा तथा माण्डव के पुलिस कर्मियों हेतु आवास निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

63. प्रदेश में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में गृह विभाग में 10 वर्ष से पुराने वाहनों को बदलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में अपराधों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु विशेष प्रभावी कार्ययोजना बनाकर लागू किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सभी थानों में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

68. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के बरलूट पुलिस थाने के चर्चित देवासी हत्याकांड में निर्दोष युवाओं को फंसाने के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ डीआईजी की जांच रिपोर्ट के बाद भी मुकदमा दर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

69. सिरोही जिले के कैलाश नगर में नया पुलिस थाना खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

70. जिला सिरोही में शिवगंज में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

71. सिरोही जिले में पुलिस कांस्टेबलों, हैड कांस्टेबलों एवं सहायक उप निरीक्षकों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

72. सिरोही जिले में आपराधिक मुकदमों में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच न करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

73. विधान सभा क्षेत्र कपासन के थाने में तस्करी में जब्तशुदा वाहनों की नीलामी पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र कपासन के मातृकुण्डिया एवं शनि महाराज (आली) में नई पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राशमी पुलिस थाने के लिए नवीन भवन बनाने के लिए राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. प्रदेश में हो रही चोरी, लूट, डकैती, हत्या, गोली काण्ड, दुष्कर्म एवं अपहरण की घटनाओं की रोकथाम हेतु चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बहने वाली बनास नदी से अवैध बजरी खनन को रोकने हेतु उचित पुलिस प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

78. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बकानी में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के थाना खानपुर के अन्तर्गत सूमर में पुलिस चौकी खोलने तथा खानपुर में चोरियों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

80. कोटा जिले के विभिन्न थानों में वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण न होने से पनप रहे भ्रष्टाचार व पुलिस कर्मियों द्वारा मिलीभगत से किये जा रहे अवैध कार्यों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

81. कोटा जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों में समयावधि में जांच पूर्ण न कर चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित पुलिस थानों में स्वीकृत पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नई पुलिस चौकियां खोलने हेतु चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग व सामान्य वर्गों की महिलाओं के साथ आये दिन हो रही दुष्कर्मों की घटनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

85. कोटा में पुलिस आयुक्तालय की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

86. राजस्थान पुलिस कर्मियों की ग्रेड-पे और देय भत्तों में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. कोटा में साइबर थाने के आधुनिकीकरण तथा साइबर तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

88. कोटा शहर के संजय गांधी नगर में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

89. जालौर शहर के मध्य स्थित रिजर्व पुलिस लाइन को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र जालौर के पुलिस थानों एवं चौकियों में समस्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं पर्याप्त नफरी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र जालौर में लगातार हो रही चोरियों का पर्दाफाश करने एवं चोरियों पर अंकुश लगाने तथा चोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र जालौर के समस्त पुलिस थानों, पुलिस चौकियों एवं विभिन्न कार्यालयों की कार्य क्षमता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र जालौर के पुलिस थानों एवं चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

94. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के मंगलवाड़ में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के मंगलवाड़, सांवलिया, डूंगला, निकुम, बड़ी सादड़ी, धमोतर, देवगढ़, रढ़ाजणा आदि थानों में रिक्त पदों को भरने हेतु चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

96. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की भट्टाणा पुलिस चौकी, मण्डार थाना, रीको आबू रोड थाना के गुजरात राज्य से अटेच सीमा क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी में प्रभावी पुलिस कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पंचायत समिति आबू रोड की पुलिस चौकी गिरवर की पुलिस थाने में क्रमोन्नति तथा पंचायत समिति रेवदर के ग्राम रायपुर में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. पुलिस थाना आबू रोड (रीको) के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. जयपुर के खो-नागोरियान थाने में फर्जी, कूटरचित दस्तावेजों से भूखण्ड हड़पने के लिए जेसीबी से नींव सहित बाउण्ड्रीवाल उखाड़ने वाले पुलिस कर्मी के विरुद्ध 26.12.2022 को दर्ज परिवाद में पुलिसकर्मी के कूटरचित फर्जी दस्तावेजों की लम्बित जांच व दोषी भू-माफिया प्रकृति के पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गत चार वर्षों के दौरान हुई चोरी-डकैती में माल बरामदगी नहीं होने व चोर डकैतों के पकड़ में नहीं जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

101. भीलवाड़ा शहर में अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. भीलवाड़ा शहर में नशाखोरी की प्रवृत्ति को रोकने एवं नवयुवकों में नशा करने की बढ़ती हुई आदत को रोकने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. भीलवाड़ा शहर एवं जिले में सट्टेबाजी एवं ब्याजखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने तथा विशेष अभियान चलाकर इसकी रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. भीलवाड़ा शहर में गांधी नगर एवं चपरासी कॉलोनी में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

105. विधान सभा क्षेत्र मावली के देबारी में पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र मावली में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र मावली में साइबर क्राइम रोकने में विफलता व मोबाइल चोरी की घटनाओं में बरामदगी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र मावली के मावली, फतहनगर, घासा, डबोक व प्रताप नगर थानों में नफरी के अनुपात में पुलिसकर्मी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत ढूंढिया व इण्टाली (मावली) को वल्लभनगर थाने के स्थान पर फतहनगर थाना क्षेत्र में शामिल किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू):

110. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा (आबू) के पुलिस थाना रोहिड़ा का क्षेत्र बहुत अधिक होने से आकुरों के गांव पाबा, खेजड़ा व अन्य गांवों को निचलागढ़ थाने में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा (आबू) में निचलागढ़ पुलिस चौकी के स्थान पर थाना खोलने तथा बसन्तगढ़ व ईशरा में पुलिस चौकी की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

112. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कोचरी चीखली, बोडामली सीमलवाड़ा एवं पाडली गुजरेश्वर झोथरी में नवीन पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. विगत तीन पुलिस कांस्टेबल भर्तियों में अनारक्षित पदों पर अनुसचित क्षेत्र के आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के आदिवासी बहुल क्षेत्र में परम्पराागत महुआ की देशी दारू को लेकर मुकदमा दर्ज किये जाने तथा आदिवासी संस्कृति परम्परा के विरोध में हो रहे कार्यों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

115. विधान सभा क्षेत्र भादरा के गांधीबड़ी (थाना भिरानी) व सोनी मार्केट, भादरा शहर एवं डूंगराना उप तहसील में पुलिस चौकियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भिरानी थाने के पुराने जर्जर भवन के पुनर्निर्माण हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र भादरा के पुलिस थाना परिसर में 40 पुलिस कांस्टेबल व सीआई के आवास हेतु बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र भादरा में पुलिस उपाधीक्षक के लिए नये भवन के निर्माण के लिए बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

119. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के बारापाल गांव, घाट ग्राम पंचायत में पुलिस चौकी खोले जाने, सरू क्षेत्र को परसाद थाने से टीडी थाने में स्थानान्तरित करने तथा थानों में सभी रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

121. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की कोटड़ी चौकी (अरनोद थाना) को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अरनोद उप खण्ड कार्यालय में नवीन उपाधीक्षक कार्यालय में अरनोद, हथुनिया सालमगढ़ व सुहरापुरा थानों को इसमें सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के रठांजला, धमोतर थाना, महिला थाना तथा देवगढ़ पुलिस थानों को अरनोद उपाधीक्षक कार्यालय में सम्मिलित करने, जाखम चौकी को जाखम बांध पर स्थापित करने तथा रिजर्व पुलिस लाइन में भेजे गये कार्मिकों को फील्ड पोस्टिंग दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

124. प्रदेश में पुलिस कार्मिकों की ग्रेड-पे में वृद्धि करने, भत्ते बढ़ाने व ड्यूटी 8 घण्टे प्रतिदिन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पुलिस थाना टोडारायसिंह का नवीन भवन एवं स्टाफ फैमिली क्वाटर्स का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में आरएसी की अस्थायी पोस्टों हेतु भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के डिग्गी कस्बे में स्थित पुलिस चौकी के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

129. प्रदेश में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों, नागौर जिले में चोरी, डकैती एवं लूट के प्रकरणों पर रोक लगाने, प्रदेश में जगह-जगह दिन दहाड़े हत्या करने के मामलों, महिला अत्याचार के प्रकरणों में हो रही बढ़ोतरी में कमी लाने एवं पुलिस थानों में नये वाहनों की खरीद तथा थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

130. विधान सभा क्षेत्र नोहर के पुलिस थाना नोहर, पल्लू, खुईया एवं फेफाना में संसाधनों तथा नफरी में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र नोहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप अधीक्षक कार्यालय तथा कार्मिकों के आवास भवन निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र नोहर के पुलिस थाना पल्लू को पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय नोहर के अधीन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र नोहर के पुलिस थाना नोहर में दर्ज एफआईआर 537/17 में अभी तक खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

134. नहरी पानी चोरी निरोधक पुलिस थाना (सिंचाई थाना) नोहर में संसाधनों एवं नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

135. विधान सभा क्षेत्र बस्सी-जयपुर के बांसखोह, पाटन एवं सांभरिया में नई पुलिस चौकी खोलने तथा जटवाड़ा चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने, पुलिस थानों में स्टाफ, वाहन एवं आवासीय सुविधाओं में वृद्धि करने तथा पुलिस की कार्यप्रणाली तथा व्यवहार में सुधार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

136. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के एनएच 62 पर ग्राम ढोला में नया पुलिस थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के मणिहारी व खौड़ गांवों में संचालित पुलिस चौकी को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में विवेकानन्द बस स्टैण्ड के पास हाउसिंग बोर्ड में नवीन पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर 1/4 से 1/20 करने अथवा पुलिस थाने में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में नवीन ट्रैफिक पुलिस चौकी 1/4 स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

141. प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस को अत्याधुनिक उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम एवं बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. पुलिस कार्मिकों की ग्रेड-पे बढ़ाने, समय पर विभागीय पदोन्नति का लाभ दिए जाने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने, मैस भत्ता, वर्दी भत्ता एवं साइकिल भत्ते के स्थान पर 30 लीटर पेट्रोल सहित अन्य मांगों पर विचार कर सकारात्मक निर्णय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. नशाखोरी एवं बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सांकड़ में नया पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. पुलिस थाना रानीवाड़ा के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

146. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में आने वाले पुलिस थाना, लोहावट, मातोड़ा, देचू व भोजासर की सीमाओं का परिसीमन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र लोहावट के तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय स्टेट हाईवे पर स्थित पुलिस चौकी आऊ को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

148. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के रामसीन, मुगड़ा एवं जैरला को पुलिस थाना बालोतरा के कार्य क्षेत्र में देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल एवं पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाने एवं अधिकारियों व कार्मिकों को तकनीकी तथा शारीरिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में यातायात पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जक्शन):

153. पाली जिले में स्थित सीमेंट फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार न देने से उनमें व्याप्त आक्रोश तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

154. श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर थाना के अन्तर्गत नई धर्मास कितासर भाटियाण व सेरूणा थाना के पूनरासर में पुलिस चौकी खोलने, सूडसर उप तहसील पुलिस चौकी को प्रथम श्रेणी बनाई जाने तथा ट्रैफिक स्टाफ लगाये जाने, पुलिस कर्मचारियों को दूसरे राज्य कर्मचारियों के समान वेतन दिये जाने तथा होम गार्ड जवानों को 30 दिन का रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

155. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पुलिस थाना गिंगला का भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पुलिस थानों में तस्करी में जब्तशुदा वाहनों की नीलामी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में थरदा, इड़ाणा, खैराड़, झाड़ोल व ईटाली खेड़ा में नई पुलिस चौकी खोलने तथा जयसमंद पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में हो रही चोरी, लूट डकैती, हत्या, गोली काण्ड, दुष्कर्म, अपराध, मारपीट एवं बाल तस्करी की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गोमती नदी, झामरी नदी, टिडी नदी, सोम कामला बांध में अवैध बजरी खनन को रोकने में विफल पुलिस प्रबंधन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

160. विधान सभा क्षेत्र चूरू में बढ़ते अपराधों/चोरियों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र चूरू में नये पुलिस थाना एवं चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. प्रदेश में कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के लम्बित पड़े हुए पदों की पदोन्नति तत्काल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र चूरू में विभिन्न पुलिस कार्मिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. प्रदेश में कांस्टेबलों की ग्रेड-पे बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

165. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के चौरासी थाने का भवन नहीं बनने एवं निर्धारित आबंटित भूमि पर जाने के लिए सड़क स्वीकृति हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. जिला डूंगरपुर में पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर की जा रही नाकाबंदी के नाम पर मजदूर वर्ग के किये जा रहे चालानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

167. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पुलिस थाना श्रीनगर में स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत एवं नये क्वार्टरों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

168. नसीराबाद शहर थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

170. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में अवैध कारोबार, सट्टा और माफिया पनपने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

171. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जनसंख्या के घनत्व के अनुपात में पुलिस थानों में नफरी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

172. जयपुर जिले में लापता युवतियों व महिलाओं की बरामदगी नहीं होने तथा चौमूं थाना क्षेत्र से लापता दो महिलाओं को अभी तक पुलिस द्वारा बरामद नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पुलिस चौकी हस्तेड़ा व जायवाली को थाने में क्रमोन्नत करने तथा किशनमानपुरा व मंडा रीको में पुलिस चौकी स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में हो रही चोरी, लूट, डकैती एवं हत्या की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के पुलिस थाना सामोद में दर्ज चौमूं, चन्दवाजी टोल आंदोलन उपरान्त दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

176. विधान सभा क्षेत्र मकराना के नगरपालिका बोरावड़ में नवीन पुलिस थाना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

177. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में ओसियां थाना अन्तर्गत नई पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

178. प्रदेश में पुलिस विभाग को दिये जाने वाले संसाधन, वाहन एवं अत्याधुनिक हथियार पर्याप्त नहीं होने तथा पुलिस नफरी को पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में पुलिस की कार्य प्रणाली पर होने वाले विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पुलिस नफरी कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

180. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे दलित उत्पीड़न, गैंगरेप, हत्या एवं महिला अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पुलिसकर्मियों को पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाने एवं रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में चोरी एवं नकबजनी लूटपाट की वारदातों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

183. प्रदेश में पुलिस की मिलीभगत से नारकोटिक्स के बढ़ते अपराध से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

184. प्रदेश में पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

185. प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति के कारण अपराध स्वरोजगार बनने व पुलिस के मूक दर्शक बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

186. प्रदेश में पनपते माफिया राज पर नियंत्रण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

187. राज्य में एसीबी द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़े जाने पर उनके कटआउट शासन सचिवालय एवं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हेतु लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

188. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के ल्हास एवं आमेढ़ा में नयी पुलिस चौकियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में चुरेलिया एवं कोल्डूखेड़ी कला में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

190. विधान सभा क्षेत्र डग के उमरिया मध्यप्रदेश सीमा पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र डग के डोड़ी या पड़ासली में मध्यप्रदेश सीमा पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. झालावाड़ जिले में निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने, आम आदमी को चालान के नाम पर परेशान करने तथा डग विधान सभा क्षेत्र में

मिसोली थाने में लगातार 24 घण्टे चालान बनाने व मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 में गाड़ियां जप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र डग के धुधालिया में थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मंडी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

195. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के कांकरी डूंगरी प्रकरण में निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने तथा सीबीआई जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. डूंगरपूर जिले में पुलिस द्वारा चालान के नाम पर गरीब आदिवासियों को परेशान करने, जनसंख्या अनुपात में पुलिस थाना व चौकियों में कर्मचारी लगाने तथा पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

197. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में तेल फैक्ट्री स्थित पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की ग्राम पंचायत आटोन तहसील अटरू में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में पुलिस चौकी बाडोरा को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. बारां नगर परिषद् क्षेत्र में नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

201. विधान सभा क्षेत्र बाली के उप खण्ड मुख्यालय देसूरी में नव पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र बाली में मुण्डारा, कोठार, ढालोप, आदि में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र बाली के समस्त थानों के क्षेत्रों व गांवों का पुनर्गठन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. पुलिस विभाग में कार्यरत कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल व अन्य पदों की वेतन विसंगति दूर करने तथा ग्रेड-पे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. पाली जिले में पिछले 3 वर्षों में हुई लूट डकैती, हत्याएं इत्यादि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

206. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरड़ा के रतनपुरा चौराहा तथा पाटन जो कि पुलिस थाना बदनोर से अधिक दूरी पर स्थित है, पर नवीन पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के भादसी गांव में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

208. विधान सभा क्षेत्र ओसियां के ओसियां थाना में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

209. पाली जिले में बिना लाइसेंस के भारी ब्याज पर गिरवी एवं उधार पैसे देने के कार्य में लगे बाहुबलियों के विरुद्ध अभियान चलाकर इसकी रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. पाली शहर की शहीद भगतसिंह नगर (बी.पी.एल. क्वाटर्स) के आस-पास पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. प्रदेश में ऑनलाइन सट्टे पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु इसमें लिप्त सटोरियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर रोकथाम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

212. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के पुलिस चौकी एवं थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा (कोटा) में रात्रिकालीन समय में हो रही चोरियों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ताथेड़ चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा (कोटा) में बढ़ रहे नशे के कारोबार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

216. प्रदेश में अलग-अलग धाराओं में दर्ज मुकदमों में उनकी गंभीरता के अनुसार अनुसंधान करने की अवधि सुनिश्चित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. पाली शहर में नशीले ड्रग्स के बढ़ते कारोबार को रोककर इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

218. प्रदेश में जनसंख्या के अनुरूप पुलिस थानों एवं चौकियों पर पुलिस कर्मियों की नफरी में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. प्रदेश में साइबर क्राइम में निरन्तर बढ़ोतरी के कारण प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

220. जयपुर शहर की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि एवं क्षेत्र के विस्तार के कारण नये पुलिस थाने खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार की घटनाओं में निरन्तर हो रही वृद्धि पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. गत वर्षों में प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामान्य कर्मचारियों को रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पकड़े जाने के बावजूद भी अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

223. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में जिला स्तरीय सीएलजी सदस्यों में खातौली थाना एवं विभिन्न कमेटियों में आपराधिक चरित्र एवं अनेक पतों वाले दस्तावेज रखने वाले व्यक्ति को सदस्य बनाने से पुलिस

की छवि पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

224. कोटा संभाग में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के मामलों में खनन, राजस्व एवं वन विभाग को पुलिस द्वारा त्वरित सहयोग नहीं किये जाने से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए।

225. प्रदेश में बुजुर्ग (उम्रदराज) शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी व्यक्तियों के वारिसों को उत्तराधिकार अधिकार के तहत अनुज्ञापत्र बनाने के लिए प्रस्तुत अनेक आवेदन पत्रों के लम्बित रखने से उत्पन्न स्थिति एवं हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गेंता (इटावा) एवं डीपरी चंबल (खातौली) में पुलिस चौकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पुलिस थाना इटावा में मानदण्ड एवं आवश्यकता अनुसार महिला एवं पुरुष स्टाफ का पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

228. प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व महिलाओं पर अत्याचार के बढ़ रहे मामलों के संबंध में चर्चा के लिए।

229. प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम हेतु उचित कानून-व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

231. प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने एवं उनके दोषियों पर आवश्यक कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

232. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के कस्बे मुण्डावर, नीमराणा, शाहजहांपुर में यातायात पुलिस की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के थानों में नफरी बढ़ाने व कंडम वाहनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम चूडला व शामदा को हरसोरा थाने

से हटाकर ततारपुर थानों में जोड़ने तथा मातोर ग्राम को खैरथल थाने से हटाकर ततारपुर थाने से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की सोडावास व अजरका पुलिस चौकी को थानों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में उप अधीक्षक का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

237. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में मालारामपुरा ढाबा चक हीरासिंहपुरा में नया थाना खोलने एवं पुलिस चौकियों पर चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

238. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित रामगंज थाना और आदर्श नगर थाने का पुन: सीमांकन कर एक नया थाना जोन्सगंज क्षेत्र में स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. अजमेर शहर के रामगंज, आदर्श नगर एवं अलवर गेट थानों क्षेत्रों में पुलिस संरक्षण में युवा पीढ़ी को परोसे जा रहे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

240. अजमेर शहर के नाका मदार क्षेत्र में बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसने से रोकने हेतु पुलिस के एक विशेष दल के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रत्येक 10 वर्ष बाद उनके सर्विस रिकार्ड के आधार पर पदोन्नति एवं कार्य मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोजन की स्वीकृतियां देने में होने वाले विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

243. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के पुलिस थानों में अनुपयोगी एवं अप्रचलित हथियारों का निस्तारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के पुलिस थानों में नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा स्थित पुलिस थानों में कार्मिकों के लिए नये आवासीय भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के पुलिस थानों में आधुनिकीकरण योजना के तहत नवीन वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिए।

247. शाहपुरा-भीलवाड़ा स्थित थानों एवं चौकियों पर स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

248. राजसमन्द पुलिस लाइन में सुविधाओं के विस्तार, भोजन व्यवस्था में सुधार और संचार व मनोरंजन की सुविधाओं में वृद्धि पर चर्चा के लिए।

249. प्रदेश में पुलिस द्वारा भूमि विवाद आपसी लेनदेन, विवाह एवं अन्य नागरिक प्रकृति के प्रकरणों में अनुचित हस्तक्षेप कर आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने और संबंधित पक्षों पर समझौता करने के लिए अनुचित दबाव बनाने व बंदी बनाने का भय दिखाने जैसी कार्यवाही पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. प्रदेश में वाहन चोरी एवं मोबाइल फोन चोरी जैसे प्रकरणों में पुलिस द्वारा प्राथमिकी अभिलिखित करने में टालने वाला व्यवहार करने और मना करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

251. राजसमन्द जिले में ड्रग्स एवं नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन तथा अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने में पुलिस विभाग की विफलता पर चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के शहरी क्षेत्र और घनी आबादी वाली बस्तियों में पुलिस द्वारा अनुचित चालान करने एवं जनता के साथ ज्यादती करने और छापामार प्रणाली से कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

253. प्रदेश में होमगार्ड कर्मियों को वर्ष में लगातार पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

254. प्रदेश में होमगार्ड में हर वर्ष होने वाली नवीनीकरण प्रक्रिया को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

255. प्रदेश में होमगार्ड में वालंटियर द्वारा सिविल व वर्दी में काम करने पर विभाग द्वारा अलग-अलग वेतन देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

256. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

258. प्रदेश में मादक/नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार/तस्करी में बढ़ोतरी व युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी की प्रवृत्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

259. प्रदेश में बढ़ रही चैन स्नेचिंग, वाहन चोरी, नकबजनी, अपहरण, लूट एवं दुष्कर्म/बलात्कार की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र आमेर के औद्योगिक/व्यावसायिक क्षेत्रों/मुख्य बाजारों में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र आमेर के पुलिस थाना क्षेत्र हरमाड़ा, चंदवाजी, आमेर, दौलतपुरा, चौमूं, करधनी एवं कालाडेरा में पिछले तीन वर्षों से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण हेतु इन थाना क्षेत्रों में नफरी बढ़ाये जाने तथा आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र आमेर के थाना क्षेत्र दौलतपुरा, चंदवाजी, हरमाड़ा एवं आमेर में विगत तीन वर्षों में दर्ज आपराधिक मुकदमों पर समय पर सख्त कार्यवाही किये जाने के लिए जिम्मेदार एवं लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

263. पुलिस थाना मुहाना सांगानेर जयपुर में वर्ष 2021-22 में दर्ज मुकदमा नं. एस-17/17.04.2021 एवं एफ.आई.आर. नं. 0237/दिनांक 25.02.2022 में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करने एवं एफआर लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

264. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ शहर में ट्रैफिक पुलिस में पुलिस निरीक्षक का पद सृजित करने तथा स्टाफ में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के थानों में नफरी (स्टाफ) की कमी को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Add. SP) कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बढ़ती आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए रात्रि गश्त हेतु मदनगंज थाने में एक अतिरिक्त वाहन (जीप) उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

268. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र में न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, खोड़ा गणेश रोड एवं राजा रेडी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुचील में नई पुलिस चौकियां खोलने तथा अरांई रोड पर चांसला में पुलिस एड पोस्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

269. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बढ़ते अपराधों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

270. अनूपगढ़ मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

271. पुलिस थाना अनूपगढ़ के नव-निर्मित भवन का लोकार्पण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

272. प्रदेश में पुलिस थानों में कार्यरत सिपाहियों को साइकिल सवारी भत्ते के स्थान पर वाहन भत्ते दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ को पुलिस चौकी तथा 365 हैड (2KLD) को पुलिस थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर):

274. सरदारशहर कस्बे में एवं स्थानीय भामाशाह द्वारा सदर थाना भवन निर्माण करवा दिये जाने से सदर थाना स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में होने वाले अपराधों को देखते हुए विभिन्न थानों में पुलिस नफरी बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

276. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विभिन्न पुलिस चौकियों व कार्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

277. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल थाने की अधूरी चारदीवारी को पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

278. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा थाने के सामने स्थित सड़क को चौड़ा करने हेतु विभागीय पहल किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

279. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों एवं चौकियों में पुलिस की नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में नये वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

281. जयपुर जिले के कोटपूतली कस्बे स्थित बड़ावास मोहल्ले में हत्या के संबंध में दर्ज मुकदमे (एफआईआर 913/22) की जांच कर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

282. प्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक प्रकरणों के संबंध में कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

283. प्रदेश में पेपरलीक की घटनाओं की रोकथाम हेतु स्पेशल फोर्स का गठन के संबंध में चर्चा के लिए।

284. अलवर जिले में हरियाणा के गैंगस्टर्स द्वारा की जा रही वारदातों पर कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

285. पुलिस थाना-मुहाना, जयपुर में भू-माफियाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में से एफआईआर 1231/13 दिनांक 13.11.2013 में अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी एवं कार्यवाही नहीं करने एवं एफआर लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

286. पुलिस थाना आमेर जयपुर (उत्तर), थाना बस्सी, जयपुर (पूर्व) तथा थाना कानोता जयपुर (पूर्व) में से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के

गांवों को हटाकर पुलिस थाना जमवारामगढ़ तथा थाना आंधी में शामिल करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

287. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में महिला पुलिस थाना खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

288. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के पर्यटन क्षेत्र एवं धार्मिक स्थल झाझीरामपुरा में पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

289. जयपुर के मुहाना थाने में भू-माफियाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर 1231/13 दिनांक 13.11.2013 के संबंध में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करने एवं एफआर लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

290. अजमेर स्थित हरिभाऊ उपाध्याय नगर में नया पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

291. अजमेर में आये दिन हो रही चोरियों की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

292. अजमेर स्थित सभी पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों के रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

293. प्रदेश के पुलिस कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

294. अजमेर में तीर्थराज पुष्कर के साथ प्रसिद्ध दरगाह स्थित होने तथा यहां प्रतिदिन आने वाले हजारों देश विदेशी सैलानियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

295. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के थानों के कार्मिकों हेतु नवीन आवास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

296. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के थानों को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत नये वाहन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

297. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सीमावर्ती होने के कारण थानों में नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

298. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सभी थानों व चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

299. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित थानों में स्वीकृत पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

300. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थाना जमवारामगढ़ में, थाना आमेर जयपुर उत्तर में सम्मिलित गांवों को शामिल किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

301. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थानों जमवारामगढ़ में थाना कानोता जयपुर पूर्व में सम्मिलित गांवों को शामिल किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

302. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थाना जमवारामगढ़ में थाना जयसिंहपुराखोर उत्तर-जयपुर में सम्मिलित गांवों को शामिल किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

303. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थाना आंधी में थाना बस्सी जयपुर पूर्व में सम्मिलित गांवों को शामिल किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 19-कारागार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

1. राजस्थान में जेल कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

2. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में केन्द्रीय कारागार खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

3. बाड़मेर जिले की कारागृह की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने एवं भवन का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

4. राज्य में कारागारों में कैदियों के जीवन स्तर में सुधार एवं निषेध वस्तुओं की आपूर्ति की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

5. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित जेल परिसर तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने, उद्यान विकसित करने सहित अन्य विकास कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. राज्य की जेलों में बंद अपराधियों व जेल कर्मियों की सांठगांठ से फोन पर आम आदमी, व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं भामाशाहों को धमकी देने जैसी वारदातों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. राज्य की कारागारों में प्रहरियों का वेतनमान एवं अन्य भत्तों सहित आवश्यक सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. राज्य की कारागारों में बंद कैदियों, स्टाफ एवं अधिकारियों के लिए पौष्टिक आहार, मनोरंजन के लिए टी.वी उपलब्ध कराने के साथ ही खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियां चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित जेल परिसर में पेयजल के लिए मीठे पानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

10. विधान सभा क्षेत्र दूदू के उप खण्ड मुख्यालय दूदू में कारागृह खोलने एवं कारागार विभाग में सिपाहियों की वेतन वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

11. अलवर शहर में केन्द्रीय कारागार को अलवर शहर से बाहर अन्य जगह स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

12. चित्तौड़गढ़ जिले में कारागार कार्मिकों हेतु नवीन आवासीय भवनों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों को जीवन यापन हेतु मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
14. चित्तौड़गढ़ जिले के कारागार की बैरकों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

15. विधान सभा क्षेत्र नोखा स्थित कारागार में पर्याप्त स्टाफ का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
16. प्रदेश में जेल प्रहरियों की वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 2400 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. प्रदेश की कारागारों में पदस्थापित प्रहरियों का हार्ड ड्यूटी भत्ता सिपाही के समकक्ष करने एवं रेडियेशन भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. कारागार विभाग द्वारा जेल की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा कर्मियों के वेतन व भत्ते समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

19. प्रदेश की जेलों में व्याप्त अव्यवस्था, भोजन वितरण सही नहीं होने एवं कैदियों में आपस में गैंगवार कर मारपीट की घटनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

20. प्रदेश के जेल प्रहरियों की संख्या में वृद्धि करने, इनकी वेतन श्रृंखला में बढ़ोतरी करने एवं जेल में प्रतीक्षालय की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

21. प्रदेश के कारागारों में बढ़ती अवांछनीय घटनाओं यथा-नशा प्रवृति, बन्दियों को मोबाइलों एवं गुण्डागर्दी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
22. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कारागार की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को हटाकर विभाग को जमीन कब्जा सुपुर्द करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. प्रदेश की कारागारों में पदस्थापित जेल प्रहरियों एवं पुलिस विभाग के सिपाहियों को समान वेतन भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. प्रदेश की कारागारों में बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों एवं उनके परिजनों से अवैध वसूली रोकने एवं कारागार में बन्दियों को विशेष सुविधा दिये जाने की गलत परम्परा की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

26. राजस्थान में ओपन जेल की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
27. राजस्थान की जेलों में आवश्यकतानुसार स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
28. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की सब जेल में बैरकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

29. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के उप खण्ड मुख्यालय सुजानगढ़ में उपकारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

30. प्रदेश में जिला स्तर की कारागृहों में बढ़ती कैदियों की संख्या को

मद्देनजर रखते हुए इनका विस्तार व शौचालयों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

31. प्रदेश के जेल भवनों की मरम्मत व सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
32. प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के आचार-विचार में सुधार के लिए विशेष अभियान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
33. प्रदेश में नवीन आधुनिक एवं तकनीकी से सुसज्जित जेलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
34. प्रदेश की कारगारों में तैनात पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
35. प्रदेश की जेलों में कैदियों को अवैध रूप से मिल रहे संचार साधनों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

36. सिरोही जिले की कारागार को शहर के बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
37. सिरोही जिले की कारागार में कैदियों को पौष्टिक खाना न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
38. सिरोही जिले की कारागार में कैदियों के इलाज की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
39. सिरोही जिले की कारागार में कार्मिकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
40. सिरोही कारागार समिति की बैठक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

41. प्रदेश की जेलों में बन्द हार्डकोर कैदियों पर विशेष निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
42. प्रदेश की जेल में बन्दियों के पास हथियार व मोबाइल फोन बरामद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
43. प्रदेश में कैदियों के लिए टीवी के माध्यम से संतों के प्रवचनों की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र कपासन सब जेल के भवन विस्तार के लिए आवश्यक बजट स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. कपासन सब जेल में क्षमता से अधिक बंदियों को रखने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

46. खानपुर उप खण्ड मुख्यालय पर कारागृह का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

47. प्रदेश में कैदियों की बढ़ती संख्या के हिसाब से नये कारागारों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में नियुक्त कर्मियों की मिलीभगत से संचालित अवैध गतिविधियों पर शीघ्र रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. राज्य के कारागारों में एक ही जगह वर्षो से नियुक्त पुलिस कर्मियों का एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. प्रदेश के कारागारों में पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध तरीकों से कैदियों के मोबाइल फोन पर बाहर के व्यक्तियों से बात कराकर अवैध गतिविधियां संचालित करने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. प्रदेश में स्थित कारागारों में स्वीकृत संख्या से अधिक कैदियों को अन्य कारागारों में स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

52. प्रदेश की वर्तमान कारागारों में कैदियों को रखने की क्षमता कम होने के कारण नई जेलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

53. राजस्थान की जेलों में बन्द कैदियों की रचनात्मकता एवं उत्पादकता विकसित करने के लिए कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. जालौर शहर में स्थित जिला कारागार के नवीन भवन के लिए आबंटित भूमि पर पर्याप्त बड़ा भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

55. विधान सभा क्षेत्र जालौर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थित खुली जेल में रह रहे कैदियों तथा उनके परिजनों एवं बच्चों को सुविधायुक्त आवास उपलब्ध करवाने एवं संस्कार केन्द्र स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

56. प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों की मानसिकता में परिवर्तन करने हेतु उचित उपाय एवं उनमें सकारात्मक भावना विकसित करने हेतु योग शिक्षा एवं संस्कार केन्द्र संचालित किये जाने के संबंध में चर्चा हेतु।

57. जालौर जिले की जेलों में अधिकारियों, प्रहरियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

श्री जगसी राम (रेवदर):

58. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की उप-कारागार आबू रोड में क्षमता से अधिक कैदी संख्या, शौचालयों तथा फर्श के अभाव में कैदियों व कारागार स्टाफ को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

59. विधान सभा क्षेत्र मावली की उपकारागार को अन्यत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

60. प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों की पैरवी करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारी नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. डूंगरपुर, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिले की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

62. भादरा कारागृह के भवन को भादरा कालेज के समीप स्थानान्तरित कर नवीन भवन हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

63. प्रदेश के कारागारों में मोबाइल एवं गैंगवार पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में कारागारों में कैदियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

65. प्रतापगढ़ जिला कारागार में कैदियों के साथ अनुचित मारपीट करने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. प्रतापगढ़ जिला कारागार में कैदियों के आचरण एवं संस्कारों में सुधार हेतु उन्हें रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम से जोड़ने हेतु समय-समय पर शिविर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध कैदियों को खुली जेल में रखने एवं उनके उपचार की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

68. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह में उप कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की मालपुरा उप कारागार भवन की मरम्मत व अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश के कारागारों में सभी संवर्ग के कार्मिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं आवश्यकतानुरूप नवीन पद सृजित करने के संबंध में।

71. प्रदेश के कारागारों में पुलिस कार्मिकों के मानदेय व भत्तों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. प्रदेश के कारागारों में मुल्जिमानों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज हेतु लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेन्स उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

73. जोधपुर स्थित कारागार की स्थिति को सुधार कर कैदियों को राहत दिलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

74. नागौर जिले में स्थित कारागारों में कार्मिकों के रिक्त पड़े पदों को भरने, अपराधियों की ऑनलाइन पेशी करवाने एवं कैदियों की संख्या के आधार पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

75. प्रदेश की जेलों में विचाराधीन बन्दियों में बढ़ रही आपराधिक एवं गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

76. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में कारागार निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. सुमेरपुर पुलिस थाने से कैदियों को बाली जेल ले जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

78. प्रदेश में जेल प्रहरियों के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. प्रदेश की जेलों में बंद हार्डकोर अपराधियों से मोबाइल, सिम एवं अन्य अवांछनीय उपकरण मिलने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. प्रदेश के जेल प्रहरियों की लम्बित मांगों एवं समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

81. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उप कारागार बालोतरा की सुरक्षा एवं कैदियों की सुविधाओं हेतु स्वचालित जनरेटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा उप कारागार में कैदियों की सुविधाओं हेतु पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा उप कारागार के वर्तमान भवन की जर्जर स्थित को देखते हुए सुरक्षा एवं सुविधाओं की दृष्टि से जैरला स्थित आबंटित भूमि पर आधुनिक सुविधाओंयुक्त भवन निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में कैदियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने एवं चरित्र निर्माण के लिए धार्मिक एवं महापुरुषों की जीवनी की पुस्तकें उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. प्रदेश के कारागृह एवं उप कारागृहों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

86. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) में नवीन उप कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

87. प्रदेश के कारागारों में हवा, पानी, बिजली, खाना, टीवी, सफाई आदि की समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप कारागार सलूम्बर को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से हटा कर अन्य जगह स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर।

89. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप खण्ड सराड़ा में नवीन उप-कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. राज्य की विभिन्न जेलों में बन्द कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, घातक हथियार, अवैध वस्तुएं एवं नशा और आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. प्रदेश के कारागारों में पहरेदार के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

92. प्रदेश के कारागारों में जेल कार्मिकों एवं प्रहरियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश के जेल कार्मिकों का वेतन पुलिस एवं RAC कार्मिकों के बराबर न होने से उत्पन्न वेतन विसंगतियों के संबंध में चर्चा के लिए।

94. प्रदेश की जेलों से मोबाइल फोन के माध्यम से अपराधियों द्वारा धमकी देना एवं रंगदारी वसूली रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. प्रदेश की जेलों में उच्च क्षमता के जैमर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. प्रदेश के कारागारों में अवैध मादक पदार्थ, मोबाइल फोन एवं सिम आदि की वृहद् स्तर पर निरीक्षण कर जप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

97. प्रदेश के कारागार विभाग की भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र के आरक्षण प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

98. अनुसूचित क्षेत्र की जेलों में कैदियों को मैन्यू के अनुसार भोजन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

99. प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

100. प्रदेश की जेलों में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा रिक्त पड़े पदों को अविलम्ब भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. प्रदेश की जेलों में स्वीकृत क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

102. प्रदेश की जेलों में अनाधिकृत/प्रतिबन्धित वस्तुओं के पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. प्रदेश की जेलों में जैमर व CCTV कैमरे नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में नवीन जेल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपा राम (मकराना):

105. विधान सभा क्षेत्र मकराना के मकराना मुख्यालय पर सेंट्रल जेल एवं बाल सुधार गृह स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

106. प्रदेश के जेलकर्मियों का वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

107. प्रदेश की जेलों में कैदियों/बंदियों को मोबाइल, नशीले पदार्थ व हथियार आदि उपलब्ध करवाये जाने के प्रकरणों में दोषी जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के रतनगढ़ ओपन जेल (खुला कारागार) में अपर्याप्त सुविधाओं से कैदियों को होने वाली परेशानियों के संबंध में चर्चा।

109. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के रतनगढ़ शहर स्थित कारागार के जर्जर भवन व अन्य आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

110. प्रदेश के कारागारों के कार्मिकों को सुविधाओं के अभाव में होने वाली परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

111. प्रदेश में जेल प्रहरियों एवं सुरक्षाकर्मियों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने हेतु।

श्री कालूराम (डग):

112. प्रदेश के कारागारों में कैदियों के खानपान व आवश्यक सामान रखने की समुचित व्यवस्था के संबंध में चर्चा।

113. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में कारागार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मंडी में कैदियों की संख्या के आधार पर कारागार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

115. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बारां जेल पर रास्ता नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

116. बारां जिला मुख्यालय जेल में आधारभूत संरचना के लिए विशेष बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

117. विधान सभा क्षेत्र बाली के बाली कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने व कैदियों की क्षमता अनुसार बैरक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

118. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के आसीन्द में नवीन कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

119. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के रायसिंहनगर कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर नया भवन बनाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

120. प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकार उल्लंघन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

121. प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

122. प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रशिक्षित किये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. राज्य की जेलों से विगत तीन वर्षों में जेल प्रशासन की लापरवाही से कैदियों के फरार होने की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. प्रदेश की जेलों में जेल प्रहरियों समेत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. राज्य में केन्द्रीय कारागार सहित अन्य जेलों में बंदियों के पास मोबाइल एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने व बंदियों द्वारा अवैध वसूली के सम्बन्ध में सक्रिय गैंगवार पर प्रभावी रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

126. अजमेर एवं किशनगढ़ कारागृहों में सरकारी आवास, प्रहरी मैस एवं प्रहरी लाइन की पर्याप्त व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. प्रदेश में महिला बंदी सुधार गृहों में महिला बंदियों हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128. महिला बंदी सुधारगृह, अजमेर के बंदियों हेतु एंबुलेंस की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. प्रदेश में जेल कार्मिकों/अधिकारियों की वेतनमान विसंगति को दूर के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

130. अजमेर एवं किशनगढ़ के कारागृह भवनों में शौचालय, स्नानघर तथा पीने के पानी की व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

131. अनूपगढ़ सब-जेल में स्टाफ क्वार्टर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. अनूपगढ़ सब-जेल में बंदियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराये जाने हेतु मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. अनूपगढ़ सब-जेल में निरुद्ध बन्दियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार भोजन, बिस्तर, कम्बल इत्यादि की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. अनूपगढ़ सब-जेल में कैदियों की संख्या अधिक होने से नई सब-जेल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. अनूपगढ़ सब-जेल में कैदियों के लिए कैंटीन खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

136. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा कारागार में चारदीवारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा कारागार में प्रहरियों की संख्या में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

138. प्रदेश में जेलों की स्थिति एवं जेल में अपराधियों में असुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए, सेन्ट्रल जेल जयपुर को बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

139. जयपुर शहर की सघन आबादी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. प्रदेश की विभिन्न कारागारों में बन्दियों के पास मोबाइल फोन एवं अन्य मादक पदार्थों के मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141. प्रदेश के कारागारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. प्रदेश के कारागारों में बन्दियों द्वारा कारागारों से बाहर आपराधिक कार्यों को संचालित करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति एवं उन पर रोकथाम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. प्रदेश की जेलों में बंदी क्षमता से अधिक कैदी होने एवं अतिरिक्त बैरक उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

144. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा में उप कारागार की आवश्यकता के बावजूद उप कारागार खोलने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

145. कोटा केन्द्रीय कारागार में पूर्णकालीन चिकित्सक एवं मेलनर्स नियुक्त रहने तथा विशेष मेडिकल कैम्प आयोजन के बावजूद विगत 4 वर्षों में कैदियों की मौतों के कारणों की जांच कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. कोटा में आवश्यकतानुसार जेल भवन निर्माण में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

147. कारागार में बंदियों के रहन-सहन एवं मिल रही सुविधा की जांच परख एवं मिलने वाली शिकायतों की दृष्टि से जनप्रतिनिधियों एवं नियुक्त दर्शकों को औचक निरीक्षण का अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. प्रदेश की जेलों में स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

149. प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों पर मोबाइल के उपयोग की पांबदी के लिए कठोर निर्णय लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

150. अलवर जिले की सभी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने व सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कारागार खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

152. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में उप कारागार खोलने व जेल में वाहन उपलब्ध कराने तथा मेलनर्स की पोस्टिंग कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

153. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा स्थित उप-कारागार में सजायाफ्ता कैदियों

को दिये जाने वाले भोजन की नियमित जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उप-कारागार में सजायाफ्ता कैदियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उप-कारागार में नई बैरक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उप-कारागार में नई प्रिजन्स एवं बॉडी वार्न कैमरा लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उप-कारागार के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

158. जेल प्रहरी एवं पुलिस कांस्टेबल के वेतमान समाने करने के निर्णय के उपरांत भी जेल प्रहरियों के इस लाभ से अभी तक वंचित रहने से व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिए।

159. अजमेर के केन्द्रीय कारागार में कैदियों को जेल कार्मिकों द्वारा अवैध रूप से मोबाइल उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. अजमेर के केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. प्रदेश में एक मात्र हार्डकोर बंदियों की उच्च सुरक्षा एवं कारागृह अजमेर में कार्यरत कारागृह कार्मिकों को हार्ड ड्यूटी भत्ता (जोखिम भत्ता) दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. केन्द्रीय कारागृह अजमेर में संगीन मामलों में सजा काट रहे कैदियों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे मोबाइलों को तत्काल जब्त करने एवं दोषी जेल अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

163. राजसमन्द के जिला कारागार भवन के आबंटित भूखण्ड पर नवीन भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. राजस्थान के केन्द्रीय जिला एवं उप कारागारों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या होने और राजसमन्द जिला कारागार में भवन की

जर्जर स्थिति एवं बंदियों की संख्या अधिक होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

165. राजस्थान के जिला कारागार में बंदियों को विगत 3 वर्षों में विधिक सहायता उपलब्ध करवाने में आई समस्याओं एवं बंदियों को समुचित सहायता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166. विगत 4 वर्षों में महिला सुधार गृहों के उन्नयन पर विशेष कार्य नहीं होने, सुधार गृहों में मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा सुधार गृहों की संख्या बढ़ाने में शिथिलता बरती जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

167. राजस्थान में खुले बंदी शिविरों की क्षमता बढ़ाने, बंदियों को प्रशिक्षण देने, सभी जिलों में खुले बंदी शिविर प्रारम्भ करने एवं राजसमन्द की खुली जेल (बंदी शिविर) के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

168. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में उप कारागार में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में सजायाफ्ता कैदियों की भोजन की समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में जेल प्रहरियों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में कैदियों के आचरण में सुधार हेतु धार्मिक प्रवचन दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में कैदियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु लघु व कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

173. अजमेर सहित प्रदेश में स्थित सभी कारागारों में शुद्ध भोजन, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त शौचालय इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. अजमेर स्थित केन्द्रीय कारागार में बंद अपराधियों से मोबाइल, मादक पदार्थ आदि मिलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. अजमेर केन्द्रीय कार्यालय सहित प्रदेश के सभी कारागारों में बंदियों से हो रही अवैध हफ्ता वसूली पर पाबंदी लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. जेल कार्मिकों की 1998 से लम्बित पुलिस के समकक्ष वेतन एवं भत्तों संबंधी विसंगति को दूर किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. अजमेर स्थित उच्च सुरक्षा कारागार गृह को सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने तथा उसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

178. प्रदेश के कारागृहों में विचाराधीन बंदियों को बिस्तर-कम्बल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. प्रदेश के कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण को नियमित जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. राज्य के कारागार में अकुशल एवं कुशल बंदियों की न्यूनतम पारिश्रमिक राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. राज्य के विचाराधीन बंदियों के अत्यधिक होने की समीक्षा के लिए जिले बार समिति के समक्ष नियमित बैठक कर प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. राजस्थान कैदी नियम 2006 के अंतर्गत दंडित बंदियों को समय पूर्व रिहाई हेतु सलाहकार मंडल की नियमित बैठकों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 18-गृह व मांग संख्या 19-कारागार पर सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्री लाखन सिंह (करौली)

माननीय महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली में डांग क्षेत्र होने के कारण आये दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। वृत्त करौली का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण समय पर कानून-व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाता, जिसके समाधान हेतु कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाना अति आवश्यक है, ताकि आमजन की समस्याओं का समय पर निराकण हो सके। मासलपुर को वृत्त कार्यालय, ग्राम कोटरी में पुलिस चौकी व उप तहसील कटकड़ में पुलिस थाना खुलवाया जाए, जिससे विधान सभा क्षेत्र करौली में आये दिन घटित हो रहे नये-नये अपराधों को नियंत्रित किया जा सके।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई)

मांग प्रमुख

रफ्तार से बदलते वक्त में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी तुलना में सूबे के पुलिस महकमे में मेनपावर की कमी है। प्रदेश भर के थानों में रिक्त पड़े पदों को भरा जावे।

अन्य विभागों की तरह पुलिस विभाग में भी कार्मिकों की ड्यूटी 8 घंटे की जावे।

प्रदेश के पुलिस कर्मियों को टाइम स्केल प्रमोशन और 3600 ग्रेड पे का लाभ दिया जावे।

प्रदेश के प्रत्येक पुलिसकर्मी को वीकली आफ का लाभ दिया जावे।

विधान सभा क्षेत्र नदबई की प्रमुख मांगें

विधान सभा क्षेत्र नदबई की पुलिस चौकी गहनोली को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जावे।

मुख्यालय उच्चैन (भरतपुर) में वृत्ताधिकारी नदबई, उच्चैन, बयाना को सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जावे।

डहरा मोड़ हाईवे पर नवीन पुलिस थाना खुलवाना।

पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के लिए किये गये कार्य

माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से निर्बाध एफ.आई.आर. पंजीकरण की नीति लागू की।

प्रदेश के पुलिस थाना को पब्लिक फ्रेंडली थाना बनाने के लिए राजस्थान के प्रत्येक पुलिस थाना में स्वागत कक्ष बनाने का निर्णय किया गया, जिसमें वर्तमान में पूरे प्रदेशभर में 839 स्वागत कक्ष बनकर तैयार हो चुके हैं। एक अभिनव प्रयास के तहत थाना अधिकारियों सहित समस्त पुलिस अधिकारी दोपहर 12 से 1.30 बजे तक अपने कार्यालय में परिवादियों की सुनवाई की जाएगी।

इसी कार्यालय में महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा के लिए 26 मार्च, 2021 से सुरक्षा सखी योजना प्रारम्भ की गई है। जिला व थाना स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर अब तक 17,714 सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है। वर्तमान में सभी जिलों में जनवरी, 2020 से महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्र शुरू कर 8 लाख 88 हजार महिलाओं एवं बच्चियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

आमजन व पुलिस के बीच सकारात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई पुलिस मित्र योजना में 37,194 पुलिस मित्र पुलिस का विभिन्न स्तरों पर सहयोग कर रहे हैं। गांवों में शांति सुरक्षा व्यवस्था में कुल 34 हजार 780 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किये जा चुके हैं।

राजकॉप सिटीजन एप एवं व्हाट्सएप हैल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इस एप के माध्यम से परिवाद दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। उक्त व्हाट्सएप हैल्पलाइन की सुविधा दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ की गई है।

राज्य में महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए समस्त जिलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फोर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का गठन एवं जघन्य अपराधों की जांच के लिए हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की गई है।

वर्तमान में प्रदेश में पुलिस की संगठनात्मक ढांचा

पुलिस रेंज - 7

कमिश्नरेट - 2

पुलिस जिले - 40

जीआरपी - 2 जिले

पुलिस सर्किल - 214

पुलिस थाना - 861

चौकियां - 1215

आर.ए.सी. बटालियन, मेवाड़ भील कोर सहित - 17

बजट वर्ष 2023-24

विधान सभा क्षेत्र नदबई में सैदपुरा में नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत करने पर धन्यवाद।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़)

मांग संख्या 18 एवं 19 की मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांगें:-

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र में आंधी थाना के नीमला ग्राम पंचायत में चौकी खुलवाने के लिए मांग रखता हूं तथा यहां चौकी खुलती है तो अपराधों पर अंकुश लगेगा। यह थाना क्षेत्र से 20 कि.मी. दूरी पर है।
2. मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के क्षेत्र कुछ थानों में लगे हुए हैं। थाने निम्न प्रकार हैं- आमेर, जयसिंहपुराखोर, कानोता, बस्सी आदि थानों में कुछ गांव आते हैं, जहां लोगों की कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। अत: मैं इन थानों को जमवारामगढ़ व आंधी थानों में लगाने की मांग करता हूं।
3. मेरे विधान सभा क्षेत्र में थानों में नफरी बढ़ाई जाये तथा थानों में नई गाड़ियां उपलब्ध करवाने की मांग रखता हूं।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कारागार विभाग के लिए विभिन्न घोषणाओं को बजट भाषण में सम्मिलित किया है।

साथ ही मैं आपके माध्यम से उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने कारागार विभाग से संबंधित कटौती प्रस्तावों के संबंध में चर्चा में भाग लिया और आपराधिक न्याय प्रणाली के एक

महत्वपूर्ण अंग से संबंधित विभिन्न समस्याओं व उनके समाधान के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगणों के माध्यम से कुल 182 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि प्राप्त कटौती प्रस्तावों के उत्तर अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाई। उनके मन में विरोधियों के प्रति भी आदर, सम्मान और प्रेम की भावना थी। गांधी जी कहते थे, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व को बारीकी से समझने की जरूरत है। बापू अपने समय का सदुपयोग व साफ-सफाई, स्वाध्याय के साथ अपना काम खुद करते थे। वे मानते थे कि आत्मनिर्भर रहने वाले को कोई झुका नहीं सकता। बंदियों को करुणा, सदाचार, प्रेम, सद्भावना एवं भाईचारे को आत्मसात करना चाहिए ताकि जेल से रिहा होने के बाद वे गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आदर्श समाज के निर्माण में सहभागी बनें। राजस्थान के यशस्वी गांधीवादी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के जीवनस्तर में सुधार लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जो प्रावधान इस बजट में किये गये हैं, उनकी क्रियान्विति से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में बंदियों के आचरण व जीवन में सुधार के रूप में देखने को मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग का प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा, स्वावलम्बन एवं सुधार है। हमारे प्रदेश के संवेदनशील और सर्वजन हिताय की सोच वाले माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान कारागार विभाग राज्य की जेलों में भेजे गए व्यक्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखकर राज्य की सेवा करता है। कैदियों को जेलों के सुरक्षित, मानवीय, लागत-कुशल और पर्यवेक्षित वातावरण में रखा जाता है। कारागार विभाग द्वारा कानून का पालन करने वाले नागरिक बनने में बंदियों की सहायता करने के लिए काम और अन्य आत्म-सुधार के अवसर प्रदान किये जाते हैं। विभाग द्वारा किये गये कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है।

अध्यक्ष महोदय, आज कारागार विभाग की 105 कारागृहों में (21973 बंदी) तथा 41 खुला बंदी शिविरों में (1373 बंदी) कुल 23,346 बंदी निरुद्ध हैं। इन बंदियों की सुरक्षा, सुधार एवं पुनर्स्थापना हेतु विभिन्न कार्य विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

बंदी क्षमता विस्तारः-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि विगत वर्षों में बन्दियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते एक नवीन कारागृह अकलेरा का निर्माण पूरा हो गया है तथा एक नवीन कारागृह डूंगरपुर में निर्माणाधीन है।

कारागृह का नाम	**कार्य का विवरण**	**स्वीकृत राशि (लाखों में)**	**व्यय राशि (लाखों में)**
उ.का. अकलेरा	नवीन कारागृह, भवन	1053.00	817.01
जिला कारागृह, डूंगरपुर	नवीन कारागृह, भवन (प्रक्रियाधीन)	1638.00	997.87
जि.का. झुन्झुनूं, बारां, राजगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, चूरू, सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़	कुल 21 बैरिक निर्माण (प्रक्रियाधीन)	2835.01	263.41
कुल लागत	-	**5526.01**	**2078.29**

नवीन कारागृह एवं बैरकों के निर्माण से बंदी क्षमता में निम्नानुसार वृद्धि हुईः-

वर्ष	**बंदी संख्या**
2018	21,879
2022	22,963

वर्ष 2019 में निम्नांकित महिला बंदी सुधारगृहों को प्रारम्भ किया गया:-

1.	महिला बंदी सुधारगृह, अजमेर
2.	महिला बंदी सुधारगृह, उदयपुर
3.	महिला बंदी सुधारगृह, भरतपुर
4.	महिला बंदी सुधारगृह, कोटा
5.	महिला बंदी सुधारगृह, बीकानेर

उक्त के अतिरिक्त दण्डित बंदियों को रखे जाने हेतु विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा को भी प्रारम्भ किया गया।

सुरक्षा उपकरणः-

अध्यक्ष महोदय, जेलों की सुरक्षा बनाये रखने में सुरक्षा उपकरणों का महत्वपूर्ण स्थान है। तलाशी एवं जांच की व्यवस्था मजबूत होने से निषिद्ध वस्तुओं के जेलों में प्रवेश की रोकथाम में भी मदद मिलती है।

वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में निम्न सुरक्षा उपकरण/अन्य आइटम क्रय किये गये:-

वर्ष	सुरक्षा उपकरण	व्यय राशि
2019	एक्स-रे बैगेज स्कैनर, डी.एफ.एम.डी., एच.एच.एम.डी., पब्लिक एड्रेस सिस्टम इत्यादि	32.48 लाख
2020	कोविड के कारण	-
2021	डी.एस.एम.डी., एन.एल.जे.डी., एक्सरे-बैगेज, वाकी-टाकी,	525.43 लाख
2022	वाकी-टाकी, एच.एच.एम.डी., लाठी, हेलमेट, जनरेटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सोलर लाइट, इलेक्ट्रिकल सायरन, एक्सरे बैगेज स्कैनर, हाई डेनसिटी लाइट, सेल फोन डिटेक्टर एवं नाइट विजन डिवाइस जेलों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्रय किये जा रहे हैं।	544.33 लाख

वर्ष 2020-21 के कोविड के कारण। (परिशिष्ट-1)

जेलों में मोबाइल एवं अन्य निषिद्ध सामग्री को रोकने हेतु दिनांक 21.11.2020 से विशेष अभियान operation flush out चलाया जा रहा है। इसकी क्रियान्विति के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे इनके उपयोग पर काफी हद तक रोक लग रही है। सभी मामलों में कारागार अधिनियम में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा रही है।

ई-प्रिजनः-

अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग नई तकनीक को अपनाने में अग्रणी रहा है। राजस्थान सम्पूर्ण देश में जेलों की संख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और भारतवर्ष में एकमात्र राज्य है जिसकी सभी जेल वर्ष 2019 से शत-प्रतिशत ऑनलाइन है। राज्य के समस्त कारागृहों पर ई-प्रिजन संचालित है, जिसके अन्तर्गत राज्य के कारागृहों में निरुद्ध समस्त बंदियों के रिकार्ड का इन्द्राज किया जा रहा है। ई-प्रिजन, ICJS (Inter Operable Criminal Justice System, अन्तर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली) का महत्वपूर्ण अंग है।

ICJS प्रणाली के उपयोग में राजस्थान सम्पूर्ण देश में अग्रणीय बना हुआ है। इस प्रणाली के उपयोग के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा C.C.T.N.S. तथा I.C.J.S अवार्ड की घोषणा में राजस्थान को वर्ष 2021 में पूरे भारत में प्रथम स्थान तथा वर्ष 2022 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हाल ही में जेल विभाग के अथक प्रयासों से e-prison system को e-court प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इससे माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये जमानत आदेश व फैसले अविलम्ब कारागृह पर उपलब्ध होंगे। मा. न्यायालय द्वारा अपील के दौरान चाहे जाने वाले अभिरक्षा प्रमाण-पत्र न्यायालय को कारागृह से अविलम्ब उपलब्ध हो सकेंगे।

सी.सी.टी.वी. कैमराः-

राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने की दृष्टि से वर्तमान सरकार द्वारा डिजिटल कैमरे स्थापित करने का निर्णय लेते हुए 09 केन्द्रीय कारागृह, 24 जिला कारागृह, 01 उच्च सुरक्षा कारागार, 04 महिला बंदी सुधारगृह, 09 उप कारागृह एवं 01 किशोर बंदी सुधारगृह पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित कराये गये। वर्तमान में राज्य की कारागृहों में 1679 सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित हैं एवं 400 कैमरे केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर एवं उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर पर स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

वर्ष	**स्थापित कैमरों की संख्या**
2018	0
2019	177
2020	165
2021	200
2022	23
कुल योग	**565**

नोट- अवधि में कोविड के कारण वर्ष 2020-21 के मध्य कार्यकम हुआ है। (परिशिष्ट-2)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगः-

राज्य की कारागृहों में निरुद्ध बंदियों को चालानी गार्ड के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। चालानी गार्ड के अभाव में बंदियों को कुछ अवसरों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। साथ ही बंदी के कारागृह से बाहर जाने पर उसके फरार होने एवं निषिद्ध सामग्री के कारागृह में लाये जाने की आशंका भी सदैव बनी रहती है। इसके निदान हेतु बंदियों को अधिकाधिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ट्रायल भी जल्दी हो व अंतिम निर्णय जल्दी हो सके। इससे जनाधिक्य की समस्या से भी राहत मिलेगी। राज्य के सभी कारागृहों पर बंदियों की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था स्थापित है।

बाडी वार्न कैमराः-

कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के मनोस्थिति व अपराधियों की आदतन अपराध की मानसिकता व उसमें सुधार हेतु अध्ययन करने बाबत मनोवैज्ञानिक रूपरेखा (Profiling) बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को पायलट प्रोजेक्ट बाडी वार्न कैमरों के लिए 80.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। उक्त राशि में से पायलट प्रोजेक्ट बाडी वार्न कैमरों के लिए 11.73 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। आदेश दिनांक 09.01.2023 के द्वारा राशि रुपये 52.89 लाख रुपये से 50 नग बाडी वार्न कैमरा मय एसेसरीज का क्रयादेश जारी किया गया है। साथ ही शेष राशि इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में प्रयोग में ली जाएगी। (विषय विशेषज्ञ की फीस, रिपोर्ट को प्रिन्ट कराना, प्रश्नावली तैयार कराना इत्यादि)

उद्योग/कौशल विकासः-

महोदय, जेलों में निरुद्ध बन्दियों की सामाजिक पुनर्स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि जेल में रहने के दौरान उन्हें ऐसे कार्य का प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे वह रिहा होने के बाद सम्मानपूर्वक आजीविका कमा सके।

इस हेतु कारागृहों की उद्योगशालाओं में बंदियों को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण देकर उत्पादों का निर्माण करवाया जाता है यथा दरी, फर्श, कपड़ा बुनाई व सिलाई, डेजर्ट कूलर बनाना, कारपेन्टरी, लोहारी आदि।

कारागृह उद्योग में वर्ष 2018 में राशि रुपये 16 लाख के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2022 में राशि रु. 1.45 करोड़ का उत्पादन हुआ।

जॉब वर्क के आधार पर कालीन निर्माण केन्द्रीय कारागृह जयपुर, अलवर, भरतपुर, श्यालावास (दौसा) एवं अजमेर में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

इस कार्य हेतु वर्ष 2022-23 में बंदियों को मजदूरी राशि रुपये 21.40 लाख का भुगतान किया गया व जेल सेवा में राशि रुपये 449.97 लाख का भुगतान किया गया है।

2019-20 से 2022-23 तक का बंदी मजदूरी भुगतान का वर्षवार चार्ट (राशि लाखों में)

वर्ष	**बंदी मजदूरी**
2019-20	55.35
2020-21	154.20
2021-22	361.16
2022-23	471.37
कुल	**1042.08**

बंदी मजदूरीः-

जेल विभाग द्वारा बंदियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में भी वृद्धि की गई है।

अवधि	**कुशल श्रमिक बंदी (शुद्ध भुगतान)**	**अकुशल श्रमिक बंदी (शुद्ध भुगतान)**
दिनांक 22.01.2021 से पूर्व	150/-	130/-
दिनांक 22.01.2021 के बाद	180/-	156/-

नोटः- कुशल श्रमिक बंदियों हेतु कुल न्यूनतम पारिश्रमिक राशि को दिनांक 22.01.2021 को बढ़ाकर 249 रुपये व अकुशल श्रमिक बंदियों हेतु 225 रुपये किया गया। नियमानुसार 69 रुपये की कटौती के पश्चात् श्रमिक बंदियों को भुगतान किया जाता है।

कौशल विकास प्रशिक्षणः-

राजस्थान आजीविका एवं कौशल विकास निगम द्वारा बंदियों को विभिन्न व्यवसायों में कौशल विकास हेतु विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे बंदियों को जेल से रिहा होने के बाद रोजगार प्राप्त करने में

सहूलियत होगी। वर्ष 2019 से 2023 तक विभिन्न ट्रेडों में 1,533 बंदियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 2019 से 2023 तक बंदियों को मजदूरी के रूप में 77.16 लाख रुपये का भुगतान किया गया व जेल सेवा में 964.92 लाख रुपयों का भुगतान हुआ।

भुगतान चार्ट (राशि लाखों में) (परिशिष्ट-3)

वर्ष	जेल सेवा	बंदी मजदूरी
2019-20	36.32	19.03
2020-21	141.25	12.95
2021-22	337.38	23.78
2022-23	449.97	21.40
कुल	**964.92**	**77.16**

बंदी साक्षरता:-

किसी भी व्यक्ति का निरक्षर होना, उसके सर्वांगीण विकास में बाधाकारक होता है। इस उद्देश्य से कारागृहों में निरुद्ध बंदियों हेतु सभी कारागृहों पर बंदियों को साक्षर किये जाने के लिए साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है।

गत तीन वर्षों में कुल 13,425 बंदियों को साक्षर किया गया:-

वर्ष	साक्षर किये गये बंदियों की संख्या
2020	5,073
2021	3,017
2022	5,335
कुल	**13,425**

(परिशिष्ट-4)

पेट्रोल पम्प:-

राज्य की राज्य के पांच चिह्नित कारागृहों (केन्द्रीय कारागृह, कोटा/जयपुर/अलवर/भरतपुर/अजमेर) एवं 01 कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर बंदियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु रिटेल आउटलेट के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.10.2019 को

स्वीकृति जारी की गई है। वर्तमान में राजस्थान के दो कारागृहों पर पेट्रोल पम्प संचालित हो गये हैं तथा तीन कारागृहों पर स्थापना प्रक्रियाधीन है। भविष्य में 13 जेलों पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने की योजना है। इन पेट्रोल पम्पों पर बंदियों द्वारा कार्य किया जाता है। इससे होने वाली आय प्रिजन डवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जेलों के विकास पर खर्च की जायेगी। इस नवाचार की सफलता सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पेट्रोल पम्प प्रस्तावित	**पेट्रोल पम्प प्रारम्भ**	**पेट्रोल पम्प की स्थापना प्रक्रियाधीन**
केन्द्रीय कारागृह, कोटा	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	-
केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	-
केन्द्रीय कारागृह, अलवर	-	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	-	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर
केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	-	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर	-	कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

पिक्स (PRISON INMATE CALLING SYSTEM)/ई-मुलाकातः-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे भारत वर्ष में राजस्थान सभी कारागृहों पर ई-मुलाकात (video calling) प्रारम्भ करने वाला प्रथम राज्य है। दिनांक 05.06.2021 को एनपीआईपी पोर्टल पर प्रकाशित रिपोर्ट में ई-मुलाकात में राजस्थान सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के परिवारजन शहर से बाहर होने के कारण उनकी मुलाकात नियमित रूप से नहीं हो पाती है। इस स्थिति के कारण बंदी मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। मानसिक तनाव अधिक होने पर वे परिजनों व अपने वकील से वार्ता हेतु PRISON INMATE CALLING SYSTEM जो केन्द्रीय व जिला कारागृहों तक था, उसे बढ़ाकर राज्य की सभी उप कारागृहों पर स्थापित किया जा चुका है। इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए इस व्यवस्था को जारी रखा जा रहा है।

बंदी भोजन व्यवस्थाः-

बंदियों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार हेतु राशन आपूर्ति कानफैड के माध्यम से शुरू की गई। इससे खाद्य सामग्री के संबंध में प्राप्त होने वाली

शिकायतों में काफी हद तक कमी आयी है। केन्द्रीय कारागृह, अलवर पर आधुनिक भोजनशाला एवं अस्पताल का निर्माण कराया जावेगा।

स्थाई पेरोल व समय पूर्व रिहाईः-

बंदियों की सामाजिक पुनर्स्थापना में स्थाई पेरोल व समय पूर्व रिहाई का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर विशेष परिहार स्वीकृत किया जाकर शेष सजा माफ करते हुए 245 बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त, 2022 को 48 बंदियों को रिहा किया गया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्थाई पेरोल पर कुल 656 बंदी भेजे गये (परिशिष्ट-5) व 835 बंदी समय पूर्व रिहा किये गये। गत सरकार के शासनकाल में वर्ष 2015 से 2018 के 4 वर्षों में कुल 84 बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया था। (परिशिष्ट-6)

बंदियों का वर्ष 2019 से वर्ष 2022 का चार्ट

वर्ष	स्थाई पेरोल	समय पूर्व रिहाई
2019	203	53
2020	166	03
2021	143	654
2022	144	125
कुल	**656**	**835**

खुला बंदी शिविरः-

राजस्थान में इस समय 41 खुला बंदी शिविर हैं जो सम्पूर्ण भारत वर्ष में स्थापित कुल 88 बंदी खुला शिविरों के लगभग 50 प्रतिशत हैं, जिसमें 1,373 बंदी हैं। बंदी खुला शिविर को खोले जाने के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बंदियों को रोजगार के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें।

यहां बंदी अपने परिवार के साथ रहते हैं तथा स्वयं ही अपना व परिवार का खर्चा वहन करते हैं। खुला बंदी शिविर जेल व समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 1,877 बंदियों को बंदी खुला शिविर में भेजा गया।

वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक खुला बंदी शिविर में भेजे गये बंदियों का चार्ट संलग्न है:-

वर्ष	**खुला बंदी शिविर**
2019	499
2020	406
2021	310
2022	662
कुल	**1,877**

सरकार द्वारा बंदी खुला शिविरों में 4061.50 लाख रुपये से कुल 433 आवासगृहों का निर्माण करवाया जा रहा है।

कार्मिक कल्याणः-

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सीधी भर्ती के माध्यम से 813 अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन किया गया है तथा 42 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम तथा आर.जी.एच.एस. की सुविधा प्रदान किये जाने के कारण सभी विभागों की तरह कारागार विभाग के कार्मिकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। (परिशिष्ट-7)

अन्य उपलब्धियां:-

जेल विकास बोर्ड का गठन:- जेल सुधार (Prison Reforms) के तहत माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जेल विकास बोर्ड का दिनांक 18.09.2019 को गठन किया गया है। जेल विकास बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य की जेलों में संचालित उद्योगशालाओं के आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण एवं बंदियों के पुनर्वास, कल्याण के प्रबंधन से संबंधित कार्यों को गतिशीलता प्रदान करना है।

प्रिजन बिल:- वर्तमान में कारागृहों का संचालन प्रिजन एक्ट 1894 के तहत किया जा रहा है। नवीन राजस्थान प्रिजन एक्ट बनाया जाकर लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 12 दिसम्बर, 2022 को कारागार नियम अधिसूचित कर दिये गये हैं।

वर्तमान बजट की घोषणाएं:-

राज्य सरकार कारागार विभाग के विकास के प्रति कटिबद्ध है। इस बजट में इस हेतु यह घोषणाएं की गई हैं:-

1. आवश्यकतानुसार कारागृहों में 80-80 बंदी क्षमता की 15 नवीन बैरक बनायी जायेंगी। इस पर 30 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

2. जिला कारागृहों में पुस्तकालयों की स्थापना की जायेगी।

3. बच्चों की देखभाल हेतु प्रथम चरण में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास-दौसा में क्रेच (Creche) की स्थापना की जायेगी।

4. राज्य के कारागृहों में सुविधा विस्तार हेतु 6 मिनी बस एवं 10 एम्बुलेंस उपलब्ध करवायी जायेंगी।

मैं बजट पारित करने हेतु सदन को प्रस्तावित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद।

दिनांक 01-02.2023

राज्य एवं अधीनस्थ सेवा			
पदनाम	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
महानिरीक्षक कारागार	1	1	0
उप महानिरीक्षक कारागार	3	2	1
अधीक्षक ग्रेड-I	11	9	2
अधीक्षक ग्रेड-II	18	8	10
उपाधीक्षक	36	13	23
व्याख्याता	3	0	3
कारापाल (अधीनस्थ)	76	66	10
उप कारापाल	188	110	78
चीफ आरमोरर	1	0	1
प्रशिक्षक ग्रेड-II	1	1	0
व्यायाम प्रशिक्षक ग्रेड-II	1	1	0
मुख्य प्रहरी	613	489	124
प्रहरी	2907	2152	755
प्रहरी वाहन चालक	4	0	4
योग	**3863**	**2852**	**1011**
लेखा सेवा/सांख्यिकी/विधि			
पदनाम	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
वित्तीय सलाहकार	1	1	0
लेखाधिकारी	2	2	0

सहायक लेखाधिकारी-I	3	0	3
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II	14	11	3
कनिष्ठ लेखाकार	24	15	9
सांख्यिकी सहायक	1	1	0
संगणक	1	1	0
उप विधि परामर्शी	1	0	1
कनिष्ठ विधि अधिकारी	4	0	4
योग	**51**	**31**	**20**
चिकित्सा संवर्ग			
पदनाम	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियो डाइग्नोसिस)	2	2	0
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	1	0
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक)	9	6	3
क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट	1	0	1
चिकित्साधिकारी	39	33	6
सहायक रेडियोग्राफर	2	1	1
मेलनर्स	91	67	24
नर्स/दाई	4	4	0
लैब टैक्नीशियन	8	6	2
योग	**157**	**120**	**37**
उद्योग सेवा			
पदनाम	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
उप निदेशक (उद्योग)	1	0	1
सहायक उद्योगशाला पर्यवेक्षक	5	1	4
बंदी अध्यापक	5	1	4
शिक्षा अध्यापक	1	0	1
सहायक अध्यापक	2	0	2
डायर	1	0	1
कारपेन्टर	5	0	5
लुहार	1	1	0
टेलर	5	2	3
व्यावसायिक अध्यापक	2	2	0

मैकेनिक	1	0	1
सहायक मशीन मैन (चतुर्थ श्रेणी सेवा)	4	2	2
योग	**33**	**9**	**24**
मंत्रालयिक संवर्ग			
पदनाम	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
निजी सचिव	1	0	1
अति. निजी सचिव	1	0	1
स्टेनोग्राफर ग्रेड-II	4	4	0
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
अति. प्रशासनिक अधिकारी	9	8	1
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	30	29	1
वरिष्ठ सहायक	63	60	3
कनिष्ठ सहायक	92	81	11
वाहन चालक	13	7	6
योग	**214**	**190**	**24**
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग			
पदनाम	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साइकिल सवार सहित	46	39	7
कुक	7	7	0
नाई	7	4	3
धोबी	6	3	3
सफाई कर्मचारी	47	29	18
बैण्ड मास्टर	1	0	1
बागवान	8	5	3
योग	**122**	**87**	**35**